राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 13

बुधवार;

12 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रोहिताश्व कुमार। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : प्रश्न संख्या-139, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अपने सवाल का जवाब दें इससे पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : आप पहले कैसे निवेदन करेंगे? प्रश्न तो पूछ लिया आपने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्न को पूछने के पीछे जो मूल भावना थी, अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न इन्होंने...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न इन्होंने पूछ लिया तो फिर वापस क्या निवेदन करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह मूल भावना के अनुरूप उत्तर ही नहीं आया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपकी मूल भावना का जवाब मैं दूंगा, पहले प्रश्न तो पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आसन से निवेदन कर सकता हूं, आपको तकलीफ क्या है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अब आप खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं तो आसन से क्यों प्रश्न कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप खुद मुलाहिजा कर लें, प्रश्न में मूल भावना मैंने पूछी थी कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी पंजीकृत संस्थाएं हैं और यह उत्तर दे रहे हैं कि नि:शक्त अधिनियम की धारा इतने के तहत इतनी हैं। यह मैंने पूछा ही नहीं। मतलब, कम से कम मंत्री महोदय को अपना जवाब प्रस्तुत करने से पहले देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने जवाब किससे पूछा है? आपने सवाल समाज कल्याण विभाग से पूछा है। समाज कल्याण विभाग के पास...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आपने स्वयं ने प्रश्न पूछा है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो रजिस्टर्ड हैं, उसका ही जवाब देंगे। अगर आपको पूछना था तो फिर अपने कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से पूछते।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मंत्रीजी, बैठिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : वे आपको लिस्ट दे देते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बैठिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उनके पास सारी रजिस्टर्ड हैं। पूछने वाले को नालेज नहीं है तो हमसे पूछ रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बैठिये। इस तरह...(व्यवधान) आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जरा अपने ज्ञान को मत बखानो। अध्यक्ष महोदय, पढ़कर खुद नहीं आते हैं और ज्ञान बिखेरे जा रहे हैं यहां पर। नहीं, इनकी बात कहने की तमीज देखो।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के अन्दर जवाब दे रहे हैं, यह ज्ञान की बात करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण विभाग से आपने पूछा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप अपना ज्ञान ज्यादा सोच रहे हो। ज्ञान के कारण से ही तो आप इधर बैठे हो। ज्ञान कम था, नहीं तो जीतकर आते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आपकी हालत होगी जो देखना आप। किसी भ्रम में हो? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हां, आप सोचते रहिये। मैं बता दूंगा आपको।

श्री सांवर लाल : ऐसा बताएंगे, वह समय बताएगा। बहस का मुद्दा नहीं है, वह समय बताएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी एन.जी.ओ. के बारे में आपका अगर प्रश्न था तो रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटीज एक्ट, 1958 के अन्तर्गत एन.जी.ओ. के सब रजिस्ट्रेशन होते हैं। वह आपने समाज कल्याण को पूछ लिया तो समाज कल्याण मंत्री तो वही हैं और वही उत्तर देंगे जो उनके डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो मूल प्रश्न किया, अब मूल प्रश्न तो आपका यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने मूल प्रश्न मुख्य मंत्रीजी से इसीलिए पूछा था, मुझे मालूम था कि इस विभाग के अन्दर दो विभाग हो सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी से किया।

श्री अध्यक्ष : आपने समाज कल्याण मंत्रीजी को पूछा है, कोआपरेटिव मंत्रीजी से पूछना चाहिए था आपको। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : समाज कल्याण मंत्रीजी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से सूचना मंगवा कर भी जवाब दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप पूछो उनसे, वे जवाब दे देंगे आपको दस गुणा।

श्री सांवर लाल : सदन में जो पूछा है, उसका जवाब तो आना चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सचिवालय निर्देशित करता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप इसको पोस्टपोन करिये।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चल सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पोस्टपोन करके मेरी भावना के अनुरूप...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो मूल भावना थी उस भावना के प्रतिकूल जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए था कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को। जो आपकी मूल भावना है, आपकी भूल भावना में आपने मुख्य मंत्रीजी को नहीं पूछा है, आपने समाज कल्याण मंत्रीजी से पूछा है। यह ओरिजनल पड़ा है। (वयवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सचिवालय को चाहिए था।

डा. सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ऊपर कोआपरेटिव का है, खुद ही गलत पूछा है आपने। यह आप अलग से पूछते। नीचे वाला भाग है वह समाज कल्याण से सम्बन्धित है। आप खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : समाज कल्याण मंत्रीजी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

डा. सी. पी. जोशी : नीचे वाला भाग समाज कल्याण से है इसका मतलब समाज कल्याण से ही है। यह...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : ऐसा थोड़े ही होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय अगर कोई गलत मंत्री को एड्रस कर दे तो उसके अनुसार...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, सवाल देखिये इनका। राजेन्द्र राठौड़, क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, यह किसने पूछा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : विधान सभा सचिवालय देता है पर...(व्यवधान) विधान सभा सचिवालय का यह कर्तव्य है कि...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने पूछा या मैंने पूछा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : विधान सभा सचिवालय का यह कर्तव्य है कि अगर गलत मंत्री का नाम लिख भी दिया है तो प्रश्न की मूल भावना को देखते हुए उसको करैक्ट कर देता, वह सही कर देता। यह परम्परा रही है। वह शुरू से परम्परा रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मूल भावना तो समाज कल्याण की है। मूल भावना समाज कल्याण की है। भाग–दो और तीन समाज कल्याण से सम्बन्धित ही है। मूल भावना देखिये आप, भाग दो और तीन में समाज कल्याण ही है।

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री) : समाज कल्याण की ही मूल भावना है।

डा. सी. पी. जोशी : मूल भावना कहां से आ रही है? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने पूछा है, अध्यक्ष महोदय और यही जवाब मैंने दिया है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : कन्फ्यूज तो आप हैं। कन्फ्यूज कहां हैं, मूल भावना समाज कल्याण की ही है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप सवाल पूछ लीजिए और बाद में सही करके दूसरे से पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैंने मूलतः इसलिए पूछा था कि...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : भाग दो और तीन में समाज कल्याण से सम्बन्धित ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भारत सरकार ने, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 131 एन.जी.ओ. की लिस्ट राजस्थान की सरकार को भेजी और उनकी भेजी जिनको, अध्यक्ष महोदय, एक दो नहीं 91 करोड़ रुपये का अनुदान पिछले वर्ष दिया, 91 करोड़ का, और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, आप यूं नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर उनको ब्लैक लिस्ट भी किया तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एन.जी.ओ. तो आपने पूछा ही नहीं, आपने समाज कल्याण को पूछा है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, यह बिना मतलब के वेग बात कर रहे हैं। जब प्रश्न समाज कल्याण विभाग से पूछा है, आपने सही निर्देश दिया है और समाज विभाग को निर्देश दिया है तो...(व्यवधान) मैं उसका जवाब

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

दे रहा हूं जो मेरे से कन्सर्न है। मैं उसका जवाब दे दूंगा और बाकी का पूछना है तो माननीय सदस्य दूसरे तरीके से रेज कर ले प्रश्न को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप इसको पोस्टपोन फर्मा दो, मेरा इतना ही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पोस्टपोन क्यों करेंगे, मैं जब जवाब देने को तैयार हूं?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लो उनको, समाज कल्याण विभाग को पूछिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पोस्टपोन करवा दें। आप इसको दुबारा लगा देना, साहब। पोस्टपोन फर्मा दें, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से पूछ लूंगा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप दुबारा पूछ लेना किसी दिन।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न जो समाज कल्याण से जितना सम्बन्धित है उतना तो उनको उत्तर देने दीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : बिलकुल ठीक बात है।

पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अनुदान में अनियमितता की जांच

139. **श्री रोहिताश्व कुमार** (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं? वर्ष 2000-01 से 2002-2003 में केन्द्र व राज्य सरकार से कितनी संस्थाओं को कितना कितना अनुदान प्राप्त हुआ?

(2) उक्त अवधि में कितने गैर सरकारी संगठनों को सरकार ने काली सूची में सम्मिलित किया तथा उक्त के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या सरकार को निराश्रित बाल गृह शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्तों हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध वर्ष 2001-2002 व 2002-2003 में शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) प्रदेश में निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत 96 स्वयंसेवी संस्थाएं पंजीकृत हैं तथा 14 जिलों में 27 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 32 निराश्रित बाल गृहों में 73 यूनिटों का संचालन किया जा रहा है।

निःशक्त कल्याण तथा निराश्रित बाल गृह में वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान निम्नानुसार है :

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

(राशि लाखों में)

वर्ष	केन्द्र सरकार		राज्य सरकार	
	संस्थाओं की संख्या	अनुदान राशि	संस्थाओं की संख्या	अनुदान राशि
नि:शक्त कल्याण				
2000–2001	16	451.57	22	44.56
2001–2002	23	527.62	19	44.19
2002–2003	23	75.35	19	24.60
निराश्रिम बाल गृह				
2000–2001	शून्य	शून्य	27	47.25
2001–2002	शून्य	शून्य	27	80.58
2002–2003	शून्य	शून्य	27	80.00 (प्रावधान)

(2) राज्य सरकार ने किसी संस्था को ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं किया है।

(3) निराश्रित बाल गृह तथा नि:शक्त कल्याण में कार्यरत एन.जी.ओ. के विरुद्ध वर्ष 2001–2002 व 2002–2003 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने जिन संस्थाओं को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुदानित राशि देना अभी बताया है और उसका उल्लेख भी किया है कि किस किस वर्ष में कितनी–कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई, इसमें वास्तविक व्यय तो कितना हुआ, एक तो यह मुझे बता दीजिए?

इसके साथ ही मुझे यह बता दीजिए कि ये स्वयं सेवी संस्थाएं चूंकि राजस्थान में चल रही हैं और आपका विभाग उनका पंजीकरण करता है तो आपके विभाग ने पिछले तीन सालों में किस–किस संस्था का कब–कब निरीक्षण किया? इन संस्थाओं की मानिटरिंग किस–किस स्तर पर और कब–कब हुई? और मुझे यह भी बता दीजिए कि क्या इन पंजीकृत संस्थाओं को प्रति वर्ष अपनी आडिटेड रिपोर्ट निश्चित समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? क्या इनका कभी आडिट हुआ? और मुझे यह भी बता दे कि केन्द्र सरकार ने जिन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संस्थाओं को अनुदानित राशि दी है, उन संस्थाओं को केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिये क्या आपके विभाग ने इनकी अभिशंसा की? अगर आपके विभाग ने इनकी अभिशंसा की तो आपके विभाग ने जिन-जिन कार्यक्रम, जिन-जिन प्रोजेक्ट्स के लिये इनको अनुदान दिया, उन अनुदान और प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या किया?

अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल सवाल जो था, अब तो आसन की आज्ञा शिरोधार्य है, अभी भारत सरकार ने 136 संस्थाओं की सूची राज्य सरकार को भेजी है जिनको पिछले वर्ष 91 करोड़ 87 लाख का अनुदान मिला। योजना आयोग ने डेटा बेस करके यह कहा कि इनकी जांच की आवश्यकता है। एक-एक संस्था गांवों में चल रही थी और करोड़ों रुपये का अनुदान दे रही है। खैर, आपने कहा वह ठीक है पर, मंत्री महोदय, मेरे इन सवालों का उत्तर दीजिये आप। एक-एक पाइंटेड सवाल का।

श्री छोगाराम बाकोलिया : एक मिनट, मैं इनका जवाब दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, देओ न तो आप, नाराज क्यों होते हो?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे यहां पर जो भी एन.जी.ओ. रजिस्टर होते हैं कोआपरेटिव एक्ट के तहत कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में पहले होते हैं और फिर बाद में पुनः रजिस्टर होते हैं विकलांग के लिये और दूसरी के लिये। तो उसकी मेरे पास लिस्ट थी, जो मैंने आपको बता दी। जो अनुदान दिया जाता है चाहे भारत सरकार दो, चाहे राजस्थान सरकार दो, उसका पूरा मूल्यांकन, पूरा वैरिफिकेशन कलक्टर लेवल पर होता है। कलक्टर द्वारा रिकमण्ड किया जाता है और वहां पर सोशल वैलफेयर आफिसर उसको रिकमण्ड करता है उसके बाद में उसको होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो वास्तविक यह बता दो...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पहले सुनिये। आप थोड़ा सुन लीजिये। थोड़ा मुझे सुनो तो सही।

जो अनुदान के लिये रिकमण्ड किया जाता है, उसका अनुदान सी.ए. द्वारा सर्टिफाइड होता है। वह खर्चा पहले कर दिया गया है और नैक्स्ट आपकी दूसरी किश्त आप दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैंने प्रोसीजर पूछा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रोसीजर पूछा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पूछा है न खर्चा कैसे किया? क्या वास्तविक... (व्यवधान) क्या एक्चुअल वैरिफाई किया कि नहीं किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको यहां ज्ञान बधारने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तो जो पूछा है वह जवाब दीजिये न आप। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : जब बात की थी...(व्यवधान) जब आपने कहा कि खर्चा वैरिफाई किया कि नहीं किया, एन.जी.ओ. ने खर्चा किया कि नहीं किया, उसका वैरिफिकेशन दें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने तो पाइंटेड बात कही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कितना खर्चा किया है, यह पूछा है। बता दीजिये आप, खर्चा कितना हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो वास्तविक व्यय बता दीजिये, मैंने तो पाइंटेड सवाल पूछा है आप से। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैंने आपको सारा एक्चुअल बता दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप यह प्रोसीजर क्यों बता रहे हो, जो आपके पास है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपने ज्ञान की गंगा अपने पास ही रखो। मेरे पाइंटेड सवालों का जवाब दे दें आप तो। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : जितना प्रश्न आपने मूल प्रश्न में किया उसमें पूरा का पूरा जवाब बिलकुल सही है। उससे डीवियेट होकर कोई सदस्य पूछे तो मेरे पास अभी इंफोर्मेशन थोड़े ही तैयार होगी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों नहीं है आपके पास इंफार्मेशन? अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। इन्होंने जिस राशि का उल्लेख यहां किया है, इन्होंने लिख दिया है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से इतनी इतनी राशि अनुदान में मिली। मैंने सवाल ही इसलिए किया है, इसमें मेरा आरोप यह है कि ये संस्थाएं पैसा ले लेती हैं उसको खर्च नहीं करतीं, उस प्रोजेक्ट में खर्च नहीं करती। वास्तविक व्यय जानना चाहता हूं और वास्तविक व्यय मंत्री महोदय बताना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप मुझे बता दीजिये कि कौन–कौनसी संस्थाएं व्यय नहीं करती, मैं उनकी इंक्वायरी करा लूंगा। आप बताओ न। जब आप वेग में पूछ रहे हो, सारी की सारी इंक्वायरी कराएं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इंक्वायरी क्यों? मैं विधान सभा में सवाल ही इसलिए लेकर आया हूं। यह क्या है, अध्यक्ष महोदय?

श्री छोगाराम बाकोलिया : हम तो सभी एन.जी.ओज. के ऊपर विश्वास करके चलते हैं और...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, आप बता दीजिये, क्या सारा पैसा खर्च कर लिया उन्होंने? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : ऐसे एन.जी.ओज़. जो स्टेट लेवल पर अवार्डेड हैं, ऐसे एन.जी.ओज़. जो नेशनल लेवल पर अवार्डेड हैं क्या उन सबके ऊपर शक की सुई रखेंगे क्या? (व्यवधान) जब आपको प्रश्न करना है तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा था...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह रिलेवेंट सवाल है जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने सिर्फ एक सवाल किया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा है कि अनुदान कितना मिला केन्द्र सरकार से, वह बता दिया इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, व्यय कितना हुआ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अनुदान तो हो गया। अगर मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। मैंने कहा और आपने अनुदान बता दिया, केन्द्र सरकार से, राज्य सरकार से इतना मिला। वास्तविक व्यय कितना हुआ, इतनी-सी जानकारी तो मंत्री महोदय होम वर्क करके आये होंगे। इनको कहो इतनी बात तो मुझे कहें। इतनी बात तो मुझे बताएंगे। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : जितना अनुदान दिया, उतना व्यय हो गया, बोलिये अब आप।

श्री सांवर लाल : ऐसा नहीं होता, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा में कह रहे हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह जितना हो गया, उतना खर्च हो गया।

श्री सांवर लाल : यह तो मंत्रीजी की दादागिरी का जवाब हो गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमाउंट बता दो आप, कुल कितना हुआ? अगर आप कह रहे हो सारा हो गया तो आप कुल जोड़कर अमाउंट बता दो, कितना हुआ? अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा में कह रहे हो, आप, यह मजाक नहीं है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा को मैं सर्वोपरि मानता हूं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) **:** यह जवाब भी गलत है। इनके पास कोई फिगर्स नहीं हैं, बिना फिगर्स के उन्होंने कहा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि सारा हो गया। यह जवाब का कौनसा तरीका है? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : इस विधान सभा का आदर करता हूं और जो भी आपको जवाब दे रहा हूं, वह बिलकुल सत्य दे रहा हूं। इससे अगर कंविंस न हो तो आप प्रिविलेज मोशन मूव कर दीजिये। इतनी–सी बात है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या, मंत्री महोदय, आपके पास फिगर्स हैं कि प्रत्येक संस्था का शत–प्रतिशत व्यय हो गया? जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया उसकी एक एक पाई व्यय हो गयी क्या? आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर आप यह कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अलवर की एक संस्था प्रधान की लिखकर शिकायत की है उसके काम की...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान राशि भारत सरकार देती है वह सीधे एन.जी.ओ. को देती है, अब हम बीच में कहां से आ जाएंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा, फिर आप क्या जवाब देने वाले कौन हो? फिर उन्हीं से बात करें हम, फिर आप किस हैसियत से यहां जवाब दे रहे हो? यह क्या बात है, अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी तैयार होकर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, कई संस्थाएं विदेश से सीधे पैसे भी लेती हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी तो आप कह रहे थे मैंने विभाग से पूछा...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह पैसा एंटी–सोशल एक्टिविटीज में भी लग सकता है।

श्री मदन दिलावर : जिला कलक्टर, समाज कल्याण अधिकारियों पर आपका कंट्रोल है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कहां से पैसा आ रहा है, उसका क्या उपयोग ये समितियां कर रही हैं, इसकी जानकारी सरकार को होना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी को कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भारत सरकार से मिले, विदेश से मिले सहायता, राजस्थान सरकार का...(व्यवधान) किन गतिविधियों में संलग्न हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? यह पैसा एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लग सकता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने कहा था...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : "A leader of NGO for whom the grant has been suspended" और ब्लैक लिस्ट हो गया, उसका मैं बताना चाहता हूं। भारत सरकार से अभी अभी मेरे पास में इंफार्मेशन आयी है जिसके अन्दर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, एक मिनट बिराजें तो सही।

श्री सांवर लाल : सुपर फास्ट होने दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुपर फास्ट मंत्रीजी को रोको।

श्री छोगाराम बाकोलिया : राजस्थान से केवल मात्र तीन ब्लैक लिस्टेड हैं। (व्यवधान) इनके नाम बताता हूं, आप सुनिये तो सही।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था कि जिला कलक्टर और समाज कल्याण अधिकारी की रिकमण्डेशन इसमें आती हैं, या तो इन्होंने वह असत्य कहा था। और नहीं कहा था तो फिर इनका कंट्रोल है, इनको जानकारी होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले मंत्रीजी ने यह कहा, सारा पैसा खर्च कर दिया और अब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं कि केन्द्र सरकार से सीधा पैसा आता है।

श्री सांवर लाल : परिवहन मंत्रालय जाने के बाद गुस्से में क्यों हो रहे हो? मंत्रीजी, समाज कल्याण में आते ही गुस्सा कैसे आने लग गया आपको? पहले तो बहुत शालीनता से जवाब देते थे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : परिवहन में माल आ रहा था। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : समाज का कल्याण नहीं किया जब...(व्यवधान) लेकर आये हो और समाज का कल्याण हमने किया।

श्री धर्मपाल चौधरी : परिवहन में तो माल आ रहा था।

श्री सांवर लाल : गुस्सा कर रहे हो आप तो। डिपार्टमेंट चैंज होते ही ऐसे कैसे हो रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन महान ज्ञानवान मंत्रियों से हमको बचाओ। अध्यक्ष महोदय, इन ज्ञानवान मंत्रियों से हमें बचाओ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आसन पैरों पर। आपने क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कितना खर्चा हुआ, यह आपने प्रश्न पूछा ही नहीं। आपने सिर्फ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुदान की बात पूछी है तो इन्होंने अनुदान जितना है, वह आपको बता दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इसका मतलब इनको यह पता नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह बता दें कि 2000 में 16 संस्थाएं, फिर उसके बाद 23 और 23, इनमें से कौनसी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको तीनों साल केन्द्र से अनुदान मिला? ऐसे ही जो आपके आगे फिगर हैं संस्थाओं के, जो राज्य सरकार से हैं 22, 19 और 19, जिनको तीनों साल यह अनुदान मिला वे संस्थाएं कौन–कौनसी हैं, उनके नाम बता दें?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, सवाल दो में इन्होंने पूछा है, एक मिनट, पहले इनको जवाब दे दूं, दूसरा बाद में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो पहले यह बता दो न। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो पूछा है, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, नाम भूल गये प्रतिपक्ष के नेता महोदय का।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो पूछा है वह बाद में बता दूंगा। प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वर्ष 2002, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से कितनी संस्थाओं को कितना कितना अनुदान प्राप्त हुआ है, वह मैंने दे दिया है। और उक्त अवधि में कितने गैर सरकारी संगठनों को सरकार ने काली सूची में सम्मिलित किया तथा उक्त के विरुद्ध राज्य सरकार के पास कार्यवाही क्या है? गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने काली सूची बनायी है उसमें राजस्थान के मात्र तीन हैं, मैं नाम बता देता हूं, जो आप ईमेल से कभी भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पहला है ब्लैक लिस्ट में जो कि बिहार की है, दूसरे नम्बर पर उड़ीसा की है और तीसरे नम्बर पर आशा बाल मन्दिर शिक्षा समिति, प्लाट नं. 1, किशनपुरा, जयपुर है, जिसको तीन साल से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। यह ब्लैक लिस्टेड है और नशामुक्ति में एडेड थी। अब गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने बन्द कर दी।

इस प्रकार से आपको राजस्थान के नाम भी बता दूं, लिस्ट तो बहुत लम्बी–चौड़ी है। राजस्थान और दूसरे हैं। 28 नम्बर पर है चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्था समिति, बी–22, संजय कालोनी, नेहरू नगर, जयपुर जिसको अनुसूचित जाति–जनजाति के अन्दर सोशल वैलफेयर कोई उसमें दे नहीं रहा है। एस.सी., एस.टी. के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया उसको पैसा दे रही है लेकिन ब्लैक लिस्ट होने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया भी उसको नहीं दे रही है।

तीसरी, सोशल वैलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, 638–ए, बरकत नगर, टौंक फाटक, जयपुर, राजस्थान जिसको गवर्नमेंट आफ इण्डिया दे रही है। पैसा उन्होंने बन्द कर दिया होगा जिसका मैं पूरा नहीं कह

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

सकता, लेकिन एक बात है कि राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ना तो कोई पैसा दे रहे हैं ना इसको एंटरटेन कर रहे हैं, फोर योर इंफोर्मेशन। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले जिस प्रधान संस्था की शिकायत की है उसको प्रभारी मंत्रीजी ने...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड। मैंने प्रश्न आपसे पूछा जो अनुदान आपने बताया कि 16 को मिला, 23 को मिला, 23 को मिला, यह केन्द्र सरकार से मिला, तो ऐसी संस्थाएं कितनी हैं इनमें से जिनको तीनों साल मिला? ऐसी जो राज्य सरकार की आपने संस्था बतायी, ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिनको तीनों साल अनुदान मिला? यह पूछा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये यह जो 16, 23, 23 का है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो अभी पूछा गया है थोड़ा हट कर पूछा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं...(व्यवधान) मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, फोर योर इंफोर्मेशन कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं पहले रजिस्टर होती हैं कोआपरेटिव में। तीन साल तक रजिस्टर्ड रहने के बाद में इनको अनुदान दूसरा पूरा तीन साल तक दिया जाता है। तो तीन साल तक तो हरेक को मिला है, इसमें दूसरी बात पूछने का सवाल ही नहीं है। अनुदान तो दिया ही गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मैंने मंत्री महोदय से यह पूछा है कि केन्द्र से जिनको 16 को मिला, फिर 23 को मिला, फिर 23 को मिला इसमें से कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको तीनों साल मिला? कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको दो साल मिला? कितनी को एक साल मिला? जैसे आपकी स्टेट की भी है, जो आपने संख्या बतायी...

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह आपका अलग से प्रश्न है, मैं इसका जवाब आपको लिख कर भेज दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोई अलग से नहीं है, इसी में है। जब आपने अनुदान दिया तो...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : तैयारी करके आये नहीं, पढ़-पढ़ कर बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, फिर सप्लीमेंट्री करें क्यों? आप गाइड लाइन तय कर दीजिये इसके लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जिन संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों में...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी, इनको हटाइये मंत्री पद से। पूरी तैयारी करके नहीं आते हैं, अपनी योग्यता, प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं तो इनको मंत्री पद से हटाइये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपकी योग्यता बहुत बढ़िया है जो पहले वाले प्रश्नकर्ता ने सिर्फ समाज कल्याण विभाग से पूछा...(व्यवधान)...कोआपरेटिव का था। वह खुद ही कमिट कर गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जिस संस्था की मैंने शिकायत की है उसको आपने बीस सूत्री में ले लिया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने पूरा जवाब दे दिया क्या?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप अपनी गलती तो कमिट करते नहीं हो और दूसरों पर डालना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर की संस्था प्रधान की शिकायत की है उसको डी.आर.डी.ए. में मैम्बर ले लिया, बीस सूत्री में मैम्बर ले लिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : चार साल से बढ़िया से बढ़िया राज चला कर दिखाया है, सब वर्गों के लिए कल्याणकारी काम किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका परिवहन विभाग इसलिए खोंस कर समाज कल्याण विभाग दिया है। समाज कल्याण के बाद घर जाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जिस संस्था प्रधान की मैंने शिकायत की है, अलवर की, उसको डी.आर.डी.ए. में मैम्बर ले लिया, उसको बीस सूत्री में मैम्बर ले लिया। उसके गबन–घोटालों की मैंने शिकायत की है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि जिन संस्थाओं को पिछले तीन सालों में 22, 19, 19 और फिर 27, 27, 27 और 44 लाख, 44 लाख, 24.60 लाख, 27.25 लाख, 80 लाख, 80 लाख दिये हैं, आपने इन संस्थाओं की आडिट करायी या नहीं करायी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह पूछ लिया मैंने, जवाब ही नहीं है इनके पास।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने इन संस्थाओं की आडिट जो रुपया आपने दिया, उसकी करायी या नहीं करायी? भारत सरकार ने दिया, सीधा दिया, उसको भूल जाइये। आपने यह रुपया दिया उसकी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आडिट आपने करायी या नहीं करायी और उसकी आडिट की कोई व्यवस्था भी है या नहीं है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, हमने जितने एन.जी.ओज. को दिये हैं, विगत दो वर्ष से नियमित रूप से अनुदान दिया जा रहा है और आपको जो सूची परिशिष्ट–ब पर दी गयी हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सूची नहीं, हम आडिट की बात कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आडिट, आडिट।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सुनिये। किसी को भी खैरात बांटने का काम राज्य सरकार का नहीं है, आपके टाइम में हुआ होगा। यहां पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आडिट करके, आडिट होने के बाद में सी.ए. द्वारा उस पर अपना पूरा सर्टिफाई करने के बाद कि इतना खर्चा हो गया, उसके बाद दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हे भगवान। मुख्य मंत्रीजी, कब तक ढोओगे इनको?

श्री छोगाराम बाकोलिया : चाहे वह आपके नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर को देख लीजिये। जो भी हमने रिकमण्ड किया है उनके पूरे...(व्यवधान)...देख करके उसके बाद में हमने आगे रिकमण्ड किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा एक सवाल है आप से, मुख्य मंत्रीजी, आप ऐसे ज्ञानवान मंत्री को कब तक ढोओगे, कब तक इनका बोझ सहन करोगे? तैयार होकर आते नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह क्या जवाब हुआ, अध्यक्ष महोदय।...(व्यवधान) आडिट हुई या नहीं हुई?...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने पहले इनका परिवहन विभाग छीना, समाज कल्याण दिया, इसमें भी फेल हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : समाज कल्याण दिया, अब इनको घर का रास्ता बताओ।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप अपनी बात जानना चाह रहे हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : जिस तल्लीनता से मुख्य मंत्रीजी इनका भाषण सुन रहे हैं...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपके ऐसे कमेंट से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप मेरी बात सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसमें कोई आडिट की व्यवस्था है या नहीं है? आपने आडिट करायी या नहीं, यह मेरा सीधा-सा सवाल है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आडिट करके उसके बाद ही दिया जाता है।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

आडिट संस्था अपने आप कराती है उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आती है...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आडिट किस ने की इन संस्थाओं की, मैं यह जानना चाहता हूं? इनके ही सी.ए. से की या आपके किसी विभाग ने की है?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पैसा ही आडिट कराने के बाद दिया जाता है, फ़िर पैसा खर्च होता है, उसकी आडिट होती है या नहीं?

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या आपके विभाग द्वारा यह आडिट की गयी? की गयी है तो हां कहिये।

श्री सांवर लाल : आडिट किस की करवा रहे हैं? किस की आडिट करवा के पैसे देते हो आप?

श्री छोगाराम बाकोलिया : विभाग के द्वारा आडिट करने का प्रावधान ही नहीं है। अगर प्रावधान ही नहीं है, कोआपरेटिव सोसायटी अपने तरीके से करेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को स्थगित करने की कृपा करें और मंत्री महोदय को निर्देश फर्माएं कि दोबारा तैयारी के साथ इस सवाल का जवाब दें।

श्री सांवर लाल : सवाल यह है कि आप जो अनुदान देते हो, उसके खर्चे की आडिट करवाते हो या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब नहीं आया। (व्यवधान) मंत्रीजी, आपने खुद ने कहा कि एक को ब्लैक लिस्ट नहीं, यहां इन्होंने खुद कहा उत्तर में कि किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया। इन्होंने उस समय कहा और अब तीन का नाम पढ़ दिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह बारबार ट्विस्ट कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को स्थगित करने की कृपा करें और मंत्री महोदय को निर्देश फर्माएं कि दोबारा तैयारी के साथ सवाल का जवाब दें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अपनी बात को कहलाना चाहते हैं। जो निराधार बात है, प्रश्न भी निराधार है, बारबार क्या प्रश्न का जवाब चाहते हैं? (व्यवधान) आपके टाइम में नहीं थी, आपने 8 साल में क्या किया?...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप तो लाखों रुपये खैरात में बांट रहे हो। राज्य के धन को अपना धन समझ लिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने 8 साल में एक बार आडिट किया हो तो बता दो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्हीं लक्षणों से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आप से परिवहन विभाग लेकर आपको यह विभाग दिया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, +++

श्री सांवर लाल : समाज कल्याण पकड़ते ही इनका दिमाग...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आडिट होती है सी.ए. द्वारा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, +++ कृपा करके इतना बताएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ तो ठीक से जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय को दे रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर के 60 करोड़ रुपये पी.एच.ई.डी. में किन एन.जी.ओज. को देकर बरबाद किये जा रहे हैं? जो केन्द्र सरकार से सैक्टर रिफार्म का और स्वच्छता का पैसा आया है वह 60 करोड़ रुपये किन एन.जी.ओज. को दिये हैं और वे क्या कर रहे हैं? किस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, आप बताएं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतकजी क्या कह रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि +++ इस प्रकार के इनडीसेंट रिमार्क यहां सदन की प्रोसिडिंग में आएं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इनको निकाले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब ही नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : बोलने की एक भाषा है जिसे संसदीय भाषा कहते हैं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : जब आपकी कोई संस्था के बारे में शिकायत आयी नहीं आज तक...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने तो कहा था पोस्टपोन कर दो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप अपने आप के अन्दर माहिर समझते हो तो कभी शिकायत की है क्या? कोई संस्था की शिकायत नहीं है और कहने को कहोगे...(व्यवधान)...शिकायतें हो गयीं। यह क्यों नहीं कराया, वह क्यों नहीं कराया, फलाना क्यों नहीं कराया?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असंसदीय कोई भी शब्द इस्तेमाल किया है उसको मैं एक्सपंज करता हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मुझे अगर दस संस्थाओं के बारे में बता दें...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस संस्था का बताया...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : समाज कल्याण विभाग मिला है, समाज का कल्याण करूंगा। आपका भी कल्याण कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, गलती हो गयी ऐसे ज्ञानवान मंत्रीजी से सवाल पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी गलती हो गयी आप जैसे बुद्धिमान आदमी से सवाल पूछ लिया। आइन्दा नहीं पूछेंगे कभी। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा कि जिन संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सीधा पैसा दिया जाता था इन-इन संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार निःशक्तजन अधिनियम में संस्था का पंजीयन तभी करता है जब कोआपरेटिव एक्ट में पंजीयन हुए तीन साल हो गये हों। उसके बाद इस संस्था का पंजीयन निःशक्तजन अधिनियम में करती है। तो जिन संस्थाओं को भारत सरकार ने ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया, आपने उनका पंजीयन करने के लिए क्या कार्यवाही की, एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह जानना चाहता हूं कि सिरोही जिले में एक ही संस्था है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और आपने भी देखा होगा कि वह सब से शानदार काम कर रही है फिरोज एवं नौशीर मेहरबानजी नेत्रहीन पुनर्वास केन्द्र, आबू पर्वत। वह केन्द्र आज आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है। इतने बच्चों और नौजवानों को...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा निवेदन है कि आपकी सहायता देने के मानदण्ड क्या हैं? क्या उस संस्था को आप अतिरिक्त सहायता देने की मंशा रखते हैं? मैं ये दो सवाल आप से पूछना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अलग से सवाल है, अलग से।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी की जो ऐनक है वह सर पर लगाते हैं, हमारे पर चिलका पड़ता है, हमारी आंख खराब हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारे चिलका पड़ता है इसलिए कई माननीय सदस्य महसूस कर रहे हैं, इनको सर पर ऐनक नहीं लगाने के लिए आप बाध्य करें। यह सर पर लगाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी दूर की दृष्टि कमजोर है, नजदीक की दृष्टि ठीक है इसलिए कोई चीज पढ़ता हूं तो मुझे...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पंजीयन निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की, जवाब दे दें। सरकार ने क्या कार्यवाही की निरस्त करने के लिए?

श्री छोगाराम बाकोलिया : ब्लैक लिस्टेड संस्थाएं विभाग में पंजीकृत नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : संस्थाएं हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा, जिस संस्था की मैंने खुद ने शिकायत की है, उस संस्था प्रधान की जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसलिए इसकी कार्यवाही कोआपरेटिव विभाग कर लेगा और मंत्रीजी ने नोटिस में ले लिया है।

श्री संयम लोढ़ा : निःशक्तजन अधिनियम में तो आप करते हैं रजिस्ट्रेशन, वह सहकारिता विभाग नहीं करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको मालूम ही नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय, धारा 51 के अन्तर्गत पंजीयन होता है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : धारा 51 के तहत है लेकिन उससे पहले कोआपरेटिव डिपार्टमेंट उसको कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट में रजिस्टर करता है, उसके बाद धारा 51 के तहत हम करते हैं और फिर उसको अनुदान दिया जाता है।

श्री संयम लोढ़ा : जो ब्लैक लिस्ट होते हैं उनका पंजीयन निरस्त करने के लिए आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ... कोआपरेटिव विभाग का है। और जहां तक आपने पूछा है कि कितने-कितने पैसे देते हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बाकोलिया : भोजन, वस्त्र, साबुन, तेल, बिजली, पानी के दिये हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बैठ जाओ, हो गया। बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : इनके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा क्या? आपको तो मिलता रहे जवाब, क्या हमारे माननीय सदस्य को नहीं दूं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन।

कारागारों में कैदियों की मृत्यु की जांच

140. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या जेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में कितने कैदियों की मृत्यु कारागारों में हुई? क्या उक्त प्रकरणों की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कैदियों की मृत्यु के लिए कई जेल अधिकारी भी दोषी हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में बंदियों के जेल से फरार होने की कितनी घटनाएं हुई? क्या उक्त की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा का प्रश्न स्थगित है।

श्री हीरासिंह चौहान।

केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन

141. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार ने गत चार वर्षों के दौरान भारत सरकार से मिलकर फसल बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं?

(2) भारत के किन-किन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है?

(3) क्या राज्य सरकार ने फसल बीमा लागू किये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन हेतु अन्य राज्यों में कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां तथा इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1999 में भारत सरकार को राज्य सरकार का अंशदान/अनुपात 20 प्रतिशत करने हेतु निवेदन किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1999 में यह सूचित किया गया कि योजना में संशोधन एक वर्ष के लागू होने के अनुभव के आधार पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद 14 सितम्बर, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक में माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान द्वारा केन्द्र सरकार से निवेदन किया गया। तदुपरान्त 21 मई, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान द्वारा फसल बीमा योजना में उक्त संशोधन करने हेतु

(श्री रामसिंह विश्नोई)

निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यक्रमों की केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा हेतु दिनांक 27-28 सितम्बर, 2001 को अ.शा.पत्र द्वारा दिनांक 31.12.2001 तथा 12.2.2002 को स्मरण पत्र भेजे गये, परन्तु केन्द्र सरकार से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 11 दिसम्बर, 2002 को नई दिल्ली में कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में भी कृषि राज्य मंत्रीजी ने भारत सरकार को जोर देकर पुनः स्मरण करवाया तथा 13.12.2002 को कृषि मंत्रीजी ने स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा है।

(2) देश के 19 राज्यों यथा–आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों यथा–पाण्डिचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में यह योजना. लागू है।

(3) जी हां।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर के खण्ड एक में यह बताया कि "21 मई, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्य मंत्रीजी के सम्मेलन में भी माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान द्वारा फसल बीमा योजना में उक्त संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया है"। इसके अलावा आपने उत्तर के खण्ड दो में यह बताया है कि "19 राज्यों में यह फसल बीमा योजना लागू है।" सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 19 राज्यों में केन्द्र सरकार का कितना हिस्सा है और स्थानीय राज्यों का कितना है? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया कि 50 प्रतिशत हिस्सा राशि फसल बीमा योजना में वह देगी और 50 प्रतिशत स्थानीय राज्य द्वारा दी जाएगी, फिर इस एक मापदण्ड को बदलकर केवल राजस्थान के लिए ही आप संशोधन करवाना चाहते हो क्या? आप सामान्य विवेक बुद्धि से यह जान सकते हैं कि जब 19 राज्यों में यही हिस्सा चल रहा है तो फिर राजस्थान में यह हिस्सा 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के अनुपात में कैसे लागू होगा?

तीसरा, कृषि मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि चार साल पहले जब घोषणा पत्र जारी किया, राजस्थान के किसानों को आप लोगों ने विश्वास दिलाया, जिसमें माननीय अध्यक्षजी का भी फोटो है, माननीय नवल किशोरजी का है, माननीय अशोकजी गहलोत का है और श्रीमती सोनियाजी का है, उस समय आपने राज्य के किसानों से यह वायदा किया था कि अगर हम शासन में आये तो निश्चित तौर से किसानों के लिए फसल बीमा योजना

(श्री हीरासिंह चौहान)

लागू करेंगे। इतने समय तक आप कहते रहे कि हमारा शासन तो चल रहा है। अब तो पांच साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी भी आप फसल बीमा योजना को अगर लागू नहीं करते हैं तो क्या आपके घोषणा पत्र के अनुसार आपने जनता और राजस्थान के किसानों के साथ धोखा नहीं किया?

मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं कि इन प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री के कार्यकाल में किस वर्ष में हमारे देश में यह फसल बीमा योजना लागू की गयी थी और सबसे पहले हिन्दुस्तान के किस राज्य ने इस योजना को लागू किया था?

मेरा एक सवाल यह और है कि जब अन्य राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है, केवल आप भारत सरकार से संशोधन करवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में आज दिन तक न तो राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी और न कृषि मंत्रीजी देश के प्रधान मंत्रीजी से मिले और न ही वित्त मंत्रीजी से मिले, और मात्र सम्मेलन में, जब चाहा तब कह दिया। इन सारी बातों को आप उत्तर दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछे हैं, वास्तव में यह बात सही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर करीब 19 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है और वहां पर 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार देती है और 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार वहन करती है। लेकिन राज्य की भौगोलिक दृष्टि, इसका विस्तार, हमेशा पड़ने वाले अकाल, इनके कारण हमारी स्थिति और फिर पिछले चार सालों से प्रदेश में भयंकर अकाल है, आप स्वयं जानते हैं कि इतने बड़े अकाल की स्थिति हो और लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता है, चारा, पानी और अनाज का संकट जिस प्रदेश में हो वहां पर फसल बीमा योजना लागू करने की बातें करना न्याय संगत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर घोषणा पत्र में क्यों लिखा था?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बिराजो। मैं पहले इनको जवाब दे दूं फिर आप पूछ सकती हैं। राज्य सरकार कोई मुकरना नहीं चाहती है। केन्द्र सरकार से निवेदन किया था कि अगर आप पचास प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में हमारी सरकार को प्रदेश की स्थिति को देखते हुए देते हैं तो राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है और हम इसको लागू कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : दे ही रहे हैं न।

श्री रामसिंह विश्नोई : 80 प्रतिशत के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो–तीन बार पत्र लिखे हैं। मेरे पास मौजूद

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैं। दो बार मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था वहां प्रधान मंत्रीजी से खुद मुख्य मंत्रीजी मिले हैं और दो बार कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे कृषि मंत्रियों ने करीब करीब तीन–चार बार पत्र लिखे हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बार–बार राजस्थान प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बीस प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत की मांग करते रहे हैं। हमेशा इस मांग का तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, उन्होंने कहा कि पहले इसको लागू करो। अगर एक बार लागू कर देते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे को तीन साल तक उसको कंटीन्यू रखना पड़ता है और हमारी स्थिति ऐसी है नहीं। इसलिए हमने रिक्वैस्ट की थी केन्द्र सरकार से कि इसको बीस और अस्सी प्रतिशत के ऊपर लागू किया जाए। (व्यवधान)

दूसरा, जो चुनाव घोषणा पत्र की बात कह रहे हैं, यह बात सही है कि चुनाव घोषणा पत्र के अन्दर ऐसा कोई नहीं है। यह हमने विश्वास दिया था जनता को...(व्यवधान) फसल बीमा को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रोत्साहन देने का मतलब अगर हमारी स्थिति अच्छी हुई, बरसात अच्छी हुई, हमारी हालत ठीक हुई तो हम किसानों को, प्रदेश की स्थिति अच्छी हुई तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बरसात अच्छी होती तो फसल बीमा की क्या जरूरत पड़ती? इनको पूछिए आप मंत्रीजी को, चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है...(व्यवधान) पन्द्रह हजार करोड़ की किसानों की फसल नष्ट हो गयी...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गरीब काश्तकारों के साथ धोखा किया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान के किसानों को लगातार चार साल से अकाल का सामना करना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के किसानों के साथ आपने वायदा किया था।

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा पत्र में आपका भी फोटो लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : डीजल के भावों का क्या हुआ? किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, डीजल के भावों का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, चार साल में पन्द्रह हजार करोड़ की फसल नष्ट हो गयी, मंत्रीजी यह बताएं कि अगर यह फसल बीमा योजना लागू होती, किसानों को पन्द्रह हजार करोड़ रुपये मिलते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आसन पैरों पर है। प्रोफेसर साहब, बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर फसल बीमा योजना लागू होती तो राज्य के किसानों को कितने करोड़ का फसल बीमा योजना में भुगतान किया जाता? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांवरलालजी, बैठिये।

श्री आर. पी. शर्मा : केन्द्र सरकार ने मात्र तीन प्रतिशत पैसा किसानों पर खर्च किया है। भारत सरकार के कुल बजट का तीन प्रतिशत पैसा ही किसानों पर खर्च करने का प्रावधान है। किसानों के हितैषी बन रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार फसल बीमा योजना लागू करेगी या नहीं? (व्यवधान) 19 राज्य अगर फसल बीमा योजना लागू कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार पचास-पचास पर क्यों नहीं कर सकती? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि अकाल पड़ रहा है और हम पीड़ित हैं अकाल की मार से। माननीय अध्यक्षजी, यही तो निवेदन है कि किसान को इस प्रकार से पीड़ा जब होती है, अकाल की होती है और होती है उस वक्त फसल बीमा से फायदा कुछ पहुंचाना चाहते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति का आपने जिक्र किया, सबको पता है। लेकिन सरकार कुछ सीमित क्षेत्र में इसको लागू कर दे, या जो बराबर फसल बीमा की मांग होती आ रही है उस सबको देखते हुए क्या सरकार इस पर विचार करने को तैयार है क्योंकि और राज्यों में जो प्रतिशत है उससे अधिक राजस्थान मांग रहा है, यह कभी सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए और राज्य अपना भार बरदाश्त कर रहे हैं तो राजस्थान को भी उस हिसाब से अपना भार वहन करने का मन बनाना चाहिए और इस फसल बीमा को लागू करने की चेष्टा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्षजी, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपकी आर्थिक स्थिति बिहार से खराब है? आपकी भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ से खराब है? आपने घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 24 पर यह वायदा किया था कि फसल बीमा योजना लागू करेंगे। (व्यवधान) अब आप उससे क्यों मुकर्र रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा पत्र है...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए। यह आपके साथ धोखा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी फोटो छापकर... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : फसल बीमा योजना राजस्थान में लागू नहीं करेंगे, (व्यवधान) यह मुख्य मंत्रीजी ने तय कर रखा है कि फसल बीमा योजना राजस्थान में लागू नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, अब तो चुनाव आने वाले हैं, दूसरा चुनाव घोषणा पत्र बना लो अब तो। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री मानिक चन्द सुराना : सारे राज्यों में पचास प्रतिशत के फार्मूले से फसल बीमा योजना लागू कर रखी है तो कोई कारण नहीं...(व्यवधान) सारे राज्य इसको जारी कर रहे हैं–मध्य प्रदेश जारी कर रहा है, महाराष्ट्र जारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश जारी कर रहा है, कोई कारण नहीं है कि राजस्थान राज्य फसल बीमा योजना को लागू नहीं करे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यदि राजस्थान की स्थिति अच्छी होती तो राजस्थान की गहलोत सरकार 144 करोड़ नाबार्ड से ऋण क्यों लेती? (व्यवधान) राजस्थान के अकाल को विकास में बदलने के लिए...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रामलाल जाट : केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार डीजल के दाम बढ़ाये जा रहे हैं...(व्यवधान) केन्द्र सरकार किसान विरोधी है। केन्द्र सरकार को राजस्थान को मदद देनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप सलाह देकर केन्द्र सरकार से डीजल के भाव कम कराएं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को वास्तविक किसानों का दर्द नहीं है, इनको तो...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वादाखिलाफी की है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए, चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वादाखिलाफी की दोषी है सरकार।

एक माननीय सदस्य : फसल बीमा के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन डीजल और खाद के भाव कम करने की बात करो पहले। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : +++

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ (व्यवधान)

(आसन द्वारा हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

+++नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : XXX

श्री खेतसिंह राठैड़ (विधि मंत्री) : XXX

श्री प्रद्युम्न सिंह : XXX (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : XXX

श्री घनश्याम जैन : XXX ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : XXX

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : XXX

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये। अपनी अपनी सीटों पर बैठिये, मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री अध्यक्ष : अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये। (व्यवधान) अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये आप। अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप लोग जाइये, सीटों पर बैठिये। बैठिये। मुख्य मंत्रीजी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन कूप से उठ कर अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग विपक्ष में थे, जिस घोषणा पत्र की बात की गयी, उस वक्त भी हम लोग यह बात जानते थे कि फसल बीमा योजना लागू करने की मांग बराबर पहले रही है। शायद आपको जानकारी है कि 85 में यह योजना पहली बार लागू की गयी देश के अन्दर, राज्य के अन्दर भी, उस वक्त भी एक साल में इसको बन्द करना पड़ा। उसके बाद में जब 1997 के अन्दर भारत सरकार ने इस योजना को करीब 9 राज्यों में लागू किया था, 9 राज्यों के 25 जिलों में प्रयोग के रूप में, उसमें राजस्थान का झुंझुनूं जिला था। उस वक्त तो हम लोग सरकार में नहीं थे, आप ही थे, आपने उस वक्त लागू क्यों नहीं की झुंझुनूं के अन्दर? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कोई राज्य सरकार यह नहीं चाहेगी कि

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

उसके यहां फसल बीमा योजना लागू न हो जिससे किसान का नुकसान हो। हमारी मंशा यह रहती है कि कैसे लागू हो, किस प्रकार से किसानों को लाभ मिले। परन्तु माननीय कृषि मंत्रीजी ने बताया जो मजबूरी है राजस्थान की। उसको आपको भी एपीसिएट करना चाहिये। खाली कहने से काम नहीं चलता है। लागू करना एक बात है, लागू करके चलाना दूसरी बात है। हमने क्या मांग की? जो क्षति पूर्ति होगी किसानों को प्रीमियम से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री बनवारी लाल बैरवा : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री अशोक गहलोत : आप बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रोफेसर सांवर लाल। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। मुख्य मंत्रीजी

श्री अशोक गहलोत : हमने मांग सिर्फ की है, अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सुनना...(व्यवधान) नहीं चाहते हैं, पर अपनी बात खरी करना चाहते हैं। मैं खाली निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमने मांग यह की है कि 50 परसेंट के बजाय केन्द्र सरकार राजस्थान की विशेष स्थिति को देखते हुए 80 परसेंट करे ताकि क्षति पूर्ति केन्द्र करे। हमने क्या गुनाह किया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अशोक गहलोत : हम यही तो कह रहे हैं कि जो क्षतिपूर्ति होगी प्रीमियम की ज्यादा, 50 परसेंट के बजाय केन्द्र सरकार को 80 परसेंट करना चाहिये राजस्थान की स्थिति को देखते हुए। इसमें तकलीफ क्या हो रही है? आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं सपोर्ट करना चाहिये। आप लोग इस प्रकार गुमराह कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री अशोक गहलोत : वह बात नहीं कि हम लागू नहीं करना चाहते हैं। लागू हम करना चाहते हैं, खाली हम यह चाहते हैं कि हिस्सा जो है दूसरे राज्यों में 50 परसेंट, उसके बजाय राजस्थान को 80 परसेंट हिस्सा मिले, यह हम कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्षजी, इसीलिये हमने उस वक्त भी...(व्यवधान) मैं आपको यही कहना चाहता हूं...(व्यवधान) इसीलिये हमने उस वक्त भी कमिटमेंट नहीं किया। हमने कहा है कि फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। (व्यवधान) और हम जो सत्ता में नहीं थे तब भी हमने यह कमिटमेंट नहीं किया...(व्यवधान) जानबूझकर नहीं किया। हम जानते थे कि सत्ता में...(व्यवधान) कोई खराबी आ सकती है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? केन्द्र सरकार 50 परसेंट 19 राज्यों को दे रही है। बिहार हमसे खराब हालत में है, बिहार ने लागू कर दिया। छत्तीसगढ़ में उसको लागू कर दिया, मध्य प्रदेश में उसको लागू कर दिया। यह जनता के साथ धोखा नहीं है? तब आपको वोट चाहिये था...(व्यवधान) तब तो आपको वोट का मतलब...(व्यवधान) समझ में आ गया। चार साल राज आने के बाद में आपने बिहार में लागू किया जिसकी आर्थिक स्थिति हमारे से ज्यादा खराब है। उसके बाद क्या स्थिति आती है... (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री बनवारी लाल बैरवा : बिहार तो अकाल को जानता ही नहीं, राजस्थान सरकार ने कितना खर्च किया है? (व्यवधान) आप अपनी सरकार से कहिये कि वह 80 प्रतिशत ही कर दे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : XXX

श्री सोहन नायक : XXX

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सोहन नायक : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री आर. पी. शर्मा : XXX

श्री रामलाल जाट : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई भी अंकित नहीं हो, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सोहन नायक : XXX

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–1 देखें)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका क्षेत्र कुचामनसिटी को सिवाय चक भूमि का आबंटन

437. श्री हरिशचन्द कुमावत (नावां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीलिंग प्रकरण संख्या 56/87 (169/81)(पुराना कानून) तथा 47/87 (9/79) (नया कानून) का निर्णय दिनांक 11.4.2002 व 19.4.2002 को हो चुका है? उक्त की अनुपालना तहसीलदार, कुचामन ने किस प्रकार से की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगरपालिका क्षेत्र, कुचामनसिटी में उपलब्ध सिवाय चक भूमि में से वंचित रहे गाडिया लुहार परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर नागौर के यहां कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त का निस्तारण कब तक करा दिया जावेगा?

(3) क्या उक्त नगरपालिका क्षेत्र में पुराने खसरा नं. 104 व 105 की भूमि पर आबादी बसी हुई है? क्या कई वर्षों से उक्त भूमि कृषि हेतु उपयोग में नहीं ली गई है तथा न वह जमीन कृषि योग्य रही है? क्या वर्ष 1994 में दिनांक 16.2.1994 में हल्का पटवारी ने मौका निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि भी कर दी थी? क्या उक्त भूमि की खातेदारी समाप्त कर 90बी की कार्यवाही कर सिवाय चक भूमि पर दी जाय परन्तु उक्त भूमि के लिए अब तक ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों और अब कब वर्तमान राजस्व नियमों के अनुसार उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित कर दिया जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि सिवाय चक भूमि स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प-6(124) राजस्व/4/8330 दिनांक 18.11.1963 तथा राजस्व विभाग (ग्रुप-6)/2001 दिनांक 23.2.2001 को समस्त जिला कलक्टरों को पुनः निर्देश दिये गये थे कि अपनें अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को समुचित निर्देश जारी कर उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें? यदि हां, तो उक्त की अनुपालना में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या कुचामनसिटी में खसरा नं. 2700/589 में 1.95 हेक्टेयर भूमि सिवाय चक भूमि उपलब्ध है? नगरपालिका द्वारा पत्रांक 201/6288 दिनांक 23.3.2001 को उसके बाद दिनांक 7.9.2001 के द्वारा अनुरोध किया गया था कि उक्त सिवाय चक भूमि में से 0.5 हैक्टेयर भूमि आबंटित की जावे? क्या उक्त भूमि आबंटित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों और नगरपालिका के पत्र का निस्तारण किस प्रकार हुआ है।

उत्तर

(1) जी हां। निर्णय की अनुपालना में 79.70 एकड़ भूमि सीलिंग अधिनियमों के तहत अधिग्रहीत की जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में सरकार के खाते दर्ज की जा चुकी है।

(2) प्रश्न का उत्तर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित है।

(3) प्रश्न का उत्तर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित है।

(4) जी हां। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों से सिवाय चक भूमि की स्थिति, राजकीय तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आरक्षण की आवश्यकता, खाली भूमि की उपलब्धता एवं उसके खसरा नं. तथा उपलब्ध भूमि का रकबा तथा कौन कौन सी भूमि हस्तान्तरित करनी है, उसका पूर्ण विवरण तैयार कराया जा रहा है।

(5) प्रश्न का उत्तर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित है।

ग्राम चारणाई, जोधपुर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण

438. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम चारणाई तहसील फलोदी जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 247 व 248 की भूमि राजस्व रेकार्ड में गोचर भूमि दर्ज है? यदि हां, तो मिसल बन्दोबस्त, परचा लगान व सम्वत् 2012 से 2016 व सम्वत् 2045 से 2048 की जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1989 व 1990 में उक्त खसरा नम्बरान की गोचर भूमि में से कुछ भूमि प्रभावशाली व्यक्तियों को नियम विरुद्ध आबंटन कर दी गई? यदि हां, तो आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में आबंटन कराने वाले आसामियों के पास पूर्व में खातेदारी की भूमि थी और उन्हें भूमिहीन नहीं होने पर अवैध आबंटन किये गये हैं? क्या सरकार उक्त के आबंटन रद्द करने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है उक्त गोचर भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने के लिये ग्रामवासियों द्वारा बार–बार प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री/राजस्व मंत्री सहित जिला राजस्व अधिकारियों को दिये जाते रहे हैं परन्तु फिर भी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की कार्यवाही स्थानीय अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या स्थानीय अधिकारियों को अब भी राज्य सरकार तत्काल कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित करेगी।

उत्तर

(1) उपखण्ड अधिकारी फलौदी के आदेशानुसार ख.नं. 247 में से 300 बीघा

(राजस्व मंत्री)

व ख.नं. 248 में से 500 बीघा भूमि नामान्तरणकरण सं. 507/3.7.1986 व 452/7.1.1984 के जरिये गोचर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसका सर्वप्रथम जमाबन्दी सम्वत 2039 से 2042 में अमल दरामद हुआ। नकल मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 की नकल संलग्न प्रेषित है।

(2) यह सही नहीं है कि उक्त खसरान की गोचर भूमि में से कुछ व्यक्तियों को आबंटन किया गया, गोचर भूमि आज भी राजस्व रेकार्ड में यथावत दर्ज है। हां, उक्त खसरान की शेष रही सिवाय चक भूमि में से वर्ष 1989–1990 में ख.नं. 247 व 248 में से 7 व्यक्तियों को 305.07 बीघा भूमि आबंटन की गई। आबंटन कार्यवाही दिनांक 4.10.1990 के विवरण की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी हां। तहसीलदार फलौदी द्वारा अवैध, आबंटन निरस्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) यह सही नहीं है। ख.नं. 247 व 248 की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही की गयी एवं सम्वत 2047, 2050, 2051, 2053 एवं 2054 में क्रमशः 7,1,3,8,6 व्यक्तियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया। वर्तमान में गोचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

(नकल विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पेंशनर विश्राम गृह हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन के लम्बित प्रार्थना पत्र

439. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आदेश क्र. प–14(1) राज. 6–2002/1 दिनांक 13.2.2002 के तहत पेंशनरों के लिये विश्राम घर के निःशुल्क भूमि आबंटन के लिये आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये तथा कितनों का निपटारा किया जा चुका है और कितने बकाया है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्भागीय मुख्यालयों पर भूमि आबंटन के लिये कौन अधिकारी सक्षम है तथा उक्त के पास किस–किस स्थान के लिये प्रार्थना पत्र लम्बित हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार प्राप्त प्रार्थना पत्र तथा उनके निस्तारण का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) विभागीय आदेश दिनांक 13.2.2002 के अन्तर्गत पेंशनरों के विश्राम

(राजस्व मंत्री)

घर के लिये भूमि आबंटन सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिये राज्य सरकार सक्षम थी। दिनांक 13.1.2003 से प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिये सम्भागीय आयुक्त को उनके कार्य क्षेत्र के लिये अधिकृत कर दिया गया है।

ऐसी स्थिति में सम्भागीय आयुक्तों को ही सम्भागीय मुख्यालयों के जिलों सहित उनके कार्य क्षेत्र के जिलों में लम्बित सभी प्रार्थना पत्र के निस्तारण उन्हीं के स्तर से किया जायेगा। ऐसे सभी लम्बित प्रार्थना पत्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-2 देखें)

तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद क्षेत्र के ग्रामों में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

440. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की किस किस तहसील की चरागाह भूमि के कितने क्षेत्रफल में कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है?

(2) तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद की किस-किस ग्राम पंचायत के कितने क्षेत्रफल में कितने कृषकों द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? उक्त में से अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने-कितने कृषक हैं? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1998-99 से 2001-02 तक कितनी राशि जुर्माना के रूप में चरागाह अतिक्रमण के कारण राज्यकोष में जमा की गई? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में कितने अतिक्रमी है जिनके पास पन्द्रह बीघा से अधिक कृषि भूमि खाते में दर्ज है और चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 2812.43 हेक्टेयर चरागाह भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। तहसीलवार ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) तहसील प्रतापगढ़ में 424 कृषकों द्वारा 145.72 हेक्टेयर पर एवं तहसील अरनोद में 393 कृषकों द्वारा 147.53 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इनमें से तहसील प्रतापगढ़ में अनुसूचित जाति के 46 व जनजाति के 150 तथा तहसील अरनोद में अनुसूचित जाति के 21 व जनजाति के 263 कृषक हैं। पंचायतवार ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(राजस्व मंत्री)

(3) जिले में वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक कुल 18,81,711/- रुपये जुर्माने के रूप में (चरागाह अतिक्रमण के कारण) राज्यकोष में जमा कराये गये है। पंचायतवार ब्यौरा संलग्न है (परिशिष्ट "स")

(4) तहसील अरनोद में 10 अतिक्रमी ऐसे हैं, जिनके पास खाते में 15 बीघा जमीन है एवं चरागाह पर अतिक्रमण कर रखा है। तहसील प्रतापगढ़ में इस प्रकार का कोई अतिक्रमी नहीं है।

(ब्यौरा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पटवारी, कामां (भरतपुर) की उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनः राज्य सेवा में नियुक्ति

441. श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा दिनांक 28.8.1988 को श्री मलखान सिंह, पटवारी कामां को सेवा से निकाल दिया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मचारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की थी? क्या उक्त अपील में प्रार्थी के पक्ष में निर्णय हुआ? यदि हां, तो पुनः नौकरी पर क्यों नहीं लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय की एकलपीठ के निर्णय के विरुद्ध डी.बी. में अपील दायर की है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अपील को डी.बी. हाईकोर्ट ने दिनांक 23.3.2001 को खारिज कर दिया है? क्या उक्त न्यायालय ने अपील खारिज करने के साथ में प्रार्थी को नौकरी पर लेने बाबत तथा दिनांक 28.8.1988 से 23.3.2001 तक निर्वाह भत्ता देने के आदेश दिये? यदि हां, तो प्रार्थी को नौकरी पर क्यों नहीं लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रार्थी को दिनांक 22.6.2001 से निर्वाह भत्ता दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री मलखान सिंह, पटवारी को दिनांक 29.8.1988 को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में राजकीय राशि के गबन एवं राजस्व रिकार्ड में टेम्परिंग करने आदि का दोषी पाये जाने पर सेवा से बरखास्त किया गया था।

(2) जी हां। कर्मचारी ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट

(राजस्व मंत्री)

याचिका संख्या 5966/93 की थी। निर्णय दिनांक 1.12.1997 द्वारा याचिका स्वीकार की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि याची को सुनवाई का अवसर देते हुए उनके विरुद्ध जांच जारी रखी जा सकती है। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) नं. 2/98 दायर की गई जिसमें उक्त एस.बी. निर्णय दिनांक 1.12.1997 पर 9.1.1998 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया, जिससे उक्त कर्मचारी को पुन: नौकरी में नहीं लिया गया।

(3) जी हां। राजकीय अभिभाषक की राय एवं नियमों में प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय में उक्त एस.बी. के निर्णय के विरूद्ध डी.बी. में स्पेशल अपील 2/98 दायर की गई।

(4) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 2/98 को निर्णय दिनांक 23.3.2001 द्वारा अस्वीकार कर दिया। अत: एकलपीठ के निर्णय के अनुसार विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए कर्मचारी को निलम्बन की स्थिति में दिनांक 22.6.2001 को पुन: सेवा में लिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.8.1988 से 23.3.2001 तक निर्वाह भत्ता दिये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये है।

(5) विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए कर्मचारी को दिनांक 22.6.2001 को निलम्बन की स्थिति में राज्य सेवा में लिया गया तथा तदनुसार दिनांक 22.6.2001 से निर्वाह भत्ता दिया गया है।

ग्राम अटबड़ा, जिला पाली के नामान्तकरण अभिलेखों में हेराफेरी

442. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अटबड़ा, तहसील–सोजत, जिला–पाली के खान नम्बर 1935, 1936 एवं 1937 के नामान्तकरण संख्या 980 एवं 981 को जिस अभिलेख के आधार पर एवं जिस आदेश से खोला गया है उन अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक जांच करने पर उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने जिला कलक्टर पाली को सूचित कियां कि सम्बन्धित पत्रादि सरकारी अभिलेख से गायब कर दिये गये हैं? क्या जिला कलक्टर पाली द्वारा प्रार्थीगण को राजकीय अभिलेख सरकारी सुरक्षा से गायब होने पर पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का परामर्श दिया गया है?

(डा. रतन लाल जाट)

(3) क्या सरकारी अभिलेख में अकारण तब्दील करने एवं सम्बन्धित दस्तावेजों को सरकारी अभिलेख से गायब करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की जिम्मेदारी जिला कलक्टर पाली की नहीं है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भिजवाने हेतु बार-बार स्मरण करवाने के उपरान्त भी उक्त प्रकरण को प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुचाने एवं दोषियों को बचाने के लिए दबाया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत ने जरिये पत्रांक: पीए/2के/657 दिनांक 16.8.2000 के द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन जिला कलक्टर पाली को प्रेषित किया था तथा उसमें यह लिखा था कि सम्बन्धित पत्रादि न तो तहसील कार्यालय में उपलब्ध है तथा न ही पटवारी अटबड़ा के रेकर्ड में उपलब्ध है। जिला कार्यालय द्वारा प्रार्थी या श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी शिवराम चौधरी निवासी गांव हर्ष तहसील बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राप्त उपखण्ड अधिकारी सोजत से जांच कराई गई व शिकायतकर्ता ने अपने स्तर पर पुलिस कार्यवाही का सुझाव दिया गया।

(3) रेकार्ड में तब्दील जरिये नामान्तकरण संख्या 980 व 981 के द्वारा की गई है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में लम्बित है। प्रकरण सब ज्यूडिस है। सम्बन्धित पटवारी का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है। व उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

(4) जिला कलक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

ग्राम जेतपुरा (अलवर) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर पत्थर गढ़ी

443. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किये जाने पर उन्हें पुलिस इमदाद से पत्थर गढ़ी/कब्जा दिलाती है?

(2) जिला कलक्टर, अलवर को जनवरी, 2003 में अनुसूचित जाति के किन किन व्यक्तियों को पुलिस इमदाद से कब्जा दिलाने के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये? प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम जेतपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

(श्री आदराम मेघवाल)

में खसरा नम्बर 314/323 रकबा बीघा की पत्थर गढ़ी पुलिस इमदाद से करने हेतु दिनांक 23 जनवरी, 2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो किसके द्वारा।

(4) क्या उक्त जमीन का फैसला तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2002 को किया गया था? क्या उक्त की अनुपालना में प्रार्थना पत्र उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई?

(5) अब उक्त भूमि का कब्जा पुलिस इमदाद से कब तक दिला दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला कलक्टर, अलवर के कार्यालय में जनवरी, 2003 में अनुसूचित जाति के 3 व्यक्तियों द्वारा पुलिस इमदाद से कब्जा दिलाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुए हैं, प्रार्थना–पत्र की छाया–प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट ''क'')

(3) जी हां। दिनांक 28.1.2003 को रामचन्द पुत्र मांगीलाल निवासी–सायपुर पाखर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र की छाया–प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट ''ख'')

(4) जी हां। दिनांक 4.10.2002 को भू–अभिलेख निरीक्षक, बीचगांव एवं पटवारी हलका, सायपुर पाखर कब्जा दिलाने गये, किन्तु मौके पर प्रार्थी के उपस्थित न होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका। जिला कलक्टर, अलवर द्वारा तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को पत्र दिनांक 27.2.2003 के द्वारा प्रार्थी से सम्पर्क कर मौके पर कब्जा दिलाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(5) जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पत्र दिनांक 27.2.2003 के द्वारा तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को प्रार्थी से सम्पर्क कर पुलिस बल के साथ मौके पर कब्जा दिलाने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

(छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आनासागर एवं फायसागर झील (अजमेर) के डूब क्षेत्र में आई भूमि के कृषकों को मुआवजा

444. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित आनासागर एवं फायसागर झील के फैलाव एवं भराव क्षेत्र में खातेदार किसानों की जमीन झील के पेटे एवं डूब क्षेत्र में आती है? यदि हां, तो पेटा एवं डूब में आने वाले काश्तकारों की सूची मय रकबा तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में

(श्री ललित भाटी)

जमाबंदी व चौसाला रिकार्ड की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डूब में ज़मीन आने से सम्बन्धित काश्तकार लम्बे समय से उक्त पर काश्त नहीं कर पाया है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या उक्त काश्तकारों से लगान वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकारों को पुनर्वास योजना के तहत डूब व पेटे में आयी भूमि का मुआवजा देने का अन्यत्र कृषि योग्य भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया? यदि हां, तो कब और उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह भी सही है कि लम्बे समय से फसल नहीं उगा पाने के कारण काश्तकारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई? क्या सरकार ऐसे काश्तकारों की उक्त समयावधि के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप कुछ सहायता राशि देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) आनासागर झील के पेटा एवं डूब में आने वाले काश्तकारों की सूची मय रकबा, वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी व चौसाला की प्रति संलग्न है।

फायसागर झील ग्राम बोराल, काजीपुरा व हाथीखेड़ा में खातेदारी भूमि डूब क्षेत्र में नहीं है।

(2) समय-समय पर डूब क्षेत्र खाली होने से काश्त होती रही है। ग्राम थोक तेलियान आनासागर झील में 150-5-00 भूमि अनुमानित काश्त होती है तथा 1078-7-10 बीघा भूमि पानी भरा होने से काश्त नहीं होती है।

(3) राज्य सरकार के आदेशानुसार लगान की छूट है।

(4) इस सन्दर्भ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कुशलगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना

445. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं अपर जिला सैशन न्यायाधीश के न्यायालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(2) उक्त जिले के उक्त न्यायालयों में कितने प्रकरण लम्बित हैं।

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में अपर जिला एवं सैशन बांसवाड़ा के न्यायालय का कैम्प प्रतिमाह होता है? यदि हां, तो उक्त कैम्प न्यायालय में कितने प्रकरण दिवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना तथा अन्य लम्बित हैं?

(4) क्या सरकार लम्बित प्रकरणों को ध्यान में रखते हुये कुशलगढ़ में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर एक न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश एक न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के तथा दो न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक (प्रथम एवं द्वितीय) के कार्यरत है।

(2) उक्त जिले में लम्बित प्रकरणों की संख्या निम्नप्रकार है:

नाम न्यायालय	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा	1296
2. अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा	525
3. अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांसवाड़ा फास्ट ट्रेक प्रथम	168
4. अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा फास्ट ट्रेक द्वितीय	65

(3) जी हां। यह सही है कि कुशलगढ़ में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा प्रति माह कैम्प होता है। कैम्प न्यायालय कुशलगढ़ में लम्बित प्रकरणों की संख्या निम्नप्रकार है:

1.	प्रकरण सैशन	106
2.	मुत. फौजदारी प्रकरण	4
3.	मूल दीवानी	9
4.	दीवानी अपील	2
5.	इलराय	12
6.	फौजदारी अपील	5
7.	फौजदारी निगरानी	15
8.	विविध दीवानी	1
9.	विविध दीवानी अपील	2
10.	मोटर दुर्घटना	37

इस प्रकार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कैम्प कुशलगढ़ में कुल 193 प्रकरण लम्बित हैं।

(विधि मंत्री)

(4) कुशलगढ़ (जिला बांसवाड़ा) में स्थाई अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश न्यायालय के सृजन के बारे में मामला माननीय उच्च न्यायालय में नये न्यायालयों के गठन हेतु बनाई हुई माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर कुशलगढ़ में स्थाई अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

ग्राम कुण्डा (जयपुर) में नहर एरिया के अतिक्रमणों का नियमन

446. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कूकस बांध में आने वाली नहर के ज्यादातर कैचमेंट ऐरिया पर पुलिस आउट पोस्ट (कुण्डा) से मथुरा पोल (आमेर) जयपुर तक ग्राम कुण्डा के आबादी क्षेत्र में स्थित हिस्से में ज्यादातर पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिये गये हैं?

(2) क्या सरकार नहर कैचमेंट क्षेत्र के उक्त अतिक्रमण हटाने/नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की प्रमुख पक्की नहर को ग्राम कुण्डा में छापने के प्रस्ताव भी स्वीकृत हुये थे? यदि हां, तो उक्त नहर को अब तक क्यों नहीं पाटा गया और अब कब तक पाट दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदार आमेर द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। उक्त क्षेत्र की प्रमुख नहर को ग्राम कुण्डा में छापने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस कार्य हेतु रुपये 20.00 लाख की लागत अनुमानित है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार कार्य किया जाना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में कराये गये कार्य

447. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? विवरण ग्राम व तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक

(सिंचाई मंत्री)

सिंचाई मद के अन्तर्गत कुल 52 कार्य करवाये गये। कार्यों का ग्रामवार व तिथिवार विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट–3 देखें)

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

448. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल कितनी राशि स्वीकार की गई एवं उक्त में से कुल कितनी व्यय की गई है?

उत्तर

गत 4 वर्षों 1998-99 से 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सिंचाई मद से निर्माण कार्य हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई एवं तदनुसार शून्य व्यय की गई है।

माही परियोजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में अवाप्त भूमि के लगान में छूट

449. श्री भाणजी (दानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर एवं अन्य वितरिकाओं का निर्माण करवाया गया था जिसमें नहर निर्माण के अन्तर्गत किसानों की जमीन ली गई थी?

(2) क्या उक्त आरक्षित जमीन का लगान किसान आज तक जमा करवा रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त आरक्षित जमीन का लगान कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अवाप्त की गई भूमि जिसका मुआवजा भुगतान कर माही विभाग के नाम अमलदरामद हो चुकी है, का लगान कृषकों द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा है। शेष भूमि को सिंचाई विभाग के नाम अमल दरामद की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा माह मार्च, 2003 तक किया जाना प्रस्तावित है। तत्पश्चात् कृषकों को लगान जमा नहीं कराना पड़ेगा।

(3) मामले पर विचार किया जावेगा।

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में खारी बांध की नहर से पेयजल आपूर्ति

450. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री रामलाल गुर्जर)

तहसील क्षेत्र आसींद (भीलवाड़ा) के खारी बांध की दायीं मुख्य नहर तथा बायीं मुख्य नहर पर कहां पर कितने-कितने इंच पाइपों की स्वीकृति पानी पिलाने हेतु दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा ज़िले की आसीन्द तहसील क्षेत्र में स्थित खारी बांध की दायीं व बायीं मुख्य नहर पर स्थित स्वीकृत आउट लेट्स का विवरण प्रपत्र "अ" एवं "ब" में दर्शित है। ये आउट लेट्स परियोजना के स्वीकृत आकलन के अनुरूप ही स्वीकृत हैं।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सांगानेर (जयपुर) के मतदान केन्द्र

451. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर जिला जयपुर में कितने मतदान केन्द्र हैं?

(2) उक्त मतदान केद्र पर कितने कितने मतदाता किस-किस श्रेणी के हैं? उक्त विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की नवीनतम सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर, जिला जयपुर में 241 मतदाता केन्द्र हैं।

(2) उक्त मतदान केन्द्रों में 1,25,341 पुरूष तथा 1,13,870 महिला कुल 2,39,211 मतदाता है। मतदान केन्द्रों की नवीनतम सूची परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर में वृद्धाश्रम सेंटर की स्थापना

452. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में वृद्धाश्रम (डे-केयर सेंटर) बनाये हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में? उक्त में वृद्धों के लिये क्या-क्या सुविधा दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।1

(2) क्या धौलपुर में डे-केयर सेंटर हैं? यदि हां, तो उक्त में वर्ष 2000 से जनवरी, 2003 तक कितने व्यक्ति ठहरे?

(3) क्या धौलपुर में उक्त आश्रम नहीं है? यदि हां, तो क्या अब खोलने का विचार है?

(4) क्या सरकार नये डे-केयर सेंटर और खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या महिलाओं के लिए भी डे-केयर सेंटर खोलने की योजना है? यदि हां, तो कितने किस-किस जिले में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वृद्धों को प्रतिदिन केन्द्र पर अल्पाहार दिया जाता है एवं इसके अतिरिक्त उनको पढ़ने हेतु पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, मनोरंजन हेतु टेलिविजन तथा स्वास्थ्य जांच, चश्में, दांत एवं दवाइयां आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं एवं उन्हें प्रति त्रैमास भ्रमण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

(2) जी हां। जिले में डे केयर सेंटर अप्रैल, 2002 से आरम्भ हुआ है, जिसमें औसतन 18 वृद्ध महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

(3) धौलपुर में डे केयर सेंटर संचालित है।

(4) इस वित्तीय वर्ष में और नये डे केयर सेंटर खोलने का प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी में कूप निर्माण

453. श्री अरुण सिंह (डीग): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति फागी की ग्राम पंचायत माधोराजपुरा (जयपुर) में अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2003 तक विभिन्न योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि कब कब स्वीकृत की गई? योजना का नाम, कार्य का नाम, राशि स्वीकृति दिनांक और उपयोग में ली गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से अब तक कौन-कौनसे कार्य पूर्ण कराये गये हैं? कार्य करने वाली एजेंसी का नाम भुगतान की राशि व दिनांक एवं अपूर्ण कार्यों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों का निरीक्षण/मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया है? क्या उक्त कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत माधोराजपुरा के वर्तमान सरपंच द्वारा ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी के साथ विकास कार्यों में पक्षपात किया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त दोषी सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी में अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2003 तक कराये गये कार्यों का वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी में कूप खुदाई हेतु स्वीकृति वर्ष 2001 में होने के उपरान्त भी अब तक कार्य

(श्री अरुण सिंह)

प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन दोषी हैं?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत समिति फागी की ग्राम माधोराजपुरा में अप्रैल 2000 से जनवरी, 2003 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत राशि स्वीकृति वर्ष मय योजना का नाम, कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक एवं उपयोग की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कराये कार्य मय कार्य करने वाली एजेंसी का नाम, भुगतान राशि व दिनांक एवं अपूर्ण रहे कार्यों के कारणों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(3) कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिशिष्ट 'ब' में क्रम संख्या 1,2,5,6,14, 16, 17,18,20,23 व 24 पर अंकित कार्यों का मूल्यांकन/निरीक्षण नियमानुसार ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा किया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(4) चूंकि ग्राम पंचायत माधोराजपुरा के वर्तमान सरपंच द्वारा कोई पक्षपात नहीं किया गया है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का मामला नहीं बनता है। ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी में अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2003 तक कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(5) ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी में कूप खुदाई का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था। खेड़ा हनुमान सड़क के पास कूप खुदाई का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए 25,000/– रु. स्वीकृत हुए थे, जिसे पूर्ण करवाकर राशि रुपये 24,807/– का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में केन्द्र प्रवर्तित राशि के तहत स्वीकृत अपूर्ण कार्य

454. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र खारची में किस-किस योजना में कितने-कितने कार्य स्वीकृत किए गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के माध्यम से स्वीकृत कार्यों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई और स्वीकृत राशि के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए व कितने प्रगति पर हैं तथा कितने कार्य आरम्भ ही नहीं हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में आरम्भ नहीं हुए कार्यों को कब तक आरम्भ करवाकर पूर्ण कब तक करा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1999-2002 तक विधान सभा क्षेत्र खारची में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत कुल 712 कार्य स्वीकृत किए, जिसका योजनावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) उक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खारची में स्वीकृत कार्य 712 में से 624 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 80 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 2 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुए हैं तथा 6 कार्य विवादित हैं, जिनका योजनावार/कार्यवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(4) उक्त कार्यों में से आरम्भ नहीं हुए 2 निर्माण कार्य जिसमें से एक कार्य एम.पी.एल.ए.डी. तथा दूसरा कार्य एम.एल.ए.एल.ए.डी. योजना से सम्बन्धित है, को दिनांक 31.3.2003 से पूर्व आरम्भ करने के प्रयास किये जा रहे है। उक्त स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करवाने सम्बन्धी योजनावार/कार्यवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर कार्य के सम्मुख "विशेष विवरण" कालम में अवलोकनीय है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति सहाड़ा व रायपुर (भीलवाड़ा) में घटिया पाइप लाइन

455. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति सहाड़ा तथा रायपुर जिला भीलवाड़ा में गत चार वर्षों में विधायक तथा सांसद कोटे से क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए? उक्त कार्य कब स्वीकृत हुए? तथा स्वीकृति की तारीख के कितने दिनों बाद उक्त कार्यों को पूर्ण कराया गया? उक्त में कितना विलम्ब हुआ तथा विलम्ब में कौन जिम्मेदार हैं?

(2) क्या उक्त दोनों पंचायत समितियों में विधायक तथा सांसद कोटे से स्वीकृत कार्यों को ठेकेदार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं किया गया? क्या उक्त कार्यों के बारे में गांव वालों व जन प्रतिनिधियों की समय-समय पर शिकायतें

(डा. रतनलाल जाट)

प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या पंचायत खाखरमाला पंचायत समिति रायपुर के गांव थोरियाखेड़ा में ठेकेदार द्वारा ट्यूब वैल में पुरानी विद्युत मोटर डाल दी तथा नई विद्युत मोटर का भुगतान उठा लिया? क्या उक्त मोटर कुछ ही दिनों में खराब हो गई व बावजूद शिकायत के ठेकेदार ने अभी तक उक्त मोटर को नहीं बदला है? यदि हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या पंचायत समिति रायपुर की पंचायत खाखरमाला के गांव नान्दूड़ा में भी उक्त ठेकेदार ने विधायक कोटे से स्वीकृत पाइप लाइन घटिया स्तर की डाली है जिससे गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है? क्या उक्त ठेकेदार ने पंचायत रायपुर के गांव सूरजपुरा में भी लाइन के पाइप सही नहीं डाले हैं?

(5) क्या यह सही है कि उक्त में बिना पाइप लाइन के टेस्ट किये व पानी गांव में पहुंचाये भुगतान उठा लिया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सहाड़ा तथा रायपुर में गत चार वर्षों में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जो-जो कार्य जब-जब स्वीकृत हुये हैं, तथा स्वीकृति के बाद जितने-जितने समय में कार्य पूर्ण कराया गया का विवरण एवं जिन-जिन कार्यों को पूरा होने में जितना-जितना विलम्ब हुआ उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर अंकितानुसार है।

(2) पंचायत समिति, रायपुर में स्वीकृत एक कार्य (एक थोरिया खेड़ा ग्राम पंचायत खाखरमाला के ट्यूब वैल में लगायी गयी मोटर के बाबत) की शिकायत पंचायत समिति रायपुर को प्राप्त हुयी। उक्त शिकायत के आधार पर सम्बन्धित ठेकेदार से ट्यूब वैल पर खराब हुयी मोटर के स्थान पर नई मोटर लगवायी गई।

(3) जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि ग्रामवासियों द्वारा उक्त मोटर के खराब होने की शिकायत करने पर ठेकेदार ने नई मोटर लगा दी है।

अत: ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) पंचायत समिति, रायपुर की पंचायत खाखरमाला के ग्राम नान्दूड़ा में उक्त ठेकेदार द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत पाइप लाइन डाली थी जिसमें कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति रायपुर द्वारा टेस्टिंग दौरान कुछ कमियां पायी थीं। अत: उन कमियों

(ग्रामीण विकास मंत्री)

को उक्त ठेकेदार द्वारा उसी समय ठीक करा दिया गया। पंचायत समिति रायपुर के ग्राम सूरजपुरा में भी उक्त ठेकेदार द्वारा डाली गयी पाइप लाइन के लिकेज होने की शिकायत मिलने पर उक्त ठेकेदार द्वारा लिकेज ठीक कर दिया गया।

(5) सूरजपुरा में पाइप लाइन का टेस्ट होने के उपरान्त ठेकेदार को भुगतान किया गया हैं।

क्योंकि वहां केवल पाइप लाइन का ही कार्य स्वीकृत हुआ अतः पानी पहुंचाये बिना ही भुगतान किया गया।

जबकि नान्दूड़ा के सन्दर्भ में जलस्रोत पर पूर्व में ही विद्युत कनेक्शन होने से पाइप लाइन का टेस्ट कर तथा पानी पहुंचाने के उपरान्त भुगतान किया गया।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन

456. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा कराये जाने वाले पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री 13 वर्ष पुरानी है? यदि हां, तो उक्त को किन कारणों से अद्यतन नहीं किया जा रहा है?

उत्तर

यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। विश्वविद्यालय में अनेक पाठ्यक्रम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के चलाये जा रहे हैं।

अब उक्त विश्वविद्यालय ने कुछ पाठ्यक्रम अपने स्तर पर बनाने प्रारम्भ कर दिये हैं। विश्वविद्यालय में अद्यतन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है।

बी. बी. ए. परीक्षा हेतु जमा प्रवेश शुल्क की वापस अदायगी

457. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की केन्द्रीय प्रवेश योजना जयपुर शहर स्नातक पाठ्यक्रम भाग-प्रथम पास कोर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम बी.बी.ए. में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित कर प्रवेश दिये गये? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो प्रथम वर्ष वाणिज्य तथा बी.बी.ए. में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने और प्रवेश शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि वाणिज्य महाविद्यालय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में कौनसी रखी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो विद्यार्थी बी.बी.ए. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनमें से अनेक ऐसे थे जो पास कोर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके थे एवं शुल्क जमा करा चुके थे?

(3) क्या सरकार ऐसे छात्रों का प्रवेश शुल्क वापस लौटाने का विचार रखती है जिन्होंने बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल जाने के बाद प्रथम वर्ष पास कोर्स का प्रवेश रद्द कराकर बी.बी.ए. में प्रवेश लिया? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित कार्यक्रमानुसार केन्द्रीय प्रवेश योजना में प्रथम वर्ष पास कोर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही बी.बी.ए. के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। वाणिज्य महाविद्यालय में बी.बी.ए. की परीक्षा की अन्तिम तिथि 27.8.2002 थी।

(2) जी हां।

(3) विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय का छात्र यदि उसी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष पास कोर्स से प्रवेश रद्द कराकर बी.बी.ए. में प्रवेश लेता है तो उसका शुल्क समायोजित कर लिया जाता है।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय भवन के निर्माण कार्य में अनियमितता

458. **श्री कनकमल कटारा** (सागवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय एवं फार्मेसी विभाग का कार्य राजस्थान ब्रिज कारपोरेशन से करवाया है?

(2) क्या दिनांक 10 मार्च, 2002 को लोकार्पित उक्त भवन की दीवारों में दरार आ गई और छत भी टपकने लगी है?

(3) क्या पूर्व में महालेखाकार कार्यालय जयपुर द्वारा राजस्थान ब्रिज कारपोरेशन से विश्वविद्यालय के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाने पर एतराज किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। आपत्तियों में मुख्य रूप से प्रशासनिक एवं कार्यकारी प्रभार भुगतान पर आपत्ति दर्शाई गई थी। विश्वविद्यालय में स्वीकृत एवं पदस्थापित स्टाफ सहायक अभियन्ता स्तर का है। अत: उक्त भवन जिनकी अनुमानित लागत रुपये 150 लाख थी जैसे तकनीकी स्तर के कार्य की

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

डिजाइन निर्माण एवं गुणवत्ता के लिए उक्त भवन का निर्माण राजस्थान राज्य ब्रिज कारपोरेशन द्वारा सम्पादित करवाने का निर्णय किया गया था।

जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता

459. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना के कार्यक्रम के तहत कितने लोगों की कितनी इकाइयों को आर्थिक सहायता दी गई?

(2) उक्त अवधि में जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के तहत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितनों को आर्थिक सहायता दी गई और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनजाति क्षेत्रों में जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाइयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कौन-कौन से जिलों में उक्त योजना चलाई जा रही है? क्या उक्त योजना को अन्य जिलों में भी लागू करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के तहत 798 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई।

(2) उक्त अवधि में जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के तहत 1229 व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा 798 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की गई तथा 302 आवेदन पत्र बैंकों में विचाराधीन तथा 101 आवेदन पत्र निरस्त किये गये।

(3) राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन मनी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के तहत आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु जहां जनसंख्या 20,000 से अधिक न हो तथा प्रति व्यक्ति विनियोजन 50,000 रुपये हो उनको उक्त योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के आवेदक के प्रोजेक्ट कास्ट का 30 प्रतिशत अनुदान देय है तथा स्वयं की सहभागिता प्रोजेक्ट कास्ट की 5 प्रतिशत है।

(4) वर्तमान में बोर्ड द्वारा यह योजना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही व

(राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग)

उदयपुर जिलों में चलाई जा रही है अन्य जिलों में जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रोजवाड़ी (जयपुर) के परिचारक का वेतन स्थिरीकरण

460. **श्री प्रभुलाल (नैनवां):** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुनरीक्षित वेतनमान 1998 को लागू हुये लगभग 4 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी विभाग में अभी तक भी वेतन स्थिरीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि परिचारक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रोजवाड़ी (जयपुर) का पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में अभी तक भी बार-बार प्रयास के उपरान्त भी वेतन स्थिरीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मी का वेतन स्थिरीकरण करवाकर एरियर का भुगतान दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कनिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर लगभग सभी विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन स्थिरीकरण, पुनरीक्षित वेतनमान 1998 के तहत किया जा चुका है।

(2) जी हां। राजकीय आयुर्वेद औषधालय, रोंजवाड़ी (जयपुर जिला) में पदस्थापित परिचारक श्री कैलाश चन्द शर्मा का सेवा रोल, सिंचाई विभाग से पूर्व में प्राप्त नहीं होने के कारण इनका पुनरीक्षित वेतनमान 1998 का स्थिरीकरण अभी तक नहीं हो सका है। श्री शर्मा उक्त विभाग से सरप्लस होकर इस विभाग में आये हैं।

(3) उक्त कर्मी श्री कैलाश चन्द शर्मा का सेवा रोल सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 25.2.2003 को उपलब्ध कराया गया है। अब कार्यवाही पूर्ण कर, स्थिरीकरण उपरान्त एरियर का भुगतान करने की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जायेगी।

जिला पाली के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

461. **श्री केसाराम चौधरी (खारची):** क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने संस्कृत विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) जिला पाली में ऐसे कितने विद्यालय कहां–कहां चलाए जा रहे हैं? विद्यालय/ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में कितने–कितने पद किस–किस श्रेणी के स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों पर सरकार पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में संस्कृत शिक्षा विभाग के 619 प्राथमिक, 273 उच्च प्राथमिक एवं 74 माध्यमिक (प्रवेशिका) संस्कृत विद्यालय है। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जिला पाली में संस्कृत शिक्षा विभाग के ऐसे 16 प्राथमिक, 11 उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय संचालित हैं। विद्यालय, ग्रामवार सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) विद्यालयवार सूची परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा शेष रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। इस बीच गैस्टफैकल्टी के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्ति कर दी जावेगी।

(सूची के लिए परिशिष्ट–7 देखें)

कृषि उपज मण्डी खैरथल द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

462. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी खैरथल ने तहसील बहरोड़ व नीमराना में कितनी नई सड़कों का निर्माण किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी खैरथल द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई? सड़क व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपज मण्डी द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उक्त जिम्मेदारी कृषि उपज मण्डी की नहीं है? यदि हां, तो किसकी है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल ने इन तहसीलों में किसी भी नयी सड़क का निर्माण नहीं किया है।

(2) पूर्व में निर्मित सड़कों की

(कृषि विपणन मंत्री)

मरम्मत के लिये कृषि उपज मण्डी खैरथल द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की थी। राज्य सरकार के दिनांक 18.01.2002 के निर्णयानुसार अब सड़कों के मरम्मत कार्यों की जिम्मेदारी कृषि विपणन बोर्ड की है।

सुमेरपुर मण्डी द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिरोही में विकास कार्य

463. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में सुमेरपुर मण्डी के माध्यम से क्या क्या विकास कार्य हुये हैं? सूची स्थानवार मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कार्य प्रगति पर हैं।

(3) वर्ष 2003-2004 में कितनी राशि विकास कार्य के लिये उपलब्ध है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर मण्डी के माध्यम से वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल पांच सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी एवं समस्त सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2002-2003 के दौरान तीन सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिनका कार्य प्रगति पर है। सड़कों की सूची मय लागत के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त में से तीन सड़कों का कार्य प्रगति पर है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या 6,7 एवं 8 पर है।

(3) वर्ष 2003-2004 में मण्डी विकास कार्यों हेतु 35.00 लाख रुपये शेष रहना सम्भावित है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-8 देखें)

जयपुर में टर्मिनल मार्केट हेतु अवाप्त भूमि

464. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एशिया की सबसे बड़ी मण्डी विकास परियोजना हेतु जयपुर में टर्मिनल मार्केट बनाने हेतु भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो उक्त में सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया?

(2) उक्त परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या उक्त टर्मिनल मार्केट का लाभ किसानों को मिलने लग गया है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों और उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। रुपये 13.48 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। यह मुआवजा कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी), लालकोठी, जयपुर ने दिया है।

(2) परियोजना पर अब तक 15 करोड़ 75 लाख 28 हजार 482 रुपये व्यय किये जा चुके है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

1. भूमि क्रय पर व्यय	13,47,51,482
2. चारदीवारी निर्माण	20,93,000
3. आ. सड़कें फुट एरिया	88,06,000
4. आ. सड़कें सब्जी एरिया	1,06,39,000
5. नाली निर्माण	10,97,000
6. आक्सन प्लेटफार्म सब्जी	38,000
7. आक्सन प्लेटफार्म (फुट)	24,000
8. सर्वे एण्ड टेक्निकल एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट	80,000
योग	15,75,28,482

(3) जी नहीं। टर्मिनल मार्केट निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् किसान लाभान्वित हो सकेंगे।

कृषि विपणन बोर्ड के अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन

465. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि विपणन बोर्ड के उप सेवा नियमों में अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या सरकार के समायोजन के नियम बोर्ड पर लागू हैं? उक्त सम्बन्धी नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अगस्त, 1995 से जनवरी, 2003 तक कितने पद बोर्ड में समाप्त किये गये हैं? उक्त में से कितने पद वास्तविक रूप से भरे हुये थे और कितने पद रिक्त थे? उक्त अधिशेष कर्मचारी का किस पद पर समायोजन किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समायोजन में अधिशेष कर्मचारियों को किस पद पर व किस वेतन श्रृंखला में समायोजित किया जा सकता है और उसका मूल वेतन निर्धारण का मानदण्ड क्या है? क्या 9, 18, 27 वर्ष की सेवा का लाभ लेने पर प्राप्त वेतन श्रृंखला के आधार पर उसके समकक्ष पद व वेतन श्रृंखला में समायोजन किया जा सकता है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(4) क्या समायोजन में अधिशेष कर्मचारी को अपने मूल पद व वेतन श्रृंखला के उच्च पद व उच्च वेतन श्रृंखला में समायोजन किया जा सकता है?

(5) क्या बोर्ड में उक्त अवधि तक किये गये अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन नियमानुसार किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन हेतु राजस्थान सरकार एवं राजकीय उपक्रम विभाग के दिशा निर्देश ही कृषि विपणन बोर्ड पर लागू होते हैं। दिशा निर्देश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) अगस्त, 1995 से जनवरी, 2003 तक बोर्ड में कुल 466 पद समाप्त किये गये उक्त में से 20 पद वास्तविक रूप से भरे हुए थे और 446 पद रिक्त थे। बोर्ड के अधिशेष कर्मचारियों में से किसी का भी समायोजन नहीं हुआ।

रोड रोलर ड्राइवरों की वर्ष 2002 में छंटनी की गई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश व निर्णय से 6 रोड रोलर ड्राइवरों को पुनः सेवा में लिया गया।

(3) समायोजित व्यक्ति की वेतन श्रृंखला में प्राप्त कर रहे मूल वेतन को संरक्षित करने का प्रावधान है। 9,18,27 वर्ष की सेवा का लाभ लेने पर प्राप्त वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद पर समायोजन नहीं किया जा सकता।

(4) अधिशेष कर्मचारियों को अपने मूल पद व वेतन श्रृंखला से उच्च पद व उच्च वेतन श्रृंखला में समायोजन किये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(5) बोर्ड के अधिशेष कर्मचारियों में से किसी का भी समायोजन नहीं हुआ है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-9 देखें)

कृषि विपणन मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों का संधारण

466. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

कृषि विपणन मण्डी द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य के बाद क्या पुनः उक्त की देखरेख मण्डी द्वारा की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई:

(श्री उपाध्यक्ष)

(1) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर की ग्राम पंचायत सांदोलिया, कालानाड़ा व मनोहरपुरा में अकाल राहत कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन सिटी में वर्ष 1967-68 में राज्य सरकार द्वारा एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ली गयी भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर व एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान प्रशिक्षित नर्सिंग बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में।

(4) डा. रामप्रताप एवं एक अन्य सदस्य की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत धवान, पंचायत समिति टोडाभीम द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य की ओर से ग्राम कुन्हाड़ी जिला कोटा में कृष्णा विहार व लक्ष्मण विहार कालोनी को नियमित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति देने के लिये "जोन आफ कंसीडरेशन" बनाने की व्यवस्था समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(3) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से सी.ए.डी. के चीफ अकाउंट्स आफिसर द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के लिये प्रस्तावित 33/11 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली के बाली एवं फालना में स्थायी प्रकृति के कार्यों के बजाय कच्चे कार्यों को अकाल राहत कार्यों के तहत करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य की ओर से तहसील नावां के गांव भगवानपुरा में एक व्यक्ति को पानी का घरेलू कनेक्शन नहीं देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बीछीवाड़ा में लगी महिला हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की सेवा बहाल करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(8) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से तहसील नावां के कस्बा नावां, कुचामन तथा ग्राम राजलिया व खाखड़ में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

295 के अन्तर्गत प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(नियम 295 के तहत पढ़े माने गये प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-10 देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : राजस्थान के पांच करोड़ किसान और जनता इस सरकार से कुछ उम्मीद करती हैं और सरकार के अड़ियल रुख के कारण से हम वाकआउट करते हैं।

श्री रामलाल जाट : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची, माननीय सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सोहन नायक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, आपके स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब कुछ नहीं निवेदन करना है, आपको बोलने की अनुमति देंगे न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके इसको एप्रिशिएट करेंगे कि डैडलाक खड़ा हो गया है। आपने मोशन पढ़ लिया, अब इस जानकारी में समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि पूरा जिला प्रशासन जड़ हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसे ही जानकारी आएगी...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कल के बाद छुट्टी हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया तो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : फेमिन का वर्क चल रहा है, कैसे नहीं हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : फिर मिलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर मिलने से क्या होता है? वहां तो जिला प्रशासन पूरा जड़ पड़ा हुआ है, 11 आर.ए.एस. अधिकारियों ने जिला कलक्टर के खिलाफ ज्ञापन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, प्लीज बिराजें। व्यवस्था आपकी है, आपको तो उलटा बोलने की अनुमति पर विचार करने को कहा है, सभी के रिजैक्ट किये हैं, फिर क्या प्राब्लम है इसमें?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा निवेदन यह है कि आप कल किसी हालत में भी रखवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : कल आ जाएगी जानकारी, तो कल कर देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जानकारी सरकार देगी नहीं, सरकार की मर्जी है। कल आप जरूर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आएगी, नहीं कैसे आएगी? पहले आयी है, रतनलाल जाट को बुलवाया है, बिराजिये प्लीज। श्री अमरारामजी।

श्री रतनाराम चौधरी : किसानों का अब की बार की बरसात में और ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है, उन पर थोड़ा बहुत ध्यान राज्य सरकार को देना चाहिए और ये सामने हमारे विपक्ष के बंधु हैं ये किसानों के हमदर्द नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : अगर हमदर्द होते तो जसवन्त सिंहजी को कहते कि डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं उनको कम करना चाहिए, उनको घटाना चाहिए। कांग्रेस ने उनको मजबूर किया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों के दुश्मन हो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप किसानों के कितने हमदर्द हो, राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब क्या चाहते हो? बहुत हो गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है। अगर हमदर्द हैं किसानों के प्रति आप तो डीजल के भाव कम करवाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फसल बीमा लागू करवाओ, किसानों के दुश्मन हैं...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री अमरारामजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। एक मिनट, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पाइंट आफ इंफार्मेशन...(व्यवधान) मेरा पाइंट आफ इंफार्मेशन यह है कि शिवनारायणजी सदन में बैठे हुए हैं, बारां से जो विधायक हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी अंकित नहीं हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। श्री अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान राजस्थान में शिक्षा का सहयोग करने में और राजीव गांधी पाठशालाओं में राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में जहां 40 हजार से ज्यादा शिक्षा सहयोगी और पैराटीचर्स...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रताप सिंहजी, आजकल आप भी कुछ ज्यादा ही बोलने लग गये हो, प्लीज मेहरबानी करिये।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आन्दोलनरत पैराटीचर्स, शिक्षा सहयोगी व शिक्षाकर्मियों को विधान सभा के समक्ष धरने की अनुमति

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की शिक्षा को आगे बढ़ाने में 40 हजार से ज्यादा शिक्षा सहयोगी और पैराटीचर्स और हजारों की संख्या में शिक्षाकर्मी लगे हुए हैं। राजस्थान में 60 से 70 हजार इन अल्प वेतन भोगी टीचर्स का वेतन न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। शिक्षा सहयोगी और पैराटीचर्स के संगठन ने राजस्थान के इस उच्चतम सदन के सामने, विधान सभा के सामने धरना देने के लिए जो 24 तारीख से चल रहा है, जिला प्रशासन को एप्लाई किया है। लेकिन लगातार छह दिन तक परेशान होने के बाद यहां के प्रशासन ने इस बात के लिए मना कर दिया कि पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगियों को राजस्थान की विधान सभा के सामने धरना देने की अनुमति नहीं मिल सकती। क्या अभी राजस्थान में जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? राजस्थान का कोई भी नागरिक यहां राजस्थान के इस सदन के सामने धरना देकर अपनी वेदनाएं अभिव्यक्त नहीं कर सकता? क्या केवल राजस्थान के शिक्षा सहयोगियों और पैराटीचर्स के लिए ही यह व्यवस्था है? राजस्थान के शिक्षा सहयोगी राजस्थान में शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको मिनिमम वेज 60 रुपए प्रति दिन भी नहीं मिल रही है, 40 रुपए मिल रहे हैं, न उनको कोई छुट्टी की व्यवस्था है, न उनके बीमार होने पर

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

सुविधाएं हैं। वे अपनी समस्याओं को लेकर राजस्थान के सदन और सरकार के सामने प्रदर्शन और धरना देना चाहते हैं तो क्या सरकार इतनी निष्क्रिय, निर्दयी हो गई है कि उनकी बात सुनना भी नहीं चाहती? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले राजस्थान की राजधानी में सचिवालय के सामने वे प्रदर्शन करने के लिए आये। राजस्थान की सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उन्होंने जब धरना दिया तो उनके टैंट को उठाकर ले गये। और अब विधान सभा के सत्र में उन्होंने अनुमति मांगनी चाही तो राजस्थान की सरकार ने वही अपना रवैया अपनाते हुए उनको अनुमति नहीं दी। उससे नतीजा यह हो रहा है कि राजस्थान के बहुत-से शिक्षा सहयोगी, उपाध्यक्ष महोदय, आज आत्मदाह कर रहे हैं। अभी झुन्झुनूं जिले के रतनसिंह ने भीर, बुहाणा में जो शिक्षा सहयोगी था, उसने इस पीड़ा से पीड़ित होकर आत्मदाह कर लिया। और ऐसे ही कई शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर्स हैं जिन्होंने इन परिस्थितियों के चलते आत्मदाह कर लिया। सरकार उनको केवल अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए राजस्थान की विधान सभा के सामने...(व्यवधान) क्या कह रहे हैं मंत्रीजी?

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले कह चुके यह बात।

डा. बी. डी. कल्ला (चिकित्सा मंत्री): अभी फिर कह दिया न इसलिए कहना पड़ेगा।

श्री अमराराम (धोद) : कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप?

डा. बी. डी. कल्ला : आत्मदाह की बात बिलकुल असत्य है।

श्री अमराराम (धोद) : भीर में, बुहाणा में शिकायत है, वह जिन्दा है?

डा. बी. डी. कल्ला : आत्मदाह नहीं किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : (व्यवधान) सदन में नहीं कहा था। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि मैंने सदन को बताया था कि एक आदमी पत्र लिखकर गया है कि मैं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आत्मदाह कर रहा हूं। आत्मदाह का प्रश्न ही कहां है, उनको पूरा पैसा मिल रहा है? पैरा टीचर्स के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं सदन में यह घोषणा की है कि 4 वर्ष की...

श्री अमराराम (धोद) : पैसा पूरा नहीं मिलेगा तो आत्मदाह तो करेगा ही।

डा. बी. डी. कल्ला : 4वर्ष का जिनका अनुभव हो गया है, उसके आधार पर नियमों में संशोधन कर रहे हैं और

(डा. बी. डी. कल्ला)

उनको थर्ड ग्रेड का टीचर बनाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना-सा है, सरकार यह कह रही है कि रतन सिंह अपना नोट लिखकर गया है। क्या इसने आत्मदाह नहीं किया है? इसने आत्मदाह किया है। वह बाकायदा लिखकर नोट में गया है कि कम भत्ता और नौकरी में पैसा मिलने के कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है जिससे परेशान होकर मैं यह आत्मदाह कर रहा हूं। फिर भी सरकार यह कहे कि आत्मदाह नहीं हुआ। आप तो यह कहिए कि आत्मदाह नहीं हुआ। जब व्यक्ति को वेतन केवल 40 रुपए मिले, जिसके घर में पांच आदमियों का परिवार होगा, पांच रुपये में, उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से वहन करेगा?

सबसे अफसोसजनक बात यह है कि पैरा टीचर और शिक्षा सहयोगी राजस्थान के पवित्र सदन के सामने अपना धरना-विरोध प्रदर्शन करना चाहें और उसके लिए सरकार अनुमति नहीं दे। क्या सरकार तानाशाह हो गई? उन्होंने यहां 24 तारीख से धरने की परमीशन के लिए आवेदन किया है, उनको आज तक परमीशन नहीं दी गई है। जिला कलक्टर, जयपुर ने कह दिया है कि आपको परमीशन नहीं मिल सकती। तो मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। आप जो आत्मदाह कर ले उसको आत्मदाह नहीं मानें, राजस्थान के 60 हजार से ज्यादा पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगी और शिक्षाकर्मी जब यहां विरोध प्रदर्शन करना चाहें, विरोध दर्ज कराना चाहें, सरकार उनको परमीशन ही नहीं देगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप रिपीट कर रहे हैं कि एक ही बात। आप कनक्लूड करें।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट ही कर रहे हैं। यह सारी बात आप पहले कह चुके हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य की बात का मैं भी समर्थन करता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : कोई हाउस के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहे, उसको परमीशन नहीं मिले...

श्री हीरासिंह चौहान : शिक्षाकर्मी विद्यालयों में इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उनको दैनिक मजदूरी से भी कम दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री हीरासिंह चौहान : आप धरना देने के लिए अनुमति नहीं देते पैराटीचर्स को।

श्री धर्मपाल चौधरी : पैराटीचर्स को धरना देने की अनुमति नहीं देते।

श्री हीरासिंह चौहान : प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोंटा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते। वह पर्ची पर बोल रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : XXX

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महेदय, सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह का असंतोष उनमें फैल रहा है और जो उनकी जान को खतरा हुआ है, वे अपनी वेदना इस पवित्र सदन के सामने अभिव्यक्त करने के लिए धरना और प्रदर्शन करने की अनुमति मांगें और सरकार उनको अनुमति नहीं दे, इससे बड़ी शर्मनाक बात सरकार के लिए नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि यह सरकार उनकी आवाज को दबा नहीं पाएगी क्योंकि राजस्थान के तमाम जिला हैडक्वाटर्स पर पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगियों ने लगातार एक-एक महीने तक धरना दिया है, विरोध प्रदर्शन किया है और उसके बाद वे राजस्थान के इस पवित्र सदन और सरकार के सामने प्रदर्शन और धरना देने की अनुमति चाहते हैं। सरकार उनको इस बात के लिए मनाही करे, उस असंतोष को यहां नहीं दबा पाएगी। मेरा निवेदन है कि अगर शिक्षा सहयोगियों को आपने पूरा वेतन नहीं दिया तो राजस्थान में आपके मंत्रियों से दो-दो हाथ शिक्षा सहयोगी जनता का सहयोग लेकर करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार केवल इतनी-सी बात बता दे कि शिक्षा सहयोगियों...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। यह पर्ची पर बोले हैं; अभी यह कोई डिबेट नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर्ची का नहीं, विषय इतना गम्भीर है। क्या सरकार से उन्होंने स्वीकृति मांगी?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं; नहीं, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर उन्होंने स्वीकृति मांगी तो सरकार ने स्वीकृति क्यों नहीं दी? इस बारे में तो नियम स्पष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का पर्ची पर जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर्ची का जवाब नहीं आए, लेकिन विषय यह था कि कोई अगर विधिवत आपसे स्वीकृति मांगे...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कोई विषय हो, आप स्वयं नियमों को समझते हो, नियम आपके द्वारा बनाए हुए हैं, पर्ची पर वह बोले हैं, इट इज नाट कम्पलसरी कि सरकार को कहें इसका जवाब दे। आप पूछ सकते हैं, सरकार चाहे तो जवाब दे।

श्री अमराराम (धोद) : कौनसा जरिया होगा, मैं कह रहा हूं? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में कितने शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहता हूं, कि आप इस बात की जानकारी जरूर करें, यदि उन्होंने विधिवत स्वीकृति मांगी तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, क्यों उस स्वीकृति को नहीं दिया? और नहीं दिया तो कौनसा प्रशासनिक अधिकारी है...

श्री उपाध्यक्ष : किस चीज की स्वीकृति नहीं दी?

श्री अमराराम (धोद) : धरना देने की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वहां इस बात का धरना लगाने की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रदर्शन करने की।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं न वे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : धरना लगाने के लिए विधिवत स्वीकृति मांगी 24 तारीख से। क्या उन्होंने विधिवत स्वीकृति मांगी? तो उस अधिकारी ने स्वीकृति क्यों नहीं दी? इसकी जानकारी तो कम से कम करके बताएं, यह तो उनका राइट है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? अगर इतना बड़ा अधिकारी हो, यह कैसे सम्भव है?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ठीक है, हां। एक सैकण्ड, आप बिराजिए प्लीज।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन पैराटीचर्स...

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या कह रहे हो? इनका जवाब तो आने दो।

श्री मोहन लाल मोदी : यह दे देंगे उसी में जवाब। शिक्षा सहयोगियों और पैराटीचर्स की हालत बहुत खराब है, इनके बारे में सोचना चाहिए, इनको छुट्टी वगैरह कुछ देना चाहिए, यह मैं इनसे कहना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्यों आंसू बहा रहे हो झूठे, सरकार भी आपकी और पूछ रहे हो।

श्री मोहन लाल मोदी : आपकी तरह मूंछ बढ़ा कर बात करें क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई सहानुभूति नहीं है आपकी उन शिक्षाकर्मियों के साथ। वे तो दे रहे हैं पैराटीचर्स को, मोदीजी, झूंठे आंसू बहा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब आने दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ।

श्री मोहन लाल मोदी : ये आंसू तो आप ही बहाते हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस बात का जवाब दे दें कि कितने पैराटीचर्स हैं एस.सी., एस.टी. के।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इम्प्लीमेंट करो।

श्री मोहन लाल मोदी : सच्चे आंसू तो आप ही बहाते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : घोषणा करो शिक्षाकर्मियों के लिए, पैराटीचर्स के लिए। घोषणा करो।

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब आने दीजिए न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आरक्षण का ध्यान रखकर बोलना, मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स और शिक्षा सहयोगियों की एसोसिएशन के लोग माननीय मुख्य मंत्रीजी से और मेरे से मिलने आये थे और उनकी पूरी बात हो गई, वे सैटिस्फाई होकर गये हैं। वे स्वयं यह बात कह रहे थे कि राजस्थान की तुलना में अन्य प्रदेशों में शिक्षा सहयोगियों को और पैराटीचर्स को मात्र 800 रुपया प्रति माह दे रहे हैं, आप सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान में दे रहे हैं। केवल राजस्थान में ही राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने इसी पवित्र सदन में यह घोषणा की। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर वे अपना रिप्लाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक बात का जवाब चाह रहे हैं...

डा. बी. डी. कल्ला : मैं दे रहा हूं ना।

श्री उपाध्यक्ष : आप सीधी बात कहो कि इन्होंने इजाजत मांगी वह दी या नहीं।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने साफ कहा था कि चार साल तक का जिनको अनुभव प्राप्त हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : तो यह कह दो ना।

डा. बी. डी. कल्ला : उनको हम थर्ड ग्रेड टीचर बनाएंगे, इस बात से सैटिस्फाइड होकर वे चल गये, उनका धरना-प्रदर्शन खतम हो गया। इसलिए यह कोई प्रश्न नहीं था। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धरने की अनुमति की बात है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्रीजी, एक बात बता दें...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आज जो माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं केवल इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि हमने हल्ला किया इसीलिए चार साल के अनुभव के आधार पर हमने यह करवा दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धरने की अनुमति क्यों नहीं दी, यह बता दो आप?

डा. बी. डी. कल्ला : यह बात तो गवर्नमेंट कर चुकी है, इसलिए कोई असंतुष्ट नहीं है। गुजरात में जहां इनकी सरकार है वहां पर मात्र 44 रुपया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्या बात कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य : आप क्या-बात करते हो? पैसा क्यों नहीं बढ़ाते आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धरने की अनुमति क्यों नहीं दी?

डा. बी. डी. कल्ला : अन्य राज्यों में 40 रुपया दे रहे हैं। (व्यवधान) और यहां पर कह रहे हो...(व्यवधान) यह उचित नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या उचित नहीं है, आप तो यह बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, सिर्फ एक सेंटेंस का जवाब मांगा, आपने इतना लम्बा भाषण दे दिया। सीधी-सी बात है, ये पूछ रहे हैं और अगर इन्होंने आपसे कोई धरने की स्वीकृति मांगी, सरकार से स्वीकृति मांगी क्या? मांगी तो इंकार किया क्या? इंकार किया तो क्यों किया?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है, जिला प्रशासन से सम्बन्धित है। चूंकि वो हमसे सैटिस्फाइड हो गये...

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दो ना।

डा. बी. डी. कल्ला : मेरी जानकारी तो यहां...(व्यवधान) मेरी जानकारी के अनुसार...

श्री अमराराम (धोद) : पूरे राजस्थान के पैराटीचर्स यहां पर धरना देने के लिए...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मेरी जानकारी के अनुसार वो हमसे बात करके सैटिस्फाइड हो गये...(व्यवधान) इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपसे पूछा उसका जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि आरक्षण का ध्यान रखा या नहीं रखा शिक्षाकर्मियों के अन्दर? माननीय मंत्रीजी, जवाब तो दे दें, क्या शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ न्याय करना चाह रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हमें न्याय चाहिए। आप जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो दिशा निर्देश चाहे उसका उन्होंने पालन किया। उन्होंने वाकायदा परमिशन धरने के लिए भी चाही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री अमराराम (धोद) : जवाब कुछ नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब उसे सही मानो या गलत मानो, यह आपका काम है, हम क्या कर सकते हैं?

श्री अमराराम (धोद) : आपने कहा कि संतुष्ट होकर चले गये। उपाध्यक्षजी, आप तो इनसे यह कहलवा दीजिए कि क्या उन्होंने जिला कलक्टर को वापस लिखकर दिया है कि हम धरना नहीं देना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। श्री मदन दिलावर।

श्री अमराराम (धोद) : संतुष्ट का मतलब है कि वे लिखकर दे जाएं। आपको लिखकर देकर गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : हां, बोल रहा हूं, सर।

श्री अमराराम (धोद) : क्या यह लिखकर दिया है कि हम धरना नहीं देना चाहते? आपने परमिशन नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। माननीय अमरारामजी, बिराजिए प्लीज। श्री मदन दिलावर।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : आन ए पाइंट आफ इंफोर्मेशन। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि पूरा राजस्थान भयंकर अकाल की स्थिति से गुजर रहा है। पश्चिमी राजस्थान के पांच जिले, वहां के किसानों ने जो मेहनत से गेहूं की फसल बोयी थी, 15 मार्च से बंदी की जा रही है उसकी वजह से कम से कम 400 करोड़ की खड़े गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि राज्य सरकार को आप निर्देशित करें कि पंजाब से, चाहे बी.बी.एम.बी. से, चाहे केन्द्र सरकार से बात करके कम से कम एक बारी पूरी

(श्री रामप्रताप)

सभी किसानों को मिले जिससे कम से कम 300-400 करोड़ रुपये की खड़ी फसल बच सके और वहां का किसान जिसने अपना सारा आउटपुट लगा दिया, वो बच सके।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई, अभी प्रश्न काल में यही बात तो हुई, और क्या हुई?

श्री रामप्रताप : क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : यही तो हुई कि इतनी फसल नष्ट हो गई।

श्री रामप्रताप : आप उनको निर्देशित करें, इससे पश्चिमी राजस्थान के पांच जिले प्रभावित हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो क्वेश्चन आवर में आ गया। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, कल के बाद में छुट्टी हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : फसल नष्ट हो गई, काश्तकार को राहत मिलनी चाहिए, बात हो गई सारी।

श्री रामप्रताप : एक पानी की बारी मिलनी चाहिए।

श्री मदन दिलावर : पानी की बारी मिलनी चाहिए।

श्री रामप्रताप : आप खुद किसान हो, अब आखिरी पानी नहीं मिलेगा तो ईमानदारी की बात है, 20 से 40 प्रतिशत तक की फसल तबाह हो जाएगी। आप किसी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, जब दाना तैयार हो जाएगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। एक मिनट। आपकी प्राब्लम यह है कि आपने पर्ची दी, आयी नहीं, इसलिए आप बोलना चाह रहे हो। यह गलत है। पर्ची आएगी जब बोल लेना।

श्री रामप्रताप : इसको ही मान लो।

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, अंकित नहीं हो।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह नहीं होगा। 115 मैम्बर्स ने पर्ची दी, इसका मतलब यह थोड़े ही है? (व्यवधान) इससे थोड़े ही होता हैं। प्लीज (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आप बोल रहे हो? आप प्लीज।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नाट अलाउ। अंकित न हो।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। अंकित न किया जाए। यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए प्लीज। क्या प्रोब्लम है? यह तरीका नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। कोई तरीका नही हैं। मैं अलाउ नहीं करूंगा। नो, नो।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नाट अलाउ।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, नहीं सारी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हो गई। मान लिया वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मान ली आपकी बात। मान ली।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। माननीय सदस्य, आप बिराजिए प्लीज। आप बिराजिए।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी आपका इतना ही आदर करता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको समझने की कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मान ली बात। मैं सारी बात मान रहा हूं आपकी, But you have to come with... कोई नियम के अन्दर आना पड़ेगा आपको। नहीं, नहीं।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, आप बिराजें।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामप्रताप : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप बोले जाओ भले ही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप बोले जा रहे हो।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए एक मिनट। माननीय डा. रामप्रतापजी, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। मैं आपको निश्चित रूप से अलाउ कर देता अगर आप पर्ची नहीं देते। आपने पर्ची दी, पर्ची नहीं आई, 15 और माननीय सदस्यों की पर्ची नहीं आई। आपको अलाउ करने का मतलब 15 और माननीय सदस्यों को अलाउ करना पड़ता। उनका इतना इम्पोर्टेंट इश्यू होगा जब उन्होंने पर्ची दी है। आप समझिए इस बात को। यदि आप पर्ची नहीं देते तो आई वुड अलाउ यू। लेकिन चूंकि आपने पर्ची दी है, रिजैक्ट हुई है और पर्ची नहीं आयी इसलिए आप बोलना चाहते हैं, आई विल नाट अलाउ।

श्री रामप्रताप : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : I will allow you. मैं मना नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : I will allow you. मैं मना नहीं कर रहा हूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्वयं समझ रहा हूं, काश्तकारों की हित की बात कह रहे हैं, कहां मना कर रहा हूं?

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप जिस तरीके से आ रहे हैं वह ठीक नहीं है। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर।

सांगोद में 11 मार्च, 2003 को निकाले गये जुलूस में लगाये गये आपत्तिजनक नारे

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले का सांगोद नगर मेरे अटरू विधान सभा क्षेत्र का पंचायत समिति मुख्यालय भी है, वहां कल 4 बजे कुछ वहां के मुसलमान बंधुओं ने इकट्ठा होकर एक जुलूस निकालना चाहा। जुलूस निकालने से पहले वहां बाजार में जो दुकानें थीं उन दुकानों के बिजली के तार तोड़े, टेलीफोन के तार तोड़े, ट्यूब लाइट्स फोड़ीं। फिर उन्होंने जुलूस जब निकालना प्रारम्भ किया तो

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया हिन्दुस्तान को, और कहा कि +++ इस हिन्दुस्तान के बारे में अनेक प्रकार के ऐसे अपमानजनक शब्द कहे जिनको यहां मेरे लिए कहना सम्भव नहीं हो रहा है। श्रीमान्, क्योंकि वे अश्लील शब्द थे इसलिए मुझे यहां नहीं कहने चाहिए।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी): आपके पास फोन आया था कि वे ऐसा कर रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? कोई सच्चाई है क्या इसमें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह कोई अच्छी बात लगती है क्योंकि ऐसी बातें कह रहे हैं? ये जिन्दाबाद और मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, यह कोई अच्छी बात थोड़े ही है। यह सब फर्जी बात कर रहे हैं इसलिए यह ऐसे शब्द कहें तो आप अलाउ मत करिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गाजी का थानाजी, जो बोला मुसलमानों ने, वह कह रहे हैं। हमारे शब्द नहीं बोले हैं।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता है। यह भावना भड़काते हैं आप। माननीय सदस्य, यह कोई अच्छी बात थोड़े ही है, यह पवित्र सदन है, आप साम्प्रदायिकता की बात करते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : यह आपको एक ही काम है क्या कि इस राजस्थान में आपसी झगड़े हों या आपसी विवाद हो...(व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : राजस्थान में आप यह चाहते हैं कि गुजरात की तरह यहां हो? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यानी इतना तो समझदारी से काम लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, माननीय सदस्य। आप यहां जो बोलते हैं, यह कोई अच्छी बात थोड़े ही है? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : एक ही काम ले लिया क्या आपने? (व्यवधान) कि हिन्दू मुसलमानों में झगड़ा हो? (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : ऐसी बातें करते हैं, ऐसा कहीं सम्भव ही नहीं हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप हिन्दुओं को मारना चाहते हो क्या? हिन्दुओं को खतम करना चाहते हो क्या आप?

श्री मोहन लाल मोदी : आपने हिन्दुओं को ठेका ले रखा है क्या? आप ही अकेले हिन्दू हो क्या, हम नहीं है क्या हिन्दू? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : लेकिन ऐसी बातें कह कर आप क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : क्या एक यही माहौल बना रखा है, कोई जबरदस्त यों ही माहौल बनाते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जहां बोला गया उनके लिए कहा जा रहा है, आप क्यों भड़क रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : कोई नहीं भड़कता, ऐसे लफ्ज कोई नहीं बोलता जो आप कह रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गद्दारों को पुरस्कार देना चाहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : ऐसे लफ्ज कोई नहीं बोलता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो बात कह रहे हैं इसको और अच्छे ढंग से कहा जा सकता है जिससे कि फालतू उत्तेजना नहीं फैले।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : और अच्छे ढंग से कहा जा सकता है।

श्री मदन दिलावर : मैं उत्तेजना नहीं फैलाना चाहता। मैं किसी को उत्तेजित करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। श्रीमान्, यदि मेरी बात एक परसेंट भी गलत निकल जाए तो मुझे चाहे जो सजा यह सदन दे सकता है। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि 4 बजे हथियार लेकर लोग निकले, और उन्होंने जिस प्रकार का दृश्य पैदा किया उससे पूरे क्षेत्र में एक दहशत का वातावरण है। मैं हो सकता है कि गलत होऊं, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए अपने रामूजी माननीय विधायक बैठे हैं यहां। मैंने कहा आप एस.पी. से बात करो कि यह बात हुई है कि नहीं। एस.पी. से इन्होंने बात की और एस.पी. साहब ने स्वीकार किया। इस बात को कि ऐसी घटना वहां हुई है। मैंने वहां के पत्रकार से सीधी बात करवाई रामूजी कि रामूजी बात करो कि यह घटना हुई कि नहीं। इन्होंने सारी बात की उनसे, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। मेरी बात को स्वीकार करेंगे, इन्होंने जो कहा यह भी बताएंगे कि इनकी वहां क्या क्या बात हुई टेलीफोन से।

श्रीमान् यह कोई बड़ी घटना नहीं है, आज के दो वर्ष पूर्व भी जो वहां का सैकण्डरी स्कूल है उसमें वन्दे मातरम् का गान होता था। वहां के कुछ असामाजिक किस्म के गुंडों ने स्कूल पर हमला कर दिया और वहां के हिन्दू बच्चों के साथ मारपीट की, सिर फोड़ डाला। वहां पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मलारना

(श्री मदन दिलावर)

डूंगर में भी इस प्रकार की घटना होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो इस प्रकार से इस हिन्दुस्तान के लिए अपमाजनक नारे कहे हैं, अपमानजनक शब्द कहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि यहां से निर्देश गये हैं कि जिन्होंने भी ऐसी ऐसी करतूतें की हैं उनको मोहर्रम तक हाथ मत लगाना। क्या मतलब है? मोहर्रम न आये हिन्दुस्तान को जला डाले? मोहर्रम न आये तो हिन्दुस्तान के लिए अपमानजनक बातें करते रहे? एक एक लफ्ज कोई हिन्दुस्तान के लिए गलत कह देता है तो हमारे देश के सैनिक खून वहां देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं और अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मैं दो रोज पहले सांगोद जाकर आया हूं, वहां पर सामाजिक समरसता बिलकुल बनी हुई है, सामाजिक सौहार्द बिलकुल बना हुआ है, सब लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसा माननीय सदस्य जो अटरू से आने वाले हैं, निश्चित रूप से यह सही है कि उनकी कांस्टीट्यूएंसी का पार्ट हैं लेकिन जो विचार इनके हैं वह विचार सांगोद का नहीं है, वहां पर बहुत अच्छा वातावरण है। आप गलतबयानी कर रहे हैं। जो बयान आप कर रहे हैं वह शायद सही नहीं है।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, मैं दो दिन पहले का चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं कल 4 बजे से 7 बजे के बीच की चर्चा कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि वहां का वातावरण बहुत अच्छा रहे, हम मिलजुलकर रहे। एक भारत माता के पुत्र हैं, इस धरती का सब अन्न खाते हैं और भारत माता का आदर हम सब को करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा है, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न, बस खतम हो गई बात।

श्री मदन दिलावर : नहीं, मेरा निवेदन सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, खतम हो गई प्लीज़। श्री यशवंन्त सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : अभी पूरी नहीं हुई, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको शांति रखनी चाहिए। आप यह चाहते हो, वह चाहते हो। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बात को कह चुके आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात से सहमति प्रकट कर दी है। (व्यवधान) वे आये और शांति कायम हुई है, और आप चाहते हो शांति हो गई, फिर क्या बात है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिये आप। श्री यशवन्त सिंहजी।

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खैर, मदनजी हाउस में असत्य बोलते होंगे उसका तो नहीं कह रहा, लेकिन जो इन्होंने अभी बात कही है वह हण्डरेड परसेंट सत्य कही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी पर्ची पर बोलो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का...(व्यवधान) चिकित्सा मंत्रीजी, बाद में कर लेना, अभी सुन लो थोड़ा-सा।

डा. किरोड़ी लाल : ऐसी जगह ध्यान लगा हुआ है जो ध्यान हट नहीं सकता।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बाद में कर लेना ये यह ट्रांसफर की बातें।

डा. बी. डी. कल्ला : यह ट्रांसफर की बात है तो आप देख लो। यह ट्रांसफर की बात है क्या? यह आपके वक्त का मामला है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामूजी क्या कह रहे हैं वह सुनो।

डा. बी. डी. कल्ला : यह राजेन्द्र राठौड़ आकर पढ़ लो। ट्रांसफर का मामला है क्या, आओ देख लो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम कोई दूसरी शंका थोड़े ही व्यक्त कर रहे हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : ये आपके वक्त के डामर घोटाले के कागज हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप ट्रांसफर वाला घोटाला करो, चाहे धंधा करो, पर वह सुनो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, वह आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आपका सब्जैक्ट है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, माना यह सुन्दर है पर उनसे हम भी बदसूरत नहीं हैं, हमारी तरफ भी ध्यान दे लो थोड़ा-सा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कहा?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बोलिये प्लीज।

एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती मरीज की इलाज में लापरवाही से हुई मृत्यु की जांच

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैंने कहा, माना वह सुन्दर है, हम भी बदसूरत नहीं हैं, हमारी तरफ भी ध्यान दे डालो थोड़ा-सा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चिकित्सा मंत्रीजी, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। पहले जो मुद्दा उठाया उसमें आपने कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जिसमें डाक्टरों की लापरवाही के कारण एक औरत की जान चली गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संगीता चतुर्वेदी, उम्र 35 साल निवासी जयपुर 19 नवम्बर, 2002 को जहरीली वस्तु खाने के कारण एस.एम.एस. में पांच बजे एडमिट हुई और पांच बजे एडमिट होने के बावजूद 17 घंटे तक कोई भी सीनियर डाक्टर उनको देखने तक नहीं गया। इसका सबूत, माननीय मंत्रीजी, आप नोट कर लें, जे.पी.ऋषिजी का मोबाइल नम्बर है 9829015133 और माननीय बी.डी. माहेश्वरी का नम्बर है 9829052205, इनके परिजनों ने भर्ती होने के बाद जे.पी. ऋषिजी को 8 बार फोन किया, माननीय बी.डी. माहेश्वरीजी को 4 बार फोन किया कि हमारा पेशेंट सीरियस है। लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, यह एडमिशन और डिस्चार्ज रिपोर्ट है। इसमें पृष्ठ 5 पर बताते है कि उनकी 10 बज कर 15 मिनट पर 20 तारीख को मृत्यु हो गई, और पृष्ठ 6 पर उसका इलाज चल रहा है। पृष्ठ 6 पर उसका इलाज कर रहे हैं। आप चाहे तो मैं टेबल कर दूं। और यह बता रहे हैं साढ़े सात से साढ़े नौ बजे तक, जो फर्जी इन्होंने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी इनके परिजन मिले, उन्होंने इसमें जांच बिठाई। जांच में किसका बिठाया? इनके जूनियर डाक्टर को। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप बताएं कि कोई कम्पाउण्डर को आपकी जांच में बिठा दे तो क्या रिपोर्ट देगा? क्या न्याय करेगा? मेरी सदन के माध्यम से मांग है...

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाह रहा हूं। इन्होंने कह दिया कि डाक्टरों...

श्री उपाध्यक्ष : क्या निवेदन करना चाह रहे हो?

श्री नन्दलाल बंशीवाल :...कि इन्होंने कह दिया कि डाक्टरों की लापरवाही से वह मर गई। मेरा निवेदन है कि दो साल पहले...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप क्यों बैठ गये?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्षजी, मेरी बात सुनिये। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कुंवर नटवर सिंह...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आई विल नाट अलाउ। बैठिये, आप बैठिये। अंकित नहीं हो। आप बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप कह नहीं सकते। माननीय यशवन्त सिंहजी, आप बोलना चाहते हो? आप बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री अरुण सिंह (डीग) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : वो कह रहे हैं। उसमें क्या बात है? आप बिराजें प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो। आप बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये बोल रहे हैं। आप कह रहे हो यही ये कह रहे हैं, इनको कहने दो न। ये कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है। आप बोलिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यशवन्त सिंहजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

(माननीय सदस्य श्री नन्दलाल बंशीवाल द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाओ।

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंहजी, प्लीज। वो बोल रहे हैं न।

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंहजी, प्लीज। ये बोल रहे हैं। यह बात ही ये कह सकते हैं, इसमें क्या तकलीफ है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार महीने हो गये इस

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

बात को। चार महीने पहले इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई मोतीडूंगरी थाने में, चार महीने से लगातार चक्कर खा रहे हैं लेकिन आपका डिपार्टमेंट इनको कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं करा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कान पर हाथ नहीं रखे और इसमें उन डाक्टरों से जांच नहीं कराकर किसी जज से या किसी भी कमेटी से, विधान सभा की कमेटी से जांच कराएं जिससे जो दोषी व्यक्ति हैं उनको कम से कम सजा मिले। आप इस हाउस में आश्वासन दें क्योंकि मेरे साथ घटना हुई है आज से दो साल पहले। मेरे बच्चों को...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : वो ही बात है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आज भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। उपाध्यक्ष महोदय, न तो वह चोर पकड़ा गया, न वह कोई रिपोर्ट आई।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप यह बताइये मुझे। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा भी अंकित मत कराओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठोगे जब वो बोलेंगे न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्रीजी, मेरा जवाब तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह दो न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्रीजी, जवाब दे। मैं यह चाहता हूं कि इसकी जांच इन अधिकारियों से नहीं कराकर दूसरे से जांच कराई जाए। जवाब दो। मंत्रीजी से जवाब दिलाइये, साहब। हर चीज का जवाब दें...(व्यवधान) जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या हो गया? आप बिराजें, एक मिनट।

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्षजी, यह पर्ची से मामला आया है...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इतनी देर से पर्ची से ही आ रहे थे।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं नदबई से आने वाले माननीय सदस्य से पूरी तथ्यों की जानकारी लेकर और इनसे बातचीत करके आगे की कार्यवाही करूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। नहीं बोलने दूंगा मैं। आप यहां आकर बैठे, फिर बुलाओगे देखे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि उनसे जवाब ले लूंगा। मेरा कल प्रश्न लगा था उसमें आपने लिखा है कि श्रीमती संगीता चतुर्वेदी के प्रकरण में गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है। आप यह बताइये कि जूनियर डाक्टर क्या सीनियर्स की जांच करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय यशवन्त सिंहजी, उन्होंने कह दिया कि आपसे बात करके जो भी होगा, उसकी जांच करा दूंगा। फिर बचा क्या? हो गई न बात।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं है क्या? क्या बात करेंगे? आप जांच बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, यह बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप जांच चाहते हो, उन्होंने कह दिया कि मैं करा दूंगा, फिर क्या बात है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे सारे तथ्यों की जानकारी करके कार्यवाही करा देंगे। (व्यवधान) व्हाट इज द प्राब्लम?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

अलवर जिले की दो पंचायतों के गबन के आरोपी सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सरकार बड़ी डींग मारती है कि यह कानून, न्याय, नियम से चलने वाली सरकार है, किन्तु मैं मात्र अभी दो सरपंचों का कहूंगा, वैसे तो आपके सैकड़ों, हजारों प्रकरण हैं घोटाले और गबन के दो सरपंच जिनमें एक थानागाजी पंचायत समिति जिला अलवर का है और एक राजगढ़ पंचायत समिति अलवर जिले का है, विधान सभा में प्रश्न भी लगाया गया है, कांग्रेस की सरकार के समय सरंपच का अविश्वास होने पर नहीं हटाना तथा हाई कोर्ट के फैसले की कोई परवाह नहीं। सरपंच है कमेटी का श्री बंशीराम मीणा, पंचायत समिति रैनी जिला अलवर। अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ 22.3.2002 को। मुख्य

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद्, डी.आर.डी.ए. में पी.डी. हैं, वो स्वयं अधिकारी थे। मतदान की तिथि 17.4.2002, मतदान में भाग लेने वाले 14 पंचों में से 12 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में सिर्फ दो मत गिरे। हाई कोर्ट द्वारा परिणाम पर 15.4.2002 को स्थगन किया गया और उसके बाद हाई होर्ट द्वारा 30.5.2002 को परिणाम घोषत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित, न्यायमूर्ति श्री करणी सिंह राठौड़ के द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में फैसला। उसके बाद में डबल बैंच को 31.10.2002 को दुबारा से अपील की स्थिति में सरपंच के खिलाफ हाई कोर्ट ने मान्य कर दिया। इस प्रकार से हाई कोर्ट के बाद भी अब तक उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को किस प्रकार से दबाया गया है, मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज ने अविश्वासी सरपंच का हाई कोर्ट से अविश्वास का फैसला होने के बाद नवम्बर, 2002 में फाइल दफ्तर दाखिल करने के आदेश पारित कर दिये तथा सरपंच बंशीराम की कुर्सी कायम रखी है। यह कांग्रेस सरकार की मनमानी प्रतीत होती है और हाई कोर्ट की अवमानना है। इसके सम्बन्ध में प्रकरण है, जो इनके गबन-घोटाले की और हाई कोर्ट की प्रतिलिपि है।

दूसरा सरपंच है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पंचायत समिति थानागाजी का वहां के गबन घोटालों के सम्बन्ध में वहां की जनता को, बेवा को लूटा गया है। बेवा धापा पत्नी काना बलाई, ढाणा निर्माण के लिए 22.5 प्रतिशत की राशि मंजूर हुई, जो ढाणा नहीं बनाया गया और राशि हड़प ली गई। सरिया पत्नी भंवरा मीणा, ढाणा निर्माण के लिए 22.5 प्रतिशत की राशि मंजूर हुई, ढाणा निर्माण नहीं हुआ, राशि का गबन कर लिया गया। लाडा बेवा कजोड़ मीणा, यह भी इसी प्रकार के ढाणा नहीं बना राशि मंजूर हो गई, सरपंच ने चैक उठा लिया लेकिन ढाणा नहीं बना। रतन पत्नी चैना बलाई, ढाणा निर्माण के लिए उसी प्रकार से राशि मंजूर हुई। इस प्रकार से मातृत्व लाभ जो मिलता है, उसको गबन कर गये सरपंच साहब उठाकर। इसी प्रकार से एस.सी. एस.टी. का, बी.पी.एल. का लाभ है, जो गेहूं है वह उठा लिया गया। सरोज पत्नी हरिसिंह को मातृत्व लाभ नहीं मिला, 500 रुपये उठा लिये गये लेकिन उन बेवा को नहीं मिले।

राजीव गांधी पाठशालाएं, शिक्षा मंत्रीजी बहुत चिल्लाते हैं, सुनिये, राजीव गांधी पाठशालाओं के कर्म और कुकर्म, राजीव गांधी पाठशाला भवन के लिए टी.एफ.सी. में 2.13 लाख मंजूर हुए थे जिसमें से एक लाख रुपये सरपंच ग्राम पंचायत आगर को मिले, उसमें से 39,115 रुपये का

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

फर्जी बिल, वाउचर लगाकर रोकड़ में भर लिया। मौके पर न तो कोई निर्माण किया गया और न कोई सामान लाया गया। यह राजीव गांधी पाठशालाओं की दुर्गति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खटीक देवता से श्मशान होते हुए हनुमान नाले की ओर 1.45 लाख रुपये एम.पी. कोटे से मंजूर हुए और 1.08 लाख रुपये सरपंच ने उठा लिये, कोई निर्माण नहीं हुआ। सेवा का गुवाड़ा रोड दुरुस्ती के बहाने 2880 रुपये निजी आय से फर्जी वाउचर लगाकर रोकड़ भर ली, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस प्रकार से लगभग 10 घटनाएं हैं, मैं संक्षेप में, बहुत कम समय में बताना चाहता हूं। प्रार्थियों ने जो एस.सी. एस.टी. के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, कलक्टर को कहा, पी.डी. को कहा, वहां एस.डी.ओ. को कहा, वहां बी.डी.ओ. को कहा, मुख्य मंत्री को लिखा, मंत्रियों को लिखा। और इतना ही नहीं, अंत का मैं पैरेग्राफ पढ़कर सुनाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् उपरोक्त स्थिति में फर्जी बिल, वाउचर लगाकर रोकड़ भर्ती भर ली गई, राशि हड़प कर गबन कर लिया गया। श्रीमान्जी तारीख 10.12.2002 को पी.डी. साहब, जो अलवर के पी.डी. हैं, बाबूलाल सरपंच से पूछा कि भाई, तू फर्जी बिल, वाउचर लगाकर रोकड़ क्यों भर ली और मौके पर निर्माण क्यों नहीं करवाया। तब बाबूलाल सरपंच बोला, साहब, मैं बैंक से रुपये निकलवाकर लाया था और उन रुपयों को सारी जनता के सामने, गांव में उसने कहा पंचायत केन्द्र पर कि उन रुपयों को मैंने खर्च में काम में ले लिया इसलिए मैं निर्माण नहीं करवा सका। बीच में आडिट आ गई तो आडिट करवाने के लिए रोकड़ को लेकर थानागाजी पंचायत समिति चला गया। जब आडिट वाले बोले, कि तुम्हारे खिलाफ रिकवरी निकलेगी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा, यह तो हो गया ना बहुत। बहुत गड़बड़ हो गई, आप चाहते क्या हैं, वह बोलो ना आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दो पंक्तियां हैं। ये पी.डी. साहब हैं, जनता के सामने बयान लिये, लगभग 15 लाख रुपये का घोटाला एस.सी., एस.टी. और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुआ। न पी.डी. कार्यवाही कर रहे हैं, न कलक्टर साहब कार्यवाही कर रहे हैं और यह सरकार भी कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों सरपंच कांग्रेस के हैं और कांग्रेस वालों को धपाधप लूट करने की आदत है। अंतकाल पछताएगी जब सरकार जाएगी छूट, लूट सके तो लूट। आप इसकी जांच करवाइये और उस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करें, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पर्ची के माध्यम से आपको यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी ने नोट किया है।

श्री मदन दिलावर : माननीय शिवनारायणजी बिराजे हुए हैं, इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : उनको जानकारी देनी चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, माननीय सदस्य हैं इस सदन के।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव

राज्य के विभिन्न विभागों/निगमों में गत अनेक वर्षों से हो रही डिप्लोमाधारी इंजीनियरों की अनियमित नियुक्तियां

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत आयोजना मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्मिक (क–2), अंकेक्षण प्रकोष्ठ विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1)का./क–2/अप्रं/90 दिनांक 15.7.1991 के अनुसार एवं कार्मिक (क–2) अं.प्र. विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 25.8.1998 के अनुसार "राज्य अधीनस्थ सेवा के पद जिनके लिए तकनीकी योग्यता अभियांत्रिकी डिग्री/डिप्लोमाधारी है, पर तदर्थ/आवश्यक/अस्थाई नियुक्तियां केवल आयोजना (जनशक्ति एवं गजेटियर्स) विभाग द्वारा तैयार की गई मैरिट सूची में से ही की जावेगी। रोस्टर में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जनशक्ति विभाग से प्राप्त उक्त प्रणाली के अनुसार/आवश्यक अस्थाई नियुक्तियां की जा सकेगी। अभियांत्रिकी की नियमित नियुक्तियां करने हेतु सम्बन्धित विभाग/बोर्ड/निगम आदि द्वारा नोटिस बोर्डों/दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार–पत्र आदि में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के साथ-साथ आयोजना (जनशक्ति एवं गजेटियर्स) विभाग से 1:5 के अनुपात में मैरिट सूची के नाम अनिवार्य रूप से मंगवाये जाएंगे। मैरिट सूची में इस हेतु कोई भी नाम उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोजना (जनशक्ति एवं गजेटियर्स) विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग/निगम/बोर्ड को तद्नुसार सूचित किया जाएगा, इसके पश्चात् ही सम्बन्धित विभाग/निगम/बोर्ड सूचना पट्ट, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार–पत्रों आदि में विज्ञापन के आधार पर उपलब्ध नामों में से

(श्री बनबारी लाल बैरवा)

नियमानुसार नियुक्ति कर सकेंगे।

वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक जनशक्ति एवं गजेटियर्स निदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार अभियांत्रिकी की मैरिट सूची के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा 2148 डिग्री/डिप्लोमा अभियांत्रिकी को नियुक्ति प्रदान की गई। विभागवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इसी अवधि के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग से बिना सूची प्राप्त किये 1070 डिग्री/डिप्लोमा अभियांत्रिकी की सीधी भर्ती की गई तथा 775 अभियांत्रिकी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई। विभागवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा किये बिना भर्ती के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा 90 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई जिसका मुख्य कारण विभागों द्वारा यह बताया गया कि उन्हें अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की आवश्यकता थी जबकि आयोजना (जनशक्ति) विभाग द्वारा उपलब्ध सूची में ऐसे अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं। केमिकल अभियांत्रिकी शाखा में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग में से नियुक्ति दी गई।

राजस्थान के मूल निवासी बेरोजगार अभियांत्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों को रोजगार में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से फरवरी, 1968 में यह निर्णय लिया गया था कि जनशक्ति विभाग में से ऐसे सभी राजस्थान के मूल निवासी अभियांत्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों की सूची रखी जाए। जिससे उनके बारे में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध रहे। यह निर्णय भी लिया गया था कि समस्त विभागाध्यक्षों को ऐसे निर्देश जारी किये जावें कि अभियांत्रिकी के समस्त तदर्थ एवं अस्थाई पद जनशक्ति विभाग में संधारित रोस्टर में पंजीकृत व्यक्तियों से ही भरे जा सके। तभी से यह व्यवस्था जनशक्ति विभाग द्वारा कायम रखी गई है।

कालान्तर में एवं खास तौर से गत कुछ वर्षों में अभियांत्रिकी की सरकारी नियुक्तियों की संख्या में कमी आई है। अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन एवं निजी क्षेत्र के विस्तार के कारण निजी क्षेत्र में अभियांत्रिकों के नियोजन के अवसर बढ़े हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्ति का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 एवं राज्य सरकार द्वारा नये पदों के सृजन पर प्रतिबंध होना इस स्थिति का मूल कारण रहा है। फलस्वरूप 2000-2001 में विभागों द्वारा तदर्थ/अस्थाई नियुक्ति हेतु जनशक्ति विभाग से सूची नहीं मांगी गई है। विभाग में संकलित

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

आंकड़ों से विदित होता है कि जहां 1996-97 में 863, 1997-98 में 631 तथा 1998-99 में 87 डिग्री व डिप्लोमाधारी अभियांत्रिकों इस व्यवस्था के तहत तदर्थ/ अस्थाई नियुक्ति दी गई थी, वहां 1999-2000 में शून्य, 2000-2001 में 9 एवं 2001-2002 में शून्य डिग्री एवं डिप्लोमाधारियों अभियांत्रिकी को तदर्थ एवं अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई।

(13.00 बजे)

वर्ष 2002-2003 में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर से पत्र प्राप्त होने पर 2852 बेरोजगार अभियांत्रिकी स्नातकों व डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के नाम भिजवाये गये जिसके विरुद्ध 105 अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। दूसरे शब्दों में 1960 व 70 के दशकों में अभियांत्रिकों की बेरोजगारी की अवस्था में परिवर्तन आने के फलस्वरूप व नियोजन के अन्य अवसर उपलब्ध होने के फलस्वरूप इस व्यवस्था का औचित्य नगण्य रह गया है। संदर्भित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना वांछनीय है। राजस्थान विधान सभा सचिवालय से आयोजना जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग से सम्बन्धित जो विधान सभी प्रश्न प्राप्त होते हैं उनका जवाब विभागों से प्राप्त होने पर तुरन्त विधान सभा सचिवालय को भिजवा दिया जाता है। जनशक्ति विभाग में वर्तमान में आदिनांक तक केवल एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 जो दिनांक 27.2.2003 को प्राप्त हुआ उसका जवाब भिजवाया जाना लम्बित है। जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग द्वारा सभी वर्गों के लिए मैरिट सूची का सही रूप से निर्धारण किया जाता है। जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग के कम्प्यूटर पर मैरिट सूची, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित सूचना हमेशा संकलित रहती है। अतः विभागों से मांग पत्र प्राप्त होने पर मांग पत्र की दिनांक के आधार पर मानकर मैरिट सूची संधारित करके तुरन्त भिजवाई जाती है। अभियांत्रिकों द्वारा भी मैरिट के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर उन्हें मैरिट की जानकारी करवा दी जाती है। इसके अतिरिक्त निगमों, बोर्डों आदि में एडहाक आवश्यक अस्थाई पदों पर नियम विरुद्ध की गई अवैध नियुक्तियों को रोकने से असमर्थता के सम्बन्ध में निवेदन है कि विभिन्न विभाग, विभिन्न निगम, बोर्ड इत्यादि का नियंत्रण उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही की जाती है। अतः इस तरह की नियुक्ति की कार्यवाही को रोकने में जनशक्ति विभाग की असमर्थता जैसी कोई बात प्रतीत नहीं होती है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-11 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने तीन पृष्ठ का जवाब दिया है, इन तीनों पृष्ठों का गम्भीरता से अगर आप अवलोकन करें तो इनके सवालों के विरोधाभास अपने आप ही सारे सामने दिखते हैं। मंत्रीजी, आपने सही कहा है कि सन् 1968 के अन्दर राजस्थान के जो बेरोजगार इंजीनियर्स थे उनके लिए पहली बार यह सोचा गया कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म ईजाद किया जाए ताकि बेरोजगार इंजीनियर्स को प्राथमिकता से नौकरी मिल जाए। राजस्थान की सरकार ने उस वक्त जनशक्ति गजेटियर्स के नाम से आयोजना विभाग के अन्तर्गत एक विभाग बनाया। आपने जिन सर्कुलर्स का उल्लेख किया है, उपाध्यक्ष महोदय, एक 15.7.1991 और एक 25.8.1998 इन दोनों सर्कुलर्स में, मंत्री महोदय, मुझे बताएं, क्या यह साफ नहीं था कि राजस्थान की टैक्निकल सबोर्डिनेट सर्विस में जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनके नामों की मैरिट सूची आप इस विभाग से मंगाएंगे तभी राज्य में जो विभाग नियुक्ति करना चाहते हैं एडहाक पर, टैम्परेरी पर, आपके द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार वे उनमें से ही सलैक्ट करेंगे? फिर क्या कारण रहा, आप खुद अपने उत्तर में कह रहे हो कि 1070 ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी सूची आपके आयोजना विभाग से गयी, जनशक्ति विभाग से नहीं मंगाकर सीधे ही विभागों ने उनको नियुक्ति दे दी? उपाध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है, यह सरकार पर सीधा–सीधा आरोप है कि जो इन्होंने खुद नियम बनाये, खुद कायदे बनाये, उन कायदों से अलग हटकर सरकार में बैठे लोगों ने अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक–दो नहीं, 1070 उन लोगों को नियुक्ति दे दी जो जनशक्ति गजेटियर्स विभाग में मैरिट की सूची में नहीं आते थे। वह व्यक्ति जो इन पर विश्वास करता था, जो रजिस्ट्रेशन की फीस देता है, मैं वह लेकर आया हूं, प्रति वर्ष रजिस्ट्रेशन कराता है, फीस देता है, रिनुअल कराता है, वह टुकुर–टुकुर देखता रहा। आप जरा खुद देख लें, उसमें आपने लिखा है कि राज्य अधीनस्थ सेवा के पद के लिए जिनके लिए तकनीकी योग्यता अभियांत्रिकी डिग्री/डिप्लोमाधारी है, पर तदर्थ आवश्यक अस्थाई नियुक्ति केवल, उप मुख्य मंत्रीजी, शब्दों को देखो आप, केवल जनशक्ति गजेटियर्स विभाग द्वारा तैयार की गई मैरिट सूची में से की जाएगी। यह तय हो गया, सरकार ने फैसला कर लिया और फिर आप ही कह रहे हैं कि 2000–2001 से विभाग द्वारा तदर्थ अस्थाई नियुक्ति हेतु जनशक्ति विभाग से सूची नहीं मांगी गई, यह क्या हो रहा है? और उसके बाद आप ही कह रहे हैं कि 1070 लोगों को ऐसों को नियुक्ति दे दी गयी जिनके पंजीयन नहीं थे जनशक्ति गजेटियर्स विभाग में। मैं, मंत्रीजी, आपसे कहना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा, यह मामला पहली बार सदन में नहीं आया। आप कह रहे हो कि इसमें हम कुछ कह सकें, ऐसा नियंत्रण हमारा नहीं है। आपने इस सदन के अन्दर क्या कहा है 25 मार्च, 2001 को? आपने कहा कि गत पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा जनशक्ति विभाग से नियुक्ति सम्बन्धी कोई भी मांग पत्र नहीं भिजवाया गया तथा ना ही जनशक्ति विभाग द्वारा किसी भी विभाग को कोई मैरिट लिस्ट भिजवाई गयी। राज्य सरकार एवं कार्मिक विभाग में विभिन्न विभागों, निगमों आदि में कथित डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स के नियम विरुद्ध नियुक्ति के सम्बन्ध में जनशक्ति और गजेटियर्स विभाग को वैधानिक अधिकार विभिन्न सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रदान नहीं किये गये है, ऐसी अवस्था में कार्मिक विभाग के समय-समय पर जारी आदेश की क्रियान्वित, अनुपालना करने के लिए जनशक्ति विभाग अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। यह आपका उत्तर है इसके साथ, आपके पास अगर नहीं हो तो आप ले लें। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप असमर्थ हो, कार्मिक विभाग सर्कुलर जारी करता है और मंत्री महोदय, आप बताएंगे, फिर जब आपने सीधे नाम मंगाने चालू कर दिये, सीधे किसी ने एप्लीकेशन दी, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, सीधे ही...

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर है तभी बोलने दे रहा हूं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछले दरवाजे से जिनको आपने चाहा उनको नियुक्ति दे दी। और वह व्यक्ति जिसने वहां रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिसको विश्वास है कि सरकार के नियम बना दिये, सरकार ने कायदे बना दिये और उन नियमों और कायदों के अनुसार मैरिट सूची के अन्दर उसका नाम है तो मैरिट सूची से अपने आप नाम जाएगा विभाग में और वहां अगर उसकी पात्रता आएगी तो जितनी वेकेंसीज हैं उसके हिसाब से कर देंगे। आपने जितना कुछ कहा, उसमें 99 इंजीनियर्स को तो आपने जस्टिफाई कर दिया कि 99 व्यक्ति तो ऐसे विभाग में गये, जहां उनको एक्सपीरिएंस्ड एंस्ड इंजीनियर्स चाहिए थे। इसलिए 99 आदमी तो जस्टिफाइड हो गये, बाकी 1070 व्यक्तियों को नियुक्ति कैसे दे दी, क्यों दे दी? क्या यह सही है कि आपके खुद के सर्कुलर्स की सरेआम अवहेलना हुई है? अवहेलना के साथ ही आप यह महसूस करते हैं, और आपने उत्तर में भी कहा है कि विभिन्न निकायों को और विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण दूसरे लोगों के पास है। फिर यह ढकोसला क्यों बन्द नहीं करते हैं? भविष्य में आपकी क्या योजना है, यह बताएं और 1070 जो आपने अवैधानिक रूप से नियुक्ति दे दी, क्या आप उनकी जांच कराओगे या नहीं कराओगे, इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि जो रजिस्ट्री होती है उसमें फीस ली जाती है, फार्म पर फीस ली जाती है। यह सही नहीं है। न तो फार्म पर हम फीस लेते हैं, न रजिस्ट्रेशन की फीस लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 68 के अन्दर जो व्यवस्था दी गई थी, व्यवस्था यह थी कि राजस्थान के निवासी इंजीनियर्स के साथ में कहीं कोई अन्याय न हो, उनको न्याय मिले समुचित रूप से और नौकरियों के अवसर उनको मिल सके। जो तदर्थ अपाइंटमेंट है, अस्थाई अपाइंटमेंट है, वह इसलिए किया गया था कि चूंकि स्थाई नौकरियों के लिए एक टाइम लगता है। उसका विज्ञापन निकलता है, फिर फार्म जाते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद में कोई इंटरव्यू होता है या कोई टैस्ट होता है, उसके बाद रिजल्ट निकलता है। तब तक जो सम्बन्धित विभाग है उसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की क्षति होती है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो तो सही है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात सुन लें। मेरी बात सुन लें, मैं वहीं आ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, एक मिनट, मंत्रीजी। मैं सदन में, एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : राठौड़ साहब, एक मिनट, आप बिराजें, बिराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात सुन लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं सदन में वह रसीद प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें इन इंजीनियर्स का रजिस्ट्रेशन जनशक्ति गजेटियर्स विभाग में हुआ है। अगर आप अनुमति दें तो मैं टेबल करना चाहता हूं। मेरा सवाल सीधा-सा एक ही है पाइंटेड यह मेरे को मालूम है तदर्थ, अस्थाई, टेम्परेरी, सब मालूम है...

श्री बनवारी लाल बैरवा : हां, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1070 लोगों को, इंजीनियर्स को बिना आपने नाम मंगाये मैरिट सूची के नियुक्ति कैसे दे दी? इन लोगों का जो बार-बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यह देखिये, आपको मालूम नहीं है तो देखिये, यह देखिये, आप खुद अवलोकन करें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट आप बिराजें। एक मिनट। इनका सीधा-सा सवाल है कि आपने 1070 व्यक्तियों को जो नियुक्ति दी है क्या वह विदिन रूल्स दी है कि नहीं दी है, यह बता दीजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमसे तो नाम मांगे जाते हैं, जिस विभाग को आवश्यकता होती है, हम नाम प्रेषित कर देते हैं उनको। उनके ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या उसके अन्दर नार्म्स रखे हैं, किस तरीके से नियुक्ति देंगे। हम तो वह जो लिस्ट हमारे पास है उसमें से उनकी मैरिट के हिसाब से नाम भेज देते हैं उनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पालना कहां हुई?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात सुन लें, मेरा जवाब तो सुन लें ना आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सैंक्टिटी क्या रही रजिस्ट्रेशन की?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसके बाद फिर आप प्रश्न कर लें, मेरा जवाब तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : सैटिस्फाइड नहीं हो तो सवाल कर लेना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : 1070 का जहां तक सवाल है, वह जिन विभागों ने नियुक्तियां दी हैं उनके अन्दर उन्होंने उन इंजीनियरों को लेने के लिए अनुभव की शर्त रखी है। हमारे यहां पर जो भी पंजीकृत हैं उनके पास अनुभव नहीं है, वो तो सीधे आकर हमारे यहां पर पंजीकृत हो जाते हैं। लिहाजा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आरोप लगा रहा हूं, उप मुख्य मंत्रीजी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने या तो उत्तर पढ़ा नहीं। मैं आपका उत्तर जो आपने सदन में रखा वो पढ़ कर सुना रहा हूं। यह है, सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको सुन लो न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 90 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी जिसका मुख्य कारण विभागों द्वारा उनके अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की आवश्यकता थी। यह सिर्फ 90 की बात है और ये 1070 भर्ती कर लिये। उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री स्तर का व्यक्ति...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मेरे को तकलीफ है। मैं आपका प्रोटेक्शन चाह रहा हूं। आप चाहे तो मुलाहिमा फर्मा लें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो सीधी भर्ती थी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

जिसके अन्दर उनके अनुभव के तौर पर विज्ञापन किये थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सिर्फ 90 लोगों के लिए अनुभव कहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 90 लोगों के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने खुद ने कहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और रजिस्ट्रेशन की सैंक्टिटी नहीं रखी। अपने नियमों को ही तोड़ रही है यह सरकार और आप बार-बार उसको घुमा-फिरा कर बता रहे हो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं-नहीं कोई नियम नहीं तोड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिश्वत लेकर किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप स्पेसिफिक जवाब दीजिये। उप मुख्य मंत्री भी हैं, आप तो बहुत योग्य व्यक्तियों में माने गये हैं इसलिए उप मुख्य मंत्री बनाये गये हैं, सिर्फ मंत्री नहीं हैं आप कैबनेट मंत्री।

श्री बनवारी लाल बैरवा : 1070 का तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि उनका अनुभव उनको चाहिए था, डाइरेक्ट उन्होंने मांगे थे नाम लिहाजा वो अपाइंटमेंट इसलिए हो गये। अब आपने कहा है...

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, इसमें 1070 लोगों को पैसा खाकर दे दी गयी, मांगा गया नहीं था।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसमें आपने 90 के लिए लिखा है 1070 की पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं और घुमा-फिरा कर कह रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : 1070 हमने अपाइंटमेंट नहीं दिये, वो विभिन्न विभागों ने दिये हैं। हमसे जब नाम मांगते हैं तो हम तो नाम प्रेषित करते हैं उनको। अब आप सुन लें।

श्री धर्मपाल चौधरी : सरकार ने दिये हैं न। इसमें भी जांच कराएंगे क्या?

श्री बनवारी लाल बैरवा : काहे की?

श्री धर्मपाल चौधरी : इसमें जो 1070 को दिया है उन्होंने।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसमें तो जांच की जरूरत ही नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके यहां पर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन था... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 90 लोग अनुभव वाले चाहिए थे, 1070 भर्ती हुए। इसमें आपने सीधा घोटाला किया।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने निवेदन यह किया है कि हम वो नाम

(श्री बनबारी लाल बैरवा)

भेजते हैं जो हमारे पास में पंजीकृत हैं। उसके अन्दर उनका अनुभव नहीं होता वो तो डाइरेक्ट हमारे पास आकर पंजीकृत हो जाते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसमें टेबल के नीचे हाथ जाने की बात आती है सीधी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : और जिनको अनुभव की आवश्यकता होती है वो अपने विज्ञापन देते हैं और फिर डाइरेक्ट भर्ती कर लेते हैं उनको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, शक की सुई सीधी आप पर है। शक की सुई इसमें जो घोटाला हुआ है, जो सैटिंग हुई है...

श्री बरवारी लाल बैरवा : मैंने बता दिया, 1070 तो डाइरेक्ट उस तरीके से लिये और 775 लिये उन्होंने पी.एस.सी. के माध्यम से, तो उसके अन्दर हम बीच में नहीं आ रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, इसमें जो सैटिंग हुई है, टेबल के नीचे हाथ गया है उसके बारे में बताएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमसे नाम मांगे जाते हैं वो नाम हम प्रेषित कर देते हैं उनको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 1070 लोग ले लिये और 90 लोग अनुभव के चाहिए थे। सिवाय घुमाने के और कुछ नहीं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं–नहीं, कोई घुमा नहीं रहा हूं। आप देखिये...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह टेबल के नीचे हाथ किसका गया है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप सुन लो, साहब राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण इसने 6 नियुक्तियां दीं। आप सुन लीजिये, साहब। इसमें इन्होंने जो बात लिखी थी, प्रतिनियुक्ति, इन्होंने अनुभव के आधार पर चयन करने की बात कही थी कि उनको अनुभव होना चाहिए। इसी तरह राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम इनकी भी यही शर्त थी कि अनुभव आवश्यक...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उप मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको टोक रहा हूं। आप जो सूची दे रहे हो वो गलत दे रहे हो, या तो आप इस्तीफा रख देना सदन में, वरना मैं अब लिख कर देता हूं। यह अनुभव वाला मामला नहीं है। आपको इधर बैठे लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं सदन में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 1070 लोगों में 90 लोगों के अलावा अगर अनुभव के आधार पर आपने नाम मंगाये हों तो, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। हां, हो जाए फैसला अभी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास डेफीनिट जानकारी है कि जो हमसे नाम मांगे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये बातें नहीं। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं लिख कर देता हूं। मैं लिख कर देता हूं इस्तीफा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : ऐसा बिलकुल नहीं है, हमारे पास जो नाम हैं, जो सूचना है सही सूचना है और सही सूचना ही मैं सदन को उपलब्ध करा रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अधिकारियों ने गलत सूची आपको दे दी है और गलत इन्फोर्म आप कर रहे हैं। आप सदन को मिसगाइड कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह सही सूचना है। अगर मान लीजिये आप यह महसूस करते हैं कि गलत सूचना है तो वो जो विभाग है जिसके अन्दर अपाइंटमेंट हुए हैं, मैं उनके जो सम्बन्धित मंत्री हैं उनको निवेदन कर दूंगा उसमें कि... (व्यवधान) आप दिखवा लो उसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप जांच की घोषणा कर दो न, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब, ठहरो। राठौड़ साहब, एक मिनट ठहरो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राठौड़ साहब, ठहरो, पण्डितजी पूछ रहे हैं। राठौड़ साहब, ठहरो। पण्डितजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्य मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : क्यों, साहब, ये सब बोल रहे हैं, मुझे ही यह ऐसे कर देते हो। मैं एक छोटी–सी बात पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्य मंत्रीजी खड़े हैं। माननीय सदस्य, उप मुख्य मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया :...कि मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमारे पास जो जानकारी थी उस हिसाब से हम जवाब दे रहे हैं। आपके पास तो जितनी भी जानकारी है सब गलत है। आपको ये लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको असलियत पर आना चाहिए। यह बताइये आप कि 1070 को जिनको आपने दिया है, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से उनकी सूची आयी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं आयी। यही बात है, मर्म यही है। यस–यस।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं? ये भी यही पूछ रहे हैं। बिराजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : बस, इतनी–सी बात का जवाब दे दो तो मेरा संशय समाप्त हो जाए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : जो 1070 की भर्ती हुई है वो सीधी भर्ती हुई है और विज्ञापन के माध्यम से हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह कहो न आप। अब आये न सही रास्ते।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं ना बोल दूं क्या बिना वजह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी बात सुनो। मेरा एतराज इसका है कि आपने जिन सर्कुलरों का हवाला दिया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन सर्कुलरों की क्या अवहेलना हुई कि नहीं हुई? दोनों सर्कुलर आपने पढ़ कर सुनाये 1.7.1991 और 25.8.1998, इन दोनों सर्कुलरों में आपने यह बाइंडिंग लगायी थी कि बिना जनशक्ति अभियांत्रिकी के नाम सीधे नहीं जाएंगे। उन्हीं से लिस्ट आएगी, उसमें से ही आप सलैक्ट करोगे। यह सीधी भर्ती अगर कर ली तो आपके द्वारा दिये गये परिपत्रों की सीधी-सीधी अवहेलना है और इसमें टोटल भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। सही बात यह है कि जो हमारे पास पंजीकृत हैं वे फ्रैश इंजीनियर हैं, वो डिप्लोमाधारी फ्रैश डिप्लोमाधारी हैं। और जिनको सीधी भर्ती के लिए आमंत्रित करते हैं उनको अनुभव की आवश्यकता होती है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन यह नहीं है, मंत्रीजी। आर्डर-आर्डर क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन यह है कि मैन पावर में रजिस्टर्ड थे कि नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं थे तो भर्ती कैसे हुए, यह बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बस यह बता दो, बात खतम हुई।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। ऐसा है, हमारे पास तो वो रजिस्टर्ड हो नहीं सकते। जिनके पास अनुभव है वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, ये यह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के आर्डर हैं कि मैन पावर के बगैर भर्ती नहीं होगी विदाउट रजिस्ट्रेशन, आप कह रहे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन लोगों की भर्ती हुई है। तो क्यों हुई, किस कारण हुई, यह बता दो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था है।

श्री धर्मपाल चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न हो गया, साहब।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप सुन लो, साहब कि जब कभी कोई विज्ञापन करता है, प्राइवेट भी करे, सरकार भी करे, वो विभाग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन नहीं दे सकते।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) विज्ञापन नहीं दे सकते।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सुन लो, साहब, आप। जिनको अनुभव है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरी बात सुनो, विज्ञापन नहीं दे सकते। आपके सर्कुलर को पढ़ कर आप सदन में सुना दो, हम संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे। 1998 और 1991 के जिस सर्कुलर का हवाला आपने खुद अपने जवाब में दिया वो पढ़ कर आप तसल्ली से सुना दो, हम बाहर चले जाएंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसके अन्दर हमसे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, उप मुख्य मंत्रीजी, मेरी बात सुनिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वन टू फाइव हमसे मांगते हैं जो हम भी भेजते हैं उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो वन टू फाइव स्थायी का मामला है। देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, इन्होंने न तो तैयारी की और न ही इनका अधिकारियों पर नियंत्रण है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने पूरी तैयारी की है। मैं पूरी तैयारी से, पूरी व्यवस्था के साथ बैठा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नम्बर-1 बात, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। एक और पांच अनुभव में जहां स्थायी नियुक्ति का मामला होता है वहां आप नाम मंगाते हैं और जहां तदर्थ और अस्थायी नियुक्ति है वहां सरकार ने अपने खुद के परिपत्र से एक तरह से रैस्ट्रिक्शन लगा दिया था। बिना उनके जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो वर्षों से लाइन में हैं। 1968 में इस विभाग की स्थापना भी इसलिए की गयी थी कि राजस्थान के अनएम्प्लायड इंजीनियरों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले काम करने का। उनमें 1070 लोगों की नियुक्ति जो दे दी अलग अलग विभागों ने, उनमें जांच करवाने की आप में हिम्मत है क्या? आप जांच करवाएंगे कि क्यों दे दी? आपके खुद के सर्कुलर की अवहेलना हुई, आपको कहना चाहिए। इसी सदन में कहा कि हमारे बस की बात नहीं है। खड़े होकर कह दो कि बस की बात नहीं है, छुट्टी हुई।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, नहीं, बस की बात वाली बात बिलकुल नहीं है। दो बात हो गयीं, एक तो वो जो पंजीकृत हमारे यहां होते हैं वो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, उनके पास में अनुभव नहीं होता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अफसर गलत बता देते हैं आपको।

श्री बनवारी लाल बैरवा : और जिन लोगों को स्थायी अपाइंटमेंट के लिए होता है तो सीधा विज्ञापन देते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये पर्चियां गलत आ रही हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उप मुख्य मंत्रीजी, इसमें इतना–सा ही है कि जो सर्कुलर सरकार ने जारी किये थे उनकी अवहेलना हुई है कि नहीं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, उसमें अवहेलना नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि जो हमारे पास हमसे मांगते हैं तो वो हम फ्रैश के लिए भेजते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं। मैं आपकी आज्ञा से आप कहेंगे तो। बैठ जाऊंगा पर आप इनको प्रताड़ित करो कि तैयारी करके आएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, तैयारी है पूरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को यह अनुमति दे दें कि मेरे पास जो पत्रादि हैं जिन पत्रादि से यह सिद्ध होता है कि इनका कोई कंट्रोल नहीं है इनके परिपत्रों की अवहेलना हुई है...

श्री बनवारी लाल बैरवा : बिलकुल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1070 लोगों की नियुक्ति अवैधानिक रूप से हुई है, वो मैं टेबल कर दूं और आप जांच बैठा दें, अगर जांच के अन्दर हिम्मत हो तो, इसमें दिक्कत क्या है? जांच करवा लो न।

श्री बनवारी लाल बैरवा : जांच किस बात की चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह दो न कि जांच करवाऊंगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : किस बात की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1070 लोगों की गलत नियुक्ति आपके शासन में हुई है।

डा. किरोड़ी लाल : इस बात की जांच, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, इस बात की जांच...

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह गलत नहीं है, मैंने आपसे निवेदन किया न। 1070 की जो नियुक्ति हुई है उनके अन्दर उन्होंने अनुभव की डिमाण्ड की थी। अनुभव वाले हमारे पास नहीं हैं।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो इस बात की जांच करवा दो कि जो सर्कुलर थे उनकी अवहेलना हुई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सीधा–सा है।

डा. किरोड़ी लाल : आपने अभी माना है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमारे सर्कुलरों की अवहेलना नहीं हुई है, आप अगर यह ठीक समझते हैं...

डा. किरोड़ी लाल : आपने अभी माना है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप उत्तर देख लो, 1070 की लिस्ट इन्होंने दी है। आप दुबारा करवाएं, साहब, ऐसे थोड़े ही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उप मुख्य मंत्रीजी शक की सुई आप पर जा रही है। आप जांच बैठाओ, नहीं तो सीधी शक की सुई आप पर जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : आप यह बताएं कि सर्कुलर आप जारी क्यों करते हैं? इनकी सैंक्टिटी क्या है? यह तो बताइये, आपकी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आदर्श नहीं, नियम नहीं, कानून नहीं, सर्कुलर निकाल दिया उसकी अवहेलना और फिर उस पर असत्य पर असत्य बोल रहे हैं। सीधी शक की सुई आप पर जा रही है। कहीं टेबल के नीचे हाथ दिया गया है, कहीं कोई गड़बड़ है, इसकी जांच करा लें, नहीं तो आप पर जा रही है शक की सुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, सीधी-सी बात है कि यह भर्ती हुई है, अनियमितता हुई है या नहीं हुई है इसकी जांच करा लेना, रिपोर्ट दे देना, क्या बात है व्हाट इज द प्राब्लम? आप कह देना कि नियम से हुई है, आप जांच करा कर कह देना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं यह ठीक हुई है, लेकिन फिर भी आपका निर्देश है मैं जांच करा लूंगा उसकी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, इतनी-सी बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है, धन्यवाद। अब काहे को ताली बजा रहे हो?

श्री धर्मपाल चौधरी : ताली बजा रहे हैं उपाध्यक्षजी के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे न्यायप्रिय शासन की हमें आवश्यकता है। देश तभी बढ़ेगा जब आप जैसे महानुभाव ऐसे आसन पर बिराजे रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन। श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (संख्या 5)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2002-2003 के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2002-2003 पर मतदान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मतदान भी है।

श्री उपाध्यक्ष : मतदान तो होता ही है इसमें। मुखबन्द होता है तो यह हां पक्ष ना पक्ष तो करना ही पड़ेगा। वह तो बोलना ही पड़ेगा। आपको क्या तकलीफ है, बोलना तो मुझे पड़ रहा है?

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2002-2003) का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,60,000/- (सोलह लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,50,000/- (एक करोड़ दस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,94,000/-(एक करोड़ सात लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये, 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,27,68,000/-(आठ करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,03,60,000/-(दो करोड़ तीन लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,60,000/- (सत्ताईस लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,76,84,000/-(तेरह करोड़ छिहत्तर लाख चौरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,000/-(सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,000/–(बाईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20–आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,50,63,000/–(सात करोड़ पचास लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,89,20,03,000/– (एक अरब नवासी करोड़ बीस लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक की अनुदान की मांग संख्या 23–श्रम तथा रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/–(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/–(नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25–कोषागार एवं लेखा

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,48,35,000/-(तीन करोड़ अड़तालीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 21 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,02,31,000/-(छत्तीस करोड़ दो लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,52,27,000/-(बाहर करोड़ बावन लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,000/-(चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32–नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,67,86,000/–(तीन करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,88,61,000/–(दो करोड़ अठयासी लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,56,45,78,000/–(चार अरब छप्पन करोड़ पैंतालीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/–(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,18,00,000/–(छत्तीस करोड़ अठारह लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/-(चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000/-(पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/-(सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,67,46,000/-(एक अरब सात करोड़ सड़सठ लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को रुपये 10,08,20,000/-(दस करोड़ आठ लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,12,80,000/-(एक करोड़ बारह लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय वित्त मंत्रीजी।

सूचना

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि हेतु जल वितरण की समय सीमा में वृद्धि

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इन्दिरा गांधी नहर आदि क्षेत्र के लिए कृषि के जल के लिए मुद्दा उठा था, मैं आपकी आज्ञा से सदन के मार्फत कृषकों तक यह सूचना पहुंचाना चाहती हूं कि पानी की सप्लाई 15 मार्च तक के लिए की गई थी उसको हमने बी.बी.एम.बी. से बात करके 30 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। मैं समझती हूं उस वक्त तक फसलें पक जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2003

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञ प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर बोलोगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर क्या बोल लेना, यह मेरा अधिकार है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : कहा था कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में कि मुखबंद से पारित होगा। (व्यवधान) काहे की बहस हो रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुखबंद है तो पारण करा लीजिए आप। (व्यवधान) मुखबंद की बात ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो वित्त विधेयक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका तो बंद ही है सदा से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, विचार रखने का हमारा अधिकार है, कुछ बोलने की इजाजत दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए तो सही। अभी तो विचारार्थ ले रहे हैं पारण और आ रहा है, बहुत आ रहा है, आप काहे को तकलीफ पा रहे हो? होने दीजिए, इसको निपटाएं, फिर दूसरे काम का...(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रद्युम्न सिंहजी।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : आभार व्यक्त करना चाहता हूं। (व्यवधान) मुझे

(श्री रामप्रताप)

टाइम नहीं मिला था, इन्दिरा गांधी नहर मंत्री...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आभार काहे का, ड्यूटी है सरकार की। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : एक सैकण्ड, उप मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देने दीजिए। (व्यवधान) पौने ग्यारह बजे तक इनके पास कोई सूचना नहीं थी, न इनको पानी मिला था। यह आपने मुझे समय दिया उसके बाद आपने प्रयास किया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इनको कुछ न कुछ खोट निकालने की आदत है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : चीफ इंजीनियर नोर्थ से पौने ग्यारह बजे मेरी बात हुई है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आपसे मैं निवेदन कर रही हूं, आप मेरी बात सुनिए।

श्री रामप्रताप : चीफ इंजीनियर से पौने ग्यारह बजे...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : अब आप मेरी बात सुनिए।

श्री रामप्रताप : और बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन से वह बात कर रहे थे तब तक पानी नहीं मिला था।

डा. (श्रीमती) कमला : आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात हुई है।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हमने 15 मार्च की घोषणा की थी और काश्तकारों को अवगत किया था उसी समय हमने यह तय किया हुआ था कि अगर वक्त तक फसलें नहीं पक पाएंगी तो हमें यह समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमने उसी समय से...(व्यवधान) क्या बात है, आप सुनिए ना।

श्री रामप्रताप : कभी 15 मार्च तक पकी है क्या? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप किस मिट्टी के बने हो?

श्री रामप्रताप : कभी 15 मार्च तक फसल पकी है क्या? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप किस मिट्टी के बने हो, आप सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते हो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : 15 मार्च तक पकी है क्या?

डा. (श्रीमती) कमला : सुनने की हिम्मत तो रखो। (व्यवधान) आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम काम नहीं करें?

श्री रामप्रताप : आप यह बताइये कि कभी 15 मार्च तक फसल पकी है? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : व्यवस्था नहीं करें? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने किसानों को सूली पर चढ़ाए रखा। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप वहां पर पैम्फलेट बांट दीजिए कि मैंने कराया। मैंने कराया, आप बांट दीजिए। (व्यवधान) मैं आपको मना नहीं कर रही, आप अपने नाम से पर्चे बांट दीजिए कि मैंने कराया, राज ने नहीं कराया। पर्चे बांट दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मेरी वाहवाही लूटने की आदत नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : तो फिर सुनिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : झूठा खाने की... (व्यवधान) आदत नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : तो सुनने की आदत तो डालिए, असत्य बोलने की आदत नहीं है तो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : गलत नहीं सुन सकते।

डा. (श्रीमती) कमला : यह क्या तरीका है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) मैं आपसे कह रही हूं, पूरे इत्मीनान के साथ, दृढ़ता के साथ कह रही हूं कि जिस समय हमने 15 मार्च रखा था उसी समय मैंने अपने अधिकारियों से कह दिया था कि हमें 15 मार्च से आगे भी बढ़ाना पड़ेगा इसीलिए आप उनसे बात करके रखें। उन्होंने बात करके रखी और आज जब मैं घोषणा कर रही हूं तो वापस कन्फर्म करके हाउस के अन्दर डिक्लेयर किया है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यह पौने ग्यारह बजे बाद हुआ है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2003 पारित किया गया।

व्यवस्था/प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से...

श्री सांवर लाल : विचार रखना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा, चिन्ता मत कीजिए, अभी तो बहुत काम है।

श्री सांवर लाल : मांगें रख रहे हैं उसके बाद में क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फाइनेंस का काम बहुत लम्बा है, अभी खतम नहीं हुआ है।

श्री सांवर लाल : फिर कब मिलेगा अवसर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आएगा, आएगा। अभी बिराजिये।

श्री सांवर लाल : आप तो मांगें विचारार्थ रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी तो बिराजिये। (व्यवधान) इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वह भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समायाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 36–सहकारिता की प्रस्तुति

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,35,83,000/- (उनचास करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:–

श्री अमीन खान (शिव) :

1. ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पंजीयन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कर्जा वितरण के समायोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) :

3. विभाग द्वारा चुनाव, मतदाता सूची के अनुसार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति में स्थाई व्यवस्थापक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. विभाग द्वारा केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में अजमेर डेयरी के बूथ खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. विभाग द्वारा सहकारिता के चुनाव आरक्षण पद्धति के अनुसार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. विभाग द्वारा केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में केकड़ी व सरवाड़ में सहकारी हाट बाजार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

8. राज्य के सभी जिलों में जहां सहकारिता विभाग द्वारा फव्वारों के लिये सब्सिडी दी गई है, उनमें पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये लाखों रुपयों के घोटालों के उपरान्त भी उनके विरुद्ध कोई कानूनी कदम न उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. विभाग द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव में विलम्ब करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

10. राज्य में सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध महालेखाकार द्वारा लम्बित मामलों का निस्तारण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) :

12. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की प.सं. गठी, आनन्दपुरी, बागीदौरा के कृषकों, बेरोजगारों को सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) :

13. केशवरायपाटन में बन्द पड़ी सहकारी शुगर मिल में कर्मचारियों/मजदूरों/ट्रांसपोटर्स एवं लकड़ी के ठेकेदारों के बकाया चल रहे भुगतान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. विभाग द्वारा केशवरायपाटन में बन्द पड़ी सहकारी शुगर मिल को पुन: चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

15. जयपुर क्रय-विक्रय संघ, रामगंज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाकर अन्य प्राइवेट व्यक्ति को मनोनीत कर समिति के घाटे को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम सेवा सहकारी समिति दणाउंकला, पाटन को बन्द कर दिये जाने से ग्रामीणों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

17. भूमि विकास बैंक, बस्सी द्वारा फव्वारा सैट हेतु क्षेत्र के कृषकों को दी गई राशि को डीलर एवं बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से हड़पने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. जयपुर क्रय-विक्रय संघ की चल व अचल सम्पत्तियों के खुर्द-बुर्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा महिला कोआपरेटिव बैंक में गत चार वर्षों से चुनाव नहीं होने के उपरान्त अन्य व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :

20. दी कोटा सैंट्रल बैंक, कोटा द्वारा 500/-(पांच सौ रुपये) की एफ.डी. किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. दी कोटा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, कोटा में निलम्बित अधिकारी को बहाल कर उसे वेतन भत्ते का भुगतान करने एवं बाद में पुन: निलम्बित करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. दी कोटा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं देने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. दी कोटा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, कोटा की गाड़ियों के रख-रखाव पर गत तीन वर्षों में हुये खर्चे की स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. दी कोटा सैंट्रल बैंक, कोटा को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

25. विभाग द्वारा राज्य की सहकारी समितियों के चुनाव शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री संजीव कुमार)

26. सहकारी बैंकों द्वारा बारानी क्षेत्र के काश्तकारों को ऋण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. सहकारी समितियों में नए ऋण साख सीमा (न्यू क्रेडिट लिमिट) धारक काश्तकारों को बैंक द्वारा ऋण देने पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुए सहकारी समितियों की सदस्यता शुल्क कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

29. विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सेवाओं को बैंकों के समान स्थाई सेवाएं घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिये ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन अभी तक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ द्वारा संचालित जयपुर डेयरी में भयंकर घोटालों/अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

32. जिला भूमि विकास बैंक, बाड़मेर में काश्तकारों को फव्वारा सैटों के लिये दिये गये ऋणों के नाम पर किये गये घोटालों में दोष सिद्ध होने के उपरान्त भी दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा पंचायत समिति, लाडनूं जिला–नागौर में कई वर्षों से सहकार प्रभार अधिकारी के रिक्त पद पर किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

34. प्रतापगढ़ चीनी उत्पादन सहकारी समिति, प्रतापगढ़ को सरकार द्वारा आबंटित भूमि को अन्य लोगों को बेच देने एवं विभाग द्वारा बेचान में अपना पक्ष प्रस्तुत न कर लीज की शर्तो का उल्लंघन करते हुये हिस्सा पूंजी की राशि को भी वापस नहीं लौटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विभाग द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में चुनाव नहीं कराकर बैंकों में प्रशासक नियुक्त करने एवं सहकारी बैंकों में अब तक चुनाव की घोषणा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. खांटसारी उत्पादन सहकारी समिति, रायपुर व अरनोद जिला–चित्तौड़गढ़ के लम्बे समय से

(श्री नन्दलाल मीणा)

चुनाव न कराने व समय-समय पर अंकेक्षण न होने से समिति की राशि का दुरुपयोग तथा खुर्द बुर्द किये जाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

37. कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ़ में लम्बे समय से चुनाव न कराकर प्रशासक नियुक्त कर व मण्डी प्रशासक द्वारा कृषकों को प्राकृतिक आपदा के तहत प्रस्तुत प्रकरणों का निस्तारित न कर प्रभावित कृषकों को अधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं कृषि मण्डी, प्रतापगढ़ में कृषि उत्पाद पर कृषकों से तोलाई, बट्टा, छीजत का समय पर भुगतान नहीं करने तथा तलाई आधुनिक उपकरण से न कर तुलाई में मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

38. विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में ग्राम सहकारी समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा जैसलमेर जिले के उपनिवेश क्षेत्र में सहकारी समितियों का गठन एवं ऋण वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

40. सहकारिता अधिनियम बनने के बाद विभाग द्वारा अभी तक नियम एवं उप नियम नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा सहकारी सोसाइटीज के लम्बे समय से चुनाव नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

42. सहकारिता विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों हेतु संचालित दवाई की दुकानों पर समस्त दवाएं नहीं मिलने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

43. राज्य में भीषण अकाल के समय सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर, ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राज्य में सहकारी संस्थाओं के लम्बे समय से चुनाव नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गबन एवं भ्रष्टाचार के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में हुई अनियमितताओं के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता):

47. विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के सेवा नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समकक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंकों के

(श्री मांगीलाल डांगा)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. वाणिज्यिक बैंक के मुकाबले सहकारी बैंकों की ब्याज दर में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के समकक्ष ही प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा कृषकों के लिये खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की वितरण व्यवस्था एवं कृषि उपज की खरीद एवं भण्डारण व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) :

52. राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या–36 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो मांग विचारार्थ प्रस्तुत हुई है वह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक धुरी के रूप में आज के दिन मानी जा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसके सम्बन्ध में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

(13.42 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आपको भी मालूम है कि राजस्थान में सहकारी आन्दोलन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पूर्व में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक आज से करीब 36 वर्ष पहले लगाये गये थे। उसके बाद में विभिन्न स्तरों पर इनकी नियुक्ति के बारे में नियम, उप नियम बनाये गये और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की तरफ से इनको नियुक्ति आदेश भी दिये गये थे। लेकिन आज तक उन व्यवस्थापकों की सेवा न बैंक की है, न सरकार की है और न ही कोई समिति की है। आज इन व्यवस्थापकों के पास करोड़ों रुपये का लेनदेन है। ऐसी यह एक यही सेवा है कि जिसमें न तो इनकी कोई सरकारी सेवा है, न कोई गारंटी है, फिर भी इनके हाथों से करोड़ों रुपयों का लेनदेन हो रहा है। आपको मालूम है कि राजीव गांधी पाठशालाओं में जो आपने टीचर लगाये थे उनको 4 साल हो गये, उसमें तो आप नियमन करने की बात कर रहे हैं लेकिन इन व्यवस्थापकों का इतना लम्बा समय, सेवाकाल होने के बाद भी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

इनकी सेवाओं को किसी तरह से मान्यता देने के लिये कोआपरेटिव विभाग ने अभी तक कोई मन नहीं बनाया है। इसमें कई कमेटियां बनीं। पूर्व सहकारिता मंत्रीजी ने अधिकारियों की एक कमेटी बनायी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी काफी समय पूर्व सरकार को मिल गयी थी। इन व्यवस्थापकों की यूनियनों और संगठनों द्वारा सरकार को जब ज्ञापन दिया गया, उसी के आधार पर इन्होंने कमेटी बनायी थी। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन व्यवस्थापकों की सेवाएं आप बैंक की घोषित करें। यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी प्रकार की कोई सर्विस नहीं है और उनके हाथों में आप लाखों-करोड़ों रुपये दे रहे हैं।

दूसरा मेरा यह निवेदन था कि आप जो सहकारी समितियों को ऋण वितरित कर रहे हैं उसमें नाबार्ड द्वारा आपको साढ़े 5 प्रतिशत पर ऋण मिलता है और काश्तकार को आप 15 प्रतिशत पर देते हैं, बिना किसी पैनल ब्याज के 1 तो करीब तिगुना आप एक काश्तकार से वसूल कर रहे हैं। वसूल करने के उपरान्त इस अन्तर का बहुत बड़ा हिस्सा आपके अपैक्स बैंक से पास रह जाता है। करीब साढ़े तीन या चार प्रतिशत का हिस्सा अपैक्स बैंक के पास रहता है, जबकि इस ऋण वितरण और वसूली में अपैक्स बैंक की कोई भूमिका नहीं है। राजस्थान में कितने सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं, उनके नाम एंट्री करने के सिवाय अपैक्स बैंक को कुछ भी नहीं करना है। इसके बावजूद भी ब्याज का इतना भारी अन्तर रखकर, काश्तकारों से वसूल करके अपैक्स बैंक में आप इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें आपके अपैक्स बैंक के अधिकारियों की या बैंक की कोई भूमिका नहीं है, न इनको वसूल करना है, न इनको वितरित करना है, सिर्फ ट्रांसफर एंट्री बैंक के नाम से करनी है। राजस्थान में कितनी बैंक्स होंगी? और उस बड़े भारी हिस्से को रखकर आप उसमें भारी प्राफिट दिखा रहे हैं। भारी प्रोफिट दिखाकर जो इस बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको आप अलग से सुविधाएं दे रहे हैं-बोनस भी दे रहे हैं, उनका वेतनमान भी आप अलग से दे रहे हैं। अब एक ही डिपार्टमेंट समझे या एक ही बैंक समझे, उन नीचे वाली संस्थाओं-ग्राम सेवा समितियां हैं या सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं, उनको प्राफिट कम देकर आपने इन कर्मचारियों में भेदभाव और पैदा कर दिया। आपके सामने यह मामला आया होगा। सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने भी आपके डिमाण्ड रखी है कि आप अपैक्स बैंक के बराबर ही हमको दें। इसके अलावा आपने काश्तकार और बैंक के बीच

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में जो तीन गुना का फर्क रखा है उसको आपको कम करना चाहिए। अब आप तो साढ़े तीन प्रतिशत सिर्फ एक एंट्री करने का ही ले लेते हैं और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक जिनकी वसूली में, वितरण में काफी भूमिका है, उनको आप 3 प्रतिशत दे रहे हैं। और वही 3 प्रतिशत आप सोसायटी को दे रहे हैं। तो मेरा इसमें आपसे निवेदन यह है कि आप इस प्रतिशत को कम करिये। आज कामर्शियल बैंक किस हिसाब से ऋण दे रहे हैं? और आप एक काश्तकार को किस हिसाब से ऋण दे रहे हैं? दूसरा, आप बीच में जो प्राफिट रख रहे हैं वह ग्राम सेवा का सबसे ज्यादा होना चाहिए। ग्राम सेवा द्वारा ही वितरित किया जाता है, उन्हीं के द्वारा ही वसूल किया जाता है। उस ग्राम सेवा से कम आप सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक को दें और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक से कम आप अपैक्स बैंक को दें। क्योंकि अपैक्स बैंक की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, सिंवाय इसके कि ट्रांसफर एंट्री करनी है।

अब जैसा कि मैंने पहले कहा, ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आज हालत यह है कि इनके कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं है। कितने ही रिटायर हो गये, उनको कुछ रिटायरमेंट की सुविधा नहीं मिली। आधी ग्राम सेवा सोसायटीज में पद खाली पड़े हैं, भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भर्ती करने की व्यवस्था कैसे होती? इनकी आपने कोई सेवा ही नहीं मानी। इनको लगाए तो कौन लगाए? कोई गबन कर ले तो उसके खिलाफ कार्यवाही कौन करे? इन सारी बातों की ओर ध्यान देकर इस सहकार आन्दोलन को जो आज ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आर्थिक मामलों में धुरी बन चुका है, इसमें आपको सुधार करना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव यह भी दिया था, आपने गई बार घोषणा की है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति और ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र एक होगा और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब आपको खुद को भी ध्यान है, ग्रामीण समस्याओं से आप परिचित हैं, कई जगह ऐसी हैं कि तीन-तीन पंचायतों के क्षेत्र में एक सोसायटी है और कई सोसाइटीज में तीन-तीन पंचायतों के गांव आ जाते हैं। जब आपने यह व्यवस्था कर दी कि ग्राम पंचायत में कोई कमेटी बनेगी तो उसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक मैम्बर होगा, कुछ कमेटियां ऐसी हैं, अब वह कौनसी में तो मैम्बर होगा और कौनसी में नहीं होगा? इसलिए आपको हर पंचायत क्षेत्र के हिसाब से ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करना चाहिए। इसमें आपको कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद

(श्री हरजीराम बुरड़क)

भी राज्य सरकार की तरफ से यहां पिछली बार घोषणा की थी कि हम ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पंचायत क्षेत्रवार बनाएंगे।

तीसरा मेरा एक कटमोशन यह भी था कि डेयरी फैडरेशन जो सहकारी संस्था है, उसका तो आपने पेरेंट डिपार्टमेंट ही पशुपालन कर दिया। कोआपरेटिव संस्था कोई भी हो, कोआपरेटिव एक्ट से बनी है और कोआपरेटिव एक्ट की जो संस्था है उसका पेरेंट डिपार्टमेंट कोआपरेटिव ही रहेगा चाहे किसी भी काम से कोई संस्था बनी हो। लेकिन आपने एक आदेश निकाल कर उसका पेरेंट डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग बना दिया तो ऐसी तो कई सोसायटीज हैं, जैसे आपकी औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, तो फिर उनका उद्योग विभाग पेरेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा और हाउसिंग सोसायटीज का नगर विकास विभाग हो जाएगा। इस पेरेंट डिपार्टमेंट को बदलने के कारण आपका या तो इसमें नियंत्रण, कानून ही नहीं रहा या आपने जानबूझकर इससे पीछा छुड़ा लिया। इनमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जयपुर डेयरी की आप रोज सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारे अधिकार आपने उन्हीं को दे दिये।

आपके ध्यान में होगा कि जयपुर डेयरी में कई अधिकारियों के खिलाफ लाखों–करोड़ों रुपये के मामले धारा 70 में चले और उन धारा 70 में चले हुए मामलों को एकदम ड्राप कर दिया गया। आपको यह भी जानकारी है कि धारा 70 का मतलब कोई दण्डनीय अपराध में जो एफ.आई.आर. पुलिस में होती है, उसी प्रकार से है। एफ.आई.आर. को बिना जांच किये, बिना तथ्यों का पता लगाये निरस्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से धारा 70 की कार्यवाही एक अर्द्ध–न्यायिक कार्यवाही है, उसको किसी अधिकारी द्वारा एक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके विभाग का या तो नियंत्रण नहीं है या आप जानबूझकर आंख मूंद कर बैठे हैं कि वही धारा 70 चला ले और वही अपने आप बन्द कर दे। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर डेयरी पर छापा पड़ा, करोड़ों रुपये का स्टाक कम पाया गया। छापा पड़ने वाली तो अलग बात है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने धारा 70 की कार्यवाही उनके खिलाफ क्यों नहीं की? जहां पर आर्थिक हानि होती है उसी में धारा 70 लगती है। और उसमें दो ही बातें होती हैं, या तो वसूली करो या वह अगला यह सिद्ध करे कि उसकी गलती नहीं है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने इस मामले में तथ्यों का भी पता लगाने की परवाह नहीं की। आज चुना हुआ संचालक मण्डल जहां भी इन डेयरियों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में है, उस संचालक मण्डल की कोई परवाह नहीं करता। जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी है वह मनचाहे फैसले देता है। जयपुर डेयरी में नियुक्तियों में और प्रमोशन में कितनी धांधली हुई, आपको सबको जानकारी है। आपके विभाग को और आप खुद को कई बार लोगों ने ज्ञापन भी दिये, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसमें कोई कार्यवाही करें। इस बात का भी ध्यान करें कि आपने जो पेरेंट डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग को बनाकर इस कोआपरेटिव की डेयरी से जो अपने आपको अलग किया है या पल्ला झाड़ लिया है, उस आदेश को आप वापस लो और आप खुद इसमें कुछ न कुछ एक्शन लो जिसके लिए कोआपरेटिव एक्ट के हिसाब से आप सक्षम हो। हमारे नागौर जिले में कोआपरेटिव डेयरी नहीं है और उनको जोधपुर के साथ अटेच कर रखा है। नागौर जिले का पूर्वी हिस्सा या दक्षिणी हिस्सा, उसी में दूध पैदा होता है। जायल है, नागौर है, मेड़ता है, उस साइड में कहीं दूध पैदा नहीं होता, क्योंकि वे तो नागौरी नस्ल की गायें हैं, वहां तो दूध पैदा होता नहीं। परबतसर है, नावां है, मकराना है, डेगाना है, इस हिस्से में दूध है, इसको अगर दूसरे जिले में ही जोड़ना है तो अजमेर में जोड़ा जाए तो लोगों को भी सुविधा मिलेगी। वह बिलकुल नजदीक पड़ता है। पशुपालकों को भी इसमें फायदा होगा और काश्तकारों को भी फायदा होगा और आपके डिपार्टमेंट को इसमें कुछ लगाना नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके विभाग में पंचायत समिति में सहकार प्रसार अधिकारियों के पद आज भी सृजित हैं, लेकिन मैंने जहां तक जानकारी की है, शायद कहीं भी कोई सहकार प्रसार अधिकारी नहीं होगा। पंचायत समितियों में नहीं है। आज सहकारी संस्थाओं की उपयोगिता आप और जनता सब महसूस करते हैं, लेकिन पंचायत समिति स्तर पर इनका कोई अधिकारी नहीं हो इससे इनके कार्य में बड़ी बाधा उपस्थित होती है। इसलिए आपको सहकार प्रसार अधिकारी लगाने चाहिए। आपके सामने सारा डिस्कस हुआ था बाड़मेर में भूमि विकास बैंक द्वारा फव्वारा घोटाला। खुद ही इस हाउस में थे, वह इतना भयंकर घोटाला आन रिकार्ड पर, मतलब पकड़ने के बाद भी आज तक उसमें क्या कार्यवाही हुई? आपने एंटी-करप्शन को जांच दे दी, एंटी-करप्शन वाले उस जांच को लिये बैठे हैं। एंटी-करप्शन की जांच का नतीजा आप देख रहे हैं, क्या होने वाला है? एक बार अखबार में आता है कि यह छापा मार लिया, यह पकड़ लिया, ये रंगे हाथों पकड़े, फलां पकड़े, आखिर में कुछ होना-जाना है नहीं। लेकिन इस मामले में आपके

(श्री हरजीराम बुरड़क)

डिपार्टमेंट ने क्या कार्यवाही की? जहां तक बैंक का आर्थिक हित था, बैंक को इससे नुकसान हुआ। प्रारम्भिक तौर पर धारा 70 में मामला दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद यह 70 की जांच सही पायी गई। धारा 74 में जिम्मेदारी तय करने की बात आई तब यहां स्टेट लेवल पर फाइलें मंगाकर धारा 70 की जांच को निरस्त कर दिया। जबकि मैंने निवेदन किया जो कोआपरेटिव एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धारा 70 की जांच को कोई हायर अधिकारी एक आदेश से निरस्त कर दे। वह अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें धारा 74 में आदेश पास होगा। और उसमें अगर कोई दुःखी होगा तो वह अपील में जा सकता है। लेकिन एक लाइन के आदेश से उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। मंत्री महोदय, आप इस मामले को मंगाकर देखें और मेरी बात में थोड़ी बहुत भी सत्यता हो तो आप उसके हिसाब से कार्यवाही करें।

(14.00 बजे)

अन्त में, मैं पुनः आपको वही बात दोहराता हूं कि इन व्यवस्थापकों की सेवाओं की कोई न कोई व्यवस्था आप करें। ऐसा कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है कि 36 साल से बैठे हैं और उनकी कोई सेवा नहीं हैं। सेवा नहीं है वह अलग बात है, उनको आप करोड़ों रुपये दे रहे हो। अगर वह लेकर भाग जाए तो आप क्या करोगे? उनकी कोई सेवा नहीं है, उनकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आज ही आप उत्तर दें उस समय इन व्यवस्थापकों के बारे में तो कोई न कोई घोषणा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, आज हाउस में सहकारिता की मांग संख्या-36 पर बहस चल रही है, इसमें मैं अपने आपको भागीदार बनाते हुए आपके माध्यम से अपने विचार रखना चाहूंगा। जिस उद्देश्य के लिये सहकारिता आन्दोलन खड़ा किया गया "सब एक के लिये एक सबके लिये," मेरे विचार से वह उद्देश्य ही समाप्त हो गया। आज लोगों का इस सहकारिता से एकदम विश्वास उठ गया है। हमको कुछ इसके माध्यम से मिल जाएगा, इस तरह का कोई विश्वास नहीं करता। परन्तु एक जमाना था जब लोग सोचते थे कि हमारे गांव में सहकारी समिति है इसके माध्यम से हमें सही चीज, सही नाप, सही तौल, सही कर्जा मिलेगा, पर अब तो सहकारी समिति की तरफ कोई देखता ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी जो कमी आयी है, सभापति महोदय, वह कमी आयी है, ग्राम

(श्री रमजान खान)

सेवा सहकारी समिति और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीच में खातों में अनबैलेंस इतना भारी हुआ है कि उसकी व्रजह से ग्राम सेवा सहकारी समिति तो उठ ही नहीं सकती। अगर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का खाता यह बताता है कि काश्तकार के नाम पर 20 हजार रुपये का कर्जा है तो वही बैंक के अन्दर उस काश्तकार के नाम पर 40 हजार रुपये का कर्जा बताएगा। जब वे दोनों ही खाते नहीं मिलते हैं तो फिर किस तरह का न्याय सहकारिता के माध्यम से मिलेगा? इसका उदाहरण बताता हूं आपके माध्यम से, थोड़ी देर के लिये मानिये कि कोई व्यवस्थापक एक लाख रुपये अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण वसूली करता है, पचास हजार रुपये ब्याज के और पचास हजार रुपये असल के। वह एक लाख रुपये जब जाकर बैंक में जमा कराता है तो बैंक वाले पूरा का पूरा पैसा ही, एक लाख रुपया ब्याज में जमा कर लेते हैं, असल का नामोनिशान ही खतम। असल में कोई जमा नहीं करते। इधर ग्राम सेवा सहकारी समिति में काश्तकार ने असल दिया है उसका वहां के बैंक खाते में जमा नहीं। ऐसी स्थिति में हर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अन्दर इतना अनबैलेंस हो गया है कि जिसकी वजह से राजस्थान की 90 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियां ओवर-ड्यू हैं। और ओवर-ड्यू होने की वजह से, आप लोगों ने नये कानून में थोड़ा संशोधन किया कि वे चुनाव में भाग ले सकती हैं, वरना पहले तो चुनाव में भाग ही नहीं ले सकते थे। बड़ी मुश्किल से किसी एक जिले के अन्दर पांच-दस सोसाइटीज मिलती थीं और निर्विरोध चुनाव हो जाता था। चुनाव का मतलब ही खतम हो गया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अनबैलेंस को खतम करने की कुछ न कुछ योजना आपको बनानी चाहिये। जब तक इसको नहीं बनाएंगे तब तक कोआपरेटिव बैंक का और ग्राम सेवा सहकारी समिति का कोई औचित्य नहीं रहेगा, यह मेरा निवेदन है।

ऋण वसूली के सम्बन्ध में आपने बड़े-बड़े वायदे किये कि अकाल की वजह से राजस्थान के अन्दर ऋण वसूली स्थगित की जाती है। परन्तु मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपने ऋण वसूली स्थगित तो की, और भूमि विकास बैंक में तो आपने कह दिया कि जिन्होंने ट्रैक्टर के लिये लोन लिया है उनकी किस्तों की सीमा एक साल के लिये बढ़ा दी जाए, इसलिये उनके लिये तो पैनल ब्याज माफ हो गया परन्तु कोआपरेटिव बैंक में यह आदेश आपने जारी नहीं किया। कोआपरेटिव बैंक में आपका यह आदेश नहीं मिलने के कारण जिन-जिन की किस्तें ओवर-ड्यू हो गयी हैं उनके ऊपर पैनल इंटरेस्ट लग रहा है,

(श्री रमजान खान)

इस अकाल के मौके पर। फिर आपकी घोषणा का क्या औचित्य रहा? आपने कहा कि हमारी वसूली स्थगित कर रहे हैं। यह नोटिस बता रहा हूं। यह पढ़कर सुना देता हूं। अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा भिनाय–नीलामी सूचना–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर, शाखा भिनाय–यह दोषी सदस्य की नियमानुसार अचल सम्पत्ति, जमीन कुर्क की गयी है जिसकी नीलामी स्थान बांदनवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, बांदनवाड़ा में दिनांक 20.3.2003 को दोपहर 12.00 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक की जाएगी, इच्छुक व्यक्ति नीलामी स्थान पर पहुंच कर बोली लगाकर लाभ उठावें। तो फिर आपकी घोषणा का कोई मतलब नहीं है। धड़ाधड़ वसूली हो रही है, जमीन कुर्क हो रही हैं काश्तकारों की। काश्तकारों को आपके शासन में मुर्गा बनाया जा रहा है। काश्तकार छिपते फिर रहे हैं। खाने के लिये अनाज नहीं है, पीने के लिये पानी नहीं है। मवेशियों के लिये चारा नहीं है। आपकी घोषणा... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, केवल शार्ट टर्म की वसूली स्थगित की है।

श्री रमजान खान : क्या यह तो मजाक है। शार्ट और लोंग क्या है?

श्री हीरासिंह चौहान : What is short and long? Akal is Akal सारे ही बन्द होने चाहिये। अकाल है, फेमिन है। फेमिन कोड लागू नहीं करते और खामखाह नाटक कर रहे हो राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : यह तो मैं जवाब दूंगा। तब बताऊंगा आपको।

श्री हीरासिंह चौहान : उस समय सेटिस्फाई करना पड़ेगा शार्ट एण्ड लोंग क्या होता है। फेमिन कोड लागू हो रहा है न। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अकाल के अन्दर इस तरह से शार्ट और लोंग टर्म करेंगे तो फिर तो किसानों के पास पैसा कहां से आएगा। जमीन गिरवी रखवा दो उनकी। आपके आंकड़ों के अनुसार भी आपने वसूली की है। वसूली सबसे ज्यादा आपने की है इस अकाल में। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : चलो शार्ट टर्म, लोंग टर्म मानते हैं। आपकी क्या पालिसी है, यह आप जानो। परन्तु भूमि विकास बैंक और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक में फर्क क्यों कर रहे हो? भूमि विकास बैंक में तो अविधपार ऋण थे, उनकी किस्तों का जो समय था, उसे आपने 2004 कर दिया, और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक में क्यों नहीं?

(श्री रमजान खान)

उनके तो ब्याज लग रहा है, पैनल इंटरेस्ट लग रहा है। यह आपके द्वारा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप भूल गये या आपके अधिकारी भूल गये कि सैंटल कोआपरेटिव बैंक में भी इस तरह से आदेश जारी करने चाहिये।

अब चारे के लिये आपने बड़ी घोषणा की, जहां–जहां मंत्रीजी गये वहां–वहां, बड़े जोर–शोर से कि इस अकाल में किसी मवेशी को मरने नहीं दिया जाएगा, धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। चारे के लिये 100 करोड़ रुपये की घोषणा की, 100 करोड़ में 60 करोड़ रुपये तो आपने कहा कि हम भूमि विकास बैंक को देंगे, उसके माध्यम से काश्तकार को लोन देंगे। और 40 करोड़ केन्द्रीय सहकारी बैंकों में लोन देने की बात कही। एक–एक काश्तकार को 14,400 रुपये देने की आपने बात कही। और शुरू–शुरू में मिला भी, इसके लिए तो धन्यवाद। मगर सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा हुआ, मंत्री महोदय। और अब तो 14,400 रुपये का वह लोन मिलना बिलकुल बन्द हो गया, मैं आपको सही कह रहा हूं। 14,400 रुपये लोन में भी आपके हिस्सा राशि जमा कराओ, लेन–देन कराओ। और भी आप जानते होंगे, लोन लेना बड़ा मुश्किल है आपकी बैंकों से। दो–ढाई हजार तो उसमें खर्च हो जाते थे। 12 हजार रुपये लोन मिलता था उससे काश्तकार थोड़ा बहुत अपना चारा खरीदकर गुजर कर रहा था, ठीक चल रहा था मामला। परन्तु आपने पता नहीं किस आदेश से, पता नहीं किस वजह से 14,400 रुपये का लोन देना बंद कर दिया। अब तो मुश्किल से पांच हजार रुपये का लोन इस वक्त काश्तकार को मिल रहा है, और वह भी बड़ी मुश्किल से भागा–भागा, इधर–उधर करने की वजह से मिलता है वरना वह लोन नहीं मिलता।

मंत्री महोदय, आपने यह भी घोषणा की कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से चारा वितरित किया जाएगा। खरीदकर चारा वितरित किया जाएगा। आज मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक भी ग्राम सेवा सहकारी समिति चारा वितरित नहीं कर रही है और यह आपकी थोथी घोषणा है। चारा वितरण करने के लिये तो गांव वाले आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, रोकड़, एडवांस किस–किस को चारा लेना है? मेरे को दो मण लेना है, साहब, मेरे को चार मण लेना है कि लाओ पैसे। ऐसे पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके, गांव वाले समिति बना करके फिर चारा खरीद कर जब लाते हैं तो पटवारी उनको सब्सिडी देता है। फिर दो ट्रक आ गये बाई चांस मंत्री महोदय, तो सब्सिडी दो ट्रकों में खतम हो जाती है। जब तक वह अजमेर जाकर वापस सब्सिडी लेकर पांच–सात दिन में

(श्री रमजान खान)

नहीं आएगा उस दौरान में चारा लाना खतम। चारे लाने की यह स्थिति बनी हुई है और आप कहते हो कि हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां चारा लाकर काश्तकारों को वितरण कर रही हैं। वे कहती हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम कहां से देवें। हम को जिला कलक्टर पैसा ही नहीं देता है। वह यह कहता है कि हम तो सिर्फ पटवारी और तहसीलदार को देंगे। तो यह जो आप घोषणा करते हो, आप बड़े समझदार, अनुभवी गांव के रहने वाले व्यक्ति हो, आप इस तरह की घोषणा मत किया करो। घोषणा का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही तो अकाल है, ऐसे ही चारा और पानी लाना और देना नहीं हो रहा है और जब आपकी घोषणाएं थोथी साबित होती हैं तो लोगों को और भी बुरा लगता है। एक मेरी आपको यह सलाह है।

सभापति महोदय, जब रजिस्ट्रार महोदया जिला कलक्टर थीं अजमेर में, उन्होंने महिला समूह शुरू नहीं किया था। महिला समूह में बहुत अच्छा लोन मिलता था, बहुत अच्छा काम भी होता था। तो लोगों ने सोचा कि चलो छोड़ो, अपन तो महिला समूह से ही लोन लेवें। औरतें लोन लेवें और उसका चारा खरीद कर लाएं। महिला समूह में आपने यह नियम बनाया कि अगर यहां पर आपके 20 हजार जमा हैं तो 80 हजार रुपये लोन लो, कोई मना करने वाला नहीं है। मगर, मंत्री महोदय, महिला समूहों का लोन भी आपने बंद कर दिया। एक भी महिला समूह को आज की तारीख में लोन नहीं मिल रहा है। अगर कोई लेना चाहता है तो नहीं मिल रहा है। उसका जो औचित्य था, उसकी जो बात थी वही आपने खतम कर दी।

सभापति महोदय, अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव के साथ तो आपने बड़ा भेदभाव किया है। आज के 10–15 साल पहले कर्जा माफ हुआ था और कर्जा माफी का रोकड़ रुपया केन्द्र से भी मिला, राज्य सरकार ने भी दिया। वह सब बैंकों को वितरण कर दिया गया। मगर अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक के आज भी डेढ़ करोड़ रुपये बाकी हैं। आप लिख लेना, हिसाब लगा लेना, यह हकीकत है। अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक तो हमेशा ही ओवर ड्यू रहती है। आपके अपैक्स बैंक कहते हैं, बड़ी मुश्किल से जब लोन मिलता है तो, कि साहब, आप तो ओवर ड्यू हो, आपको तो लोन मिल ही नहीं सकता, आपको तो पैसा मिल ही नहीं सकता। ना नौ मण तेल हो ना राधा नाचे। तो उस बैंक को भी मिलना चाहिए। पूरे राजस्थान में जब सब बैंकों को दे दिया तो फिर अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक को अभी तक क्यों नहीं दिया? इसका आपको विचार करके उसको देना चाहिए।

हर ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने की आपने घोषणा

(श्री रमजान खान)

की, बहुत अच्छी घोषणा थी। घोषणा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अच्छी बात का आदमी को स्वागत करना चाहिए। 1975–76 के अन्दर पहले हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति थी, परन्तु आपके इस शासनकाल में तीन तीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को मिला कर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बना दी गयी। उसका कार्य क्षेत्र रहा 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब आप विचार करो कि एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक 10 किलोमीटर के रेडियस में चक्कर लगा कर क्या काश्तकारों को हर काम की सुविधा उपलब्ध करा सकता है? क्या उनके फार्म भर सकता है? इनकी वजह से भी ग्राम सेवा सहकारी समिति डाउन हुई है, इनका स्टैंडर्ड खतम हुआ है क्योंकि ना व्यवस्थापक वहां पहुंचे, ना फार्म भरे, ना लेन-देन करे। उसके बाद आपको विचार आया, मंत्री महोदय, और आपने घोषणा की। मेरा तो सुझाव है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति होनी चाहिए, नहीं होगी तो आपकी इस समिति का कोई औचित्य नहीं होगा। गरीब लोगों को, काश्तकारों को उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति गठित करें। आपने इसकी समिति भी बना दी है दीक्षित साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने आपको रिपोर्ट भी दे दी है और बड़ी फेयरबैल पार्टी दी है। उसके अनुसार एक-एक ग्राम पंचायत पर एक-एक समिति बनाने के बाद ही आप कोआपरेटिव के चुनाव कराएं। चुनाव बहुत जल्दी होने चाहिए। 15 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इसकी वजह से जनप्रतिनिधि नहीं होने से सब मामला डल हो गया। मगर अब जब चुनाव कराएं तो हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बना कर उसका चुनाव होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो बोलना शुरू ही किया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये, माननीय रमजान साहब।

श्री रमजान खान : 15 मिनट क्या हो गया, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे आधा घंटा जब तो आपने घंटी नहीं बजायी। एक दफे भी नहीं बजायी।

श्री सभापति : बजायी थी।

श्री रमजान खान : खैर छोड़ो, आप कहोगे जब मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अल्पसंख्यक सदस्य हैं, इनकी भावना का ध्यान रखें।

श्री सभापति : इससे नहीं है, यहां सब सदस्य के रूप में बैठे हैं।

श्री सांवर लाल : हमारी पार्टी में तो एक ही हैं अल्पसंख्यक।

श्री सभापति : 20-20 मिनट तय है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : धीमी गति के समाचार हैं।

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, व्यवस्थापकों का बड़ा झगड़ा है, उन्होंने आन्दोलन किया। मैं तो पाइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, मैं कोई आलतू-फालतू या रिपीट नहीं कर रहा हूं। व्यवस्थापकों ने 8-10 साल पहले बड़ा आन्दोलन किया। आपकी सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारे को नियुक्ति देंगे। उसके बाद वो हाई-कोर्ट में भी गये। हाई कोर्ट ने उसकी जो कैडर अथोरिटी थी उसके लिए यह कहा कि 25 परसेंट तो अपैक्स बैंक देगी और 35 परसेंट केन्द्रीय बैंक देगी और 40 परसेंट इनकी तनखाह देगी ग्राम सेवा सहकारी समिति। परन्तु मैं यह बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि व्यवस्थापकों को एक पैसा भी ना तो अपैक्स बैंक ने दिया, ना सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक ने दिया। किसी ने नहीं दिया। इनका आन्दोलन एक ही बात पर था कि हमारे को बैंक के कर्मचारी मानो। बैंक के कर्मचारी न माना जो तो नहीं माना, मगर हाई कोर्ट का आदेश भी आपने नहीं माना कि इनको तनखाह दो। सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। होता क्या है कि व्यवस्थापक जो ग्राम सेवा सहकारी समिति का है वह अपनी तनखाह कैसे लेता है, इस पर विचार करो। काश्तकारों से लोन वसूल करता है, लोन वसूल कर जब बैंक में जमा कराने जाता है, उसके 4 महीने की तनखाह 20-25 हजार रुपये हैं, वह 4-5 हजार से कम तनखाह भी नहीं लेता है, 20 हजार रुपये हैं तो उस ऋण वसूली के पैसे में से जेब में डाल कर जो 15 हजार रुपये बाकी बचेंगे उसको जमा कराएगा। अब यह काश्तकारों का पैसा, इसके ऋण में असल और ब्याज में पैसा लिया हुआ है, उस व्यवस्थापक की तनखाह में जा रहा है। इससे भी बहुत जबरदस्त इम्बैलेंस हो रहा है। जब काश्तकार मांगता है कि रसीद हो कि हमने कितना पैसा जमा करा दिया, लेन-देन करा दिया तो अंत में जाकर दो-तीन साल बाद काश्तकारों को मालूम पड़ता है कि अभी तक तो तुम्हारा पैसा जमा ही नहीं हुआ। जमा हो कहां से, वह पैसा तो व्यवस्थापक तनखाह में ले रहा हैं। तो व्यवस्थापकों को तनखाह देने की व्यवस्था कुछ न कुछ करनी पड़ेगी, या काश्तकार का कर्जा तो वसूल करता है, उसी में लेता रहेगा क्या? इसके ऊपर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, मंत्री महोदय, वरना तो मामला बैठेगा नहीं।

गबन-घोटाले भी बहुत हुए, इसके लिए तो मेरे पास बहुत लम्बा-चौड़ा चिट्ठा है पर मैं थोड़ा-सा इशारा करना

(श्री रमजान खान)

चाहता हूं। देवली मार्केटिंग सोसायटी में एक करोड़ रुपये का गबन हुआ। आपने व्यवस्थापक और सेल्स मैन को सस्पैंड कर दिया। यह तो ठीक है, मगर व्यवस्थापक और सेल्स मैन की इतनी हिम्मत है क्या कि एक करोड़ रुपये का गबन-घोटाला कर ले? आपके विभाग ने माना है कि एक करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, उसके अन्दर आपके ही उच्चाधिकारियों का हाथ है। आपके जोइंट रजिस्ट्रार ने उसकी जांच की है उसमें उच्चाधिकारियों की तरफ सूई गयी है, मगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। दूसरे अधिकारी सोचते हैं कि जब इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम भी अगर करेंगे तो हमारे खिलाफ क्या कार्यवाही होगी। तो ऐसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मेरा निवेदन है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। एक कोटा के कोआपरेटिव बैंक के अन्दर भी बहुत भारी गबन-घोटाला निकला है, करोड़ों रुपये का घोटाला निकला है। उसके अन्दर आपने पहले वाले एम.डी. को और...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह तो मैं बता दूंगा।

श्री रमजान खान : आप बता दोगे तो मैं नहीं बोलूं? थोड़ा तो बोलूं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो बोलो, रिपीट हो जाएगा।

श्री रमजान खान : उनको आपने सस्पैंड तो किया, मगर करोड़ों रुपये का घोटाला है, खाली पूर्व एम.डी. साहब और छोटे-मोटे अधिकारी नहीं खा सकते। ठेठ तार जुड़े हुए हैं रजिस्ट्रार आफिस से और आपके सचिवालय से। उसका हमारे माननीय सदस्य बता देंगे। इसमें जो भी दोषी है, आपने खाली एफ.आई.आर. लांज करा दी। एफ.आई.आर. के बारे में आपका विभाग जाकर वापस पूछता ही नहीं है कि उस पर क्या हुआ। मंत्री महोदय, पुलिस में जब तक फालोअप नहीं करोगे तब तक पुलिस वाले कोई कार्यवाही करते हैं। और जब फालोअप होता नहीं है तो व्यवस्थापक, अधिकारी और एम.डी. जाकर उसको पैसे-टके दे-दिला कर अपनी एफ.आर. दिला देता है और मामला रफा दफा कर देता है। कोआपरेटिव बैंक का अधिकारी जाता नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देता नहीं। फिर मुझे भी हिम्मत हो जाती है कि जब उसका ही बाल बांका नहीं हुआ तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। इस वजह से आपके विभाग में करोड़ों-अरबों रुपये के गबन घोटालों की हिम्मत लोग करते हैं। आप थोड़ी हिम्मत करो और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराओ। आपके अधिकारियों से उनको फालोअप करवाकर कड़ी से कड़ी सजा आठ-दस-बीस आदमियों को दिलवा दो तो इस

(श्री रमजान खान)

विभाग का ढांचा सुधर जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी।

अब मैं प्रमाणित बीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, काश्तकारों को एक भी प्रमाणित बीज नहीं मिला, एक दाना भी नहीं मिल रहा है, ईमानदारी की बात है। काश्तकार भटकते हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों और मार्केटिंग सोसायटीज में। वो कहते हैं कि हमारे पास बीज ही नहीं है और फिर काश्तकार मजबूर होकर निजी दुकानदारों के पास जाते हैं। निजी दुकानदार अप्रमाणित बीज देकर उनको लूटते हैं। फिर फ़सल ठीक नहीं होती है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो आप हैं। आप बीज नहीं देते हैं। फिर आप घोषणा करते हैं खाद, बीज और चारे की, लेने-देने की, कि कोई कमी नहीं आएगी। ग्राम सेवा सहकारी समिति और मार्केटिंग सोसायटीज प्रमाणित एक दाना बीज काश्तकारों को उपलब्ध नहीं करवा रही हैं, मंत्री महोदय। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी बहुत जरूरत है, आप तो खुद काश्तकार हो आपको मालूम है कि अगर प्रमाणित बीज नहीं मिलेगा और आलतू-फालतू का बीज हम बो देंगे तो फसल बेकार हो जाएगी।

मैं मार्केटिंग सोसायटी, ब्यावर के अन्दर मेरे खेत के लिए बीज लेने गया, वहां पर सिर्फ बाजरे का बीज था। बाजरे के भी दो-तीन तरह के बीज होते हैं, मगर उन्होंने कहा कि, साहब, यह एक ही तरफ का बीज है, इसकी भी हम गारंटी नहीं देते हैं कि प्रमाणित है या नहीं है। हम तो इसे दुकान से खरीदकर लाये हैं ताकि यहां पर आने वाला कोई भाई खाली हाथ नहीं जाए। यह स्थिति है। अब आप इसके लिए विचार करो। पता लगा लेना, किसी के यहां मिलती है या नहीं मिलता है। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं। इसके बारे में सैक्रेटरी साहब और रजिस्ट्रार महोदया को कई लैटर्स लिखे कि प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाया जाए।

एक बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। बुनकर लोग गरीब होते हैं, बुनकर लोगों की हालत आपने खराब कर दी। उनका तो आपसे विश्वास ही उठ गया। उनको कच्चा माल सप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी, इनके माल को बिकवाना आपकी जिम्मेदारी पर आप न तो कच्चा माल सप्लाई करते हो और न ही इनका माल बिकवाते हो। इनकी हालत इतनी बुरी हो गयी है कि इनका विश्वास उठ गया। खासकर हैण्डलूम वाले बुनकरों की स्थिति यह हो गयी है कि वे सब अपना काम बन्द करके निजी धंधे कर रहे हैं। बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद इधर-उधर बड़े शहरों में अपना पेट पालने के लिए इस अकाल के अन्दर जा रहे हैं। बाकी न तो कच्चा माल है। जब पूछते हैं आपके संघ को जो पेसा देते

(श्री रमजान खान)

हैं, तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो आप बुनकरों का दर्द तो सुनो कम से कम। बुनकरों के बारे में आप सोचे।

आपने दो दफा घंटी बजा दी इसलिए आपके आदेश को मानते हुए मंत्री महोदय से मेरी बात कहना चाहूंगा कि सहकारी आन्दोलन धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है, इसको थोड़ा उठाने की आप कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में सहकारिता की मांग पर विचार हो रहा है, मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता की मांग की राशि को अगर हम देखेंगे तो लगेगा कि यह छोटा विभाग है, परन्तु इसका विस्तार और इसकी जो आवश्यकताएं हैं और जिस तरह सहकारिता इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है इसके ऊपर हम नजर डालेंगे तो मेरी मान्यता है कि यह सहकारिता विभाग राजस्थान के वित्त विभाग के बाद दूसरे नम्बर का विभाग है। इसलिए आवश्यक है कि आज सहकारिता के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उसके लिए हम गहन विचार करें। आज जो हमारे देश में उदारीकरण की नीति और मल्टीनेशनल की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं और सहकारिता को स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार ने सोचा, समझा। हमारे राष्ट्रीय नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संकल्प किया कि हमारे देश में जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां सहकारिता को स्वायत्तता और लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया जाए। सर्वप्रथम मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी को इस सदन में मेरी ओर से एवं सहकारी बन्धुओं की ओर से बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक नया अधिनियम देकर सहकारिता को स्वायतता दी और सहकारिता में लोकतंत्रीय व्यवस्था लागू की कि समय पर चुनाव हों। अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुछ सदस्य ही चुनाव में भागीदारी करते थे, इसलिए कुछ ऐसे प्रावधान किये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा सदस्य भागीदारी निभा सकें, उनको अवसर मिले। इस तरह का अधिनियम आपने पारित करवाया और उसको 14 नवम्बर को पूरे राज्य में लागू किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री महोदय, अधिनियम में लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वायत्तता और संचालक मण्डल के अधिकारों के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं की गयीं हैं वे सराहनीय हैं, आपने बहुत अच्छा अधिनियम बनाया। हमारे माननीय मुख्य

(श्री मांगीलाल डांगा)

मंत्रीजी की इच्छाशक्ति थी, कोआपरेटिव कांग्रेस में उन्होंने कहा था कि हमारा अधिनियम देश का आदर्श अधिनियम है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा अधिनियम बहुत अच्छा अधिनियम है परन्तु इस अधिनियम को हम देश के आदर्श अधिनियम के रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें मेरे सुझाव जो हैं उनको अधिनियम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में विचार करना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गहराई से मनन करके सहकारिता बन्धुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संकल्प है और जो हमने घोषणा पत्र में जनता को वायदा दिया है उन सबको आधार मानते हुए इन सुझावों को शामिल करके इस अधिनियम को देश का आदर्श अधिनियम बनाकर आगे बढ़ेंगे। आपने आडिट के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया। आज तक हमारे रजिस्ट्रार ही आडिटर की नियुक्ति करते थे और रजिस्ट्रार की और रजिस्ट्रार की शक्तियां प्राप्त करने वाले अधिकारी की जैसी इच्छा होती वे उसी को नियुक्त करते थे। आपने संस्था को अधिकार दिया कि वह पैनल बनाएगी। आपने पैनल चयन करने का अधिकार दिया है। सभापति महोदय, आज कोई भी कम्पनी जो किसान की नहीं है, व्यवसाइयों की है, पूंजीपतियों की है, उसका आडिटर नियुक्त करने का अधिकार उस कम्पनी को है। यह किसानों की संस्था है, किसानों की संस्था में आप पैनल बनाइये। सी.ए. का पैनल बनाइये और लेखाविद का पैनल बनाइये, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनका पैनल बनाइये और जो सेवा में अधिकारी हैं उनका पैनल बनाइये और संस्था को यह अधिकार दीजिए कि संस्था चयनित करे कि आडिट कौन करेगा। वैसे तो आपने अधिनियम में यह प्रावधान डाल रखा है कि दो साल से अधिक कोई आडिटर नहीं होगा। लेकिन हम इस बात की शंका करें कि यह आडिटर होगा तो उससे निष्पक्षता नहीं आएगी इसलिए मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी। आपकी कुछ अभिलाषाएं थीं, इच्छाएं थीं और भावनाएं थीं जिनको आप अधिनियम में समावेश करना चाहते थे। किसी कारणवश नहीं हो पायी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो प्रारूप समिति की रिपोर्ट दी है, उसमें जो कमियां हैं उसका आप समावेश करिए ताकि हमारे मुख्य मंत्रीजी की इच्छा के अनुरूप, अभिलाषा के अनुरूप यह देश का आदर्श अधिनियम बनने के प्रति अग्रसर हो। आपकी रिपोर्ट में यह भी था कि इस अधिनियम से प्रशासक का नाम

(श्री मांगीलाल डांगा)

हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। यह आपकी भावना है, आप उसके लिए तत्पर हैं और आपने इच्छा भी व्यक्त की थी। रिपोर्ट बनाते टाइम आपने कहा था कि जिस तरह देश का संविधान है और संविधान में लोक सभा विधान सभाएं और काम करती हैं, पंचायत अधिनियम में पंचायत संस्थाएं काम करती हैं उसी तरह सहकारी संस्थाओं में भी हो, चाहे वह ग्राम स्तर की हो और चाहे वह केन्द्रीय स्तर की हो और वह चाहे राज्य स्तर की हो। उनका अपना विधान अपने उप नियम होते हैं और उप नियम की सार्वभौमिकता, उस उप नियम की स्वायता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें किसी प्रकार का संशोधन का अधिकार न तो रजिस्ट्रार महोदय को हो और न सरकार को हो। एक संस्था की साधारण सभा को यह अधिकार है कि अपना उप नियम वह किस तरह से बनाए। उप नियम बनाते वक्त उनमें सब प्रावधान है कि अधिनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे, आपके नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद किसी भी उप नियम में संशोधन करने का अधिकार आम सभा के संकल्प के बिना नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं यह आप दुरुस्ती उसमें करेंगे।

इसके साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, कि देश में जिस तरह से सहकारिता के सामने चुनौती आयी, भारत सरकार ने भी अधिनियम बनाया, 1984 के बहुराज्यीय अधिनियम को बदलकर 2002 में नया बहुराज्यीय अधिनियम लाये हैं, आप उसका अध्ययन कीजिए। आप उसके जो पहलू हैं उस पर विचार कीजिए। मैं चाहता हूं कि उसमें जो बहुत आदर्श प्रावधान हैं उनका हमारे अधिनियम में भी समावेश हो ताकि हम यह कह सकें कि हमारा अधिनियम देश का सर्वश्रेष्ठ अधिनियम है।

मैं दुःख के साथ आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे अधिनियम में धारा 111-2 है यह हमारी राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप नहीं है। इस अधिनियम को जब भी देखा गया है तो हम भी अपने आप में यह महसूस करते हैं कि यह धारा नहीं जुड़नी चाहिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसी सत्र में इसमें संशोधन करावें ताकि राष्ट्रीय नीति के खिलाफ जो प्रावधान इसमें आ गये हैं वे तुरन्त हट जाएं।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिनियम को पारित कराते समय इस सदन को भी आश्वासन दें, लगातार पांच साल से चुनाव कराने की व्यवस्था आपने अधिनियम में जरूर कर दी है परन्तु जब तक नियम नहीं बनेंगे, जब तक उप नियम नहीं बनेंगे,

(श्री मांगीलाल डांगा)

चुनाव नहीं हो सकते। दूसरी तरफ आपकी जो इच्छा है, जिस तरह से आप पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा बनाना चाहते हैं, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका समर्थन किया कि उसके गठन के बिना भी चुनाव नहीं हो सकते। तो आप इन नियमों को बनाते टाइम जो आपने आश्वासन दिये जो उसके अन्दर शब्द हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके परिप्रेक्ष्य का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने खुले दिल से स्वागत के साथ जो अधिकार इन जनप्रतिनिधियों को दिये हैं वे वापस इन नियमों के अनुरूप नहीं छिन जाएं। सहकारिता अनुभवों से आज तक जो बातें आपके सामने आईं, पिछले शासन में जिस प्रकार से इसका गला घोंटा गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी पुनरावृत्ति हो जाए। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर भी आप अमल करें।

जहां तक उप नियम बनाने की बात है, मैं समझता हूं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और उप नियम बनाने का अधिकार सहकारी संस्थाओं का है। आप माडल बाइलाज भी बनाएंगे, संस्थाओं को भेजेंगे तो इसके लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि सहकारिता का अनुभव रखने वाले हैं, जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, चाहे शीर्ष संस्थाओं पर चुने हुए नहीं हैं परन्तु आपके पूर्व के जो भी पदाधिकारीगण, जन प्रतिनिधिगण हैं, उन सबकी भावनाओं को राजस्थान राज्य सहकारी संघ में एकत्रित करके उनकी भावना के अनुरूप माडल बाइलाज तैयार करें। फिर यदि सहकारी संस्था को आप भेजेंगे तो उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वायत्त को बल मिलेगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देते हुए कि आपने बहुत अच्छा अधिनियम पेश किया, आशा करता हूं कि उसको देश का आदर्श अधिनियम बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे और जन भावना और सहकारिता की भावना के अनुरूप आप इस कदम को आगे बढ़ाएंगे।

आज एक बात यह भी सामने आती है कि सहकारी संस्था की जब अपने आप में स्वायत्तता, अपने आप में सार्वभौमिकता है और वह एक लोकतांत्रिक संस्था है तो उसके संचालन में अन्य जितने भी अधिनियम हैं उनका उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने कम्पनी एक्ट से मुक्त किया, इसी तरह से साफ्ट एक्ट है, आपको ब्यूरो आफ एंटर प्राइजेज के रूल्स हैं, ये भी सहकारी संस्थाओं में नहीं लगने चाहिए। आप जो भी व्यवस्था चाहते हैं उसको सहकारी अधिनियम में, सहकारी नियमों में आप डालिए ताकि हमारे विभाग के जो काम हैं, हमारी संस्थाओं के जो कार्यकलाप हैं उनके लिए अलग इस विभाग को नहीं

(श्री मांगीलाल डांगा)

घूमना पड़े तथा जो कठिनाई आज आ रही है उसका निराकरण हो सके।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चार साल की अकाल की स्थिति रहते हुए भी सहकारी विभाग और सहकारी संस्थाओं ने, सहकारी विभाग से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण ने, सहकारी विभाग के अधिकारीगण ने लगन से काम किया। आज सहकारी बैंकों के ऋण दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए सहकारिता विभाग और माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं। हमारी सहकारी संस्थाएं चाहे वह किसी भी वर्ग की हों, ग्रामीण क्षेत्र में उनका आधार है। ग्रामीण क्षेत्र चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह बुनकर का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यावसायिक क्रय-विक्रय का क्षेत्र हो, अकाल होगा तो उससे प्रभावित होगा। और प्रभावित होने से निश्चित है कि हमारे जो आधार हैं, हमारे जो मापदण्ड हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको पूर्ण करने में कठिनाई आती है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए भी चाहे अल्पकालीन ऋण वितरण करने की बात आयी हो, चाहे मध्यकालीन ऋण वितरण करने की बात आयी हो और चाहे हमारे क्षेत्र में किसानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात आयी हो, हम हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में अग्रसर रहे हैं। विभिन्न योजनाएं लागू की हैं बैंकों ने। सबसे बड़ी बात कि आज तक हमारे सहकारी बैंक ऋण वितरण के अन्दर, चारा वितरण के अन्दर और अकाल के अन्दर आगे नहीं आते थे, पहली बार आगे आये हैं। जो लक्ष्य रखे गये थे उन लक्ष्यों तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है, परन्तु एक कदम उठाया है और लक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ने के लिए जो इच्छाशक्ति सहकारी विभाग और सहकारी संस्थाओं में दिखी है, वह बहुत ही सराहनीय है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम साख की बात करते हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप कृषि साख में आगे बढ़े हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात, सभापति महोदय, मंत्रीजी के साथ साथ माननीय प्रतिपक्ष में बैठे सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। बजट पर जब चर्चा हो रही थी तो प्रतिपक्ष के नेता ने भी सहकारिता को ग्राम आधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई बताया था। वास्तव में यह सही है कि सहकारिता ग्राम आधार की आर्थिक इकाई है। सहकारिता में चाहे हमे विपणन को लें, उपभोक्ता को लें, चाहे उद्योग को लें, चाहे प्रोसेसिंग को लें, उन सबका आधार एक ही होगा वित्त और वित्तीय सहकारिता में जब बात आएगी तो वित्तीय संसाधन

(श्री मांगीलाल डांगा)

के लिए सबसे पहले हम बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समितियां इन पर विचार करेंगे।

महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पिछले वर्षों में एक नीति घोषित की। बैंकों के ऋण काफी डूबत कोष हो गये हैं और उनकी बैलेंस शीट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनकी बैलेंस शीट को बिलकुल अप-टू-डेट करने के लिए कि उनके अन्दर बैडडैट्स नहीं हो, एक नीति बनाई। नीति में जो किसानों की संस्था नहीं, जिसके शेयर होल्डर व्यापारी हैं, जिसकी शेयर होल्डर भारत सरकार है, राजस्थान सरकार के हिस्से तो बहुत ही कम किसी कामर्शियल बैंक में होंगे, उन संस्थाओं में 21,400 करोड़ का प्रावधान रखा और 21,400 करोड़ उन व्यावसायिक बैंकों को भारत सरकार ने दे भी दिये। सहकारी क्षेत्र में भी राष्ट्रीय सहकारी यूनियन की तरफ से जितनी भी विभिन्न राज्यों की सहकारी बैंक हैं, उन्होंने भारत सरकार के सामने प्रतिवेदन रखे कि वास्तव में यदि अन्त्योदय के व्यक्ति को ऋण देना है, आई.आर.डी.पी. का ऋण देना है तो उसमें सबसे आगे हमारे सहकारी बैंक हैं। इसलिए जो डूबत कोष का पैसा होना चाहिए, जो समय पर वसूली न होने वाला पैसा है, जो संदिग्ध बैडडैट्स हैं वे सहकारी बैंकों में होने की ज्यादा सम्भावना है। इसलिए भारत सरकार यदि उन बैंकों को मदद करती है तो आगे आकर सहकारिता को भी मदद करनी चाहिए।

बड़े प्रयत्नों के बाद 2002 के बजट में भारत सरकार ने सहकारी बैंकों के संतुलन चित्र को ठीक करने, बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए 800 करोड़ रुपये का। मुझे दुःख है, सभापति महोदय, आज तक उस राशि में से सिर्फ राजस्थान को ही नहीं, किसी भी राज्य के सहकारी बैंकों को भारत सरकार से वह राशि नहीं मिली। जबकि कामर्शियल बैंकों का अनुपात हम देखे तो कामर्शियल बैंकों को 21,400 करोड़ रुपये की यदि यह सहायता प्रदान की जाती है भारत सरकार से, तो सहकारी बैंकों को इसकी कम से कम दस गुना राशि होनी चाहिए। इसके लिए सदन से यह प्रस्ताव जाना चाहिए कि जो आज सहकारी बैंक हैं, जो आज किसानों की संस्थाएं हैं, जो आर्थिक संसाधनों से जूझ रही हैं, अकाल का असर उन पर है, अन्त्योदय और गरीब परिवारों के, बी.पी.एल. के जितने चयनित व्यक्ति हैं उनको सबसे ज्यादा ऋण उपलब्ध कराये हैं तो उनको ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, आज हमारी ऋण व्यवस्था में जब हम इस बात को रखते

(श्री मांगीलाल डांगा)

हैं कि कामर्शियल बैंकों की दर से हमारी दर ज्यादा हो रही है, हमें उसके लिये सोचना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा कि कामर्शियल बैंकों की प्रतिस्पर्धा में सहकारी ऋणों की ब्याज दर को कैसे कम लाएं। अपैक्स बैंक का मार्जिन कम कीजिये, चाहे आप केन्द्रीय सहकारी बैंक का मार्जिन ग्राम सेवा के मद्दे किसी तरह से अनुपात में रखें। आज जब हम ऋण वितरण करते हैं, वास्तव में लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि जो शीर्ष बैंक है उसका काम नाबार्ड से पैसा लेकर सिर्फ ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपस में जो सहकारिता की सद्भावना होनी चाहिये, बैंकों और ग्राम सेवा के बीच भी मतभेद उभरकर आ रहे हैं और किसान को जिस रेट पर ऋण मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। इसके लिये हमें सोचना होगा कि हम कामर्शियल बैंकों से इसको कम लाएं। आज हमारी अमानत दर भी कम हो गयी है। हमें यह महसूस है कि जो हमारी मांग पर लेंगे उसके ऊपर ब्याज काम देना पड़ेगा, तो किसी रूप में भी हम कम करें, नाबार्ड से हम क्या करा सकते हैं उसके लिये भी हमें प्रयत्न करना चाहिये। हमारे अपैक्स बैंक अपने स्तर पर अपना मार्जिन कम करें, अपने आकस्मिक खर्चे हैं उनको कम करें।

बैडडैट्स के अन्दर देखते हैं तो अल्पकालीन कृषि ऋण, मध्यकालीन कृषि ऋण चाहे भूमि विकास बैंक के मार्फत हों, चाहे केन्द्रीय सहकारी बैंक के मार्फत हो, हमारी प्राथमिकता होने चाहिये। आज हमारे बैंक अकृषि ऋणों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर गहरी नजर डालकर देखें। आज जो बैडडैट्स का फिगर बढ़ता जा रहा है, वह अकृषि ऋणों में ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसलिये इसको हमें देखना होगा। दूसरी ओर, अकृषि ऋण की ओर जब आकर्षित हो जाएंगे तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है किसानों की सेवा करना, संसाधन उपलब्ध कराना, उससे हम विमुख जो जाएंगे। इसलिये हमें किसानों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो साख का ऋण है, अल्पकालीन ऋण है, वह ज्यादा से ज्यादा हो। आपने अल्पकालीन ऋण की जो वसूली रोकी है, हमारे यहां आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि अकाल के बावजूद सहकारिता में वसूली हुई है। हमारे यहां जो भी वसूली की गयी है, स्वेच्छा से जिस किसी ने जमा कराया है उसके पैसे लिये हैं। उसने अपनी दूसरी लिमिट में पैसा भी लिया है।

(श्री मांगीलाल डागा)

किसान क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था की है, हमारे अनुपात में कामर्शियल बैंक बड़े बड़े किसानों के पास जाकर उनको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और उनको यह भी लुभावना वायदा दे रहे हैं कि हमारा ब्याज कम है। हो सकता है। उनके ब्याज की जो क़िस्त चुकती है तो वे छह महीने से क्रेडिट करते हैं। परन्तु हमारे यहां भी आपका यह जवाब हो सकता है कि हम ब्याज पर ब्याज नहीं लेते हैं। मैं इसके लिये भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ब्याज के ब्याज नहीं लेने वाला जो लाभ है अपैक्स बैंक को मिल सकता है, केन्द्रीय सहकारी बैंक को मिल सकता है, ग्राम सेवा को नहीं मिलता है। ग्राम सेवा से वसूली की जाती है तो सबसे ब्याज वसूल करते हैं, उसके बाद ही असल की बात है। तो इम्बैलेंस बढ़ने का यह भी एक कारण है। किसान से यदि उसका 10 परसेंट, 20 परसेंट कर्जा भी वसूल कर लिया प्रत्येक से तो वह ब्याज की राशि में जाएगा और जब बैंक में जमा होगा तो वह टोटल सोसायटी का जो ऋण है उसके ब्याज में कम होगा, न कि उसके असल में जमा होगा। ऐसी स्थिति में हमें इसके बारे में बड़ी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस ब्याज दर को कम करें ताकि वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिस्पर्द्धा में हम आगे बढ़ें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, हमारा सहकारी तंत्र श्रेणियों में बंटा हुआ है–इसमें बैंकिंग भी है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था भी है, विपणन संस्थाएं भी हैं, उपभोक्ता संस्थाएं भी हैं, प्रोसेसिंग संस्थाएं हैं, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाएं भी हैं और इन संस्थाओं का नेतृत्व करने वाला जिला सहकारी संघ, राज्य सहकारी संघ भी है। अब इसके संचालन को मैं दो भागों में बांटता हूं–चुने हुए पदाधिकारीगण और यदि पदाधिकारी नहीं हैं तो प्रशासक जो कार्यरत हैं, दूसरा हैं उनके अधिकारी और कर्मचारी। हमारे यहां अधिकारी और कर्मचारियों के लिये भी अधिनियम में यह प्रावधान कर रखा है कि पांच लाख रुपये की हिस्सा पूंजी होगी और उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा, चाहे उसका पदनाम प्रबन्ध संचालक है, चाहे सैक्रेटरी है, वह राजस्थान सरकार नियुक्त करेगी। इसी तरह जिनमें राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी नहीं है और किसी प्रकार की गारंटी नहीं है, वह संस्था उनका स्वयं चयन करेगी। आज ग्राम सेवा के व्यवस्थापक की स्थिति यह है कि हम उसको किसका मानें? न तो संस्था का कर्मचारी मान सकते हैं, न बैंक का कर्मचारी मान सकते हैं, न राज्य सरकार का कर्मचारी मान सकते हैं। दूसरे कर्मचारियों में यह भ्रांति और होती है कि अपैक्स बैंक के साथ वेतन समझौता कर लिया। हमारी एक परिपाटी

(श्री मांगीलाल डांगा)

थी, या सैटलमैंट मानिये, कि किसी भी बैंक के साथ जब भी वेतन समझौता होगा, अपैक्स बैंक के साथ समझौता होगा वह केन्द्रीय सहकारी बैंक के साथ लागू होगा। शीर्ष भूमि विकास बैंक रहा है उसके साथ समझौता होगा, वह आगे उसी के साथ लागू होगा। पर इस साल इसमें जो अलग व्यवस्था दी है, हो सकता है आप उसको स्वायत्ता का नाम दें, लोकतांत्रिक संस्था के स्वरूप का नाम दें, आपके सामने दो प्रश्न यहां खड़े होते हैं कि क्या इन सहकारी संस्थाओं के वेतनमान, सेवा नियम सरकार बनाएगी, या संस्थाओं को उनकी स्वायत्ता के अनुसार बनाने का मौका देंगे? इन संस्थाओं के कर्मचारियों में आपसी मतभेद न रहे, कर्मचारियों की एक लगन हो, कर्मचारी समझे कि हम एक समान हैं तो आपको तय करना पड़ेगा। जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं, यदि हम राजस्थान के केन्द्रीय सहकारी बैंक को लेते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति को लेते हैं, आपको तय करना पड़ेगा। यदि सबको समान एक दृष्टि से देखना चाहते हैं तो घोषित करिये कि समस्त राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारी होंगे ग्राम सभा से लेकर ग्रामीण विकास बैंक तक।

दूसरी तरफ हम जब मार्केटिंग सोसायटी में जाते हैं तो कल अन्ता के बारे में बात हो रही थी, जो कुछ भी हुआ है ट्रस्टी आपने विभाग से लगा रखा है। आपने पांच लाख का प्रावधान यह सोचकर वहां कराया था कि प्रतिनियुक्ति पर जो विभाग का अधिकारी जाएगा वह बहुत ही बौद्धिक होशियार बहुत अच्छा प्रशासक और नियंत्रण रखने वाला होगा। उसके होते हुए किसी प्रकार के यदि गबन घोटाले हों और उसमें हम सिर्फ छोटे कर्मचारियों को सस्पैंड कर दें, उनके खिलाफ कार्यवाही कर दें, तो इस प्रावधान का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस तरह के आप नियम बनाइये, व्यवस्था बनाइये, आपके गोदाम में राजफैड का माल था, मार्केटिंग सोसायटी के गोडाउन में रखा होगा, यह व्यापार की विश्वसनीयता है, टेलीफोन पर यदि राजफैड और बैंक को कुछ बात कह दी जाती है तो मानी जाती है, उसके भुगतान होते हैं। एक दूसरे की विश्वसनीयता नहीं बनी रहेगी तो यह नहीं होगा और कामर्शियल संस्थाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी, कारोबार नहीं चला पाएंगे। जिस तरह से ग्राम सेवा सहकारी समिति की मांग आती है, मार्केटिंग सोसायटी वालों की भी मांग आ रही है। मार्केटिंग सोसायटी कर्मचारी कहते हैं कि यहां कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं है। एक दफा फेमिन हो गया, खाद-बीज नहीं मिला। दूसरी तरफ ग्राम सेवा मैनेजर की मांग बिलकुल वाजिब है। ऋण वह वितरण करता है, उपभोक्ता वस्तुएं वह वितरित करता है, तो वह कह रहा है कि सबसे

(श्री मांगीलाल डांगा)

ज्यादा काम मैं कर रहा हूं। गांव के अन्दर जो पटवारी बैठा है उससे ज्यादा मेरी सेवाएं हैं, आपके कृषि पर्यवेक्षक से ज्यादा मेरी सेवाएं हैं तो मेरा वेतन कम क्यों? यदि हम उसको उसके अनुपात में वेतन नहीं दे पाते हैं तो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिये जरूरी है।

सहकारी विभाग के जितने भी आप सर्विस नियम बनाएंगे, नया एक्ट बन गया है, रूल्स बनाएंगे, तो आपको देखना होगा कि अपैक्स बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक इन सबकी भावना को एक करें, इनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा न रहे। आपको अपैक्स बैंक, सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक से लेकर ग्राम सभा तक अपैक्स बैंक के कर्मचारी बनाने होंगे ताकि आपके सामने यह प्रश्न न आए कि आज जो आपने समझौता किया है वह ग्राम सभा के लिये हुआ नहीं हैं। आटोमेटिक वह ग्राम सभा पर लागू हो जाएगा। इसी तरह से यदि राजफैड के कर्मचारी हैं तो मार्केटिंग सोसायटी तक के कर्मचारियों को आपको राजफैड घोषित करके समझौता करना पड़ेगा, ताकि हमारे कर्मचारियों में यह न हो कि राजफैड के अधिकारी को आप पचास हजार का वेतन दे रहे हैं और ग्राम सभा का सेल्समैन छह सौ रुपये पर ही काम कर रहा है। इस भ्रांति को दूर करने के लिये आपको बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, गहराई से विचार करना पड़ेगा संस्था के पूरे विषय में सोच कर।

हमारा सबसे छोटा कर्मचारी ग्राम सभा का मैनेजर है, उसके लिये वर्षों से लम्बित है। कई कमेटी बन गयीं, कई शासन बदल गये, पर आज भी वह अपनी सुविधा से महरूम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको आप सुविधा दिलाएं। साथ ही अपैक्स बैंक और शीर्ष भूमि विकास बैंक के साथ हुए समझौते को हमारे भूमि विकास बैंकों के साथ भी लागू करा दें। यदि आप मेरे सुझाव को मानकर अपैक्स बैंकिंग सेवाएं ग्राम सभा तक कर देंगे, भूमि विकास बैंक की सेवाएं एक कर देंगे, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ की सेवाएं एक कर देंगे, उपभोक्ता सहकारी संघ की सेवाओं को ग्राम स्तर तक प्राथमिक भण्डार की सेवाओं को एक कर देंगे, इसी तरह से बुनकर और कृषि सहकारी समितियां हैं उनकी सेवाओं को आप एक कर देंगे तो कभी कर्मचारियों में भ्रांति नहीं आएगी। ये जो प्रश्न आज खड़े हो रहे हैं कि कौन ज्यादा लाभ कमा रहा है, सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक कमा रहा है और ग्राम सेवा को नहीं दे रहा है, ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर आप विचार करें और उनको लाभान्वित करें।

महोदय, आज हमारी संस्थाओं में राजफैड ने अकाल के अन्दर चारा डिपो

(श्री मांगीलाल डांगा)

खोलने के अन्दर भी काम किया। इफ्को के माध्यम से जितना भी खाद विक्रय हो रहा है, आज हम बीमे की बात कर रहे हैं, सहकारी संस्थाओं ने क्या किया? एक कट्टा खरीदने पर चार हजार और 25 कट्टे खरीदने पर एक लाख के बीमा की योजना इफ्को के माध्यम से लागू हो चुकी है। इनके सदस्यों को जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, खेत में काम करते थे, उनके क्लेम के लिए वैसे कोई खुशी नहीं हुई परन्तु हमने सैकड़ों किसानों को क्लेम भी दिलाये हैं। यह बहुत बड़ी राहत की योजना है। इसी तरह से आज सहकारिता को आगे आना चाहिए। किसानों को जो कृषक बीमा है, जो आम साधारण फसल है उसका नहीं, परन्तु जिस किसानों को हम ऋण उपलब्ध कराते हैं, जब अकाल की आपदा आती है, आलोवृष्टि हो जाती है तब किसान की जो स्थिति बनती है, हमारी जो इफको जो सहकारी कम्पनी है उसके माध्यम से हमारी सहकारी संस्थाएं किसान से जो भी नामिनल पैसा लेकर, किसान ज्यादा अंशदान तो नहीं कर पाएगा, जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना को लागू करें तो हमारे किसान को प्राकृतिक आपदा में जो दुविधा भोगनी पड़ रही है उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह कदम सहकारिता क्षेत्र में उठेगा तो यह देश में अग्रणी कदम होगा। मुझे विश्वास है कि सहकारिता मंत्रीजी इस पर विचार करके इसको लागू करेंगे।

महोदय पिछले वर्षों में जब किसान की फसल अच्छी होती है तो उसको भाव नहीं मिलता है और भाव मिलता है तो फसल नहीं मिलती है और किसान जब तक फसल काटकर, निकालकर अपने घर में नहीं ले जाता तब तक वह किसान की फसल नहीं होती है। कटाई कर ली, लाटा निकाल लिया और किसी तरह की ओलावृष्टि हो गयी, आग लग गयी तो किसान हमेशा पकड़ में रहता है। दूसरी बात अब गबन की, स्टाक की बातें आती हैं। विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजकर, कई हमारी बड़ी–बड़ी संस्थाएं हैं जिनमें आई.ए.एस. अधिकारी हैं, यह हमें तय करना पड़ेगा कि यदि आपका कोई भी स्टाक शार्ट हो रहा है, चोरी चला गया, उसके बीमे की व्यवस्था है? आर्थिक तंत्र की संस्थाएं हैं हमारी सहकारी संस्थाएं, सबसे पहला हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, एफ.आई.आर. दर्ज कराना, सजा दिलाना सैकण्डरी है, पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारा जो धन लगा हुआ है, हमारी जो पूंजी लगी हुई है, वह सुरक्षित रहे, उसको कैसे वसूल करें। इसके लिए सबसे पहला प्रयत्न यह होना चाहिए, कि हमारी व्यवस्था ऐसी हो। आज जिस तरह से स्टाक कम की बात होती है, यदि राजफैड का स्टाक संस्था के पास रखा जाता है तो वहां के मुख्य कार्यकारी

(श्री मांगीलाल डांगा)

को यह व्यवस्था बनानी चाहिए कि वह भौतिक सत्यापन रोज नहीं कर सकता, परन्तु राजफैड का रिलीज आर्डर आएगा तभी हम उसको रिलीज करेंगे, तब तक आप डबल लाक की व्यवस्था कीजिये। ये जो इस तरह की छोटी-छोटी बातें हो रही हैं, छोटे-छोटे कर्मचारी दु:खी हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बनती नहीं है, इसलिए मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरह की आप व्यवस्था बनाएं।

सभापति महोदय, पिछले रबी के सीजन में नैफेड के मार्फत सरसों की खरीद हुई, राजस्थान में 497.95 करोड़ की खरीद की। राजफैड ने अपनी वाणिज्यिक खरीद भी की, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को और मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं। परन्तु उसमें भी किसानों के सामने कुछ समस्याएं आयीं, उसके लिए मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। उस टाइम मैं कृषि मंत्रीजी से भी मिला, मुख्य मंत्रीजी ने भी उस पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। आज किसान फसल बोता है, जो भी किसान कुआं किसी का है, दूसरा किसान उससे पानी लेकर अपने खेत में खेती करता है। खातेदारी पिता के नाम है, बेटे ने बुआई की है, नामान्तकरण नहीं हुआ है। वह यदि समर्थन मूल्य पर अपना माल बेचने जाता है तो यदि गिरदावरी की पाबंदी हम लगा देंगे तो उस आदमी का भला नहीं हो सकता है, उसको व्यापारी को सस्ते में बेचना पड़ेगा। या तो कृषि विभाग और राजस्व विभाग यह व्यवस्था सबसे पहले करे कि बुवाई के टाइम पर ही उस किसान को पर्चा दे दे कि उसकी यह-यह बुवाई हुई है, उससे पूछकर कि उसका काश्तकार कौन है, पानी देने वाला कौन है, काश्त करने वाला कौन है, यह फसल किसकी होगी। जो गैर खातेदार अपना अनाज, सरसों खेती करके समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाते थे, सहकारी संस्थाएं खरीद लेती थीं। परन्तु यह प्रावधान लागू करने के बाद हमारी सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी के और अधिकारियों के हाथ बंध गये। ऐसी जो पाबंदियां हैं वह भारत सरकार नहीं लगा रही है, नैफेड नहीं लगा रही है तो फिर हम लोगों को इसके लिए उदार होना चाहिए और किसान के हित को ध्यान में रखते हुए यह पाबंदी आपको विथड्रा करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसानों को इस सम्बन्ध में दिक्कत नहीं आए।

दूसरा, जो आज हमारी यूनिट्स हैं, आज जब हम तिलम संघ की बात करते हैं, सहकारिता बदनाम होती है कि सहकारिता की यूनिट चली नहीं। मेरा प्रश्न है यहां कि उस तिलम संघ को आपने सहकारी संघ कब तो बनने दिया, कौनसे सहकारी संघ के सदस्य थे जिन्होंने उसका संचालन किया, जिन्होंने अपने पदाधिकारी

(श्री मांगीलाल डांगा)

बैठाये? सरकार ने बनायी और सरकार ने ही बंद कर दी। उस टाइम भी जब यह संस्था बन रही थी, हम लोगों के सुझाव थे कि आप जो भी प्लांट लगा रहे हैं, आप क्रय-विक्रय सहकारी संस्थाओं को इसका प्रशिक्षण दें और उनका नियंत्रण, उनका मार्गदर्शन आप अपने हाथ में रखें तो ये छोटी-छोटी संस्थाएं वहां के परिप्रेक्ष में काम करेगी। मेड़ता तिलम संघ के लिए हमने बैठकर यह तय किया कि हमारे किसान तैयार हैं उसको चलाने के लिए। भारत सरकार से कृषि संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि आये, उसका अध्ययन किया, परन्तु कुछ इसमें विसंगतियां हैं, कुछ हमारे अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं। आप यदि उन संस्थाओं को उन लोगों के हाथ में दें जो किसान स्वयं चलाएं, उसका संचालन करें, उन्हें मौका देने के लिए उन बिन्दुओं पर विचार करके हमें आगे बढ़ना होगा।

आज सहकारी संस्थाओं के हानि और लाभ का तो हम अध्ययन कर रहे हैं, हानि को लेकर उन्हें बन्द करने जा रहे हैं, पर राजफैड और नैफेड यदि नहीं हों? आज आप आम किसान से जानकारी लेंगे किसी भी मण्डी में जाकर तो किसान कहता है कि जिस दिन नैफेड खरीद करने के लिए मण्डी में आता है, जिस दिन राजफैड का प्रतिनिधि मण्डी में खरीद करने के लिए आता है, उस दिन जिंस का भाव चाहे वह गेहूं हो या दूसरी हो, वह 25 रुपये, 50 रुपये महंगा बिकता है। आज यदि हम नो लास नो प्राफिट में भी यह धंधा कर लें, साल भर में राजफैड यदि एक करोड़, दो करोड़ का नुकसान भी उठा ले और किसान की जेब में 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपये दे पाएं तो वह नुकसान नहीं है, किसानों को हमने अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया है। हमारा मूल उद्देश्य ही यही है कि हम किसान की सेवा करें, जो हमारा बुनकर है, जो गरीब तबके का आदमी है, जो साधारण व्यक्ति है, उसको फायदा पहले मिले और हमारी संस्थाएं लाभ बाद में कमाएं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामले में हम इन संस्थाओं को बन्द कर दें और यह मान लें कि हमने बहुत कुछ कर लिया, नुकसान उठाने वाली जो संस्थाएं थीं उससे पीछा छुड़ा लिया, तो यह पीछा नहीं छूटने वाला है। किसानों के हितों में इन संस्थाओं को खड़ा रखना पड़ेगा, इनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। इसी तरह से आज हमारे कर्मचारी जहां सरप्लस हैं, आप उन्हें दूसरी संस्थाओं में भेज रहे हैं। और भेजना भी चाहिए। आपकी बड़ी संस्था जिसमें सरप्लस है, उसके कर्मचारियों को एब्जार्ब करने के लिए हमने व्यवस्था बनाई है। और बनानी भी चाहिए, मैं उसका समर्थक हूं। परन्तु जो छोटे कर्मचारी हैं, मार्केटिंग संस्था डूब गयी, उसके 10 कर्मचारी हैं,

(श्री मांगीलाल डांगा)

उनका क्या कर रहे हैं? आपकी तिलम सोसायटी जिसके अन्दर आपने छूट दी थी, आपके रजिस्ट्रार ने नियुक्ति की स्वीकृति दी थी, यदि वह बंद होती है तो उसके कर्मचारियों का क्या होगा? इसके लिए आपको गहराई से सोचकर इसके नियम बनाने चाहिए। ताकि जो छोटे कर्मचारी हैं और जिनको राहत मिलनी चाहिए, जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, जिनके साथ अन्यास हो रहा है, जिस अन्याय को वे सहन नहीं कर सकेंगे, उनकी मदद में आगे सहकारिता आए, सहकारिता इसके लिये आगे बढ़े। और इसी के साथ...

श्री सभापति : इसके साथ अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, आपका आदेश है, आपने मुझे अवसर दिया है, आपके आदेश की पालना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना के अनुरूप इसी सत्र में इस अधिनियम को आप देश का आदर्श सहकारिता अधिनियम बनाएं। इसी अभिलाषा के साथ, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

(15.00 बजे)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो हमने नारा दे रखा है कि सहकारी बिन नहीं उद्धार और दूसरी तरफ सहकारी बैंक, सहकारी मार्केटिंग संस्थाएं, बैंक, तिलम संघ गबन–घोटालों के अड्डे बनते जा रहे हैं तथा सहकारिता मंत्रीजी इन संस्थाओं का चरागाह बनता जा रहा है। विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूब कर फल–फूल रहे हैं, जनता के धन का दुरूपयोग कर रहे हैं।

मैं हमारे कोटा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक के बारे में आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जहां करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। वहां सभी जांचें धारा 74 के नाम पर पैंडिंग कर दी गयी हैं। वहां पर व्यवस्थापक से लेकर एम.डी. तक गबन में डूबे हुए हैं, सहकारी विभाग के उच्च अधिकारी उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कोटा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक के एक एम.डी. जो कुछ दिन पहले वहां थे +++ सहकारिता मंत्रीजी पता नहीं उनको क्यों बचाना चाहते हैं, शायद इनके रिश्तेदार हों या और कोई बात हो। उन्होंने 16 करोड़ रुपए की सी.सी. लिमिट वहां पर बांटी और ट्रैक्टरों के लिए 46 करोड़ रुपए का लोन फर्जी तरीके से दिया। मैं रजिस्ट्रार महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब उनके पास इसकी शिकायत पहुंची तो उन्होंने उस मामले की जांच करायी

+++नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा। इन्हीं एम.डी. साहब ने वहां के एक कर्मचारी श्री रमेशचन्द्र शर्मा को जो काफी समय से निलम्बित था, बिना जांच के आधार पर निलम्बन से बहाल कर बैंक को लाखों रुपयों का चूना लगाया, जबकि बैंक की तरफ से जो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी उसमें उस कर्मचारी के विरुद्ध 420, 409, 467, 468 एवं 120–बी का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। ऐसा गम्भीर अपराधी होने के बावजूद भी सरकार के कार्मिक विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए श्री मीणा को न्यायालय के खिलाफ जाकर बहाल कर दिया, जबकि ऐसे गम्भीर अपराधी को तो सेवा से बरखास्त किया जाना चाहिए।

कोटा की मार्केटिंग सोसायटी डूब गई, बारां की मार्केटिंग सोसायटी डूब रही है, छबड़ा, बारां, छीपाबड़ौद, अंता, अटरू, इटावा की मार्केटिंग सोसायटीज में गबन हो रहे हैं। कोटा की नागरिक बैंक में करोड़ों रुपया डुबोया जा रहा है, वसूली नहीं की जा रही है। गत चार–पांच वर्ष से नागरिक बैंक का एम.डी. इसी काम में लगा हुआ है। वह न तो ऋण की वसूली की तरफ ध्यान देता है और लोन पर लोन दिए जा रहे हैं, इससे इस बैंक की बहुत बुरी स्थिति हो रही है।

हमारे कोटा–बारां में पता नहीं क्या सोच कर सहकारिता विभाग चुनिंदा अफसर लगाता है, जिनका एक ही काम है कि भ्रष्टाचार करो और अपना घर भरो। एक ईमानदार अधिकारी कुछ दिन के लिए वहां लगाया था जिसका नाम है शिवजी लाल चौपड़ा, 5–6 महीने में ही विभाग के अधिकारियों या ऊपर के दबाव के कारण उसको वहां से हटा दिया। जिसने लाखों–करोड़ों रुपयों के बैंक घोटालों को उजागर किया, जिला कलक्टर के सहयोग से दोषी लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी, डूबा हुआ पैसा वसूला। ऐसे ईमानदार अफसर को वहां से पांच–छह महीनों में ही हटा दिया गया। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वहां पर कोई निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी लगाया जाए जो कि वहां की बैंकों और नागरिक बैंक में जो घोटाले हो रहे हैं उनको उजागर करे। मैं मंत्रीजी से भ्रष्ट, बेईमानी और फर्जी ऋण बांटने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी घोषणा करने की मांग करता हूं और जिन कर्मचारियों का इस तरह का आचरण है उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

इसी प्रकार आप देखिए कि उपभोक्ता भण्डारों में भी घोटाला है। दवा कम्पनियां कहीं पर क्या कमीशन देती हैं और कहीं पर क्या कमीशन देती हैं। [illegible]पुर में कुछ

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

और कमीशन दिया जा रहा है और जोधपुर में और कमीशन दिया जा रहा है। मैं आपको दो-चार-पांच कम्पनियों के नाम पढ़कर बताऊंगा-जानसन एण्ड जानसन जोधपुर में दे रही है 18 और यहां पर दे रही है 28.50 रामसन्स, वहां पर 11 और यहां 18 रुपए दे रही है। एरोल्टर इण्डिया लिमिटेड कम्पनी, वहां पर 25 दे रही है, यहां 42 दे रही है। क्रेप बैण्डेज, वहां 18, यहां 22, एलन, 10-14, सिप्ला 8-12, प्रोटेक, 8-12, माइक्रो लैब, 5-13, एल्डर फार्मा, 10-14 मेकल्रियोल्ड्स, 10-14 हैल्थऑन, 10-14 डाबर, 6-10 बायोकेम, 6-10, कोमेट कैमिकल्स, 5-9, एफ डी सी, 6-10 मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ये दवाएं एक ही कम्पनी की हैं तो इसमें जोधपुर में अलग कमीशन और जयपुर में अलग कमीशन, यह किस बात के लिए है?

इसी प्रकार मैं हमारे कोटा सम्भाग के बुनकरों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां पर कच्चे माल की वजह से बुनकर उद्योग ठप-सा हो गया है। कोटा की कोटा-डोरिया साड़ियां जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, कच्चे माल के अभाव में करीब-करीब बंद-सी होती जा रही हैं। छबड़ा, छीपाबड़ौद का दरी उद्योग बंद-सा हो गया है, मांगरोल में हैण्डलूम कपड़े का उद्योग चल रहा था वह भी करीब-करीब समाप्त हो गया है।

मैं यह भी मांग करूंगा कि सहकारी बैंक के जो व्यवस्थापक हैं, उनको बैंक का कर्मचारी माना जाए और जो मैंने आपके सामने भ्रष्टाचार के मामले यहां पर रखे हैं उनके ऊपर आप निश्चित ही कोई कार्यवाही करें। इसी आशा के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : आपका समय बचा हुआ है और बोलें तो आप, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : और बोल लें, साहब? मेरी बात बोल ली मैंने।

श्री जनार्दन गहलोत (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) **:** मांगीलालजी को दुबारा चांस दो, साहब। हमारे पास बहुत गुंजाइश है अभी।

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, आज सहकारिता की मांग पर चर्चा हो रही है, माननीय सदस्यों ने सहकारिता के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं और कई अनियमितताएं जो हो रही हैं उसके ऊपर भी कुछ बताया उन्होंने। सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य था कि हम गरीब को ऊंचा उठाएं और बिचौलियों को समाप्त

(श्री दिग्विजय सिंह)

करें। हमें आज करीब 30 वर्ष हो गये, इसके ऊपर विचार करना होगा, और डिपार्टमेंट को भी इस पर सर्वे करना चाहिए, कि क्या हम गरीब को इस सहकारिता आंदोलन के माध्यम से ऊंचा उठा पाये हैं। इसका लाभ लिया है तो उन्होंने लिया है जो सक्षम थे और जिनके पास में समझने की शक्ति थी। कहा जाए, लठधारियों ने इसका पूरा-पूरा फायदा उठाया है और आज भी गरीब को कोई बेनीफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप विभाग के अन्दर यह भी सर्वे कराएं कि सहकारिता आंदोलन चला तब से आज दिन तक हमने कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाया, लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे थे, क्या इस सहकारिता आंदोलन के माध्यम से उनको लाभ मिला, क्या वे ऊंचे उठ पाये।

अभी मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं बिलकुल उनकी बात से इत्तफाक करता हूं, कि आज काश्तकार की स्थिति वो की वो है। आज भी वो सहकारी बैंक न जाकर उन बिचौलियों के पास पहले जाता है जिनसे उसको ऋण वगैरह आसानी से मिल जाता है और फिर वो का वो शोषण शुरू होता है। मैं मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को जिस उद्देश्य से चलाया गया था उस उद्देश्य के ऊपर हम खरे उतर रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा भी हमको करनी चाहिए। इसके ऊपर आप भले कमेटी बनाएं या अधिकारीगण अपने स्तर पर करें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आज गरीब की जो स्थिति है वो जैसी सामान्य होनी चाहिए उस स्तर पर नहीं पहुंची। आज भी गरीब-गरीब है। इस आंदोलन के माध्यम से या कानून के माध्यम से जो लाभ उपलब्ध है, जिसको मालूम है कि जिस प्रकार से वह लाभ ले सकता है उसका वह उपयोग करके पूरा लाभ उठा रहा है और आज वह धनवान होता जा रहा है। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय मंत्रीजी इस सम्बन्ध में आप ध्यान देंगे। इस सारे मामले का भी आप एक सर्वे कराएं कि सहकारिता आंदोलन के माध्यम से हमने किसानों को लाभ पहुंचाया और कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी संस्था हो उस संस्था के अन्दर समयानुसार चुनाव हो जाते हैं। चुनाव होते रहने चाहिए, तो निश्चित रूप से एक प्रक्रिया पूरी होती है और जो आज आरोप प्रत्यारोप लगते हैं भ्रष्टाचार के वे भी दूर

(श्री दिग्विजय सिंह)

हो जाते हैं। सहकारी संस्थाओं के चुनाव, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव 1991 में हुए थे, उसके बाद आज दिन तक चुनाव नहीं हुए। अब चुनाव कब होंगे, यह भी कोई मालूम नहीं। सहकारी समितियों का नया कानून भी बन गया और मैं समझता हूं, कानून बनकर उसकी असेंट भी आ गई है, अब कब चुनाव होंगे इसकी माननीय मंत्री महोदय इस सदन में घोषणा करेंगे कि आपका विचार क्या है। आखिर चुनाव आप कब कराएंगे? क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन उसके अन्दर अपाइंट हो गया, वो करेगा सारे चुनाव और चुनाव होंगे पांच साल के। आपके आम चुनाव भी आने वाले हैं। आम चुनाव नवम्बर में आ जाएंगे। उसके बाद अगर चुनाव की घोषणा आप अगस्त में करना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि तीन महीने पहले कोई चुनाव नहीं होते।

डा. सी. पी. जोशी : डीलिमिटेशन के बाद करा लें तो क्या राय है? असैम्बली सीटों का डीलिमिटेशन हो जाए उसके बाद कराएं तो क्या दिक्कत है?

श्री दिग्विजय सिंह : डीलिमिटेशन से क्या होगा? विधान सभा के चुनाव तो होंगे ही होंगे।

श्री मदन दिलावर : डीलिमिटेशन से इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, डीलिमिटेशन हो या न हो, अगर पुराने पर ही रह जाता है तो चुनाव तो नवम्बर में होंगे।

श्री सभापति : आपका क्षेत्र खतम हो गया इसलिए ये कह रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : खुशी हो रही है क्या?

श्री सभापति : इनका इशारा आपके उनियारा क्षेत्र की तरफ है।

श्री मदन दिलावर : माननीय दिग्विजय सिंहजी का विधान सभा क्षेत्र टूट रहा है इसलिए आपको खुशी हो रही है।

श्री सभापति : जब कि आप तो कोआपरेटिव चुनाव की बात कर रहे हो।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी को मेरी ज्यादा चिन्ता है इसका मैं आभारी हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, अब आपको आत्म-ग्लानि हो रही होगी कि आप वहां क्यों चले गये।

डा. सी. पी. जोशी : यह आपको तो नहीं हो रही है? आपको भी इधर आना है। मान्यवर, आपको भी इधर ही आना है। इधर ही आना है थोड़े दिन बाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब हूक-सी उठ रही है ना मन में।

श्री सांवर लाल : आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, माननीय सदस्य। यहां आपको इज्जत, शोहरत और सम्मान था, वहां जाने के बाद में सब कुछ समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इधर थे तो यहां बिराजते थे, हमारे नेता थे, अब वहां पीछे–पीछे बिराज रहे हो। और आपके विधान सभा क्षेत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, वरना आपका विधान सभा क्षेत्र समाप्त नहीं होता। आपकी जो हालत है...

डा. सी. पी. जोशी : आप तैयारी करो, इसी नेता के पास इधर ही आना है। यहीं आकर बैठना है, तैयारी करो असैम्बली के बाद इधर ही आकर बैठना है इनके पीछे ही।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, इन्होंने एक बात कही...

श्री जनार्दन गहलोत : धर्मपालजी के साथ किया वह इनके साथ करोगे क्या?

श्री सभापति : आप सबकी नहीं कह रहे हैं वे राठौड़ साहब की कह रहे हैं खाली।

डा. सी. पी. जोशी : वह तो राठौड़ साहब और धर्मपालजी की...(व्यवधान) धर्मपालजी की सीट इन्होंने खतम करायी इसलिए इनको इधर लाना है।

श्री जनार्दन गहलोत : धर्मपालजी की जो सेवा आपने की है वह बड़ी संराहनीय है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने यही कहा कि सन् 1991 में चुनाव हुए उसके बाद में कोई चुनाव नहीं हुए। अब जो नये एक्ट के तहत चुनाव कराएंगे तो मैं जानना चाहूंगा आप कराएंगे या नहीं, क्योंकि आपके सामने कई बाधाएं आ जाएंगी, इसलिए इसकी आप स्पष्ट घोषणा करें कि जो नये एक्ट के अन्तर्गत चुनाव होने वाले हैं उसका आपका क्या विचार है। अगर आप मई–जून में कराते हैं तो ठीक है, अगस्त में कराएंगे तो आप चुनाव नहीं करा पाएंगे, चाहे डीलिमिटेशन हो या न हो। विधान सभा के जो चुनाव होने हैं वे तो नवम्बर में निश्चित होंगे। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन है कि आप इस बात के लिए कहें कि हम चुनाव समय पर कराएंगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो नया एक्ट आया है उस नये एक्ट के अन्दर एक बिलकुल मेण्डेटरी प्रोविजन रखा है कि पांच साल के अन्दर तो निश्चित रूप से चुनाव होंगे। यह एक बहुत अच्छा कदम है। आज कोआपरेटिव सोसाइटियों में अनियमितताओं की बात, भ्रष्टाचार की बात या इस तरह के जो आरोप लगते हैं उसका एक कारण यह है कि हम समय पर चुनाव नहीं कराते, लोगों को उसके अन्दर ज्यादा इंवाल्वमेंट का मौका नहीं मिलता। इस वजह

(श्री दिग्विजय सिंह)

से एक ही जगह पर जो बैठे रहते हैं, जैसे कहते हैं, एक जगह पर कोई बैठा रहेगा तो स्टेग्नेशन होता ही है और उसमें बदबू आ ही जाती है। इसलिए समय पर चुनाव होने चाहिए और समय पर चुनाव कराने के लिए आप निश्चित रूप से, मंत्री महोदय कोई विचार करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ-साथ एक सुझाव देना चाहूंगा। आप इन सहकारी समितियों के जब चुनाव कराएं, आज हम गरीब को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो व्यवस्था इस प्रकार की करें कि जो सहकारी समिति गठित हो उसके अन्दर कम से कम 60 प्रतिशत उनका प्रतिनिधित्व हो जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। तब तो हम उस गरीब को ऊंचा उठा पाएंगे। आज अगर उसको ओपन कर रखा है तो उस गरीब को तो मौका मिलता नहीं। 60 परसेंट रखते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे वालों का इंवाल्वमेंट करते हैं और उसको बाध्यकारी बनाते हैं तो मैं समझता हूं कोआपरेटिव मूवमेंट का आप लाभ ले पाएंगे। 40 परसेंट अगर दूसरे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हो क्या रहा है? 60 परसेंट जो दूसरे हैं वे कब्जा करके बैठे हैं कोआपरेटिव सोसाइटीज पर और गरीबों के नाम से पूरा लाभ उठाकर अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। अपना धंधा भी चला रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे मालूम है, हमारे सदस्यों को भी मालूम है, कई स्थानों पर तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन-जायदाद इस कोआपेरिटव के माध्यम से बनी है, पहले जिसकी कोई स्थिति ही नहीं थी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब कोआपेरिटव संस्थाओं के चुनाव हों उस समय आप ध्यान रखें कि गरीब को हम किस तरह से ऊपर लाएं, किस प्रकार से हम ज्यादा भागीदारी दें ताकि उनको लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अकाल के सम्बन्ध में, जो आपने कहा...

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, गरीब की डेफिनिशन क्या है?

श्री दिग्विजय सिंह : जो राज्य सरकार ने दे रखी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : गरीब की डेफिनिशन गरीब।

श्री दिग्विजय सिंह : गरीब की डेफिनिशन वही है जो मंत्री महोदय खुद राज में बैठे हैं उनको मालूम है। वहां क्या दे रखी है गरीबी की? आप अगर गरीबी की डेफिनिशन को बदल दो तो बढ़िया है, बाकी आपने जो दे रखी है डेफिनिशन वो की वो ही डेफिनिशन है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जैसे आदमी गरीब का नाम लेते हैं यह कोई

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कम बात है? आप अगर गरीब का नाम लेते हो, यह बहुत बड़ी बात है इस प्रजातंत्र के अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह लोकतंत्र की देन है, माननीय मंत्रीजी।

डा. सी. पी. जोशी : राजा थोड़े ही लाए लोकतंत्र।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोकतंत्र की देन है कि राजतंत्र में बैठे लोग आज बात कर रहे हैं गरीब की।

श्री दिग्विजय सिंह : नाम लेते हैं बहुत बड़ी बात है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने भी कुछ राहत दी है, उनका भी आज अखबार में आया है कि वे किसान के बेटे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, किसान के बेटे हैं, आपको क्या एतराज है इसमें?

श्री दिग्विजय सिंह : किसान का बेटा वो ही होता है, हम नहीं हैं क्या? हम भी खेती करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने तो कहा है कि हमने हल चलाया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : राजपूत होना कोई गुनाह है क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : हम भी खेती करते हैं, हम भी खेती करना जानते हैं, हम भी जानते हैं हल क्या है, चऊ क्या है, पीनणी क्या है, धौह क्या है।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई राजपूत है, जाट है, विश्नोई है, क्या हो गया राजपूत है तो? हरेक आदमी हो सकता है वह तो।

श्री दिग्विजय सिंह : हम भी जानते हैं, किसान हैं। आप बताओ चऊ क्या होती है? धौह क्या होता है, पीनणी क्या होती है, रस्सी क्या होती? बता दो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो अपनी बात करें।

श्री दिग्विजय सिंह : हम किसान हैं, हम जानते हैं सब को। आप बता दो, आप जानते हो तो। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, हम किसान हैं, किसान को जानते हैं, किसान के दर्द को भी जानते हैं। किसान के दर्द को जानते हुए ही आज मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार जीतकर आया हूं, नहीं, जीत नहीं सकता। किसान के दर्द को नहीं जानता और किसान के दर्द को नहीं समझता तो मैं विधान सभा में 6 बार नहीं आता, माननीय मंत्रीजी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप तो 6 बार जीतकर आये हो और मैं 40 साल से जीतता आ रहा हूं, मैं 40 साल से जीतता आ रहा हूं, आप 6 बार ही जीतकर आये हो।

श्री सभापति : माननीय कृषि मंत्रीजी, आपस में बात नहीं करें। आप तो अपनी बात करें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : वह 40 साल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं 6 बार आया हूं। अब 5 से उसको गुणा कर लो, ज्यादा क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। (व्यवधान) वह नहीं तो जो अवार्ड मिला था उसमें नहीं थे। राष्ट्रपतिजी ने अवार्ड दिया था तब नहीं थे।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं था।

श्री दिग्विजय सिंह : हां।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : थे।

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर था तो वापस विथड्रा कर लेंगे क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : उसका मेरे को ध्यान नहीं आया होगा।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाह रहा हूं और वह यह है कि अकाल के सम्बन्ध में जो छूट आपने दी है, आपने कहा कि शार्ट टर्म लोन में दी है और लोंग टर्म लोन में दी है। हां, छूट दी है। अकाल में उसकी वसूली की, वह आपने दी है, लोंग टर्म के लिए। उस टाइम आप बोल रहे थे न शार्ट टर्म के लिए, मैं, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि लोन तो लोन ही होता है, आप शार्ट टर्म के लिए दें या लोंग टर्म के लिए दें। आखिर उस काश्तकार के पास जब पैसा ही नहीं होगा उसको चुकाने के लिए, तो वह देगा कहां से? आज यह स्थिति है। मैं अकाल राहत में भी बोला था कि ए.पी.एल., बी.पी.एल. की जो बात है वह नहीं हो। आज देश प्रदेश के अन्दर सब के लिए अकाल पड़ा हुआ है, चाहे वह ए.पी.एल. का व्यक्ति हो, चाहे वह बी.पी.एल. का व्यक्ति हो। जैसे ए.पी.एल. वाले के सौ बीघा का खेत है उसमें अगर उसने दाना ही नहीं डाला तो पैदावार कहां से होगी? इसी प्रकार से शार्ट टर्म और लोंग टर्म का मतलब नहीं है। उसके पास पैसा ही नहीं, उसे दो रोटी का जुगाड़ करने के लिए इधर-उधर से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप इस पर दुबारा विचार करें और विचार करके इस छूट को दोनों पर ही लागू करें और, अगर आप चाहें, इंसेंटिव या मोटिवेशन स्कीम के नाते आप यह कर सकते हैं कि जो लम्पसम जमा करा दे आपके मूल को तो आप उसका ब्याज माफ कर देंगे। एक इंसेंटिव हो जाएगा, एक मोटिवेशन हो जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर टोटल लोन ज़मा कराता है तो उसका आप ब्याज माफ कर दें तो आपकी रिकवरी भी हो जाएगी और उनके सामने एक इंसेंटिव, एक मोटिवेशन भी हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ कुछ सहकारी समितियों में मेरे क्षेत्र में घोटाले हुए हैं उनकी ओर मंत्रीजी का

(श्री दिग्विजय सिंह)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देवली क्रय-विक्रय सहकारी समिति है उसके अन्दर भयंकर घोटाला हुआ और आडिट वालों ने भी उसको माना 1 लाख 47 हजार का इसके अन्दर वहां के अध्यक्ष और कैशियर दोनों इंवाल्व हैं। कैशियर ने तो यहां तक हद कर दी कि अपने परिवार वालों को ही लोन दे दिया, सब परिवार वालों को लोन दे दिया। आपके पास शिकायत भी आई, पर आज दिन तक उनका कोई काम नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। टौंक एम.डी. के पास फाइल गई, अब एम.डी. क्यों लेकर उसको बैठा है? आप उसको दिखा लें, करीब करीब जो उसके आंकड़े हैं वह 1 लाख 47 हजार का है। इसी प्रकार से, एक पूर्व व्यवस्थापक था सहकारी समिति, पाटोली में रामहंस गुर्जर, उसके खिलाफ भी 1 लाख 53 हजार की रिकवरी न्यायालय से हुई है। आपका जो रजिस्ट्रार न्यायालय है उससे रिकवरी के आर्डर हुए हैं। उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं, कोई एक्शन नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह के केसेज लेकर 5-5, 7-7 चुनिंदा एरियाज के अन्दर इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से जो सहकारी समितियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं उनके ऊपर भी आंख होगी और यह व्यवस्था ठीक ढंग से बैठेगी।

सभापति महोदय, मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा, वैसे कट-मोशन के माध्यम से भी मैंने कहा है, कि आपकी सहकारी समितियों के हजारों की तादाद में आडिट पैराज हैं उनका कोई डिस्पोजल नहीं। हजारों की तादाद में आडिट पैराज अकाउंटेंट जनरल के भी दिये हुए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी कंसीडर किये हैं, और जगह भी हैं, उनका डिस्पोजल आप कब तक करेंगे? करोड़ों की रिकवरी उसमें बताई हुई है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप उन आडिट पैराज के सम्बन्ध में न केवल डिस्पोजल करें बल्कि उनमें जो रेस्पोंसिबिलिटीज फिक्स की गई हैं उन रेस्पोंसिबिलिटीज को लागू करते हुए उनकी रिकवरीज की व्यवस्था करें तब तो आपकी सही बात है, नहीं तो यह होता है कि आडिट पैरा बन गया, डिपार्टमेंट भी समझता है कि दे दिया जवाब, कोई फर्क पड़ा नहीं। अगला पैरा बन गया, रिकमंड हो गया, अधिकारी रिटायर भी हो जाता है तो रुपया खाकर रिटायर हो जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि जो आडिट पैराज बने हुए हैं उनके डिस्पोजल के लिए आप अपने विभाग को निर्देश दें।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, कि आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री केसाराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोलने का तो अधिकार है इसीलिए तो चुनकर आये हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : एक शेर से चालू करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शेर से चालू करें? अपने ही बनाए हुए शेर से चालू कर देते हैं।

श्री सभापति : समाप्त होता है शेर से तो।

श्री जनार्दन गहलोत : शेर से ही शुरूआत और शेर से ही समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अच्छा। माननीय सभापति महोदय, आज सहकारिता विभाग जो एक पवित्र विभाग है, इसकी चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं, डिमांड पर। वास्तव में यह सहकारिता भारतीय मूल संस्कृति का...

श्री जनार्दन गहलोत : शेर तो सुनाओ, पहले ही, शेर के बिना कैसे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गहलोत साहब, क्यों सुनना चाहते हो?

श्री जनार्दन गहलोत : सुनना पड़ेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, सुनना पड़ेगा? तो चश्मा लगाना पड़ेगा।

श्री जनार्दन गहलोत : लगा लो, लगा लो, डबल लगा लो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने कहा है कि यह पारदर्शी सरकार है। "न यह सरकार आरदर्शी है न पारदर्शी है, न यह सरकार त्रिकालदर्शी है यह सरकार है तो सिर्फ अकालदर्शी है।"

यह मेरा बनाया हुआ है।

श्री जनार्दन गहलोत : यह शेर नहीं है, एक और सुनाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, और सुन लीजिए। "पंछी को कैसे फंसाया गया, एक सीधे सादे पंछी को, परदसादी लालजी मीणा साहब मंत्री महोदय को। (व्यवधान) पंछी को जब मिला, मेरे दोस्त हैं, गंगानगर साहब।" पंछी को जब नहीं मिला किसी पेड़ का ठौर,

खाली पिंजरा देखकर बढ़ा सहकारिता की ओर। बढ़ा उसी की ओर। अब तो ठीक है, राजी हैं?

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग एक पवित्र विभाग है। भारत की मूल संस्कृति से...

श्री हरिसिंह (महुवा) : पवित्र है, मानते हो न?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बिलकुल मानते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तो भाषण समाप्त करिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक सब के लिए और सब एक के लिए तो पवित्र ही है, एक दूसरे की सेवा करो। भारत की मूल संस्कृति से, और सही मायने में भाव प्रकट करने वाला यह विभाग एक सब के लिए और सब एक के लिए। ऋषि और कृषि की पवित्र धरती पर पूर्व में भी सहकारिता का भाव रहा है। किस प्रकार से रहा है? कि गांवों में कोई भूखा नहीं सोता था, और कोई भूखा रहता तो बाकी लोग मिलकर उसको मदद करते थे। यह सहकारिता का ही मूल भाव है। भारत की संस्कृति के मूल में मिट्टी में ही बसा हुआ है यह सहकारिता का भाव। इतना ही नहीं, जब किसी की मृत्यु होती थी तो उस मृत्यु के समय श्मशान में जाते समय गांव का प्रत्येक नागरिक एक एक लकड़ी या एक जिसको कंडा आप कहते हैं, छाना कहते हैं वह लेकर जाता था और श्मशान में दाग देते थे। आज वह भाव हमारे यहां समाप्त हो गया है।

विभाग के कई सारे ऐसे नियम–कानून बन गये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं शुरूआत करने से पहले निवेदन करूंगा, यह बार–बार कहा गया कि हम चुनाव करवाएंगे। हर साल, साल में दो बार और तीन बार इस सरकार ने आने के बाद में कहा कि चुनाव कराएंगे। पहले चुनाव का ड्रामा करते रहे और फिर अधिनियम बन गया तो उसकी नौटंकी करते रहे। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि दिसम्बर में चुनाव कराएंगे और मंत्रीजी कहते हैं अक्टूबर में चुनाव कराएंगे। इस प्रकार इनका विरोधाभास, खुद के स्टेटमेंट अखबार में आये हैं, मुख्य मंत्रीजी के और माननीय खेतसिंहजी राठौड़ साहब पूर्व के और अब माननीय परसादी लालजी के। यह बार–बार चुनाव का ढोंग और नौटंकी क्यों हुई? अगर वास्तव में चुनाव करवाना है, अगर आप वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हो और लोकतांत्रिक हो तो लोकतांत्रिक तरीके से आपने कहा है। उसके बाद में आये कि मार्च में चुनाव कराएंगे। मार्च भी आ गया, यह विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है, आपने अब तक कोआपरेटिव के चुनाव नहीं करवाये हैं। अब यह ढोंग करने की जरूरत नहीं है, न थोथी घोषणाएं करें। यह सबसे पहला मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र को कायम रखें और जल्दी से जल्दी कोआपरेटिव के चुनाव करवाएं ताकि चुने हुए जनप्रतिनिधि आ सकें, जिस तरह से हम सदन में आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना का हवाला प्रतिवेदन में

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दिया गया है कि 8077 सहकारी समितियां हैं और सदस्यता 274718 है। और आगे पढ़ें तो एक जगह इसी प्रतिवेदन में दिया गया है 22 हजार सहकारी समितियां, और मैम्बरशिप के बारे में "लगभग" लिखा गया है। यह लगभग का या इससे अधिक का क्या मतलब है? 89 लाख के लगभग। एक जगह तो दिया गया 22 हजार सहकारी समितियां और फिर इसी में एक जगह दिया है 21732 सहकारी समितियां, इस प्रकार 68 सहकारी समितियों की कमी है लेकिन मैम्बरशिप उतनी "लगभग" दिखाई गई है। इनकी कुल हिस्सा राशि के बारे में भी उतना ही विरोधाभास है।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में आपने कोआपरेटिव में बाकी सब लाभ का मामला दिखाया है। अब कहां लाभ में खड़े हैं और क्या कोआपरेटिव की हालत है, जो आपने इस चार साल में की है, मैं आपको हलका-सा निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, रिक्त पदों की स्थिति मंत्री महोदय सुने। आपके विभाग में राजपत्रित अधिकारी सहकारी रजिस्ट्रार के कुल 225 पद हैं उनमें से 121 पद रिक्त हैं, आधे से ज्यादा, यानि 54 प्रतिशत। इसी प्रकार से कर्मचारियों के पदों में निरीक्षक के 1146 में से 651 पद रिक्त हैं जो लगभग 57 प्रतिशत है। इसी प्रकार से कार्यालय अधीक्षक के कुल चार पद हैं उनमें से दो पद, पचास प्रतिशत रिक्त हैं। यह आपकी स्थिति है पदों की।

अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋणों में वृद्धि का हवाला दिया है, जो कम्पेरेटिवली स्टेटमेंट है 1996-97, 1997-98, 1998-99 का, जो पहले दिया है यह प्लस में जा रहा है, यानि बी.जे.पी. के शासन के समय 1997-98 में 26 प्रतिशत और 1998-99 में 28 प्रतिशत और 1999-2000 का 7 प्रतिशत और आगे जाकर 1999-2000 का माइनस पांच प्रतिशत और 2001-2002 27 प्रतिशत और उसके बाद में घट करके दशमलव 8 प्रतिशत रह गया। यह आपकी जो प्रोग्रेस है जो रिक्त पद हैं उनका हवाला है।

इसी प्रकार से प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के दीर्घकालीन ऋण और बाकी ऋणों की स्थिति है। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में वार्षिक लाभ का हवाला आपने जो दिखाया है 1999-2000 से 2003 तक, माइनस तीन जगह जो दिखाया है इसके बारे में भी विचार करें। आगे चलकर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वार्षिक लाभ की भी पोजीशन यही है, बराबर घटता गया है। लेकिन आपने प्रोग्रेस दिखाई है। ये आंकड़े आपके ही दिये हुए हैं, मेरे दिये हुए नहीं हैं। जब आप जवाब दें, मंत्री महोदय, तब इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो यह प्रतिवेदन दिया है इसी में एकमुश्त

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

समझौता योजना का हवाला दिया है। एकमुश्त समझौता योजना में कितनी क्या प्रोग्रेस रही इसके बारे में आपने अंडरलाइन तो किया है लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

माननीय सभापति महोदय, नये सहकारिता कानून की विशेषताएं तो आपने गिनाई हैं, लेकिन इसके बारे में नये सहकारिता कानून को बाद में लागू किया या नहीं किया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जैसे घोषणा पत्र में किसानों की फसल बीमा के बारे में है, वैसे व्यवस्थापकों को लम्बे–चौड़े प्रलोभन, आश्वासन दिये थे यहां पर सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने। व्यवस्थापक आज न आर एस आर में हैं, न कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारी हैं। व्यवस्थापक किस नियम के अन्तर्गत किनके कर्मचारी हैं, अभी तक आपने यह स्पष्ट नहीं किया है। यह मामला नीचे के कोर्ट, हाई–कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आपने उनको आश्वस्त किया था, लगभग 10 हजार व्यवस्थापकों की इस बड़ी संख्या को आपने आश्वस्त किया था, व्यवस्थापकों और सह व्यवस्थापकों को, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई योजना दी नहीं है।

ज्ञानसागर योजना जो पेज नम्बर–5 पर है, विद्यार्थियों में बड़ी लुभावनी योजना दी है। कृषक लुभावनी योजना पेज नम्बर–10 पर दी है उनके बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है कि किस विद्यार्थी को कितना लाभ हुआ। इसी प्रकार दीर्घकालीन योजनाओं का मैंने पहले बता दिया है, बहुत सारी नई योजनाएं आपने घोषित की हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अरबन कोआपरेटिव बैंक, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि महिला कोआपरेटिव बैंक चल रहे हैं, उनका विस्तार आप और करें। माननीय मंत्री महोदय, महिलाओं को हम और जागरूक करें, उनकी और इस सम्बन्ध में जानकारी हो। एक जगह आपने हवाला दिया है, पेज नम्बर–16 पर, आई एसओ 9002 का, अब यह आई एस ओ क्या स्टैण्डर्ड होता है इसके बारे में मैं समझता हूं कि बैठे हुए माननीय सदस्यों को ही बहुत कम जानकारी होगी। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को 9002 या 3 या एक लेने की कहीं जरूरत नहीं है लेकिन आपने उस मानक को लिया, आपने बड़ा एहसान किया। इसकी कहीं आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने फिर भी लिया है।

माननीय सभापति महोदय, आपने तिलम संघ के हानि–लाभ के बारे में लिखा है। तिलम संघ जब तक श्री रामावतर जी आई ए एस अधिकारी थे तब तक तो लाभ में रहा, उसके बाद तिलम संघ आपके हाथ में आया और

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

वे अधिकारी कलक्टर बनकर कहीं चले गये। उसके बाद लगातार तिलम संघ में घोटाले और गड़बड़ियों और घाटे के अलावा क्या हुआ है, जरा बता दें। तिलम संघ से यह प्रोडक्शन होता है, यह प्रोडक्शन होता है, दुकान लगाकर आप कोआपरेटिव बिल्डिंग में, नेहरू सहकार भवन में बैठे हैं लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि आपका कोई स्तर नहीं है। जो प्रोडक्शन तिलम संघ में होता है उसका कोई स्तर नहीं है।

इसी प्रकार से स्पिन फैड, यह टैक्सटाइल मिलों का एक फैडरेशन है, इस फैडरेशन का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय निर्माण हुआ था। इसमें रोटर्स, जो तकुएं काम करने वाले हैं, स्पिण्डल्स हैं, मशीनें हैं वो मशीनें उस समय की लाई हुई हैं। आपने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। आपने लिखा जरूर है कि हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन कब करेंगे? आपकी सरकार तो जा रही है, आपकी सरकार तो डूब रही है, आपकी सरकार के जाने के दिन आ गये हैं, आपकी सरकार के अन्तिम दिन हैं, अन्तिम सांसे गिन रही है, अब उनमें कब परिवर्तन करेंगे?

स्पिन फैड का जो मजदूरों का हवाला दिया है, मजदूरों को आपने क्या दिया है? माननीय हीरालालजी देवपुरा यहां मौजूद नहीं हैं, 1982 में उन्होंने आर.टी.एम.ए, राजस्थान टैक्सटाइल मिल एसोसिएशन के साथ एक समझौता किया था क्योंकि स्पिन फैड में जो टैक्सटाइल मिलें हैं ये टैक्सटाइल्स मिलें उस समय अलग-अलग थीं, उस समय स्पिन फैड बना हुआ नहीं था। उस समय देवपुराजी ने आर.टी.एम.ए. के साथ एग्रीमेंट किया, उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मजदूरों को आपने...

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य, यह बता दो कि आप किसी कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हो क्या? जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, माननीय शिवनाथ सिंहजी, यह जो कहीं लाभ आपने नहीं दिया है...

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय आहूजाजी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उसके अलावा और किसी के सदस्य नहीं हैं।

श्री सभापति : आहूजा साहब, आप तो जारी रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है कि आपके मैं आकड़े दे रहा हूं, मांगीलालजी, आपने तो आंकड़े रखे नहीं, आपने तो गप्प लगा दी। उधर मंत्री महोदय को दूसरे मंत्री टोक रहे हैं, मुझे आप क्यों टोक रहे हैं? आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, उसमें कोई असत्यता हो तो बताओ।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तारीफ तो आप करेंगे ही क्योंकि आप मेरे भाई हैं। माननीय सभापति महोदय, स्पिन फैड की जो टैक्सटाइल मिलें अलग-अलग थीं वो उस समय लाभ में थीं–गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़। इनका एक स्पिन फैड बनाकर लाभ में तब तक चला जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब गंगापुर की टैक्सटाइल मिल की क्या हालत है, कोई मजदूरों को आप लाभ नहीं दे रहे, कोई आपके रोटर्स चैंज नहीं किये, कोई स्पिण्डल चैंज नहीं किये, कोई तकुएं चैंज नहीं किये, कोई मशीनें चैंज नहीं की। आखिर पैसा जा रहा है तो कहां जा रहा है? आपने छोटे-मोटे कर्मचारियों के खिलाफ तो कार्यवाही की है लेकिन तीनों टैक्सटाइल मिलों, गंगापुर गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ को डुबोने वाले वहां बैठने वाले आई ए एस और आर ए एस अधिकारी हैं। सिफारिशों से लगे हुए अधिकारी हैं जिनको टैक्सटाइल का कोई नालेज नहीं है, वे लोग उसको डुबोने वाले हैं। इतना ही नहीं है, कॉटन काम्प्लैक्स जो लालगढ़, श्रीगंगानगर में है, आपने उसको बन्द कर दिया। आपने बन्द तो बहुत सारे उद्योग किये हैं। जयपुर मैटल और बाकी उद्योगों को तो उद्योग में मैंने बोला लेकिन यह जो लालगढ़ का बंद हुआ, यह वर्ल्ड की सबसे अच्छी मशीनों का कॉटन काम्प्लैक्स, प्लांट है। मैंने खुद उसको देखा है, अच्छी क्वालिटी का कपास लिया जाने वाला है। देशी कॉटन को आपने चलाया। जो एक्सपर्ट आये थे, विदेशी मशीनें हैं उन विदेशी मशीनों को डुबोने वाले और रिकार्ड को कई बार अग्नि के हवाले करने वाले, जलाने वाले वहां के अधिकारियों के खिलाफ वहां के यूनियनों ने शिकायत की, लेकिन आपने और आपकी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह लालगढ़ श्रीगंगानगर का कॉटन काम्प्लैक्स का बन्द हो गया।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बताया है जी.एस.एस. के बारे में कि जी.एस.एस. 22,000 हैं। इन 22,000 जी.एस.एस. में से मैं समझता हूं कि 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, मैं शिवनाथ सिंहजी की बात तो तरजीह दे रहा हूं कि 22,000 जी.एस.एस. में से 75 प्रतिशत बन्द हैं या होने वाली हैं क्योंकि वे घाटे में चली गई हैं। घाटे में लाने वाले जो पदाधिकारी हैं वे सत्तारूढ़ पार्टी के मैम्बर हैं ज्यादातर उनके खिलाफ आप क्या जांच करवाने के लिए तैयार हैं? आप श्वेत-पत्र जारी करके उनकी ब्लैक लिस्ट जारी करने के लिए तैयार हैं क्या उन जी.एस.एस. की? मेरे यहां भी कुल मिलाकर 37 जी.एस.एस. हैं, उनमें से आठ जी.एस.एस. चल रही हैं, बाकी सब घाटे में है।

अरबन कोआपरेटिव बैंक, यह घोटाले का हवाला है। भोपाल सोसायटी को भूमि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हस्तान्तरण का जो समझौता हुआ है, उसमें घोटाला हुआ। बैंक के अधिकारी खिलाफ ऋण राशि हड़पने का मामला दर्ज है, उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक का मामला है, इसमें भारी घोटाला हुआ। बैंक सचिव की धोखाधड़ी का मामला है, यह उदयपुर का हवाला है। इसी प्रकार से बांसवाड़ा में करोड़ों का गेहूं का घोटाला कोआपरेटिव के माध्यम से हुआ है। माननीय सभापति महोदय, यह घोटालों की पूरी लम्बी सूची है। राजस संघ की भूमि से सैकड़ों पेड़ कटे हैं, यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप किस-किस हिसाब को लेना चाहते हो? पूर्व अध्यक्ष और सचिव, सहकारी विभाग में पेंशनर्स की हितकारी समिति है, पेंशनर्स के पैसों को भी खा गई ऐसी सहकारी समिति, उसमें भी यह बड़ा भारी घोटाला है।

माननीय सभापति महोदय, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति; अब यह दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सेवा के लिए बनाई गई, लेकिन अलवर या उदयपुर या गंगानगर या बांसवाड़ा, मैं बाद में लूंगा प्रांत से, सबसे पहले मैं लेता हूं जयपुर डेयरी में छापा, लाखों टन का घी घोटाले का पर्दाफाश आपके ए.सी.डी. ने किया जयपुर डेयरी में।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय आहूजा साहब, पहले तीन करोड़ का फायदा था, अब 10 करोड़ का फायदा है इसके अन्दर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फायदे का मतलब घोटाले करेंगे? आप तो सज्जन मंत्री हैं। (व्यवधान) आप तो कम से कम यह भाषा मत बोलो। फायदा होने का मतलब है कि जमींदारों के किसानों के कारण फायदा हुआ है, आपके कारण फायदा नहीं हुआ है। आपके अफसर क्या कर रहे हैं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 110 प्रतिशत टर्नओवर बढ़ा है। एहसान नहीं कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना घोटाले वाली बात, उस पर मैं कह रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, टर्नओवर बढ़ा है तो आप कोई एहसान कर गये क्या जनता के ऊपर? नहीं, नहीं, एहसान मत जताओ। अगर हुआ है तो उसमें जमींदारों के कारण से हुआ है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : डेढ़ करोड़ रुपये रोज दे रहे हैं पशुपालकों को। किसानों को दिये जा रहे हैं डेढ़ करोड़ रुपये रोज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों की भागीदारी उसमें है, उनका भी शेयर है, आपका कोई एहसान नहीं है। घोटाला करके उस पर आप पलीता लगाना चाहते हो, मिट्टी रखना चाहते हो? आप कम से कम मत बोलो क्योंकि आपको तो मैं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ईमानदार मानता हूं। आप ईमानदार मंत्री हैं, आप घोटालों की बात क्यों बोल रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को। जनता ने 33 पर लाकर रख दिया है आपको, किसी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब आप 13 पर रह जाओगे क्योंकि 13 का आंकड़ा माननीय अटलजी के लिए शुभ है। आप 13 पर रह जाओगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह जगह खाली रहेगी, खाली।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शैलेन्द्रजी, आप मंत्री हो गये, अब तो मत बोलो। वह रामस्वरूपजी चुप बैठे रहते हैं, कम से कम आप उनसे तो कुछ सीखो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आदत है ना, आदत तो जाएगी, थोड़े ही।

माननीय सभापति महोदय, डेयरी में पैकिंग में घोटाला हुआ। टेण्डर छोड़कर उस टेण्डर के एक महीने बाद रेट बढ़ा दी। 1.21 रुपये आधा-एक किलो की पैकिंग के दिये हैं उस समय, 1.28 रुपये किये। मैंने प्रश्न पूछा तो उसका जवाब गलत आया। माननीय अध्यक्ष महोदय को मैंने लिखकर दिया है कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय डेयरी क्या पूछना चाहते हैं? तीसरा चारा और पशु आहार घोटाला हुआ है। पशु पालन और डेयरी मंत्रीजी कह रहे हैं कि उसमें टर्नओवर बढ़ा, उसमें लाभ बढ़ा। लाभ बढ़ाकर आपने किसानों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर एहसान किया क्या? लाभ बढ़ना ही चाहिए। ये उद्योग इसीलिए लगाये जाते हैं कि घाटे में जाएं? लाभ बढ़े इसीलिए लगाये जाते हैं। आप बार-बार इस बात को कहकर घोटालों को और गबन को छिपाना चाहते हैं। यह आपकी फोटो और आपके पूरे घोटालों के दस्तावेज हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से अन्य घोटाले भी हैं जो माननीय रजिस्ट्रार महोदया को, माननीय कोआपरेटिव मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को दिये जा चुके हैं। उदयपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के विरुद्ध जांच व कार्यवाही के सम्बन्ध में ये बड़े लम्बे-चौड़े दस्तावेज हैं। पैकिंग बदलकर घटिया गाज पट्टी अस्पतालों में भेजी, यह राज्य बुनकर सहकारी संघ का मामला है, इतना बड़ा घोटाला है। घोटालों में क्या करेंगे रजिस्ट्रार महोदय, मंत्री महोदय? यह सरकार क्या करेगी? कोई जांच आप करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। लीपापोती के अलावा कुछ नहीं है। जांच करते हैं तो सहकारी समिति के पदाधिकारियों, भू-माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा की गई थी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कि जितने भू-माफिया गिरोह हैं, उन सबके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन भूमाफिया गिरोह हैं कौन? वे सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने जब दुहाई दी माननीय मुख्य मंत्रीजी को तो मुख्य मंत्रीजी घोषणा करते-करते बार-बार चुप हो गये।

इसी प्रकार से जनजाति के लिए जो पैसा है, उसमें भी घोटाला कर गये। सहकारी समिति के माध्यम से अन्य मदों में बांटा। जनजाति विकास में 32 करोड़, यह सहकारी समिति है, उनमें भी घोटाला है। आप देखिये, राजसमंद अरबन कोआपरेटिव बैंक का यह लम्बा-चौड़ा दस्तावेज है। इसमें कोर्ट और हाई कार्ट सभी को हस्तक्षेप करना पड़ा। सभापति महोदय, यह उदयपुर सहकारी संघ और उसमें अवैधानिक नियुक्ति, उस पर उनको आन्दोलन स्वरूप हटना पड़ा। वहां पर अध्यक्ष थे भट्टजी, भट्टा बैठा दिया कोआपरेटिव का। भट्टा तो इस पूरी सरकार ने कोआपरेटिव विभाग का बैठा दिया, जो हमारी ऋषि और महर्षि की धरती पर सहकारिता थी। उदयपुर सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री भट्टजी की अवैधानिक नियुक्ति, आन्दोलन स्वरूप उनको हटना पड़ा। आपने क्या किया, सभापति महोदय,? मैं जानकारी देना चाहता हूं, मंत्री महोदय, इन सबकी जांच करवाएंगे? उदयपुर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, उदयपुर, सरकारी अधिकारियों द्वारा ऋण नहीं चुकाने बाबत, ये दस्तावेज हमारे नहीं हैं, ये आपकी सरकार के दस्तावेज हैं। माननीय सभापति महोदय, हरेक जी.एस.एस. में घोटाले हुए। प्राथमिक सहकारी विकास बैंक, राज्य सहकारी विकास बैंक की जो प्रोग्रेस बताई, इसके साथ में रिक्त पदों के लिए मैंने बताया, आपकी हालत यहां गिरी हुई है, बिलकुल निम्न स्तर की है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, अलवर की ब्रांच है, वहां पर एक एल.डी.सी. है उस एल.डी.सी. को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है। उसने लाखों के घोटाले किये हैं। मैंने लिखकर दिया, डी.आर.डी.ए. की जो मीटिंग होती है हमारी, उसमें जी.सी. में दिया। इतना ही नहीं, डी.एल.सी. बैंक की मीटिंग होती है, कलक्टर साहब ने माना कि उनको हटा देंगे, घोटालों की जांच करेंगे लेकिन कोई जांच नहीं हुई। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहूंगा कि उस एल.डी.सी. को वहां से हटाकर मैनेजर के योग्य कोई व्यक्ति हो, उसको बैठाएं रामगढ़ में, और इसके साथ में वहां पर घोटालों की जांच करें।

मंत्री महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, इस कोआपरेटिव के कारण क्या स्थिति बनी है। आपने +++ तरीके से जगह-जगह चाहे वे पेंशनर्स हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसी उद्योग में कर्मचारी हों, चाहे जी.एस.एस. के व्यवस्थापक हों

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

या चाहे संह–व्यवस्थापक हों, आपके लिए दुखड़ा रो रहे हैं, आपका रोना रो रहे हैं कि कैसी सरकार आई, जिसने कर्मचारियों के गले को घोंट दिया, जिसने किसानों के ऋण को घोंट दिया। जिसने जी.एस.एस. की जांच नहीं करवायी जिसमें जी.एस.एस. बन्द पड़े हैं उनको चालू नहीं करवाया और जिन अधिकारियों ने गबन घोटाले किये, उन गबन–घोटालों की जांच नहीं करायी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि कृपया इन सब घोटालों की जांच करवाएं। जांच ही नहीं करवाएं, उनको सजा भी दिलवाएं, चाहे वह नीचे का कर्मचारी हो या ऊपर का अधिकारी हो।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं शेर सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। परसादी लालजी मंत्रीजी इतने हंस रहे हैं, मंत्री महोदय हैं, मुझे खुशी है, जरा मुस्कराये तो सही।

"साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,

खूब पर्दा है कि चिलमन से इस +++ सरकार से लगे बैठे हैं।"

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको।

श्री सभापति : श्री अमीन खान। (अनुपस्थित)

माननीय श्री गोवर्द्धन कल्लाजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : बोलिये, क्या निवेदन है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मुझे निवेदन यह करना है कि माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, आज उपाध्यक्षजी ने शायद कुछ व्यवस्था दी है। या तो मंत्री कटौती के प्रस्ताव पर यहां जवाब देंगे या उनको डाक द्वारा घर पर पहुंचा दिये जाएंगे। 6-6 महीने के बाद भी कटौती प्रस्तावों के जवाब पहुंचते नहीं हैं। जो कोई कटौती प्रस्ताव देता है, अगर छह महीने बाद जवाब मिलेंगे तो उसकी महत्ता क्या रहेगी? आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि या तो मंत्रीजी यहां जवाब दें या हमें 15 दिन के अन्दर या छह दिन के अन्दर कटौती प्रस्तावों के जवाब मिल जाएं।

श्री परसादी लाल : कटौती प्रस्ताव के जवाब कल आपको, भिजवा देंगे।

श्री सभापति : नहीं, यहां से आसन से माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभी को निर्देश दिये थे कि जो माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं वे तो रिकार्ड में आ गये, उसका जवाब जब प्रभारी मंत्रीजी यहां अपना उत्तर देंगे, उस समय

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

दे देंगे और जो नहीं देंगे वे डाक से घर पर पहुंचा दिये जाएंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : डाक द्वारा छह महीने बाद मिलेंगे क्या? फिर क्या महत्ता रह जाएगी उसकी? नहीं, छह महीने बाद मिलेंगे तो फिर उसकी क्या महत्ता रह जाएगी, यह बता दीजिये आप।

श्री सभापति : फिर बाकी क्या रह गया उसमें? छह महीने बाद कहां जाते हैं कटौती प्रस्ताव के जवाब?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : डाक ही छह महीने लेट मिलती है, आप कोई व्यवस्था दे दें आज कोई।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : कल के लिए बोल दिया ना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जो यहां आ गये वे तो कल दे देंगे यहां।

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने कह दिया कि कल पहुंच जाएंगे आपके पास ठीक है, स्पीकर साहब से बात करके कोशिश करेंगे कि कटौती प्रस्तावों के जवाब जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों तक पहुंच जाएं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : थैंक यू।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्लाजी।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 36-सहकारिता पर अपने विचार रख रहा हूं और माननीय मंत्री महोदय ने 2003-04 की जो 49 करोड़ की मांग रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, सहकारिता के ऊपर मैंने दो कट मोशंस दिये हैं, उन कट मोशंस की मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मेरा निवेदन है कि हमने आजादी के बाद जो ग्राम स्वराज्य का संकल्प लिया था, हमने देखा था कि हमारे गांव सक्षम बने। आर्थिक दृष्टि से हमने सहकारिता को चुना और हमने चाहा कि ग्राम सहकारी समितियां गांव के आर्थिक विकास का केन्द्र बने और उसके आधार पर हम सारे गांव का आर्थिक आयोजन करें। ग्राम पंचायतें, ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राम सेवक, ग्राम विद्यालय मिलकर एक ऐसा मिनी सचिवालय बनाएं गांव में, जिससे गांव स्वावलम्बी बने। लेकिन इन वर्षों में जिस तरह से सहकारिता का सरकारीकरण हो गया है उससे हमें लगता है कि हमारी मूल भावना जो सहकार की थी उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया है। अभी चुनाव की चर्चा कर रहे थे, हमने नया बिल बनाया, नया बिल पास किया विधान सभा ने, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली कि जो चुनाव कराने के रूल्स हैं, जो अधिसूचनाएं जारी करनी हैं वे ला डिपार्टमेंट में रुकी पड़ी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस विधान सभा सत्र में वे अधिसूचनाएं, वे नियम रखे और हमारे जो विधान के

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

चुनाव होने जा रहे हैं नवम्बर में, उससे पहले कोआपरेटिव के चुनाव करवाएं। ये घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी पहले कर चुके हैं और पूर्व सहकारिता मंत्रीजी भी ये घोषणाएं कर चुके हैं, तो ला डिपार्टमेंट में अधिनियम बनने की कार्यवाही जो रुकी पड़ी है उसे पूरा करके इसी विधान सभा सत्र में प्रेषित करें जिससे कि कोआपरेटिव सम्पन्न हो सकें।

ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक क्या हैं, उसकी चर्चा यहां मेरे पूर्व साथी कर चुके हैं। मैं उसके विवरण में अधिक नहीं जाऊंगा, पर निश्चित ही एक बात अवश्य कहूंगा, हमने ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन रखा है, लेकिन हमने देखा है कि ग्राम सभाओं में आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं। वे जवाबदेह नहीं हैं ग्राम सभाओं में। जब हमने पंचायती राज़ में अपनी ग्राम सभा को सर्वसम्पन्न बनाया है, उसको अधिकार दिया है कि वह गांव की सभी बातों की चर्चा कर पांए तो मेरा माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन है, सुझाव है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्राम सभाओं की जवाबदेह बनें। ऐसे कोई प्रोविजंस करें कि उन सहकारी समितियों का सारा विवरण ग्राम सभाओं में पेश हो और वे सारी चर्चाएं करें। मेरे कट मोशंस में मैंने कहा था, विशेष कर मेरे क्षेत्र जैसलमेर में जहां सुदूर गांव हैं और पंचायत भी बीसों-पच्चीसों किलोमीटर में फैली हुई है, पांच-सात पंचायतों को मिला कर जो सहकारी समिति बनी हुई है, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करें जिससे कि इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य कायम हो सके।

मान्यवर, यहां कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी आंदोलन का, परन्तु पिक्चर हमारे सामने यह आयी कि प्रायः सारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां,

(15.54 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियां कर्ज में डूबी हुई है। चुनाव की जब चर्चा आती है तब धड़ाधड़ कहीं से राशि कराके वे सक्षम बन जाती है चुनाव के लिए। ऋण की जब चर्चा आती है, मैंने अधिकांशतः देखा है कि सदस्य को जब ऋण मिलता है तो पूर्व का ऋण रिड्यूस किया जाता है, उसका समायोजन करके कुछ पैसे देकर काश्तकार को भगा दिया जाता है। इस तरह की जो व्यवस्था है उस ओर हमें ध्यान करना चाहिए कि जो नया ऋण दे रहे हैं उसमें पुराने का

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

ऋण का या ब्याज का समायोजन करके कुछ पैसे पकड़ा दिये जाते हैं। इस तरह से हमारा जो काश्तकार है, बुनियादी काश्तकार, गरीब काश्तकार है वह कर्जे में डूब गया है। अभी जो सारी पिक्चर गांव में आ रही है कि बहुत बड़ा ऋण हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं उसका कारण यही है कि पूर्व में ऐसी व्यवस्था आपने कर रखी है।

मान्यवर, मेरे जिले जैसलमेर में मैं हमेशा कहा करता हूं कि उपनिवेशन क्षेत्र में करीब 200–250 गांव हमने क्रियेट किये हैं नये चकबन्दियों के माध्यम से और उन सारे गांवों के विकास को हमने सरकार पर छोड़ दिया है। पहले सी.ए.डी. से विकास होता था, अब उन किसानों के विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन दो सौ से अधिक गांवों के विकास के लिए सारी सुविधाएं–कृषि ऋण, उनकी आवासीय योजनाएं या और भी जो व्यवस्थाएं करनी है, उस ओर मैंने कट मोशंस भी दिये हैं, उसके लिए हमें एक आयोजन बनाना पड़ेगा कि नाबार्ड के माध्यम से, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उन दो सौ नये सृजित गांवों का विकास करके उनको आगे बढ़ा पाएं।

मान्यवर, आपने नवाचार में कई अच्छी योजनाएं दी हैं, किसान कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा। भारतवर्ष में आर्थिक व्यवस्था में कार्मिशयल बैंक्स को हमने खुला रखा है, परन्तु किसान को मूल क्रेडिट मिलने का जो साधन है, वह आज सी.सी. बैंक्स हैं या अपैक्स बैंक के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियां ही माध्यम हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रियेट किया है, गांवों में जब ऋण की बात आती है तो हमने कामर्शियल बैंक्स को दे रखा है कि आपको ये क्षेत्र लेने हैं, पर उस क्षेत्र में मूल तो आपकी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, सी.सी. बैंक की ब्रांचेज हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि कृषि लोन को तो केवल हमारे कोआपरेटिव बैंक्स ही हैं और हमने उस क्षेत्र को कामर्शियल बैंक्स पर छोड़ रखा है, और सी. सी. बैंक्स कहते हैं कि कामर्शियल बैंक्स को हमने यह जिम्मा दे रखा है। इस तरह से दोहरी उलझन में हम फंस गये। कामर्शियल बैंक्स लोन दे नहीं रहे हैं और सी.सी. बैंक्स उसकी जिम्मेदारी ले रही हैं, कह रहे हैं कि कामर्शियल बैंक्स की तरफ जाएं। तो कामर्शियल बैंक्स और सी.सी. बैंक्स और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किस तरह हम ऋण दें?

अभी चर्चा चली कि अकाल के अन्दर हमने फोडर लोन के माध्यम से अकालग्रस्त क्षेत्रों में लोन दिया। कितना लोन दिया? आप गांव में जाएं, एक लिमिट में उनको बांध दिया गया कि इतना–सा ही लोन

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

देंगे। और उतना-सा लोन भी हर कृषक को नहीं मिला। पूर्व में राज्य सरकार का दायित्व था, अकाल के समय में वह तकाबी लोन दिया करती थी। अब बैंकों के माध्यम से उस अकालग्रस्त काश्तकार के हाथ में हमको कैश देना है, लिक्विडिटी देनी है, कैसे देंगे? सारे का सारा जो हमारा एक नैटवर्क क्रियेट किया हुआ है अपैक्स बैंक्स, सी.सी. बैंक्स और ग्राम सेवा सहकारी समिति, यह जो थ्री टायर सिस्टम है हमारा, जिसके माध्यम से हम चाहते थे कि सारा क्रेडिट इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से हो तो इसको मजबूत करना पड़ेगा। अपैक्स बैंक के कुछ नियम हो सकते हैं, सी.सी. बैंक्स की कुछ मर्यादाएं हो सकती हैं पर ग्राम सेवा सहकारी समिति जिस क्षेत्र में काम कर रही है वहां इस अकाल के समय में सारे क्रेडिट की व्यवस्था उन ग्राम सेवा समितियों के माध्यम से होनी चाहिए, इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। आशा है, माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर इसको आगे बढाएंगे।

आपने जो फिगर्स दिये हैं, वस्तुतः आप कहते हैं कि 99 लाख सदस्य आपके हैं। मतलब पांच करोड़ की जनसंख्या में यदि एक करोड़ के करीबन हमारे सदस्य हैं इस सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए, तो मुझे तो लगता है, बहुत बड़ी एक क्रांति का काम है। परन्तु वस्तुतः जो पिक्चर सामने आ रहा है, वैसा कुछ है नहीं।

(16.00 बजे)

बाकी आगे व्यवस्थाएं जैसी हैं, मेरे क्षेत्र में हमने खादी के माध्यम से सहकारी समितियों का गठन किया है। खादी बोर्ड के माध्यम से उनको ऋण मिलता रहा, परन्तु सहकारी विभाग ने उन सहकारी समितियों का भी गला घोंट दिया है कि वे सहकारी समितियां आगे नहीं बढ़ पाएं। मैंने खुद ने नारा दिया था मेरे क्षेत्र में, आल प्रोडक्शन कोआपरेटिव, सारा ग्रामीण उत्पादन हम कोआपरेटिव के माध्यम से करें। चर्म उत्पाद हो तो क्या, और बुनकर बुनाई का काम हो तो क्या, खादी का है। परन्तु दुर्भाग्य से जो नियम और कानून बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं सहकारी विभाग की, जैसा मैंने पूर्व में कहा, "सहकार" को सरकारी नियंत्रण में ऐसा जकड़ दिया गया कि वह स्वावलम्बी नहीं बन पाया और उसके कारण से वह सिस्टम वह प्रोग्राम जो हमने हाथ में लिया था, सारा फेल हो गया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया उस पर विचार करें। फाइनेंसिंग खादी बोर्ड करे या कमर्शियल बैंक्स करें, पर जो प्रोडक्टिव कोआपरेटिव सोसायटीज बनी हैं उनका नियंत्रण कैसे हो, वो कैसे व्यवस्था चलाएं, उस ओर हम सारे रूल्स रैगुलेशंस एक लाइन में चलाएंगे तो वही

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

चलेगा। प्रोडक्शन के कुछ अलग रूल्स होंगे और क्रेडिट सोसायटीज के अलग रूल्स होंगे, उस ओर भी आप विचार करें।

इन्हीं सुझावों के साथ में मेरे जो दो कट मोशंस हैं आपके पास–एक तो इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन के क्षेत्र में जो नया हमको आयोजन करना है नाबार्ड के माध्यम से, उन दो सौ से अधिक गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करके उस आयोजन को पूरा करें। दूसरा मेरे क्षेत्र में, ग्राम स्तर पर हो तो अच्छा है, नहीं तो पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने का मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36–सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, "बिन सहकार नहीं उद्धार" आज के इस जीवन में, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का जो भाग्य निर्भर है वो इस सहकारिता के कारण है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता में सबसे छोटी हमारी इकाई ग्राम सेवा सहकारी समिति, उस ग्राम सेवा सहकारी समिति के जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तब तक उन पर अकुंश नहीं रहेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कितना ही पैसा ऋण दे रहे हैं, लेकिन जिसके द्वारा किसानों तक पैसा जाता है उस पैसे की वसूली, उसका सदुपयोग जब तक वे नीचे के कर्मचारी अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखेंगे तब तक सहकारी आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि कांस्टेबल है और उसको मान लीजिये एक सम्मन तामील कराने के लिए दिया। मान लीजिये राष्ट्रपति ने वो सम्मन भेजा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के मुख्य मंत्रीजी को भेजा। मुख्य मंत्रीजी ने भेजा डी.जी. को और डी.जी. ने भेजा एस.पी. को और एस.पी. ने भेजा थानेदार को और थानेदार कांस्टेबल को भेजता है, और वो यह लिख देता है उस पर दस्तखत कराकर कि व्यक्ति घर पर नहीं मिला। यानी कितना खर्चा होने के बावजूद भी उसमें सफलता नहीं मिली। ठीक उसी प्रकार से आप मंत्रीजी, उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय और जितने भी जो आपके एम.डी. और सब कुछ कर दें लेकिन ग्रामीण लोगों को इसका लाभ जिनके जरिये मिलता है वो जब तक नहीं मिलता जब तक उनमें यह विश्वास पैदा नहीं किया जाए कि हम सरकार के कर्मचारी हैं, स्थायी हैं और हमको सभी परिलाभ प्राप्त हैं। तब तो यह काम सफल होगा, नहीं तो मच एडो अबाउट नथिंग। आप कितने भी प्रयत्न कर देंगे, लेकिन परिणाम जीरो ही आएगा। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह

(श्री अमराराम चौधरी)

है कि सबसे पहले उनको मजबूत कीजिये। कई बार आंदोलन हुए हैं। आपने प्रावधान बना दिये कि गांव वाले ही करेंगे, उन्हीं के अण्डर में है। वो सब ठीक है, लेकिन अंकुश रखना बहुत जरूरी है और वो उनकी मांग भी है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नाबार्ड बैंक, फिर अपैक्स बैंक और अपैक्स बैंक के बाद में आपके जिला सहकारी बैंक, सालों से वहां पर जो बाबू लोग बैठे हैं उनकी पदोन्नति नहीं हुई है। 20–20 साल हो गये, 25–25 साल हो गये, वो उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। आपने एक समझौता किया पे स्केल बढ़ाने का। जुलाई, 1999 को और उस समझौते के जरिये आपने आश्वासन भी दिया। लेकिन जो दलाल है, शीर्ष बैंक को दलाल बैंक ही कह दो, 22% पर पैसा देता है, उनके तो आपने पैसे भी बढ़ा दिये, और उनका तो एरियर भी जो बकाया था सारा दे दिया। लेकिन जो बैंक आपका काम कर रहे हैं, कमा कर दे रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं जिले के अन्दर, उनका आपने कुछ नहीं किया। आपको करना चाहिए। माननीय मंत्रीजी से मैं मिला, आपने आश्वासन भी दिया कि मैंने यह कर दिया। कर दिया तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन नहीं किया है तो आप विचार करें इस पर और इस कार्य को पूरा करें, मेरा आपसे यही निवेदन है।

दूसरा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो तिलम संघ है बीकानेर का, इसकी जालौर की तेल मिल है वो कितने सालों से बेकार पड़ी है। जो लोग वहां से गुजरते हैं तब देखते हैं उसकी क्या हालत हो रही है। जंग लग रही है। कितनी बड़ी-बड़ी मशीनें लगा दीं, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। या तो बेच दीजिये, नीलाम कर दीजिये, कोई न कोई खरीद लेगा। ठीक है, यदि उस सम्पत्ति को आप कुछ न कुछ काम में ले, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। बीकानेर से सारे सरप्लस होकर यहां बैठा रखे हैं, आपने उनको हैड आफिस में बैठा रखा है। उनको आप परमानेंट कीजिये, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में ग्राम सेवक बनाकर भी भेजिये, लेकिन आप यों ही पैसा बैठे-बैठे दे रहे हो। उनको कही न कही काम पर लगाएं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इतने जो कर्मचारी सरप्लस हुए हैं उनको आप कहीं न कहीं एडजस्ट करें ताकि उनको जो मानसिक पीड़ा हो रही है वह तो संतुष्ट हो। मेरा ऐसा मानना है कि आप जरूर इसमें मदद करेंगे और ऐसे कर्मचारियों को जरूर ही कहीं न कहीं इस विभाग में नौकरी दिलवाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता में होने वाले सरकारी व्यय का मैं देख

(श्री अमराराम चौधरी)

रहा हूं कि सहकारिता में बड़ा बढ़ावा आया या इसमें धीरे-धीरे घटाव हुआ। जहां तक मैंने इस बजट को देखा, 1996-97 में 64.7 करोड़ रुपये का व्यय था वहीं 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 क्रमशः 85.49, 58.42, 53.28, 51.49, 50.92 और 49.49 करोड़ रुपये हो गये। सहकारिता की आपकी नीति बढ़ावे की है लेकिन यह इतना 49.49 क्यों हुआ? आप बढ़ावे की बता कर रहे हैं लेकिन जहां तक मैंने देखा है यह व्यय में कमी हो रही है। इससे आपका सहकारिता की ओर जो लगाव होना चाहिये वह कम हो रहा है। लोग सहकारी आंदोलन को और बढ़ावा दे रहे हैं, जनता को और सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप यहां कमी कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि अब अकाल के कारण क्या आपने सहकारी वसूलियां स्थगित कर दीं? यदि आपने कर दी हैं तो इस अवधि का ब्याज कर्जा लेने वाले के खाते में जोड़ा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस अवधि का ब्याज कर्जा लेने वाले के खाते में जोड़ा जाएगा या ब्याज को आप पूर्णतः माफ कर देंगे? आप कुछ न कुछ तो बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं हमारे किसानों के लिये। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस अकाल के समय जब किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है, जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो आप किस प्रकार ऋण की वसूली स्थगित नहीं कर रहे हो और उनके लिये ब्याज वगैरह माफ नहीं कर रहे हो? उत्पादन होता तब तो कोई बात नहीं है। काश्तकार के फायदे के लिये सहकारिता विभाग है, एक सबके लिये और सब एक के लिये। फिर हमारे लिये कब होंगे आप? उन किसानों के लिये कब होंगे? सहकारिता का नारा है, इस नारे पर आप चलना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति पिछले 5 सालों से आपने नई एक नहीं खोली है। हर पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति होनी चाहिये। हमारी पंचायत है कोई 10 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर है, जो पहले की बनी हुई सहकारी समितियां हैं वह की वह हैं। आपने कोई नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली हों तो बता दें कि हमने इतनी खोली हैं। नया आपने कुछ किया ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से खास तौर से सरकार से निवेदन है इसमें आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे बाड़मेर का बैंक राज्य में भी एक बार फर्स्ट आया, पूरे भारत में भी फर्स्ट आया। हमारे यहां के कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

(श्री अमराराम चौधरी)

लेकिन यह अकाल का समय है, हमारे यहां इतना भयंकर अकाल है छप्पनियां अकाल है और वहां पर आप कर्जा माफ नहीं कर रहे हो। ऋण वसूली कर रहे हो, उसको भी आप स्टे नहीं कर रहे हो, ब्याज माफ नहीं कर रहे हो। यह आप करो, क्योंकि हमारे आदमी ईमानदार हैं। इसीलिए तो हमारे बैंक फर्स्ट आ रहे हैं। प्रधान मंत्री से भी अवार्ड लिया है। मुझे अनुभव है इस बात का, स्टेट का जब अवार्ड मिला था तब मैं चेयरमैन था। मुझे भूमि विकास बैंक में भी रहने का काम पड़ा। हमारे बैंक हमेशा फर्स्ट रहे हैं। शिव से आने वाले माननीय सदस्य भी भूमि विकास बैंक में रहे हैं, इन्होंने भी भूमि विकास बैंक को सबसे आगे किया। बाड़मेर जिला इतना पिटा फिर भी हम सहकारिता आंदोलन को आगे ला रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। लेकिन अकाल के समय आपकी कोई भी सहानुभूति नहीं है। कर्मचारी जहां के तहां बैठे हुए हैं। सन् 1982 से जो भर्ती किये हुए हैं वे बाबू के बाबू बने हुए हैं। डी.पी.सी. कब हुई, कोई मालूम नहीं है। कब आप यहां से सैंक्शन देंगे, कोई पता ही नहीं है। आप कब करने जा रहे हैं यह बात भी बताएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आय व्ययक अनुमान वर्ष 2003–2004 की अनुदान की मांग संख्या 36–सहकारिता के पक्ष में मैं मेरे विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के लिये सहकारिता का मूल मंत्र गहलोत सरकार सबके लिये और सब एक के लिये को प्रतिपादित करते हुए सहकारिता आंदोलन चलाकर राजस्थान प्रान्त के आर्थिक विकास में सारगर्भित भूमिका का निर्वहन किया है। गहलोत सरकार ने नया सहकारिता अधिनियम लागू कर राजस्थान के सहकारी क्षेत्र में नये संचार की क्रांति का सूत्रपात किया है। जनहित में नागरिक अधिकार पत्र जारी कर राजस्थान की गहलोत सरकार ने सहकारी व्यवस्था को सूचनापूर्ण बनाया, यह कदम अशोक गहलोत सरकार की पारदर्शिता का परिचायक है। उपाध्यक्ष महोदय, गहलोत सरकार ने विकास की गति को बनाये रखने के लिये सामूहिक प्रयास जारी रखकर सहकारी जाग्रति उत्पन्न की। राजस्थान प्रान्त के किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाने के लिये संवेदनशील रूप से गहलोत सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। जब से राजस्थान में गहलोत सरकार का सूत्रपात हुआ है राजस्थान की गहलोत सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। वर्तमान बजट और पिछले बजट में प्रावधान किये

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सहकारी समितियों को कार्य करने की अधिक स्वायत्तता देने के लिये नया राजस्थान सहकारी अधिनियम, 2001 विधान सभा में भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यह किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम राजस्थान की गहलोत सरकार का रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने वर्षों से चली आ रही काश्तकार सदस्यों की मांग को पूरा करते हुए हिस्सा राशि जो 15 प्रतिशत थी, उसको 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया। यह गहलोत सरकार ने किसानों के हित में किया। इस निर्णय से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 50 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे व करीब 16 लाख काश्तकारों को सीधा सीधा लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा दीर्घकालीन सहकारी ऋणों पर ली जा रही हिस्सा राशि 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक कम कर लम्बी अवधि के कर्जे प्राप्त करने वाले किसानों को राहत प्रदान की गई, यह भी महत्वपूर्ण कदम राजस्थान की गहलोत सरकार का किसानों के हित में है। अब दीर्घकालीन सहकारी कर्जों पर 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत हिस्सा राशि ही ली जाने लगी है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंकों से लिये जाने वाले कर्जों की ब्याज दर को व्यावहारिक बनाते हुए कृषकों के हित में 3/4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक ब्याज दर में कमी की गई है। इस अकाल की विषम परिस्थिति में यह भी राजस्थान की गहलोत सरकार का किसानों के हित में बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले, दीर्घकालीन सहकारी ऋण की ब्याज दर में पिछले तीन वर्षों में 7 बार किसानों के हित में गहलोत सरकार ने परिवर्तन किया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। समय समय पर और 5 साल से लगातार अकाल पड़ रहा था, किसानों के हित में सात बार इसमें परिवर्तन किया गया। इतना ही नहीं अकाल की विषय परिस्थिति में राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से अकाल से जूझते हुए काश्तकारों से करीब 450 करोड़ रुपये की सरसों की खरीद भी की गई। इसी तरह राज्य में पहली बार मूंगफली की समर्थन मूल्य पर ख़रीद की गई। उपाध्यक्ष महोदय, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वर्तमान में जिस प्रकार से अकाल पड़ रहा है उसको देखते हुए समर्थन मूल्य पर जो खरीद की गई है यह किसानों के हित में है। साथ ही साथ, गत वर्ष में पहली बार गैर वाणिज्यिक फसल समर्थन मूल्य पर खरीद कर काश्तकारों को राहत दी गई और बाजरे

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

की खरीद की व्यवस्था में किसानों से बाजरा खरीदा गया। लघु उद्यमियों, दस्तकारों, व्यवसायियों और छोटा कारोबार करने वाले व्यापारियों को 50 हजार रुपये तक की साख सीमा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से मई, 2002 से सुगम क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई जिसका लाभ पूरे राजस्थान में किसानों को मिल रहा है। साथ ही साथ, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सहकार प्रभा योजना लागू की गई जिससे अब तक राजस्थान के अन्दर 32 करोड़ रुपये से अधिक की साख सीमा स्वीकृत की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान की गहलोत सरकार ने सहकारिता के अन्दर स्वावलम्बन बनाने के लिए, राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सहकार स्वरोजगार योजना शुरू की है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों से कर्जे प्राप्त करने की पूरी–पूरी छूट दी गई है जो सहकारी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना छोटा–मोटा व्यापार कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, 50,000 से अधिक की आबादी वाले कस्बों में आवास निर्माण के लिए सहकार जन मंगल योजना में ऋण वितरण की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण कदम किसानों के हित में है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से विश्व व्यापार संघ ने किसानों को बरबाद किया है, इसकी नीतियों के चलते हालात ये बन गये कि भारतीय किसान को उसकी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। गैट और डब्ल्यू.टी.ओ. की शर्तों के दबाव में जब से केन्द्र सरकार ने उनकी शर्तों को माना है तब से पूरे हिन्दुस्तान में एक भूचाल–सा आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार में अनुसूचित जाति–जनजाति और कमजोर तबकों के लोगों के लिये मृतप्राय: सहकारी समिति पुनरूद्धार की संजीवनी योजना के सकारात्मक परिणाम होने के कारण पहले चरण में 46 क्रय–विक्रय सहकारी समितियों का चयन किया गया है। उनमें से अधिकांश में इतने अच्छे परिणाम आये कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय माना गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कमजोर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के लिए कायाकल्प योजना लागू की गई। योजना के सफल क्रियान्वयन से अधिकांश ग्राम सहकारी समितियों की स्थिति में पूरी तरह से सुधार आया है। इन तमाम चीजों का नये अधिनियम में प्रावधान किया गया है, जिसका फायदा सारे राजस्थान के किसानों को मिला है।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में सहकारिता से महिला सशक्तिकरण का देश में पहला अभिनव प्रयोग–करीब 2000 महिला सहकारी समितियों की एक लाख ग्रामीण महिलाएं सदस्य बनाई गई हैं और करीब दो करोड़ रुपये की हिस्सा राशि में अमानत राशि भी उनके हित में जमा की जा चुकी है। यह महिलाओं का सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है उसके अन्दर गहलोत सरकार ने महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण योजना का लाभ महिलाओं को दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 17 जनवरी से 20 फरवरी तक गहलोत सरकार ने विशेष अभियान चलाकर 'सहकार आपके द्वार' में करीब साढ़े पांच हजार ग्राम सहकारी समितियों में शिविरों का आयोजन किया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर 10 लाख ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ी, 2 लाख 70 हजार नये सदस्य बनाये गये। 215 करोड़ रुपये की ऋण पत्रावलियां तैयार करके ऋण का प्रावधान किया गया। इस अभियान में अकाल से जूझते हुए किसानों को एक मुश्त समझौते की सुविधा भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने दी है। इसके अन्तर्गत 5 करोड़ रुपया जमा और काश्तकारों को दो करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है। यह महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के हित में किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां मेडिकेयर रिलीफ कार्ड पूरे राजस्थान में 23 लाख बांटे गए, उसी तर्ज पर किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने चलाई है। इस योजना के अन्तर्गत 26 जनवरी, 1999 को देश में सबसे पहले राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को सहकारी किसान कार्ड की सुविधा से जोड़ा गया। प्रदेश में 16 लाख से अधिक किसानों को सहकारी किसान कार्ड राजस्थान की गहलोत सरकार ने उपलब्ध कराए। इस योजना में किसानों को स्वीकृत साख सीमा तक सीधे बैंक से ऋण प्राप्त करने, खाद एवं बीज नहीं होने की स्थिति में भी पड़ोस की क्रय-विक्रय ग्राम सेवा सहकारी समिति से खाद एवं बीज प्राप्त करने का भी पूरा प्रावधान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरलीकरण ऋण वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत काश्तकारों को अधिक सहकारी कर्जे प्रदान करने के लिए गत वर्ष रिकार्ड 1100 करोड़ रुपये के सहकारी कर्जे गहलोत सरकार ने वितरण किये। अकाल के बावजूद काश्तकारों ने 80 प्रतिशत सहकारी कर्जे चुकाये भी हैं। इतना ही नहीं गहलोत सरकार ने इस वर्ष किसानों को सवा बारह सौ करोड़ रुपये के सहकारी कर्जे वितरण करने का लक्ष्य

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

भी रखा। यह महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के हित में किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में केन्द्र सरकार ने खुले आयात के माध्यम से सहकार को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। 721 खाद्यान्न वस्तुओं का खुला आयात हिन्दुस्तान में जब से हुआ, राजस्थान में ही नहीं वरन पूरे भारत में सहकारी क्षेत्र के अन्दर मिल–कारखाने बन्द हो गये। लाखों–लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गये, लाखों–लाखों श्रमिकों के हाथ कट गये। किसानों ने आत्महत्या की साथ ही आयातित पाम–आमल के सस्ते होने के कारण से पूरे हिन्दुस्तान के मिल कारखाने बन्द हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, विदेशी दूध हिन्दुस्तान में आने के कारण से हमारे पशुपालकों की कमर टूट गई। कृषि क्षेत्र में खेती के अलावा दूसरा सहारा पशुपालन का था। जब विदेशी दूध 8 रुपये 10 रुपये लीटर में हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में बिक रहा हो, ऐसी अवस्था में माननीय गहलोतजी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने राजस्थान के पशुपालक को जीवित रखने के लिए, उन्हें संरक्षण प्रदान करते हुए, किसानों के हित के अन्दर राजस्थान में विदेशी दूध पर रोक लगायी। यह महत्वपूर्ण कदम राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान के किसानों के हित में उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे कटमोशन लगे हुए हैं जिनका जवाब मंत्रीजी दे देंगे, लेकिन मैं सुझाव के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नये एक्ट के अन्तर्गत आप जो प्रावधान करने जाएंगे, मैं समझता हूं, किसानों के हित में रजिस्ट्रार जैसे लालफीताशाही वाले महकमे के चंगुल से इस सहकारिता के क्षेत्र को करने के लिए आदरणीय मंत्रीजी पहल करें।

आप वर्तमान समय में जो चुनाव कराने जा रहे हैं, पूर्व में 1991 में चुनाव हुए थे उस समय राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उस समय एक रुपये का सदस्य बनाया जाता था। कुल 11 रुपये में सदस्य बनता था और उसके बाद में प्रावधान किया गया कि 101 रुपये का सदस्य बनना अनिवार्य है और सदस्य बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए उसे बैंक से ऋण लेना भी जरूरी है। ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र लगाते हैं तो बोलते हैं कि जब तक पहले ऋण नहीं लेगा तब तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। वह ऋण लेता है तो उसको डिफाल्टर घोषित कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की परम्परा चली आ रही है, लोग मठाधीश के रूप में बैठे हैं। ऐसे लोगों के मकड़ जाल को तोड़ने के लिए मेरा निवेदन है कि सहकारिता के अगर चुनाव कराए जाते हैं तो आम मतदाता सूची के आधार पर चुनाव

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

कराये जाने चाहिए। जिस प्रकार से स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव के अन्दर आरक्षण का प्रावधान किया गया इस चुनाव में भी आरक्षण का प्रावधान करके इसके चुनाव कराएं। यदि चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब हो रहा है तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि जब हमने 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत 18 विभागों को पंचायती राज के अधीन कर दिया, क्यों नहीं हम वर्तमान में सहकारी विभाग को भी पंचायतों के अधीन कर दें ताकि चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़े। जब पंचायतों को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया है तो अलग से चुनाव का क्या औचित्य है?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए पैरेलल संगठन खड़े करें। आज भी ग्राम सेवा सहकारी समिति की अगर निष्पक्षता से जांच करें तो बड़े-बड़े रैकिट्स उसमें पाए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप चुनाव कराएं उसमें आरक्षण पद्धति का ध्यान रखे। नहीं कराएं तो, जिस प्रकार से हमने 4 दिन का सत्र आहूत करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया है उसके अधीन इस सहकारिता विभाग को भी कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि जिला प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच मिलकर जहां 18 विभाग चला रहे हैं इस विभाग को भी वे लोग चला लेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी चौहान। 18 का ही पता नहीं 19वां कहां से जोड़ रहे हो?

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के ऊपर यहां चर्चा हो रही है। सहकारिता का प्रारम्भिक दिनों में फैलाव पूरे राजस्थान में हुआ। जिस मंशा से राज्य सरकार ने अन्य प्रदेशों से यह व्यवस्था हमारे प्रदेश में लागू की उसके पीछे एक मात्र उद्देश्य यह था कि तत्कालीन समय 1965 के आसपास और उससे पहले गांव की सारी अर्थव्यवस्था गांव के सेठ-साहूकारों के कब्जे में थी, इन संस्थाओं का प्रादुर्भाव करके इस प्रकार का सोच डवलप किया गया था, पूरे राज्य में सरकार की ओर से इस प्रकार का एक संदेश दिया जाना था कि किसानों के सभी प्रकार के ऋण हों, खाद–बीज हों, सारी व्यवस्थाओं में सहकारी समितियां एक बड़ा जबरदस्त रोल अदा करके ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को सदृढ़ करने के लिये काम करेगी। प्रारम्भिक काल में मैंने भी काफी नजदीक से इन सहकारी समितियों को देखा। एक समय था 2–2 साल तक ट्रेनिंग लेकर ग्रुप–सचिव या ग्राम सेवक आया करते थे और उन ग्राम सेवकों का इतना

(श्री हीरासिंह चौहान)

गहन अध्ययन था कि उन्होंने इस व्यवस्था को गांव-गांव में जड़ तक पहुंचाने के लिये लोगों में सहकारिता की भावना का विकास किया। इसके साथ जगह-जगह सहकारी समितियों का गठन भी हुआ और गठन होने के बाद किसानों को इन संस्थाओं के द्वारा जितनी लाभकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली बात थी वह सन् 1970 तक या उसके आसपास मुझे भी अपने क्षेत्र में देखने को मिली। ज्यों-ज्यों यह व्यवस्था अच्छी होती गयी, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के लोन, एडवांस, सस्ते ब्याज की दर से शार्ट टर्म, लोंग टर्म के ऋण देने की व्यवस्था उपलब्ध होने लगी। हमारे समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो चाहे कोई भी व्यवस्था लागू हो जाती है, उस पर कंट्रोल करने की व्यवस्था करते हैं, उस पर काबू करने की व्यवस्था करते हैं। धीरे-धीरे यह सहकारिता का आंदोलन ऐसे रैकिट्स में फंस गया जिसके कारण से, जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य में सहकारिता आंदोलन चालू किया गया था, सहकारी समितियों का गठन किया गया था और इससे जो अपेक्षाएं शासन ने की थीं, जनता ने की थीं, आपने और हम सबने की थीं, उसका मटियामेट होकर रह गया है। आज यह बात सही है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव का मैण्डेटरी प्रोविजन कर दिया गया कि within 5 years, there must be elections लेकिन इसके पीछे कोई मैण्डेटरी प्रोविजन नहीं है। for panchayati raj institutions.

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना, कर दिया एक्ट में।

श्री हीरासिंह चौहान : अब क्या होगा? लागू तो, हम चुनाव करेंगे तब देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब चुनाव होगा, वह मैण्डेटरी प्रोविजन है एक्ट में।

श्री हीरासिंह चौहान : 5 साल तो चुनाव करवाया नहीं। माननीय खेतसिंहजी थे सरकार में, सदन में आते ही कहा था, मैं 6 महीने के अन्दर चुनाव कराऊंगा। 5-6 बार उन्होंने आश्वासन दे दिया। उसके बाद नये सहकारिता मंत्रीजी से भी बहुत आशा और अपेक्षा रखते थे, परसादीलाल मीणा साहब से भी, कि नौजवान हैं, नया जोश है...(व्यवधान) मेरे साथ के होंगे, थोड़े बड़े होंगे लेकिन यह चुनाव करा देंगे। थोड़ा पिछले दिनों कोई सार्वजनिक सभा में हमारे राज्य के सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की कि सहकारिता के चुनाव बहुत जल्दी करा देंगे। बड़ा अफसोस और दुःख है। पहले तो कहा कि राष्ट्रपति की कंसेंट नहीं मिली। अब महामहिम राष्ट्रपति महोदय की कंसेंट मिले भी बहुत लम्बा

(श्री हीरासिंह चौहान)

टाइम हो गया, पर अब क्या कारण है, मैं नहीं कह सकता हूं। यह सरकार जाने, मैं तो सरकार से ही जानना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी जब उत्तर दें तो कम से कम यह स्पष्टीकरण दें कि what are the hindrances behind it. क्या ऐसी रुकावटें हैं, क्या कारण हैं जिसके कारण से राष्ट्रपति महोदय से कंसेंट मिलने के बाद में भी आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं? यह दु:ख और पीड़ा की बात है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सन् 1974 से 1978 तक मैं कृषि उंपज मण्डी समिति, जैतारण का भी चेयरमैन रहा, आपको अच्छी तरह मालूम है। आपके ही एरिये के यशवन्त सिंहजी साहब थे, एक बार चुनाव कराया। सन् 1974 से 1978 तक मनोनीत करते रहे, केवल एक बार 1978 के अलावा, आज दिन तक इतनी अच्छी संस्था, कृषि उपज मण्डी समितियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बिठा रखे हैं। मैं यह भी कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने भी नहीं कराये है। लेकिन आपकी सरकार के किसने हाथ-पैर पकड़े हैं? सन् 1974 के बाद भी आप 12 साल शासन में थे और उसके बाद में आप फिर शासन में रहे। डैमोक्रेटिक पैटर्न की जो संस्थाऐं बनी हुई हैं, इनसे जनता को डाइरेक्ट लाभ होता है। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वे अपना अच्छा-अच्छा रिप्रजेंटेशन देते और रिप्रजेंटेशन देकर उनमें अपना चातुर्य है उसके अनुसार समाज की सेवा करना चाहते हैं। सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के कब्जे में वह सारा दे दिया।

इस प्रकार यह सहकारी विभाग ग्राम पंचायतों की तरह से है, उसको भी उसी प्रकार से सरकारी मशीनरी के कंट्रोल में दे रखा है। आज हो क्या रहा है? आज कहीं भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां फोर्स में नहीं हैं। आपका एक ऐसा व्यक्ति जिसको व्यवस्थापक कहते हैं, उसके कोई सेवा नियम नहीं हैं। वे लगातार आन्दोलन कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की सर्विस की कोई गारंटी नहीं। उस आदमी से आप यह अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि वह सहकारी अध्यादेश के अनुसार सहकारी समितियों का संचालन कर देगा, गांव में ऋण का काम कर देगा, यह कर देगा, वह कर देगा। यह दु:ख और पीड़ा का विषय है। इसलिये हम इस पवित्र सदन में आते हैं और अपनी बात को कहते हैं। सरकार सुनती है, सरकार में बैठे हुए साथी भी हमारे ही हैं, वे सब जानते हैं सारी स्थितियों को, inspite of all this उसका सोल्यूशन क्या, जिसको आप करने के लिये अधिकृत हैं, जिसको आप कर सकते है? आपके हाथ-पैर किसी ने नहीं पकड़े हैं। लेकिन इस व्यवस्था को हम सुचारू रूप से कर नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य की जनता क्या सोचती है? सरकार का क्या मानस

(श्री हीरासिंह चौहान)

है? सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से और सरकार के कैबिनेट मंत्री यहां सारे बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को थोड़ा सुचारू बनाने में सहयोग दें, ग्रामीण जनता आपसे अपेक्षा करती है।

चुनाव होता है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, एक्ट के तहत आपने आयोग गठित कर दिया। अब आप कहते हैं मैण्डेटरी करिये, 5 साल में होगा, जैसा होगा हो जाएगा। इस चुनाव को आपको करना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, औरों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, एक सर्वे करवाया गया, शायद 80 के आसपास सर्वे करवाया गया। बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी ग्राम सेवा सहकारी समितियां थीं जैसे कालखबेला, चित्ताड़, विजावगुड़ा, खोड़िया, और एकाध और भी है उन सबको एबोलिश कर दिया और उनका क्षेत्र बड़ा कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चहता हूं, हमने पहले भी आपसे निवेदन किया, कि जिस प्रकार ग्राम पंचायतें प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैं, उसी प्रकार से सहकारी समितियों की भी आवश्यकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह आप व्यवस्थापक लगाएं। जिस प्रकार से आपके ग्रुप सचिव भी नहीं थे। माननीय सी.पी. जोशी साहब बैठे हैं, बड़ी हिम्मत की थी एक बार, कि सारी ग्राम पंचायतों में सचिव दूंगा। नहीं कर पाये, इन्होंने कोशिश भी की। लेकिन इस प्रकार कोई सचिव सब जगह होना जरूरी नहीं है। जब वहां के अध्यक्ष बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, सचिव का कितना काम है, कितना काम नहीं है, काम करने की नीयत नहीं है, पर अब स्थिति यह हो गयी है कि कोई भी आदमी एक बार सरकारी सेवाओं में आ जाता है उसके बाद ग्रामीण एरिये में चाहे डाक्टर लगा हुआ है, चाहे मास्टर लगा हुआ है, चाहे ग्राम सेवक लगा हुआ है, वह काम नहीं करना चाहता है। मुंह चुराते फिरते हैं। केवल हाजिरी भरते हैं और पैसे उठाते हैं। हालांकि मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि 2 साल पहले के बजट में आपने यह व्यवस्था की कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई सरकारी कर्मचारी ठीक प्रकार से सेवा नहीं करता है, लापरवाही करता है, गैर-हाजिर रहता है तो स्थानीय लोगों को, पंचायत को अधिकार दिया आपने कि इस प्रकार का रिजोल्यूशन करके कमिश्नर को भेजिये, कलक्टर को भेजिये ताकि उसको तड़ी पार किया जाए, 2-4 जिले दूर भेजा जाए। ऐसा हुआ है, अच्छा हुआ है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। जब तक अपन कानून को कठोरता से लागू नहीं करेंगे तब तक ग्रामीण एरिया का हाल, मैं तो और भी कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सुपरविजन

(श्री हीरासिंह चौहान)

का जो तरीका है वह बहुत पुअर है। आज अध्यापक को देखिये, मैं थोड़ा अपनी इस मांग से थोड़ा-सा अलग हट रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : डिमांड आ रही है वह।

श्री हीरासिंह चौहान : डिमांड आ रही है, लेकिन हर डिमांड पर, हरिसिंहजी, मुझे बोलने का मौका थोड़े ही मिलेगा। मेरे तो पार्टी के नेतागण कहते हैं, I have no absolute right. मुझे जो अधिकृत करता है, मैं वही बोलता हूं। मैं खाली इंगित कर रहा हूं, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इस व्यवस्था को आपको और हमको सुधारना पड़ेगा।

सुपरविजंन का जो तरीका है, उसमें जब तक हम अच्छा चैंज नहीं लाएंगे तब तक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, अधिकारियों में डाक्टर आते हैं, कोई रहना नहीं चाहते ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी प्रकार छोटे-मोटे जितने भी अधिकारी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से गुजारिया करना चाहता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। इस मौके पर मैं दीवान साहब का नाम लूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है। इन्होंने लोगों को थोड़ा कसा। दो-चार को सस्पैंड भी किया, पकड़ा। अब पता नहीं कारण कुछ भी रहा हो, गवर्नमैंट, मुख्य मंत्रीजी जाने या यह जाने। पर इनका विभाग बदल दिया गया। जब तक आप सख्ती लागू नहीं करेंगे तो कानून और सरकार तो सख्ती से ही चलती है। मैं कह रहा हूं दुरुपयोग मत कीजिए। ठीक प्रकार से उसका उपयोग करे तो शासन में सब जगह आपकी जो व्यवस्था है, वह एक प्रकार से ठीक हो जाएगी। ठीक बात है, कुछ कलक्टर लोग ठीक जाते हैं, कोई जाते समय कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, अपना कुछ दबदबा बताते हैं लेकिन चार-छह महीने के बाद उनकी भी स्थिति वैसे की वैसी हो जाती है। इसीलिए कम से कम इस सहकारी विभाग को ठीक करने के लिए प्रारम्भिक रूप से इसके चुनाव शीघ्र कराये जाएं।

मैं अभी एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में कामर्शियल बैंक जो ऋण देते हैं और आपके सहकारी विभाग द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसमें वार्षिक चार या छह परसेंट का अन्तर है। ऋण देने की आपने व्यवस्था कर दी, ऋण कम भी मिलता होगा, इसको भी हम एग्री करते हैं, लेकिन आपके द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है उस ऋण का ब्याज बहुत अधिक है जबकि कामर्मिशल बैंकों का ब्याज 10 परसेंट या 9 परसेंट है। अभी केन्द्रीय बजट के कारण से और भी कम और ज्यादा हो सकता है। इस ब्याज को आप कम करने

(श्री हीरासिंह चौहान)

. . .

की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप अधिक ब्याज लेंगे, किसान उसको वापस चुकारा नहीं कर सकते। और ब्याज तो दिन रात; चौबीसों घंटे चलता है और किसान की ऐसी हालत है नहीं, जिसके कारण से वह अपने ब्याज का ठीक ढंग से चुकारा समय नहीं कर पा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अकाल राहत मंत्रीजी ने बहुत लम्बी–लम्बी घोषणाएं कीं कि हम किसानों से ऋण की वसूली नहीं कर रहे हैं। भाई रमजानजी ने अभी बोले थे, अभी भी भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था, आपके क्षेत्र की ओर, उपाध्यक्ष महोदय, रास्ते में बान्दनवाड़ा में एक किसान ने मुझे एक पर्चा दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काहे को गये आप भीलवाड़ा?

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपके विधान सभा क्षेत्र को देखने गया था। मैं काफी जानकारियां आपके बारे में और विधान सभा क्षेत्र के बारे में लेकर आया हूं, उससे मुझे कोई लेना–देना नहीं है। मैं और काम से गया था। कोई बैठक थी, बैठने गया था। उस समय...(व्यवधान) जाना पड़ता है। पूरा राजस्थान अपना ही है।

माननीय सहकारिता मंत्रीजी, यह अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, भिनाय की नीलामी सूचना है। इस अकाल के समय हम बार–बार मांग कर रहे थे कि आप सारी वसूलियों को स्थगित करो और फेमिन कोड को लागू करो। आप फेमिन कोड को लागू नहीं कर रहे हैं। पता नहीं एक्ट क्यों बना, किसलिए बना है? हम जब जोर देकर कह रहे हैं कि एक्स्ट्रीम फेमिन है, भूतो न भविष्यति इतना अकाल हुआ है न फिर होगा, फिर भी आप फेमिन कोड को काम में नहीं लेते हो इसको जला दो। फिर बनाया ही क्यों? इसकी यूटिलिटी क्या है? अगर है, एक्ट बना हुआ है तो फिर आप फेमिन कोड को लागू करिये और सभी प्रकार की वसूलियां बन्द करिये। Whatever it is- short term or long term मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से इस पेपर को टेबल पर भी रखूंगा और पढ़कर भी सुनाना चाहता हूं। सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर शाखा, भिनाय के दोषी सदस्य की निम्नानुसार अचल सम्पत्ति जमीन कुर्क की गई है जिसकी नीलामी स्थान बान्दनवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बान्दनवाड़ा पर दिनांक 20.3.2003 को दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी स्थल पर पहुंच कर बोली लगा कर लाभ उठाएं। बकायादार का नाम है–हगामी सिंह पुत्र रतन सिंह, ढाबा है, खेड़ी का रहने वाला है। और रुपये कितने हैं? मामूली रुपये बाकी

(श्री हीरासिंह चौहान)

हैं। कोई ज्यादा नहीं हैं। इसी तरह से बकायादार दूसरा है श्री रामा पुत्र श्री उरजा रावत, बोलिया का है। अब जब मैंने सदन में यह मामला उठा दिया, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, तो आप तत्काल स्टे दीजिए। मैंने भी उनको आश्वासन दिया कि मैं हाउस में इस मामले को उठाऊंगा। आपका कर्तव्य बन जाता है। मैं यह टेबल कर रहा हूं कागजात, आपका यह कर्तव्य बन जाता है।

(कागज सदन की मेज पर रखा गया)

आप इस पर कान्गिजेंस लेकर तत्काल इसकी जांच करके इस कार्यवाही को रुकवाने की कोशिश करें। अन्त में मैं...(interruptions)...I have got no knowledge about Tilam Sangh. मैं जिस फील्ड की जानकारी रखता हूं, उतना ही अपना सब्जैक्ट मैटर रखता हूं इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। श्री अमीन खानजी। एक इधर से और एक उधर से है।

श्री अमीन खान (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग संख्या-36 पर मैं मेरे विचार संक्षेप में रखना चाहता हूं। ग्राम सेवा सहकारी समिति इस सहकारिता से लम्बी आयु से जुड़ी हुई है, गांव की नीचे के स्तर पर अच्छी इकाई है। परन्तु इन सोसायटीज का रजिस्ट्रेशन अभी अमरारामजी कह रहे थे कि पिछले पांच साल से, नहीं, मेरे ध्यान में तो ऐसा है कि तीन साल के बाद में ग्राम सेवा सहकारी समिति का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस आड़ में कि इन्होंने एक डालकर रखा है, दत्ता समिति की कोई सिफारिश गवर्नमेंट के पास ऐसी है कि वह नई सोसायटी रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें खड़ी करती हैं। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं, सदन के माननीय सदस्यों ने भी सुना होगा, कि विश्व में सबसे बड़ा गांव तहसील शिव में सुन्दरा था और उस गांव का रकबा साढ़े नौ लाख बीघा का था। (व्यवधान) अब तो उसमें 25 रेवेन्यू गांव हो गये और चार ग्राम पंचायतें हैं। परन्तु आप देखो कि ग्राम सेवा सहकारी समिति उसमें आज भी एक ही है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि चुनाव तो नये एक्ट के माफिक आप जरूर करवाएं, लेकिन जहां पर इस तरह की अनिवार्यता और ग्रामीण दूरदराज के इलाके में समस्याएं हैं, वहां रज़िस्ट्रेशन पहले करवा कर उसके बाद में आप चुनाव करवाएं तो उचित रहेगा, 30 साल से लगातार इस तरह से गांवों के लोगों की समस्याओं को, कोआपरेटिव विभाग को नजरअन्दाज किया है।

दूसरा मेरा इसके साथ ही निवेदन है, कि आपके बैंक के जो कर्मचारी हैं वे अपनी क्रेडिट हासिल करने के लिए

(श्री अमीन ख़ान)

एडजस्टमेंट पर ज्यादा जोर देते हैं। एस.टी. का लोन है, एम.टी. का लोन उनके खाते में दर्ज करके एस.टी. के लोन की वसूली बता देते हैं। इस तरह की वसूलियों में जो एडजस्टमेंट होता है उससे किसान पर दिनों-दिन ऋण का बोझ ज्यादा हो जाता है। आपके महकमे की इस तरह की घपलेबाजी हम तो इसको घपलेबाजी मानते हैं, इस पर और सख्ती से जबरदस्त रोक लगनी चाहिए। आपके बैंक में जो फव्वारे की सब्सिडी दी जाती है यह सब्सिडी अमूमन किसानों को नहीं मिलती है, कुछ लोग मिलकर इसका घपला करते हैं। लोगों की जेबखर्ची होती है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाड़मेर बैंक का इस तरह का मामला बहुत जोरों से आया है। आपके पाली बैंक में भी इसकी सब्सिडी हुई है और मेरा यह सोच है कि जहां कहीं भी किसी भी महकमे से सब्सिडी दी जाती है, करप्शन सब्सिडी से ही शुरू होता है। इस सब्सिडी का किस तरह से वितरण किया जाए, उसके लिये अच्छा इन्तजाम किया जाए, अन्यथा लोन तो उस व्यक्ति को दिया जाता और सब्सिडी की दूसरे लोग जेबखर्ची करते हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि सोसायटी के चुनाव पहले नई सोसायटी, जिस तरह से मैंने सुंदरा की एक मिसाल दी, हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जिले में एक गांव के दूसरे गांव के बीच में मुकासला 30 किलोमीटर है, इस तरह के मुकासलों की सोसायटियों का भी अलग-अलग रजिस्ट्रेशन हो। नहरी इलाके में जहां पहले आबादी नहीं थी उस जगह अब उपनिवेशन क्षेत्र होने की वजह से आबादियां बढ़ी हैं। उन आबादियों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद चुनाव कराये जाएं। यह बड़ी खुशी की बात है, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि नया एक्ट आप बहुत अच्छा लाये। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी आज से पहले चुनाव कराते थे, विभाग के कर्मचारी या उस सोसायटी के कर्मचारी जिसको अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष बनाना चाहते थे वही बनता था, बहुमत का सवाल ही नहीं था। अब राज्य चुनाव आयोग को यह अधिकार देकर सरकार ने ईमानदारी से जनप्रतिनिधियों को इन संस्थाओं में चुना जाएं, इसके लिये व्यवस्था की जिसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं संक्षेप में इतनी ही बात कहना चाहता हूं। मेरे से पूर्व, मैंने सुना है सबसे पहले लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यही कहा था, मेड़ता वाले सदस्य ने भी यही कहा है और दूसरे जितने भी माननीय सदस्य बोले, चाहे हां पक्ष के हों या ना पक्ष के, सभी ने इस बात पर कहा है। आप इन सभी की कद्र करते हुए इन सोसायटियों के रजिस्ट्रेशन का पहले इन्तजाम करें। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। इनका अनुसरण करना आप। अमीन खानजी का अनुसरण करना।

श्री मदन दिलावर : हां, मैं तो यहां कटारियाजी का अनुसरण करता हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राजेन्द्रजी का?

श्री मदन दिलावर : आपका नहीं।

डा. सी. पी. जोशी : हाउस में चीफ व्हिप...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपका नहीं। आपका नहीं, श्रीमान्...थैंक्यू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपका जो सारगर्भित भाषण होने वाला है उसके पहले यह डरे हुए और सहमे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यस, गुड आइडिया।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग संख्या–30 पर विचार हो रहा है। कहा जाता है कि सहकार बिना नहीं उद्धार। ये तो मात्र कहने की बातें रह गयीं। इन चार सालों में तो यह हो गया है कि भ्रष्टाचार बिना नहीं इस सरकार का उद्धार। कहावत अब बदल गयी है और नई कहावत चरितार्थ होती जा रही है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, श्रीमान्। मैं यह उदाहरण देना चाहता हूं कि +++ नाम का एक अधिकारी प्रबन्ध संचालक पद पर डेयरी में अभी बैठा हुआ है। अब पता नहीं इस सरकार को उससे मिलता है कि नहीं मिलता, मैं तो सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इनके ऊपर गम्भीर आरोप हैं। अपने 20 साल के कार्यकाल में कम से कम 24 तबादले इनके हो चुके हैं। घोटाले, अनुशासनहीनता, अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, यह सब इनकी आदत में समाहित हो गया है। बीकानेर डेयरी में प्रबन्ध संचालक पद पर रहते हुए +++ ने डेयरी के क्षेत्र में अपना कैरियर 13 अक्टूबर, 1981 से प्रारम्भ किया था और आज तक इन्होंने दर्जनों घोटाले किये हैं। इन घोटालों में आरोप सिद्ध हो गये हैं कि इन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों रुपये खाये हैं। लेकिन सारी जांच रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आने के बाद भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। इनको जोधपुर डेयरी के प्रबन्ध निदेशक के पद पर रहते हुए निलम्बित किया गया था, फिर वहां से चूरू पदस्थापित किया गया और अभी भी कहते हैं कि उनके खिलाफ जांच जारी है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : करोड़ों के कितने हुए?

श्री मदन दिलावर : करोड़ क्या, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैंने तो गिने नहीं। इतना ज्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूं। मैं

+++नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

गांव से आता हूं, श्रीमान्, करोड़ों से मेरा क्या लेना-देना? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप तो सीधे कहो, करोड़ों पर चले गये।

श्री मदन दिलावर : बहुत सारे आरोपों की चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता लेकिन इतना निवेदन जरूरी करना चाह रहा हूं कि सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) ने इनको एक पत्र 16.7.2000 को लिखा था कि 1986-87 में अलवर डेयरी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाएं?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाएं?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया। (व्यवधान) हो जाएगी एक घंटे में।

मांग संख्या-36 पर विचार

श्री मदन दिलावर : विषय-1986-87 में अलवर डेयरी प्लांट में हुई खराब घी की जांच-पत्रावली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री उमाशंकर मिश्रा, कनिष्ठ सहायक द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 1986-87 में अलवर डेयरी प्लांट में हुई घी खराब की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गयी जांच की पत्रावली आपके आर.सी.डी.एफ. में महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) के पदस्थापन काल में आपको व्यक्तिगत तौर पर मांगने पर दी गयी थी जिसे आप अपने बीकानेर स्थानान्तरण के समय साथ ले गये। उक्त पत्रावली मांगने पर आप द्वारा आश्वस्त किया गया कि मैं आई.आर.एम.एफ. प्रशिक्षण से लौटने के बाद पत्रावली लौटा दूंगा। तत्पश्चात् आपका जयपुर डेयरी में स्थानान्तरण हो गया। इस सम्बन्ध में श्री उमाशंकर मिश्रा, कनिष्ठ सहायक आपसे जयपुर डेयरी, जयपुर में व्यक्तिशः बार-बार निवेदन करने गये तब आपने बताया कि उक्त पत्रावली मैं बीकानेर ले गया एवं वह अभी बीकानेर ही अन्य दस्तावेजों के साथ रह गयी है।

मेरा निवेदन इसमें यह है कि वह सारी जो जांच हो रही थी और जांच में जो शिकंजा कसा जा रहा था तो उसमें आगे कार्यवाही नहीं हो, इसलिए श्रीमान्‌जी जहां-जहां स्थानान्तरण होता रहा वहां-वहां अपनी धर्मपत्नी की तरह इस फाइल को लेते चले गये। और तो और, श्रीमान्, फिर आगे देखिये। फिर आर.एन.मीणाजी पत्र लिखते हैं +++ को, चूरू जिला दुग्ध

+++नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक +++ द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में आपको विषयान्तर्गत लेख है कि आपके चूरू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, चूरू के पदस्थापन के दौरान आपके विरुद्ध प्राप्त शिकयतों की संस्थागत विकास अधिकारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 27330, दिनांक 3.12.2000 के अन्तर्गत श्री नाथूलाल शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार, राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन जयपुर से करायी गयी तथ्यात्मक जांच में जिन बिन्दुओं पर आपको अपने पद का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है, उसमें स्पष्टीकरण मांगा। श्रीमान् ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, यानि कम से कम 15 जांचें इनके खिलाफ हो चुकी हैं। इस कोआपरेटिव विभाग में यदि कोई सबसे भ्रष्टतम अधिकारी कह सकते हैं तो उसका नाम +++ है। लेकिन, श्रीमान् हुआ क्या? यह सब चलता रहा और फिर मुख्य मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, माननीय सदस्य शायद विषय से बाहर जा रहे हैं। आज सहकारिता विभाग की डिमाण्ड है और यह डेयरी...

श्री मदन दिलावर : डेयरी नहीं, यह कोआपरेटिव डेयरी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इस पर सहकारिता विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, मंत्रीजी जवाब नहीं दे पाएंगे। पशुपालन विभाग की अलग से डिमाण्ड है। उसमें डेयरी सम्मिलित है। मंत्रीजी जवाब तो दे नहीं पाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह जरूरी नहीं कि माननीय सदस्य जो बोले मंत्रीजी उसका जवाब दें। यह कोई जरूरी थोड़े ही है।

श्री सांवर लाल : नहीं, मंत्रीजी जवाब क्यों नहीं देंगे? डेयरी कोआपरेटिव नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सहकारिता क्षेत्र की डेयरी है।

श्री सांवर लाल : आप कैसी बात कर रहे हैं? मंत्रीजी ने कहा है जवाब देने के लिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप हर विभाग का...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप केवल अनुशासन कायम करो अपने सदस्यों पर, बाकी जवाब देंगे यह। यह फैसला करने वाले मंत्रीजी हैं।

(17.00 बजे)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके पास हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट जाती है, अगर उसको ठीक ढंग से पढ़ते तो शायद यह ब्रेक पैदा नहीं होता।

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : यह प्रगति रिपोर्ट दी हुई है इसमें सहकारी...

श्री मानिक चन्द सुराना : सहकारी डेयरी की रिपोर्ट भी आयी हुई है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह भूल हो गयी कि आज मैं भ्रष्टाचार का सारा मामला उजागर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यह गलती हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : रोज ही करते हो आप तो, आज क्या कर रहे हो?

श्री मदन दिलावर : मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के सैक्रेटरी, सी.के. मैथ्यू 15 जनवरी को पत्र क्या लिखते हैं नोटशीट पर–"C.K. Roy, M.D., Bikaner may be placed as M.D., Jaipur in place of Shri Himmat Singh, This bears approval of the hon'ble C.M." क्या मजबूरी है ऐसी सी.एम. की, आखिर मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार का अपने सैक्रेटरी साहब से पत्र लिखवाते हैं कि इनको तो अच्छे पद पर बैठाओ ताकि +++ खैर। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, उनकी कुछ न कुछ मजबूरी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, बंटवारा हो सकता है। इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोटा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वहां के मैनेजर रमेश चन्द शर्मा ने एक गरीब आदमी को पकड़ कर, वह लोन लेने आया था, अंगूठा निशानी लगवाकर उसके बेटे को उसकी जमीन रखकर लोन दिला दिया। मैंने विधान सभा में जब पिछली बार प्रश्न उठाया तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे ही एक फर्जी एफ.डी. का मामला है, कोई कार्यवाही नहीं। कई भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब जाकर जब हमने जोरदार लताड़ पिलायी, डांट मारी अधिकारियों को, तो कुछ एक-दो महीने पहले उनको निलम्बित किया है। परन्तु निलम्बित होने लायक नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न कार्यवाही?

श्री मदन दिलावर : वह टर्मिनेट होने लायक है, 10-15 सालों से लगातार भ्रष्टाचार करता आ रहा है। उसको टर्मिनेट नहीं कर बार बार धारा 74 का हवाला देकर वापस पद पर पहुंचा देते हैं। क्या है, ऐसा क्या हो गया? यह सहकारिता विभाग है न, एक-दूसरे से मिलकर चलने का विभाग है, एक-दूसरे से मिलकर खाने का विभाग तो नहीं है। उसका कोई इस प्रकार का उद्देश्य भी नहीं है। यह है कि आम लोगों को फायदा पहुंचाना,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

आसानी से सहकार की भावना से लोगों को लाभ मिलता रहे, यह भावना है।

यही नहीं, श्रीमान्, आप देखे कि शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा ग्राम पालड़ी मीणा, जयपुर में वरुण विहार आवासीय योजना में एक अनुसूचित जाति की महिला को भूखण्ड संख्या–69 आबंटित किया गया था, लेकिन आज तक उस भूखण्ड का वास्तविक कब्जा और साइट प्लान सहकारी समिति द्वारा नहीं दिया गया। जब समिति के अधिकारियों से बार बार निवेदन किया तो उन्होंने भूखण्ड संख्या–63–ए आबंटित कर दिया। लेकिन भूखण्ड संख्या–63–ए सार्वजनिक रोड में आ गया इसलिए उसको कब्जा भी नहीं मिला और वह 63–ए भी बाद में दूसरे को आबंटित कर दिया गया। यह सरकार की भावना है क्या? यह तो गरीबों का शोषण हो रहा है न?

श्रीमान्, यही नहीं, मैं एक निवेदन और कर रहा हूं। सुबह चर्चा चल रही थी समाज कल्याण की, मैं समाज कल्याण के बारे में नहीं कह रहा, मैं कोआपरेटिव के बारे में कह रहा हूं। चर्चा यह थी, उन्होंने कहा कि यह तो कोआपरेटिव में आता है। कुछ मामले राजेन्द्र सिंहजी ने पूछे थे, कुछ जानकारियां चाही थीं कि कौन–कौनसा अनुदान कौन–कौनसी संस्थाओं को दिया तो समाज कल्याण मंत्रीजी ने कहा कि यह कोआपरेटिव का मामला है, आप कोआपरेटिव से पूछते।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोपरटी नहीं, कोआपरेटिव का मामला है। कोपरटी, कोपरटी बोल रहे हैं, मैंने कहा कोपरटी का नहीं कोआपरेटिव का मामला है।

श्री मदन दिलावर : मैं कोआपरेटिव बोल रहा हूं, साहब। खैर, ठीक है।

वहां पर सहकारी अधिनियम के तहत संस्थाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद जिस प्रकार के घपते होते हैं, श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, कोटा की इमानुअल संस्था के बारे में। जैसा राजेन्द्र सिंहजी ने सुबह कहा था, 91 करोड़ रुपये का अनुदान लिया। अनुदान लेकर क्या कहा, कि अनाथ बच्चों को पालेंगे, गरीब महिलाओं को पालेंगे। कलक्टर ने जांच करायी, उप–निदेशक, समाज कल्याण विभाग ने जांच की। जांच करने पर क्या पाया गया? कि बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार हो रहा है, उनको भोजन नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को अपहरण करके ला कर यहां रखा जा रहा है। हां, अपहरण करके रखा जा रहा है। आसाम से लाये हुए बच्चों की जांच हुई, बिहार से लाये हुए बच्चों की जांच हुई। दो–तीन जगह से लाये बच्चों की जांच हुई। जांच होने पर फर्जी दस्तावेज पाये गये कि यह अनाथ है। जब हमारे ध्यान में आया तो हमने इस विषय को उठाया। पुलिस जब वहां जांच करने गयी तो कई के मां–बाप ने तो कहा कि ये अपहरण करके

(श्री मदन दिलावर)

ले गये थे। कई ने कहा कि हम को तो यह कहा था कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमें क्या पता था कि वहां इस प्रकार से धर्मान्तरण कराया जाता है। कोआपरेटिव जैसी पवित्र संस्था में रजिस्ट्रेशन करवा कर किस-किस प्रकार के कारनामे इस राजस्थान की धरती पर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी मंत्री खड़ा होकर कह देता है, समाज कल्याण से पूछते हैं तो कि हमारे दायरे में नहीं आता, सहकारिता से पूछते हैं तो कि हमारे दायरे में नहीं आता। मुख्य मंत्रीजी कुछ बोलते नहीं है। सहकारिता अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा कर इस प्रकार के मामले करना और सरकार ध्यान नहीं देती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, घंटी तो आपने बजा दी है लेकिन अभी दो मिनट का समय मेरी प्रार्थना पर आप जरूर देंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। यही नहीं, कैसी संस्था है यह, भारत का खण्डित नक्शा छापती है। भारत का खण्डित नक्शा छाप कर विदेशों में बांटती है, वहां से चंदा लाती है। जो देश भारत से दुश्मनी रखते हैं वे देश उनको इसलिए चंदा देते हैं कि उसमें इन्होंने जम्मू-कश्मीर काट दिया है। यहां के एक मंत्री जाकर उस कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हैं, और कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रही है। (व्यवधान)...जवाब देना कि मत देना राजस्थान की जनता आपके चौखटों को देख रही है, आपके कारनामों को देख रही है, मत देना जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : हमारे चौखटे और आपकी बुद्धि देख रही है इतना ही अन्तर है।

श्री मदन दिलावर : मेरी बुद्धि है कि नहीं है, मैंने कहा मैं गांव से आता हूं, आपकी तरह ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं लेकिन आपसे कम नही हूं।

डा. सी. पी. जोशी : बहुत अच्छा। मैं आप जैसा नहीं हूं।

श्री मदन दिलावर : मेरी तरह बन जाओगे उस दिन इस देश का उद्धार हो जाएगा।

डा. सी. पी. जोशी : आप कर रहे हो उद्धार।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बीच में इन्टरवीन कर रहे हैं, मेरा समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : बीच में अब कोई आपका इन्टरव्यू नहीं लेगा।

श्री मदन दिलावर : काहे का इन्टरव्यू?

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करें। कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : कनक्लूड करो।

श्री मदन दिलावर : हां, बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सारे राजस्थान की जनता वंचित रह जाएगी सुनने से।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि भारत का खण्डित नक्शा छापने की एफ.आई.आर. दर्ज हो...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी धन्य हैं, +++ आप इस कदर झेल जाते हैं। वास्तव में आप धन्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय शब्द है, इसको एक्सपंज करवाइये।

एक माननीय सदस्य : यह असंसदीय शब्द है, इसको एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज। (हाथ के इशारे से एक्सपंज करने को कहा)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में...(व्यवधान)...संसदीय नहीं है पर वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य हैं आप, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों को आप झेल जाते हैं। यह तो कहूं? यह तो कह सकता हूं कि आप ऐसे लोगों को झेल जाते हैं? आप मदन दिलावर जैसे लोगों को झेल जाते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को +++ कैसे कह सकते हो आप?

श्री सांवर लाल : यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे ज्यादा धन्य ये दो माननीय सदस्य हैं जो इनकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं तो आप जैसे को भी झेल रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को संक्षिप्त कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस संस्था के ऊपर यह आरोप हो...

श्री राजेन्द्र पारीक : भारत का नक्शा तो खण्डित हुआ कि नहीं हुआ +++ खण्डित जरूर हो गये।

श्री मदन दिलावर : मैं आपका इलाज कर दूंगा, पक्का कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त कीजिये।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : मैं कनक्लूड कर दूंगा, साहब, पर +++

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप कनक्लूड कीजिये।

श्री मदन दिलावर : +++

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सहकारी अधिनियम में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भारत का खण्डित नक्शा छाप कर हमारे देश को अपमानित करने की पूरी छूट देने का कहीं न कहीं प्रावधान है क्या? क्या फर्जी कब्रिस्तान में फर्जी ताबूत गाढ़ कर सैकड़ों बीघा जमीनों पर कब्जा करने का प्रावधान कहीं न कहीं है क्या? क्या बालकों पर क्रूरता करने का अधिकार है? जो कलेक्टर की जांच रिपोर्ट है, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग की है, वह मेरी नहीं है, उसके आधार पर क्यों नहीं कार्यवाही होती है? मैं निवेदन कर रहा हूं कि कार्यवाही कीजिये। राष्ट्रद्रोही लोगों की खिलाफ कार्यवाही नहीं करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न।

श्री मदन दिलावर : मेरी पुरजोर मांग है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस सरकार से सड़कों पर जनता निबट लेगी। ऐसी उग्रता जनता में आ रही है, इनके खिलाफ ऐसा माहौल बनता जा रहा है, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए। माननीय श्री संजीव बेनीवाल।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 36–सहकारिता पर चर्चा चल रही है। मेरे से पूर्व इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचारों से सदन को अवगत करवाया जिसमें कुछ माननीय सदस्यों ने सहकारिता पर और कुछ माननीय सदस्यों ने विषय से हटकर अपना सारगर्भित भाषण इस सदन में दिया।

मान्यवर, उन विषयों में नहीं जाकर सहकारिता से सम्बन्धित कुछ समस्याओं की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव की मांग की। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गांव की यह जो इकाई है, विशेष कर किसानों से जुड़ी हुई ये संस्थाएं हैं, इनमें चुनाव नहीं होने की वजह से कई जगह प्रशासक बैठे हुए हैं। इससे वास्तव में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नये एक्ट के मुताबिक जितना जल्दी हो सके, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव करवाये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गांवों में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों बनी हुई हैं वे प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री संजीव कुमार)

नहीं हैं। दो-दो, तीन-तीन पंचायतों पर एक-एक, कई जगह इसी तरह की सोसायटीज हैं इससे विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन होना चाहिए।

मान्यवर, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो व्यवस्थापक कार्य कर रहे हैं वे भी बार-बार अपनी समस्याओं से अवगत करवाते रहते हैं। वे अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो उनकी समस्याओं के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सेवाओं को बैंक के समान स्थाई सेवा घोषित किया जाए। उनके लिए सेवा नियम बनाये जाने चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का हल हो सके।

मान्यवर, विशेष कर किसानों से जुड़ा हुआ महकमा है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर सही समय पर किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए और सेवा केन्द्रों पर अच्छे प्रमाणित बीज और अच्छी कीटनाशक दवाइयों का वितरण होना चाहिए।

जहां तक सब्सिडी का सवाल है, किसानों को दी जाने वाली कीटनाशक दवाइयां, वास्तव में जो अच्छी कम्पनियों की दवाइयां हैं, जिनका बढ़िया रिजल्ट आता है, ऐसी दवाइयां नहीं मिलकर हल्के किस्म की दवाइयां, हल्की कम्पनियों की दवाइयां सब्सिडी के जरिए दी जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अच्छी कम्पनियों की कीटनाशक दवाइयां किसानों को उपलब्ध करवायी जाएं और उसका रेट...(व्यवधान) यह समस्या है, क्योंकि अच्छी बड़ी कम्पनियां हैं उनकी उन केन्द्रों पर दवाइयां नहीं मिलती हैं। इस वजह से किसानों को मजबूरन ऐसी दवाइयां जो कि कोआपरेटिव सोसायटी पर होती हैं उनको लेना पड़ता है, जिनके फसल पर अच्छे परिणाम नहीं आते। इस समस्या के बारे में विशेष रूप से विचार होना चाहिए।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सहकारी बैंकों द्वारा नहरी क्षेत्र के अलावा जो बारानी क्षेत्र के काश्तकार हैं, उनको ऋण नहीं दिया जा रहा है और इसके अलावा जो ऋण साख धारक हैं, नये क्रेडिट वाले जो हैं, उनको भी ऋण नहीं दिया जा रहा है। अकाल की स्थिति को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की जाए कि इन लोगों को ऋण का लाभ मिल सके।

मान्यवर, इसके अलावा मेरे से पूर्व सदस्यों ने भी सदस्यता शुल्क की बात बतायी। पहले दस-ग्यारह रुपये जो सदस्य बनते थे, उनसे लिये जाते थे, अब 101

(श्री संजीव कुमार)

रुपये किये गये हैं। किसानों से जुड़ी हुई संस्था होने की वजह से इस शुल्क को कम किये जाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की एक समस्या है जिसके लिए मैंने इसी सत्र में तारांकित प्रश्न के द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था। उपाध्यक्ष महोदय, भादरा के अन्दर भारत बस ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भादरा के नाम से 05.09.1957 को एक सोसायटी का गठन किया गया था और उसके पंजीयन के समय उस क्षेत्र के विशेष कर किसान वर्ग के करीब 26 सदस्य उसमें मनोनीत किये गये थे। बाद में इस सोसायटी को 1972 में बन्द कर दिया गया। इसको अवसायन में लाया गया उस समय 149 × 116 फुट का एक भूखण्ड भादरा शहर के बीच में था जिसको बाद में दुकानों हेतु प्लाटों के रूप में काटा गया। मैं विशेष तौर से अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि उन भूखण्डों पर जो कि शहर के बीच में स्थित हैं, बेशकीमती जमीन है सहकारिता विभाग की, उस पर 10–15 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और लगातार उनका अतिक्रमण है। कई बार क्षेत्र के किसानों ने और उस समिति से जुड़े हुए लोगों ने इन अतिक्रमणों को हटाने की मांग की, लेकिन अभी तक हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तो, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी से कि कोआपरेटिव सोसायटी के इन बेशकीमती भूखण्डों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, शीघ्रातिशीघ्र उन कब्जों को हटाने की कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सहकारिता की मांग है, राजस्थान की जनता विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। "एक सबके लिए और सब एक के लिए" इस मूल मंत्र पर, मंत्रीजी आपने यह छपवाया है, यह फैसला सही तरीके से चले और चलता रहे तब तो हम प्रदेश के किसानों की काफी मदद कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें महामहिम राज्यपाल का पद सर्वोच्च है, यह जो पत्रिका छपवायी है सरकारी, क्योंकि फोटो कहीं भी छपते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते है उसमें प्रोटोकाल का ध्यान रखा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें या तो महामहिम की फोटो छपती नहीं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती। इन्होंने यह चित्र दिया है, सबसे ऊपर है, मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत का फोटो, कोलाज का अवलोकन करते हुए। फिर दूसरे नम्बर पर दिया है मुख्य मंत्री अशोक गहलोत

(श्री सांवर लाल)

का, सहकारी मुद्रणालय का फोल्डर जारी करते हुए। और उसके बाद उनके नीचे महामहिम की फोटो दी है। मैं प्रोटोकाल के हिसाब से और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से इसको उचित नहीं मानता हूं। मंत्रीजी, अपने अधिकारियों को कम से कम ये निर्देश तो दें कि जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उन मार्यादाओं के हिसाब से सरकारी डाकूमेंट का प्रकाशन हो। कोई कुछ भी कर दे उसको हम सहन कर सकते हैं पर किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा कोई भी अगर जारी किया जाता है तो वह उचित नहीं है। अगर आपकी फोटो ऊपर आ जाती और मुख्य मंत्रीजी की नीचे आ जाती तो भी हम आपत्ति करते। इसलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

आपका जो नया एक्ट आया, यह गजट में प्रकाशित हुआ है नवम्बर 11, 2002 तारीख को। गजट नोटिफिकेशन हो गया, क्या यह सही है, आपकी इस पत्रिका में छपा है, कि यह लागू हुआ है 14 नवम्बर को? अब यह मेरे समझ में नहीं आता है कि कौनसी तारीख से आप छह महीने गिनोगे, क्योंकि यह आपके लिए एक व्यवस्था हो गयी इस कानून के हिसाब से कि छह महीने के अन्दर अन्दर चुनाव कराना जरूरी है? इस कानून के लागू होने के बाद छह महीने में चुनाव होंगे तो आपका 11 नवम्बर का गजट नोटिफिकेशन सही है। आपने जो यह दिया है प्रगति प्रतिवेदन, इसमें लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् दिनांक 14.11.2000 से लागू होगा। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि किस तारीख से लागू होगा–11 तारीख से या 14 तारीख से? यह आप नोट करके फर्मा दें। कम से कम ऐसी गलतियां सरकारी परिपत्र में नहीं हों। जिस तारीख की गणना छह महीने की अवधि के लिए की जाए उसमें अगर कन्फ्यूजन आपके स्तर पर होगा तो नीचे की सोसायटियों का भला आप करेंगे, मुझे नहीं लगता। आपका यह नवम्बर में लागू हो गया, 14 करेंगे, 11 करेंगे, यह भी आप डिस्क्रिमिनरी एक्शन ले लेना, उस छह महीने में आप चुनाव कराएंगे कैसे?

उपाध्यक्ष महोदय, नियम सरकार ने आज तक बनाये नहीं, कई वर्षों से चुनाव हो नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं 'एक सबके लिए और सब एक के लिए'। आज हालत यह हो रही है कि एक बार अध्यक्ष बन गया कर्मचारी, वही संचालक मण्डल चल रहा है। चुनाव करवाते नहीं हैं। प्रशासक लगा देते हैं, लेकिन इनकी हालत यह है कि छोटे छोटे कर्मचारी जिनके सहारे कुछ व्यवस्था हो सकती है, ठीक–ठाक जांच पड़ताल हो सकती है, उनके पद खाली हैं। इनको भरने की आपकी क्या स्थिति है, मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे।

(श्री सांवर लाल)

निरीक्षक कार्य से मतलब निरीक्षक जो काम करने वाला है, कार्य का मतलब मैं तो यही समझा हूं। इनके पद टोटल 651 रिक्त हैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर। दूसरा था निरीक्षक (आडिट), आडिट का मतलब खाते-बही जांच करो और कोई गडबड़ी हो तो पकड़ो। पड़केंगे कौन जब 267 पद खाली पड़े हुए हैं? अब इनके भरने की क्या मंशा सरकार रखती है? यह कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। फिर घर जाओ, काहे की जनता को और हम सबको डुबो रहे हो? दूसरा सहायक रजिस्ट्रार के पद होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनके सहायक रजिस्ट्रार के पद देखो। रजिस्ट्रार-एक पद, एक पदस्थापित, अतिरिक्त रजिस्ट्रार-नौ हैं, उनमें से आठ हैं, एक ढूंढ रहे होंगे। बड़े अधिकारी तो फटाफट ढूंढ लेते हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार 37 में से 36 भरे हुए हैं, उप रजिस्ट्रार 110 में से 97 सहायक रजिस्ट्रार 224 में से 121 पद खाली हैं। पचास प्रतिशत पद आपके सहायक रजिस्ट्रार के खाली हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप किस प्रकार इस सहकारी विभाग के ढांचे को, सहकारी आंदोलन चल रहा है इसको मजबूत करेंगे, यह मेरे समझ के बाहर की बात है।

इसलिए मैं आपसे चाहूंगा जब आप जवाब दें, बताएं कि आपकी मंशा क्या है? चुनाव कराने की है तो नियम यहां विधान सभा में कब तक पेश करने वाले हैं? दूसरा, जो पद खाली हैं इन पदों को कब तक भरेंगे? एक यह पत्रिका जो छपती है उसमें आप प्रोटोकाल सिस्टम का ध्यान रखेंगे। महामहिम राष्ट्रपति का फोटो भी छापना हो तो नीचे छाप देंगे? अगर यही व्यवस्था हो तो कम से कम अपनी मंशा बताएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों की जो सहकारी समितियां हैं, मार्केटिंग सोसायटीज हैं, डेयरी हैं, कई जगह फल-सब्जी एवं सहकारी समितियां हैं, इन सब समितियों का उद्देश्य यह है कि किसानों को सदस्य बनाओ और सदस्य बनाने के बाद में सहकारिता के सिद्धान्त पर उनकी सेवा करो। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सेवा के साथ साथ अगर सहकारी समिति के प्रति किसी सदस्य का, जनता का विश्वास बढ़ेगा तो वह तब बढ़ेगा जब इसके क्रियाकलाप ठीक होंगे। आज तक आप बता दीजिए कि आपके किस किस सहकारी संघ ने या किस किस सहकारी समिति ने कभी अपने सदस्यों को लाभांश का वितरण किया है? कब किया है? ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर पर तो मेरे खयाल से आज तक किसी समिति ने कोई लाभांश भी नहीं बांटा होगा। अगर यही व्यवस्था चलती है तो लोगों का विश्वास नहीं होगा।

मेरा निवेदन है कि आपकी समितियों में जाते हैं तो वहां पर कभी बीज नहीं मिलता, कभी खाद नहीं मिलता, लोग

(श्री सांवर लाल)

भटकते फिरते हैं ऋण लेने जाते हैं तो उसको 17 चक्कर लगवाते हैं। भूमि विकास बैंक में अभी आपने छपवाया कि हमने चारा खरीदने के लिए ऋण दिया है, आपने कितने लोगों को ऋण दिया है? आपने कभी इस बात का एनालिसिस किया कि कितने लोगों के ऋण प्रार्थना पत्र आपकी कौन कौनसी ब्रांच में आये, उसमें से कितने प्रतिशत को कितना कितना ऋण दिया? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे भिनाय के एक भूमि विकास बैंक के अन्दर जितने एप्लीकेंट्स आये उनमें से बीस प्रतिशत से ज्यादा को ऋण नहीं मिला। मुझे एक बार जाने का मौका मिला, उपाध्यक्ष महोदय, पारा में सहकारी समिति है ग्रामीण स्तर की, वहां पर लोगों को हजार-हजार रुपये का ऋण दिया गया। हजार-हजार रुपये का ऋण देकर आप किस प्रकार से लोगों को चारा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं?

भारत सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, किसान क्रेडिट योजना लागू की, आपका विभाग अगर सहयोग करता और राजस्थान के प्रत्येक किसान को जिसके पास जमीन है, जो यह कार्ड लेने का हकदार है, अगर सारों को आप किसान कार्ड वितरण कर देते तो मेरे खयाल से आपके सामने यह समस्या नहीं आती बार बार।

राजस्थान लगातार चार पांच वर्ष से अकाल से ग्रस्त है, किसान के पास कोई पैसा नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि लोन स्थगित किया कि नहीं किया, तो आपकी तरफ से आ जाता है कि शार्ट टर्म कर दिया। इसमें यह भी कह दो ना कि अल्पकालीन। शार्ट टर्म का क्या मतलब है? खाद बीज का लोन, छोटा-मोटा लोन। अगर किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, कहीं उसको लगा रखा है, क्या पुल बनाने के अन्दर लगा रखा है? खेती करने के लिए आपके डिपार्टमेंट ने लोन दिया है, वह ट्रैक्टर चार साल से नहीं चल रहा है लेकिन उसकी कैटेगरी हो गयी दीर्घकालीन ऋण। अब दीर्घकालीन हो गयी तो आप क्या करना चाहते हो? उसके ट्रैक्टर को कुर्क करवाना चाहते हो? मंत्री महोदय, अभी रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको बताया दो मैम्बर्स अब क्या है, किसके लिए लोन लिया? डेयरी उद्योग के लिए। डेयरी चलेगी कैसे जब हालत खराब हो रही है? कोई दूध तो पी नहीं रहा है, पानी पी रहे हैं लोगबाग। बिसलरी के पानी की बोतल और दूध का भाव, मेरे खयाल से बिसलरी की बोतल का महंगा होगा।

अभी बातें चली थी डब्ल्यू.टी.ओ. की। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं केन्द्र सरकार ने डब्ल्यू.टी.ओ. लागू कर दिया। इन मैम्बर्स को यही पता नहीं है कि कौनसे सन में कौन प्रधान मंत्री था, कब यह लागू हुआ। डब्ल्यू.टी.ओ. आपको तो मालूम होगा, प्रधानमंत्री नरसिंह

(श्री सांवर लाल)

राव थे, जब यह अन्तंरराष्ट्रीय समझौता किया। फिर आपके सदस्य कह रहे हैं दूध आयात हो रहा है। अगर आपके सदस्य यह साबित कर दें कि हिन्दुस्तान में विदेश से एक लीटर भी लिक्विड दूध आया हो तो आप कहें जो करने के लिए तैयार हैं। बिना जानकारी के गैर जिम्मेदाराना बात यहां पर करते हैं, वह बात करने का कोई मतलब नहीं है। इससे लोग भ्रमित होते हैं। आखिर एम.एल.ए. बनाकर जनता ने भेजा है, वे अगर यहां आकर गलत बातें कहेंगे जिसका कोई आधार नहीं, बिना बेस की, तो वे बातें ठीक नहीं हैं।

मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि एस.सी., एस.टी. के लोगों ने ट्रैक्टर खरीदे, उनके ट्रैक्टर कुर्क हो रहे हैं और आपकी सरकार देख रही है। अगर यही हालत रही तो जो ट्रैक्टर खरीदे हैं और जिनको आपने कर्जदार बनाया–सरकार कहती है, अभी हमारे डिप्टी सी.एम. ने उस दिन कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, एस.सी. एस.टी. की जमीन कहीं नहीं जाएगी, कैसे बचा लोगे आप? उसका ट्रैक्टर कुर्क कर दिया, बाकी पैसा बचा उसके लिए जमीन की नीलामी लगा देना। उसमें भी कानून बनाओगे कि एस.सी. एस.टी. का ही खरीदेगा इसकी नीलामी में जमीन। फिर तो उसके पैसे भी नहीं मिलने। फिर वह ट्रैक्टर का पैसा भी नहीं आएगा। तो आपका कंसैप्ट क्या है? आपकी एप्रोच क्या है? आप एस.सी. एस.टी. का भला करना चाहते हैं? वही खरीदेंगे तो न तो ट्रैक्टर का पैसा चुकेगा, जमीन भी बिक जाएगी, फिर वह कर्जदार का कर्जदार। इसलिए, माननीय मंत्रीजी, ऐसी चीजों को रोकिये।

अब चार साल आपका राज आते ही अकाल पड़ा है, इसका तो भगवान मालिक है, लेकिन करें क्या, आपका पगफेरा ही ऐसा हो गया। पहले भी हमने कर्जा माफ किया, अब भी आप चाहते हैं...(व्यवधान) आप कोआपरेटिव मिनिस्टर हैं, आप कोई रिलीफ देना चाहते हैं क्या किसानों को? चार साल से लगातार फसल नहीं हो रही है, ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, लोंग टर्म हो या शार्ट टर्म, आपका अगर यह एप्रोच है कि हम गरीबों का, किसानों का भला करेंगे, अगर एक लाख का, दो लाख का ट्रैक्टर किसी ने लोन से खरीद लिया उसको आप पूंजीपति मानते हैं? उसको आप ए.पी.एल. मानेंगे तो फिर आप भला भी नहीं कर सकते।

1952 के बाद जब से राज में आये हो आपने आज तक तो एक पैसे का किसानों का कभी न सहकारिता का कर्जा माफ किया, न और किसी का किया। आपको मालूम होगा, शुरू शुरू में आपका राज था जब ये सहकारी समितियां बनीं। उस जमाने के अन्दर लोगों ने अंगूठे लगा–लगाकर जनता को ठगा। ठगने के बाद लाखों रुपये का कर्जा हो गया, वह कर्जा माफ तब हुआ जब माननीय भैरोंसिंह शेखावत का राज आया। लगातार आपके राज में अकाल पड़े, उसके बाद कहा

(श्री सांवर लाल)

भैरोंसिंहजी ने कि हम कर्जा माफ करेंगे। वह कर्जा माफ किया उसकी वजह से आज किसान जिन्दा है, बाकी उस टाइम भी आप किसानों को दफना देते। आज तक आपकी नीयत और नीति है कि हम किसानों के...

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसकी वजह से 33 हो गये।

श्री सांवर लाल : अगर आपकी नीति है तो आप करिये।

अभी एक बात आयी समर्थन मूल्य पर खरीद। उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य पर खरीदने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार इनको पैसा देती है जो भी डिफरेंस होता है। उसके बावजूद भी राजस्थान के किसानों को, हमको आंदोलन करना पड़ा, तब इन्होंने सरसों खरीदना शुरू किया। लोगों का बाजरा दो रुपये किलो बिका, उसके बावजूद भी इनका मंत्रालय किसी भी काम में नहीं आया। यह बड़ी चिन्ता की बात है। आप कहते हैं कि हम यह करेंगे।

एक कोआपरेटिव सैक्रेटरी है, अब आप कोआपरेटिव सैक्रेटरी को क्या मानेंगे? आपके बैंक का एम्प्लाई है, राज्य सरकार का एम्प्लाई है, या समिति का एम्प्लाई है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा, उसकी हालत बड़ी खराब है। वह मैम्बर्स की क्या सेवा करेगा, सदस्यों की क्या सेवा करेगा, जब उसको समय पर पैसा नहीं मिलता है, दर–दर की ठोकरें खाता है? कभी तो आपका एम.डी. उसको डरा देता है कि मैं ट्रांसफर आर्डर जारी करा दूंगा, कभी सरकार कहती है यह करवा देंगे। तो कम से कम यह तो स्पष्ट करो कि आखिर उसका होगा क्या, वह किसके नियंत्रण में हैं, किसके अधिकार क्षेत्र में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ। अपने यहां भी श्वेत क्रांति हुई। राजस्थान के अन्दर डेयरी गुजरात की देख-रेख में शुरू हुई, एन.डी.डी.बी. की देख-रेख में शुरू हुई। राजस्थान में बहुत बड़े पैमान पर दूध का उत्पादन होता है, पशुओं के लिये बाटे की व्यवस्था होती है, पर आज दुग्ध उत्पादक को उसका पैसा नहीं मिलता। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस अकाल के समय में जो कोआपरेटिव सोसायटी में दूध देता है, उस पशुपालक के लिये बाटे की व्यवस्था करे, सस्ते पशु आहार की व्यवस्था करे, चारे की व्यवस्था करे। चारे के लिये ऋण नहीं, कोआपरेटिव सोसायटी और डेयरी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह चाहूंगा कि जितने भी दूध वाले आपकी कोआपरेटिव सोसायटीज को, डेयरीज को दूध देते हैं, उन समितियों के दुग्ध उत्पादकों को सरकार की तरफ

(श्री सांवर लाल)

से दो–तीन रुपये, पचास पैसे एक लीटर में आपकी तरफ से सब्सिडी का तो प्रावधान कराओ, जिससे वह समय निकाल लें। आपको याद करेंगे। परसादी लालजी थे कोआपरेटिव मिनिस्टर, उन्होंने हमें संकट के समय मदद की।

सहकारिता विभाग में जितने घोटाले हुए हैं, राजस्थान में और किसी में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी बता दिया उन्होंने। मदन दिलावरजी कहते हैं कि पैसा नहीं है...

श्री सांवर लाल : बहुत कुछ कह दिया है, मैं तो मामूली एक बात बताना चाहता हूं। मैं तो माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हर कोई माननीय सदस्य बोले कि यहां घोटाला हुआ, खड़े होकर फट कह देते हैं मैं जांच करा लूंगा, मेरे को तथ्य दे दें, भले आदमी। भजन-कीर्तन करने के लिये बैठे हो क्या? आपके डिपार्टमेंट में कौन कहां क्या कर रहा है, चपरासी भी क्या कर रहा है, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिये। आज प्राइवेट बिजनसमैन के बिजनस में अगर कोई भी घपला करता है, वह देखता है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ आप, अगर एक सूई भी उठा लोगे, फट पकड़ लेगा कैमरा और कम्प्यूटर कि कहां ले जा रहा है उसको। लेकिन आपके डिपार्टमेंट में घपले हों, उनमें से इने गिने माननीय सदस्य उठा लें, उनकी तो आप जांच करा लोगे, बाकी बेड़ा गर्क क्या हो रहा है इसकी क्या आपकी व्यवस्था है, यह तो बताएं। मेरा निवेदन है कि लगातार आपका सुपरवीजन, कंट्रोल होना चाहिये। आपके पास मासिक रिपोर्ट आनी चाहिये कि कहां-कहां पर शिकायतें हुईं, उसका डिस्पोजल क्या हुआ। अगर कोई दोषी है तो उसको कोई बचावे नहीं, इस प्रकार की आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

अरबन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजसमंद में कार्यरत बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लाखों रुपयों का खर्च स्वयं पर करके बैंक का खर्चा बता कर बैंक खाते से भुगतान स्वयं द्वारा उठाने के सम्बन्ध में बताना चाह रहा हूं। इसमें सारी जांच हो गयी और जांच अधिकारी ने सारे पाइंट्स पर अपनी राय दी कि इन्होंने वास्तव में इस राशि का दुरुपयोग किया। स्वयं के घर के टेलीफोन के बिल का भुगतान बैंक से कराया गया, स्वयं के मोबाइल फोन के बिल का भुगतान बैंक से कराया गया। राजस्थान में किस किस एम.डी. को आपने मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति दे रखी है, यह बता दीजिये आप? स्वयं की गाड़ी के पैट्रोल का भुगतान भी बैंक से कराया गया, स्वयं की गाड़ी के टायर डलवाये, उसका भुगतान भी बैंक से किया गया। कम्प्यूटर

(श्री सांवर लाल)

क्रय किये गये उनका विज्ञापन नहीं दिया गया, अपनी मर्जी से उठाकर ले आये और पेमेंट करवा दिया। अपनी मारूति कार क्रय करने के लिये बैंक से ऋण लिया बिना स्वीकृति के इन सब बिन्दुओं पर जांच अधिकारी ने कहा कि उक्त अधिकारी दोषी है। तो माननीय मंत्री महोदय, एक-दो होकर आप काबिज करा दोगे, जैसे अपन जाते हैं खरीदने के लिये एक बोरी गेहूं, दो दाने देखे सैम्पल में, काम चला लेते हो कि अब ठीक होगा माल। अगर एक-दो के भी समय पर आप कार्यवाही कर दोगे तो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि आपके डिपार्टमेंट को छह-आठ महीने हों तब तक काम चला लोगे।

आपकी आज महत्ती जिम्मेदारी है चुनाव की, चुनाव के बारे में आप कुछ करते नहीं हो। मेरे खयाल से कानून-कायदे भी पढ़ते नहीं हो। उलटे-सुलटे जवाब मिल जाते हैं डिपार्टमेंट के, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपने वास्तव में हमको भी गुमराह किया और सदन को भी किया। निश्चित रूप से और भी लोग हैं जहां पर जाकर वह बात की जा सकती है।

रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में एक समस्या है। नया जो कानून है उसमें तो रजिस्ट्रेशन की एक निश्चित अवधि है कि आप पेश करेंगे, हो जाएगा। पर डेयरी के अन्दर कई जगह पर कलेक्शन सेंटर खुले हुए हैं साल-साल, दो-साल से और उनका रजिस्ट्रेशन राजनैतिक आधार पर नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि जिस भावना से आपने कहा कि हम राजनीति को नहीं आने देंगे, उसी भावना से काम करो। काम करके स्वतंत्रता दो अधिकारियों को कि एक्ट के हिसाब से कार्यवाही नहीं की तो हम आपका इंतजाम कर देंगे। अगर यह भावना आपकी शुद्ध है और यह पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। बाकी हम 'एक सब के लिये, सब एक के लिये' करते रहेंगे। जिस प्रकार की दुर्गति राजस्थान में हुई, आप भी जाते होंगे गांवों के अन्दर, लोगों का विश्वास उठ रहा है।

मुख्य मांग थी हमारी सबकी कि हर पंचायत में एक कोआपरेटिव खोलिये आप। 20-20, 30-30 किलोमीटर की तीन तीन, चार-चार पंचायतों में है, यह तो होनी चाहिये। पर इस प्रकार की भावना तभी होगी जब आप समय पर चुनाव कराएंगे सही निर्णय लेने के लिये अधिकारियों को स्वतंत्र करेंगे और कोई भी गलत काम करे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बाकी तो अपनी जनभावना हमेशा सहकारिता ही रही है गांवों में। आज कल थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, बाकी तो हर आदमी एक दूसरे के लिये काम आता था। इसको अगर सही सफल करना है तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसके

(श्री सांवर लाल)

ऊपर बिलकुल स्वस्थ मस्तिष्क होकर बिना राजनीतिक राग-द्वेष के आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सहकारिता आन्दोलन आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, आज सहकारिता की मांग पर माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। सहकारिता के नये अधिनियम के बाद सहकारिता में विश्वास रखने वालों को मिलने की आशा जगी।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये, ज्यादातर ने कि सहकारिता के चुनाव कब होंगे, व्यवस्थापकों के सेवा-नियम कब बनेंगे। भ्रष्टाचार, ऋण स्थगित के मामले, जो भी सुझाव आये हैं, मैं आपको भरोसा देता हूं विभाग की ओर से कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर हमारा विभाग निश्चित रूप से कार्य करेगा। हमने पिछले चार साल में विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने, नियमों में सरलीकरण करने के साथ रजिस्ट्रार की जो शक्तियां थीं उनको भी कम करने की कोशिश की है।

सहकारिता का जो उद्देश्य है-गांवों में साधनहीन किसान, गरीब मजदूर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना उसके साथ ही हमने यहां तक भी कोशिश की है कि पड़ने वाली जरूरत के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोगों को साधन उपलब्ध कराएं। जिस तरह की बात की जा रही है, जब से हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली, किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया। सबसे पहले पूरे देश में अगर कहीं लागू हुआ है तो राजस्थान में जनवरी, 1999 में लागू किया है। तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने पटना में इसकी घोषणा की थी और हमारी सरकार ने सबसे पहले इसको लागू किया। हमें खुशी है कहते हुए कि आज 17 लाख अस्सी हजार से भी अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को यह महसूस हुआ है कि हमको कर्ज के लिये दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंकों के माध्यम से हो जाएगी। हम इसका और भी सरलीकरण करने जा रहे हैं।

जैसी कि माननीय सदस्यों को शंका है, हमारे यहां पर गंगानगर पैटर्न बहुत प्रसिद्ध है, इसमें एडजस्टमेंट की भी बात हुई। माननीय सदस्यों ने कहा कि बैंक वाले एडजस्टमेंट करते है पर गंगानगर पैटर्न में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। आपको भरोसा देता हूं कि राजस्थान के सभी सहकारी बैंकों में हम आने वाले वित्तीय वर्ष से गंगानगर पैटर्न लागू कर

(श्री परसादी लाल मीणा)

देंगे जिससे कि किसानों को यह एहसास हो कि जब भी उनकी आवश्यकता हो, चैक और पास बुक अपने साथ रखें, बैंकों में उनके खाते होंगे, खाते में उनका पैसा जमा होगा, जब चाहे जाकर बैंकों से अपनी आवश्यकतानुसार किसान क्रेडिट कार्ड में जितनी उसकी लिमिट है उसके अनुसार अपने काम के लिये पैसे की निकासी कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कोशिश की है नये सहकारिता अधिनियम को लाने की चुनाव की बात हम पिछले पांच साल से सुनते रहे और अब भी सुनते आये, पर असलियत क्या है? अब की बार भी पांच या छह बार चुनाव की घोषणा हुई, हमने भी 1999 में आने के बाद चुनाव की घोषणा की। चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी करने के बाद हमारे सहकारिता क्षेत्र के कुछ सहकार कर्मियों ने मुख्य मंत्रीजी से और तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी जी से आकर निवेदन किया कि वर्तमान अधिनियम से यदि चुनाव कराये गये तो चुने हुए लोगों को कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक से काम नहीं कर सकेंगे। तब माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बाद तत्कालीन सहकारिता मंत्री गुलाब सिंहजी एक मीटिंग बुलाकर, बहुत-से सहकार कर्मी उसमें आये, यह सुझाव दिया कि आप एक बार इन नियमों में संशोधन करिये। उसमें धारा 32, धारा 36 जितनी भी प्राब्लम थीं इनको अगर दूर नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार की शक्तियां कम नहीं होंगी। और अधिकारियों का शिकंजा कम नहीं होगा तो चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनायी। प्रारूप कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। सहकारिता क्षेत्र के जो भी अच्छे-अच्छे लोग थे-कमेटी में सदन के सदस्य भी थे, बाहर के भी थे, ड्राफ्ट हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत ही कम समय में, सात-आठ महीने में कई मीटिंगे करके दे दिया और तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी ने उसको विधान सभा में बिल बनाकर पेश किया।

श्री उपाध्यक्ष : नाम तो ले लो, इनका नाम तो ले लो।

श्री परसादी लाल : सम्मानीय खेतसिंहजी ने। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके बिल बनाया। खेतसिंहजी के प्रयासों से यह हुआ। उसमें बीच में बहुत-सी काम्पलीकेशंस आयीं। फिर उसको यहां विधान सभा की सलैक्ट कमेटी को रैफर किया। सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस नये सहकारिता अधिनियम को सलैक्ट कमेटी के माध्यम से तैयार करके पुनः

(श्री परसादी लाल)

विधान सभा में पारित किया। हमने इसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा, और मुझे खुशी है, शायद इतनी जल्दी राष्ट्रपति महोदय के यहां से कोई भी सरकार का अधिनियम नहीं आया होगा जितनी जल्दी राष्ट्रपति महोदय ने अपना नया पदभार ग्रहण करने के कुछ दिनों बाद ही हमें उसकी स्वीकृति दी। अभी भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, पता नहीं 11 नवम्बर है कि 14 नवम्बर है। श्रीमन्, 11 नवम्बर को हमने उसका प्रकाशन किया, 3 नवम्बर को हमारे पास आया है और 14 नवम्बर को लागू किया है। हमारी नीयत में कहा फर्क है?

मैं आपको कहना चाहता हूं, चुनाव की बात जहां तक आती है, आप देखें कैसा प्रावधान किया है। पहली बार एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. और महिलाओं का आरक्षण सहकारिता अधिनियम में किया गया है। चुनाव की निष्पक्षता बनाये रखने के लिए अजीत सिंहजी ने अभी नेशनल पालिसी की मीटिंग दिल्ली में बुलायी थी, वहां मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने कहा कि आपकी नेशनल पालिसी हमारे राजस्थान के नये सहकारिता अधिनियम से बहुत पीछे रह गयी है, हम बहुत आगे बढ़ गये। हमने कहा है कि अगर आप नेशनल पालिसी बनाना चाहते हैं तो आप इलैक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव कराएं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, पूरे देश में एक भी प्रदेश इलैक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव नहीं करा रहा है, केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है। पारदर्शिता लाने के लिए ताकि सहकारिता क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको विश्वास जाग्रत हो, किसानों का विश्वास पैदा हो, गरीबों का विश्वास पैदा हो। इसमें जो धांधलियां होती हैं वे आपको और हमको सबको मालूम हैं। पूरे देश में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां इलैक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव कराये जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव कब होंगे। सलैक्ट कमेटी के सदस्य कटारियाजी, माननीय सुराणा साहब थे, आपको एक्ट की जानकारी है। हमारा एक्ट इतनी जल्दी आया, आते ही हमने विभाग को कह दिया कि आप रूल्स बनाएं। मुझे खुशी है कि हमारे विभाग ने एक महीने पहले रूल्स बनाकर मुख्य मंत्रीजी की स्वीकृति के बाद ला डिपार्टमेंट को भिजवा दिये। ला डिपार्टमेंट इसको एग्जामिन कर रहा है और मैं आपको भरोसा देता हूं कि इसी सत्र में वे रूल्स सदन की टेबल पर रख देंगे। हमारी नीयत में कहीं कोई फर्क नहीं है, सरकार की नीयत में कहीं खोट नहीं है।

उसके बाद हम बाइलाऊ भी बनाने

(श्री परसादी लाल)

जा रहे हैं, तैयार हैं हमारे बाइलाज। जिस दिन रूल्स हम सदन की टेबल पर रखेंगे, यहां से स्वीकृति मिल जाएगी, आप लोगों की सहमति हो जाएगी, उसके बाद हम बाइलाज जारी कर देंगे। माननीय सुराना जी, कटारियाजी को पता है कि बाइलाज को एडाप्ट कराएंगे हमारी 20 हजार–22 हजार सहकारी समितियों से। कितना टाइम है एक्ट में? आपने तो एक्ट बनाया है, उन्हें आपने चार महीने का टाइम दिया है। उनको एडाप्ट करने का जो चार महीने के टाइम से उससे पहले हम चुनाव नहीं करा सकते। या करा सकते हैं तो आप बता दें। हमारी नीयत में कहीं खोट नहीं है। एक्ट के मुताबिक सरकार का कोई दायित्व नहीं है, हमारा काम है पूरी तैयारी करके इलैक्शन कमीशन को सुपुर्द करना। रूल्स बना देंगे, बाइलाज लागू कर देंगे। हम चुनाव कहां रोक रहे हैं? इलैक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वह इलैक्शन कराएं। जब चाहे तब कराएं, मर्जी आए तब कराएं। चाहे पार्लियामेंट आए या विधान सभा आए, इससे सहकारी संस्थाओं के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को पूरे एक्ट की जानकारी होने के बाद भी कह रहे हैं कि सहकारिता संस्थाओं के चुनाव टाले जा रहे हैं। मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय को कहना चाहता हूं कि एक दिन भी हमारी तरफ से चुनाव टालने की कोशिश नहीं की जाएगी, हम नियत समय पर चुनाव कराएंगे। आप जानते हैं कि फार्मलिटीज पूरी होंगी, एडाप्शन होगा बाइलाज का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आप धारा प्रवाह अच्छा बोल रहे हैं, परन्तु जिन बाइलाज को एडाप्ट करने की आपने बात कही है उसमें मैक्सिमम लिमिट है 6 महीने की।

श्री परसादी लाल : नो–नो, चार महीने की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह मैक्सिमम है।

श्री परसादी लाल : मैंने एक्ट पढ़ा है, आप भी एक्ट पढ़ लीजिये। एक्ट मंगाकर देख लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं कह रहा हूं मैक्सिमम है।

श्री परसादी लाल : नो–नो, चार महीने का टाइम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कहीं नहीं है कि आप उससे पहले करा ही नहीं सकते हैं। एडाप्ट करवा ही नहीं सकते हैं, यह कहीं भी नहीं है। मैक्सिमम लिमिट मत बोले आप।

श्री परसादी लाल : चार महीने में सहकारी संस्थाओं से हम उनको एडाप्ट कराएंगे। अगर कोई एडाप्ट नहीं करता है तो उसको एडाप्ट हुआ मान लिया जाएगा। हमारी सरकार का कहीं कोई दायित्व नहीं है। हमारी सरकार की नीयत में खोट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार हमने ऐसा एक्ट बनाया है कि सरकार कोई भी आए, समय पर चुनाव होंगे।

प्रशासकों के बारे में माननीय डागा साहब ने और कुछ सदस्यों ने कहा कि प्रशासक लगा दिये जाते हैं, नये एक्ट में कहां प्रावधान है प्रशासक लगाने का? भारी चूक होगी, भारी गलतियां करेगा, क्या फिर भी प्रशासक नहीं लगाएं? उस बोर्ड को बरदाश्त करते रहे। हम किसी संस्था में बीच में प्रशासक लगाएंगे तो वहां भी 6 महीने के अन्दर उस संस्था के इलेक्शन कराने पड़ेंगे, विदिन सिक्स मंथ्स। हम हमारी तरफ से एक्ट के बाहर जाकर कोई काम नहीं करना चाहते। हमारी मंशा है, हमारे मुख्य मंत्रीजी की मंशा है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह जो नया अधिनियम बना है वह हमारे मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुरूप बना है। जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को इन्होंने शक्तियां दी हैं, जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया है, मैं कह सकता हूं कि जब चुनाव होंगे चुनाव के बाद चुने हुए लोग काम करेंगे, नयी संस्थाएं नये रूप में काम करेंगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके कोई प्रस्ताव होंगे, बाइलाज होंगे, नियम होंगे, रजिस्ट्रार उनको अपखण्डित नहीं कर सकता है। उनको स्वतंत्रता दी गयी है काम करने की। पहले जो 32 की धारा थी, अब उसको शायद हमने 123 में बनाया है। कुछ छोटे रूप में, कुछ बहुत बड़ी गलती करें, कुछ बहुत ज्यादा गलतियां कर जाए, फिर भी उसको 6 महीने में एप्रूव कराना पड़ेगा। कटारियाजी, माननीय सुराणाजी, आप इसके सदस्य रहे हैं, हमने हमारी तरफ से कहीं नहीं किया, जो सलैक्ट कमेटी के विचार आये हमने उनके अनुसार अधिनियम को बनाया है।

हमने आडिट की भी अच्छी व्यवस्था की है। हमने यह कहा कि हम आडिटर थोपना नहीं चाहते। आप पैनल में से कोई भी संस्था, सी.ए. से कराएं या पैनल आडिटर से कराएं, चाहे सर्टिफ़ाइड आडिटर से कराए। कोई भी संस्था का आडिट एक आडिटर दो साल से ज्यादा नहीं कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी उसमें प्रावधान किया है कि नये अधिनियम के बाद सहकारी समितियां स्वतंत्र रूप से काम करें। विभाजन की सारी शक्तियां हमने आम सभा को दी हैं। अगर कोई आम सभा कराने में एक साल में एक

(श्री परसादी लाल)

दिन की भी चूक करेगा, वह समिति, वह बोर्ड अपने आप भंग हो जाएगा। ऐसी भी व्यवस्था हमने इस अधिनियम में की है। क्योंकि आम सभाएं नहीं होना, आडिट समय पर नहीं होना इसी के कारण से गबन, घोटाले, गड़बड़ियों की सब शिकायतें आती हैं। उन सबका यही कारण है, इसलिए नये अधिनियम के बाद सहकारी संस्थाओं के चुनाव के बाद एक नये रूप में समितियां राजस्थान में आकर लेंगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हम हिन्दुस्तान में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की बात करते थे, गुजरात की बात करते थे, लेकिन नया अधिनियम लागू होने के बाद, सारी संस्थाओं के चुनाव होने के बाद सरकार किसी की आएं, न चुनाव में कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, न और कोई कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार व्यवस्था की है कि सरकार की अपील जो 128 की थी, वह अब 107 की होगी। उस सरकार की अपील, सरकार किसी पक्ष की आए, किसी दूसरे पक्ष के साथ अनजस्टिस हो, सरकार के लेवल पर उसका रिवीजन, उसका भी रिवीजन ट्रिब्यूनल में होगा, जो श्री मैम्बर ट्रिब्यूनल होगा। सरकार की भी अपील सुनने का अधिकार होगा। ट्रिब्यूनल अपील सुनेगा। उसमें एक सलैक्शन स्केल का जुडीशियल आफिसर होगा, एक हमारी कोआपरेटिव का एडिशनल रजिस्ट्रार होगा और एक हमारा उसमें कोई बहुत ही अच्छा कोआपरेटिव का अधिवक्ता होगा, इस तरह हमने किया है। कोआपरेटिव में कहीं सरकारीकरण न हो, सहकारीकरण हो, इसी भावना से नया अधिनियम बनाने के बाद हमने इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं का भी हमने आरक्षण किया है। मैं यह सोचता हूं कि हमारा नया अधिनियम आने के बाद राजस्थान में सहकारिता की नई चमक पूरे देश में बनेगी, इसी को लेकर नये अधिनियम के अन्दर हम चुनाव कराएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यहां पर आई, सहकारी ऋणों की बात अभी यहां पर उठी कि कुर्कियां की जा रही हैं, ट्रैक्टर कुर्क किए जा रहे हैं, जमीनें कुर्क की जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि अल्पकालीन फसली ऋणों की हमने वसूली स्थगित की है। पहले से जो ओवरड्यू हैं कई और तरह के ऋणों पर, प्रधानमंत्रीजी ने लोक सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा है, अल्पकालिक फसली ऋणों की सारे देश में वसूली स्थगित की जाएगी। जहां भी अकाल है, आपने प्रधानमंत्रीजी का स्टेटमेंट सुना होगा,

(श्री परसादी लाल)

उसकी पूरी अवधि का ब्याज भारत सरकार देगी। मैं माननीय कटारियाजी से और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर पूरा ब्याज, एक साल जो स्थगित हुआ है हमारे फसली ऋणों का, उसका हमें मिलता है तो राजस्थान के किसानों के लिए इस अकाल की स्थिति में बहुत बड़ी बात होगी। हमने कई पत्र लिखे हैं, 128 करोड़ रुपए हमारे बनते हैं उसमें से केवल 20 प्रतिशत दे रहे हैं। यह अकाल की स्थिति में राजस्थान का किसान बरदाश्त नहीं कर सकता है। मैं कटारियाजी से और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्रीजी से भी हमने निवेदन किया हैं, प्रधानमंत्रीजी को और वित्त मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी है कि ऋण के ब्याज का पुरर्भरण, राजस्थान में अकाल चार-पांच साल से है, अगर वहां से भारत सरकार की घोषणा के मुताबिक, प्रधानमंत्रीजी की घोषणा के मुताबिक अगर हमारे मंत्रीजी वित्त मंत्रीजी, भारत सरकार मेहरबानी करे, अभी मैं दिल्ली गया था, अजित सिंहजी से मिलकर आया था, वह भी इस बात पर एडामेंट हैं कि प्रधानमंत्रीजी की घोषणा का पालन शत प्रतिशत होना चाहिये। यह क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए था। होता है तो यह राजस्थान के हित और किसान के हित में बहुत बड़ी बात होगी। आपको-हमको-सबको राजस्थान का किसान धन्यवाद देगा। मुझे लगता है, अभी तक हमारे पास जो सूचनाएं हैं, हमारे वित्त मंत्रीजी 20 प्रतिशत से आगे नहीं खिसक रहे हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो कहा, अभी तक हमारी भी समझ यही है कि फसली ऋणों का पूरा ब्याज भारत सरकार देगी। जो बात हम समझे, यह बयान सारे अखबारों में आया है, राष्ट्रीय अखबारों में आया है, सारे टीवी पर आया है। हम आपके इस मुद्दे पर साथ होंगे कि राजस्थान के किसान के कर्जे का जो भी ब्याज है वह भारत सरकार पूर्ण रूप से भरे। इसमें हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद नहीं होगा।

डा. सी. पी. जोशी (नीति निर्धारण मंत्री) : अकाल के समय...

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, इसमें मैंने तो कहा कि हम आपके साथ होंगे।

श्री परसादी लाल : ठीक है, धन्यवाद आपको।

श्री मानिक चन्द सुराना : और हम भारत सरकार को भी आवश्यक निवेदन जो करना है, करेंगे।

श्री परसादी लाल : सरकार इसके लिए आपकी बहुत-बहुत आभारी रहेगी कि हमारी जाकर पैरवी करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रधानमंत्रीजी की घोषणा अधूरी रहे, यह हम भी नहीं चाहेंगे और हर हालत में प्रधानमंत्रीजी भी अपनी घोषणा निश्चित रूप से पूरी करेंगे।

श्री परसादी लाल : मैंने आपकी और सदन की जानकारी के लिए, माननीय सुराना साहब, यह बात कही है कि अब तक हमारी जो सूचना है, इस तरह की है। दूसरा हमने किसानों को अकाल में पहली बार चारे के वितरण के लिए 100 करोड़ रुपए हमारे अपैक्स बैंक और हमारी एस.एल.डी.बी. से दिए हैं विभिन्न जिलों में।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यहां तो कह देते हैं लेकिन इनकी चलती नहीं है वहां पर।

श्री मानिक चन्द्र सुराना : यहां बीच-बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं?

श्री परसादी लाल : विभिन्न जिलों को उनकी स्थिति के अनुसार हमने 100 करोड़ रुपए आबंटित किये हैं। जिलावाइज आबंटन की कापी मैंने सभी माननीय सदस्यों को भिजवाई है। सभी माननीय सदस्यों और सभी बैंकों को हमने सूचना भिजवाई है, अगर कापी नहीं पहुंचेगी, मुझे खुशी है कि हमारे एक-दो सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक जिनमें पानी सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक है, उसने एक करोड़ रुपये जो उनको दिए थे, उसको बांट कर हमने एक करोड़ रुपये फिर दे दिए। हमारी कोशिश है कि सरकार के पास जितनी धन की उपलब्धता है, हम किसानों को इस अकाल के समय चारा लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें। 100 करोड़ रुपये की हमने व्यवस्था की है, 31 जून तक 100 करोड़ रुपये। निश्चित रूप से जब लोन की बात आयी है चारे के लिए, उसमें कोई लोग ऐसे भी आ जाते हैं, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे यहां पर ज्यादा मांग आई है, वहां एप्लीकेशन पैंडिंग रह गई। मैंने पर्सनली देखा है इस मामले को और आपकी इस भावना को देखते हुए हमने 30 लाख रुपये अजमेर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक को दिए हैं। जहां कितनी आवश्यकता होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साधनों से किसानों को चारे के लिए कहीं भी दर-दर नहीं भटकना पड़े। हमारी पूरी कोशिश होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार अकाल में किसानों की सहकारिता विभाग किस तरह मदद कर सकता है...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 36–सहकारिता के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या–36 पर विचार

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुओं को गहरा कराने के लिए डार्क जोन में कोई प्रोविजन नहीं था, बहुत सालों से हम किसानों को कुओं को गहरा कराने के लिए ऋण नहीं दे सकते थे। उसके लिए भी हमने एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है कि डार्क जोन में किसानों के कुएं गहरे कराए जा सकते हैं। अगर और आवश्यकता होगी एक करोड़ के ऊपर, हम निश्चित रूप से और भी उसकी व्यवस्था करेंगे। माननीय सहायता मंत्रीजी ने हमारे विभाग पर एक बहुत मेहरबानी की है, किसानों पर बहुत मेहरबानी की है कि लेबर कम्पोनेंट का 75 प्रतिशत, हम मटीरियल कम्पोनेंट का कोआपरेटिव बैंकों से देंगे और लेबर कम्पोनेंट का सहायता विभाग की सहायता से लेबर के रूप में उनको गेहूं वगैरह मिलेगा। इस तरह राजस्थान में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने अभी की है, और आगे इसकी और ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर से हम और बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस अकाल में हमारे यहां गायों का भी बहुत संकट है कि चारे की कैसे व्यवस्था की जाए। मैं जब कई जगह जिलों में गया–सवाईमाधोपुर में गया, टौंक में गया, अजमेर में भी गया, पाली भी गया, सिरोही भी गया तो लोगों ने कहा कि हमें कैसे अनुदान मिले। जब तक सोसायटी रजिस्टर कराने की फीस यहां पर 2500 रुपये थी। हमने जनता की भावना को देखते हुए, गौ सेवा समिति की भावना को देखते हुए कि गायों की इस अकाल में ज़्यादा से ज्यादा सेवा हो, आपके समय जनवरी, 1998 में जो रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये थी, उसको आपने जाते–जाते 2500 रुपये कर दिया। हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि इस अकाल में लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, गायों की सेवा करना चाहते हैं, लोग मदद करना चाहते हैं, पर रजिस्ट्रेशन फीस अधिक होने के कारण हम उनको अनुदान

(श्री परसादीलाल मीणा)

नहीं दे सकते। जन सहयोग से उन्होंने राशि जुटाई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको यह बात बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसको कम से कम 100 रुपये कर दो। हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि राजस्थान में जो गौ सेवा समितियां बनेंगी गायों की सेवा के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये होगी। और यह हमेशा, हमारा जब तक राज रहेगा, आगे भी राज रहेगा, आपका राज अभी आने वाला नहीं है, हम इसको अभी के अकाल के बाद भी नहीं बढ़ाएंगे, इसको यथावत रखेंगे। जो गौ सेवा का पवित्र काम है...

श्री मानिक चन्द सुराना : कौनसी तारीख से किया है, बताएं जरा?

श्री परसादी लाल : अभी कर दिया, एक महीना पहले।

डा. सी. पी. जोशी : क्या जरूरत है?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं–नहीं, यह जरूरत है कि अभी हमने तीन सप्ताह पहले...

डा. सी. पी. जोशी : घोषणा आज की है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह घोषणा आज की है।

श्री परसादी लाल : करीब एक महीने...

श्री मानिक चन्द सुराना : तो यह कहें कि नहीं अब, आज तक, अब आज कर रहे हैं। (व्यवधान) आधा अकाल निकल गया है, मार्च आ गया है। बीसों, पचासों, सैकड़ों संस्थाएं रजिस्टर हुई हैं।

श्री परसादी लाल : हां, मैं बताता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : और मेरे जिले में हुई हैं जिनमें हमने 2500 रुपये सरकार को दिए हैं। 2500 रुपये आपकी अपनी सरकार को दिये हैं, तब वे रजिस्टर हुई हैं, अन्यथा रजिस्टर नहीं होतीं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : मंत्रीजी, 100 रुपये करने के बाद कितनी गौ शालाएं रजिस्टर हुई हैं, यह भी बता दो आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : वह आज की है, आज की है।

(18.00 बजे)

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 11 जनवरी, 2003 को ये आदेश जारी किये हैं। यह सारे अखबारों में छपा है, सारे मीडिया में आया है। अगर उसके बाद भी आपसे ज्यादा लिये हैं तो इसमें

(श्री परसादी लाल)

मेरी तो गलती नहीं है। 11.2 को, एक महीने से भी अधिक समय हमारे विभाग से इस आदेश को जारी हुए हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, कलक्टर्स को यह आदेश दे दें कि 11.2 के बाद जिनके रजिस्ट्रेशन हुए और 2500 रुपये ले लिये, उनको रिफण्ड कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : तभी नियम की पालना, कानून की पालना होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बताएं कोई समिति से 2500 रुपये लिए हों तो। आप बता दें कौनसी समिति से लिये?

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे बीकानेर जिले में हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बता दो।

श्री मानिक चन्द सुराना : 11 फरवरी के बाद कलक्टर को दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : 11.2.2003 के बाद अगर रजिस्ट्रेशन फीस ली है तो हम रिफण्ड कर देंगे सभी सोसाइटियों के, कोई दिक्कत नहीं है। गौशालाओं के लिए हमारी सरकार कहीं कोई कंजूसी नहीं करेगी। गौशालाओं के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांवों में यूथ संघ गठित करते हैं...

श्री परसादी लाल : यूथ संघ की बात कहां आ गयी?

श्री कन्हैया लाल : उसके 2500 रुपये आप ले रहे हैं, नवयुवक मण्डलों से, जो गांवों में नवयुवक केन्द्र की शाखाएं हैं उसके अन्दर 2500 ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री कन्हैया लाल : वे बेरोजगार नवयुवक होते हैं, उसके भी आप 100 रुपए करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुरूप, जब मुझे यह विभाग मिला मैंने निवेदन किया कि किसानों से सहकारी कर्जों पर शेयर मनी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हम 15 परसेंट शेयर मनी काट रहे

(श्री परसादी लाल)

हैं। हमारे विभाग से भी हमने प्रस्ताव मांगये और मुझे कहते हुए खुशी है, मैंने सुबह 11-12 बजे फाइल भेजी और 5 बजे हमारी फाइल 15 परसेंट से 6 परसेंट शेयर मनी मंजूर होकर आ गयी। हमारी सरकार की करनी और कथनी में सेम डे...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

श्री परसादी लाल : फाइल सुबह भेजी, शाम को मुख्य मंत्रीजी से स्वीकृत होकर वापस हमारे पास आयी और हमने आदेश जारी कर दिये सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कि वे 6 परसेंट से ज्यादा शेयर मनी किसानों से वसूल न करें। जब मैं विपक्ष में था तब कटारियाजी को पता है हम इस बात को बहुत जोर-शोर से उठाते थे, पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की बात सुनी। उपाध्यक्ष महोदय, इससे राजस्थान के किसानों का जो 70-75 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों में जमा हो रहा था वह राजस्थान के किसानों की जेबों में हर साल 70-75 करोड़ रुपया आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, शेयर मनी का इंटरेस्ट नहीं मिलता है और बहुत कम बैंकों ने, बहुत कम संस्थाओं ने चाहे वो जी.एस.एस. हो, चाहे सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक हो, शेयर मनी जिन किसानों की जमा है उनको डिवीडेंड बहुत कम संस्थाओं ने दिये हैं। इसलिए किसानों का 70-75 करोड़ रुपया सेफ हुआ है वह भी हमारे मुख्य मंत्रीजी का बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने फर्माया कि हमने गायों के लिए... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : बाद में पूछ लेना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं एक पूछ ही लेता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बाद में पूछ लेना, उत्तर तो पूरा होने दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके क्षेत्र से दौसा गौशाला के अन्दर 500 गाएं भेजी गई थीं...

श्री परसादी लाल : इसमें दौसा का सब्जैक्ट नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं पूछ रहा हूं गायों के लिए।

श्री परसादी लाल : बाद में आपके सवालों का सब जवाब दूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : देंगे आप?

श्री परसादी लाल : सब सवालों का जवाब दूंगा। सारे सवाल इकट्ठे कर लो, सबका जवाब दूंगा।

(श्री परसादी लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार केन्द्रीय सहकारी बैंकों में, भूमि विकास बैंकों में ब्याज दरों में कमी की है। ब्याज दरों में एकरूपता लाने के लिए। किसानों से ब्याज कहीं पर 12 परसेंट, कहीं पर 13 परसेंट लिया जाता था, इसमें दो परसेंट तक कमी की है। हमने एस.एल.डी.बी., पी.एल.डी.बी. में दो-तीन परसेंट से भी अधिक ब्याज की कमी की है। आज कामर्शियल बैंकों की जो रफ्तार है, हम उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकते, कामर्शियल बैंकों का मुकाबला तो आज भी हम नहीं कर सकते, पर हम किसानों को कितनी राहत उन बैंकों के मुकाबले दे सकते हैं, हमने कोशिश की है कि किसानों को कम से कम ब्याज का पैसा भरना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुख्य आतिथ्य में महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में हमने तीन-चार हजार महिलाओं को आमंत्रित किया था, पर मुझे कहते हुए खुशी है कि वहां पर 12-13 हजार महिलाएं आईं। जिस जोश-खरोश से राजस्थान में दो हजार से भी अधिक महिला सरकारी समितियों का गठन हुआ, एक लाख से भी अधिक महिलाओं को जोड़ा गया, मुझे खुशी है कि महिला सहकारी समितियों को लोन देने के लिए, महिला समूहों को लोन देने के लिए जो 12 परसेंट हमारी रेट थी, महिलाओं के जोश को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक परसेंट ब्याज की उसमें कमी की है। इससे महिलाओं में एक नया जोश, एक नया काम करने की, बेरोजगारी को दूर करने की भावना आएगी और कम इंटरेस्ट में उनको लोन मिलेगा। इससे भी राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का एक नया कदम हमारी सरकार ने उठाया है।

नई ऋण योजनाएं हमने बहुत-सी जारी की समय-समय पर। एक ज्ञानसागर योजना है, किसान का बेटा विदेश में डाक्टर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर की शिक्षा ग्रहण करने जाए और वो इंटेलिजेंट है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसके लिए हमने यह व्यवस्था की है कि हम उसको तीन लाख से पांच लाख तक का कर्जा देंगे। उस कर्जे की वसूली कब होगी, जब वह नौकरी लग जाएगा। उसी के स्रोत से उसकी वसूली करेंगे। इस ज्ञानसागर योजना से शिक्षा जगत में गांवों में बहुत बड़ी लोगों को राहत मिली है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। बैंकों के पास जितने भी आवेदन आएंगे, माननीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, ऐसे जितने भी मामले राजस्थान के आएंगे, जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं पर जिनके पास

(श्री परसादी लाल)

पैसा नहीं है, चाहे वो विदेश में पढ़े, चाहे मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में, देश में पढ़े, चाहे राजस्थान में पढ़े, पर साधन नहीं है, हम उनको खुले दिल से सहकारिता विभाग के सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक से, बजट की इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी एप्लीकेशंस आएंगी सबको देंगे, कोई कहीं परेशानी नहीं है। हमने कोशिश की है...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या आप विदआउट ब्याज दे रहे हैं? स्टूडेंट के लिए तो आप विदआउट ब्याज ही देंगे। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बैंकों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी कीर्तिमान स्थापित किये हैं। रायसिंहनगर जो गंगानगर जिले का पी.एल.डी.बी. है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। हमारे सैंट्रल कोआपरेटिव बैंकों में भी अच्छे प्रबन्धन, अच्छे वित्तीय प्रबन्धन, अच्छी वसूली, अच्छे मैनेजमेंट के लिए बाड़मेर, सवाईमाधोपुर सहित तीन बैंकों को नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला है। टोडाभीम की मार्केटिंग सोसाइटी है उसको भी नेशनल स्तर पर पुरस्कार मिला है। हमारी सहकारी संस्थाओं के काम में जो सुधार हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, हमने कृषक मित्र योजना और कृषक ज्योति योजना भी राजस्थान में लागू की है। जो बड़े किसान हैं, जिनको ज्यादा आवश्यकता है उन्होंने इस योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश में उठाया है। हम चाहते हैं किसान को कहीं भी, चाहे उसका कोई भी काम हो, कृषक मित्र और कृषक ज्योति योजनाओं में उसको सहकारी बैंकों से ज्यादा से ज्यादा कर्जा मिले। हर साल उस बैंक के कर्जे का पुरर्भरण हो, इस तरह की व्यवस्था हमने की है।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने गत वर्ष अपने बजट भाषण में अनाउंस किया था सहकारी सुगम क्रेडिट कार्ड, उसका भी हमारे प्रदेश में अच्छा एचीवमेंट हुआ है। जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके पास पैसा नहीं हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए हमने सुगम क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं और इसमें हमने कोई सीमा नहीं रखी है। जितनी भी एप्लीकेशंस इसमें आएंगी छोटे व्यापारियों की लिमिट के लिए, हमने सैंक्शन की हैं। आज हर जिले में, हर कस्बे में जहां भी इस योजना से लोगों ने लाभ उठाया है, इसमें लोगों का अच्छा जोश है, लोगों ने तारीफ की है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने ऐसी योजना निकाली और सहकारिता विभाग ने उसको एक्जीक्यूट किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संजीवनी योजना। हमारी कुछ मार्केटिंग सोसाइटियां यहां पर ऐसी थीं जो मृतप्राय: थीं। सरदारशहर, जयपुर कई सोसाइटियों को संजीवनी योजना, तत्कालीन सहकारिता

(श्री परसादी लाल)

मंत्रीजी माननीय खेतसिंहजी राठौड़ के समय इस योजना को शुरू किया गया था, मार्केटिंग सोसाइटियां जो करीब–करीब बन्द होने के कगार पर थीं, जयपुर जैसी मार्केटिंग सोसाइटी जो बहुत लम्बे समय से मृतप्रायः थी, सरदारशहर की मार्केटिंग सोसाइटी थी, हमने उसको दुबारा चालू किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भी कुछ मजबूती मिले। उसके लिए भी माननीय खेतसिंहजी ने एक कायाकल्प योजना शुरू की और ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो मृतप्रायः थीं, जो बन्द हो चुकी थीं, पुनर्जीवित करके उनको भी चालू किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में जयपुर के रामलीला मैदान में 6 फरवरी से 20 फरवरी तक सहकार व्यापार मेला लगा, हमारे प्रदेश की सहकारी संस्थाएं ही नहीं, 10 अन्य प्रदेशों की सहकारी संस्थाएं अपैक्स बाडी भी उसमें अपना व्यापार करने आई थीं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि 6 से 20 फ़रवरी तक इस मेले में 2.5 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ और राजस्थान के लोगों ने जमकर खरीददारी की। यह राजस्थान की सहकारी क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ा राजस्थान में दुबारा अप्रैल के फर्स्ट वीक से एक मसाला व्यापार मेला लगाने जा रहे हैं क्योंकि आजकल मसाले में मिलावटें हो रही हैं, लोगों को शिकायतें हैं। केरल प्रदेश भी इसमें शामिल होगा। वहीं पर आप रा–मटीरियल लीजिए, वहीं पर मसाला तैयार करिये, वहीं पर पैकिंग कीजिए, ऐसी व्यवस्था हम मसाला व्यापार मेले की करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज की खरीद में जैसी कि माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की, हमने कोशिश की है। समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद राजफैड के माध्यम से की गई, बाजरे की भी खरीद की गई, जौ की भी खरीद की गई और इस खरीद में हमने किसानों को समय पर भुगतान किया। सबसे पहले हमारी यह खरीद शुरू हो जाती है तो मार्केट में किसानों को जो मूल्य नहीं मिल रहा है, सरकारी खरीद शुरू होने के बाद बाजार में भी उस जिंस के भाव अपने आप बढ़ जाते हैं जिससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सहकारी प्रोसेसिंग मिल है, आहूजाजी कह रहे थे तिलम् संघ बहुत लम्बे समय से फायदे में है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कि तिलम संघ 1993–94 में चालू हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, न तो उसका कोई उद्देश्य था न उसमें कोई मुनाफा हुआ।

(श्री परसादी लाल)

उसकी भ्रूण हत्या ही हो गई। किसी भी साल में उसमें लाभांश नहीं हुआ। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि तिलम् संघ में हमारी सरकार की जो हिस्सा राशि थी, शायद ही वह हिस्सा राशि वापस लौटकर आए। पर धीरे धीरे, सरकार का विचार है, कब तक हम घाटे में इन संस्थाओं को चलाएंगे? मेरा खुद का विचार है कि हम कैबिनेट के सामने जाएंगे। हमने अभी 5 में से 3 इकाइयों को बन्द कर दिया। अगर इसी तरह घाटा रहा और संचित घाटा बढ़ता रहा तो तिलम् संघ को निश्चित रूप से बन्द करने पर हमारी सरकार विचार करेगी, कैबिनेट के सामने हम इसको लेकर जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, स्पिन-फैड की बात भी यहां पर की गई। स्पिन फैड भी घाटे में है और निरन्तर घाटे में है, पर हमारी सरकार के आने के बाद इस वर्ष हमने कोशिश की है कि उस घाटे में कुछ कमी हो। जिस तरह अकाल की स्थिति है, गुलाबपुरा और गंगापुर के लिए माननीय सदस्य जो सराड़ा से आने वाले हैं उन्होंने कहा कि स्पिन फैड का गठन किया, उसका मंत्रीजी ने फैसला कर दिया उसको लागू नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम फैसले को लागू कर देते तो अब तक ये दोनों-तीनों मिलें बन्द हो जातीं। हमने इनको चालू रखने के लिए, सहकारिता की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए यह कोशिश की है। अभी 3 करोड़ 80 लाख का एन.सी.डी.सी. से ऋण लिया है। अगर हम इनको अलग अलग इकाई कर दें तो यह मानकर चलिये, माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि गुलाबपुरा और गंगापुर तो अपने आपको बन्द ही समझे। लेकिन जिसमें चार हजार मजदूर काम करते हों, लोगों को रोजगार मिल रहा हो, हम इसमें सुधार की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष हमने घाटे में 126 लाख से भी ज्यादा कमी करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है कि यह स्पिन फैड चलती रहे। मैं कहना चाहूंगा तब तत्कालीन सरकार के समय मैं गंगापुर और गुलाबपुरा खुद जाकर आया था, मैंने देखा था कि पांच साल के समय में इन मिलों का किस तरह सरकारीकरण किया गया। गुलाबपुरा में एक ढाई करोड़ की मशीन खरीदी, ढाई दिन भी उसको नहीं चलाया। आज हमारी सहकारी संस्थाएं कोई मजदूरों के कारण से घाटे में नहीं हैं, कोई मैनेजमेंट के कारण घाटे में नहीं हैं, बल्कि ऊपर से सी.एम.डी. और एम.डी. ने फैसले दिये पिछले 5 सालों में उसके कारण इन मिलों की दुर्गति हुई है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता

(श्री परसादी लाल)

हूं कि उस मशीन की खरीद में जो भी अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ जांच करने के लिए हम सरकार को लिखेंगे। ढ़ाई करोड़ की मशीन ढाई दिन नहीं चले। अगर उसको चलाएं तो रोज घाटा इतना हो कि उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। ऐसी मशीन खरीदने की क्या जरूरत थी? जिस तरह हमने इन सहकारी संस्थाओं का राजनीतिकरण किया है, सरकारीकरण किया है इससे आप तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। गुलाबपुरा को भी किस स्थिति में हम चला रहे हैं? आज बिजली कितनी महंगी हो गई, बिजली का हमको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि वहां पर इसका सेपरेट पावर प्लांट लगे चाहे उसके लिए हमको ऋण लेना पड़े, चाहे हमको कोई उपाय करना पड़े।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी आप कह रहे हैं कि सरकार को लिखेंगे कि जांच करे, सरकार तो आप ही हैं, किसको लिखेंगे आप?

श्री परसादी लाल : अकेले मैं सरकार नहीं हूं, पूरी सरकार है हमारी।

श्री सांवर लाल : You yourself are Govt.

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त में ऐसे डिसीजन होते थे और उसकी वजह से आपका हाल यह हुआ है कि 32 आकर बैठे हो।

श्री सांवर लाल : हाल की बात नहीं है, हाल बेहाल जो हुआ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सहकारी मंत्री खुद सक्षम हैं, वह इसकी जांच के आदेश कर देते। आपको मंत्री बने बहुत अर्सा हो गया, आपको अब तो कर देना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहां पर सारे डिसीजन कैबिनेट के सामने आते हैं और सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप कैबिनेट के मंत्री हैं, आप खुद जांच करवाइये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने अब तक नहीं किया है और आज कह रहे हैं सरकार को लिखेंगे, यह आप अपनी जिम्मेदारी से परित्याग कर रहे हैं। (व्यवधान) आपको अब तक कर देना चाहिए था। जब आपके ध्यान में आ गया कि ढाई करोड़ की मशीन ढाई दिन नहीं चली, फिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं? आप आखिर में मंत्री हैं सरकार के, आप अभी आदेश करें। अभी इसी समय आदेश करें।

श्री परसादी लाल : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं जानकारी

(श्री परसादी लाल)

देना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिख दिया है और हम जांच के आदेश...

श्री मानिक चन्द सुराना : लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जांच के आदेश करते। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री परसादी लाल : हम आज ही जांच के आदेश जारी कर देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, जारी करें।

श्री परसादी लाल : जिस अधिकारी की भी जिम्मेदारी है उसको हम कहीं भी बचाना नहीं चाहते। इन संस्थाओं को इस तरह घाटा देने वाले अधिकारियों को हम बख्शेंगे नहीं और उनकी हम जांच कराएंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : बचाने का आरोप भी नहीं है, बचाने का आरोप भी नहीं है। सिर्फ प्रक्रिया का आरोप है कि आप दूसरे पर न टाले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा काटन काम्प्लैक्स लालगढ़ श्रीगंगानगर का अभी जो बन्द किया गया है उसमें कई बार आग लगी है और उसका सारा रिकार्ड जलाया गया। उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप जांच करवाएं यह मेरा आपसे निवेदन है, काटन काम्प्लैक्स श्रीगंगानगर का जो लालगढ़ का टैक्सटाइल मिल है।

श्री परसादी लाल : जांच करवा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने अपैक्स में तो वेतन समझौता लागू कर दिया, सी.सी.बी. और पी.एल.डी.बी. और दूसरे कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, सी.सी.बी. में भी जो बैंक सक्षम हैं, जो बैंक अपने कर्मचारियों को समझौते के अनुसार वेतनमान दे सकते हैं, हमने उसकी स्वीकृति जारी कर दी है और बैंकों को निर्देश दे दिये हैं। जो बैंक सक्षम हैं वे बैंक अपने समझौते लागू करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्षजी, आपका भाषण खतम होते ही हाउस एडजोर्न हो जाएगा, मेरा जवाब कब आएगा? मेरा जवाब तो पूछ लेने दो आप।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एस.एल.डी. ने भी वेतन समझौता लागू कर दिया। (व्यवधान) और हम पी.एल.डी.बी. में भी...

श्री उपाध्यक्ष : उनका समाप्त हो गया क्या भाषण?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, भाषण समाप्त होते ही चले जाएंगे।

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं, जाएंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हाउस एडजोर्न हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरा जवाब कैसे आएगा? फिर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करो। माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी मेहरबानी कम है मेरे ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनका समाप्त होने दीजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : खतम होते ही खतम हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद ही होगा। (व्यवधान) माननीय प्रताप सिंहजी।

श्री परसादी लाल : अब कोटा पर आ रहा हूं। आप बैठिये, मैं अब कोटा पर आ रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जवाब देना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुत ईमानदार और योग्य मंत्री हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। हमारे दौसा जिले के बहुत ही योग्य और ईमानदार मंत्री हैं।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने नाबार्ड की गाइड लाइन के मुताबिक और विशेष चयन सर्विस रूल्स 95 में बने थे, पहले वाली सरकार के सहकारिता मंत्री के समय बने थे, हमने उसके तहत पी.एल.डी.बी., सी.सी.बी., एस.एल.डी.बी. और कानफैड में विशेष चयन करके अपैक्स अधिकारियों को लगाया है। अब ये शिकायतें जो आती हैं, कोटा की हो चाहे कहीं की हो, किसी तरह अधिकारी लगते हैं, हमने सोचा है कि इन अधिकारियों को जिम्मेदारी से लगाएं। जिनका सर्विस रिकार्ड ठीक है, जिनकी बैंकों में काम करने की रुचि है, जिनको बैंकों का अनुभव है, हमने उनका विशेष सर्विस जो चयन प्रक्रिया है उसके तहत चयन किया। सारे पी.एल.डी.बी., सारे सी.सी.बी. में अधिकारी आपके समय भी लगाये गये थे, पर तीन महीने बाद ही उन अधिकारियों को वापस हटाना पड़ा, लागू ही नहीं कर सके। मुझे कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुशी है कि अभी मुख्य मंत्रीजी के पास जब फाइल लेकर हम गये और हमने चयन का सारा उनको प्रोसेस बताया, उन्होंने उसी समय इसकी स्वीकृति दे दी कि इन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाए। आज बैंकों में जो शिकायतें आ रही हैं, मैं नहीं कहता कि सारे चयन ठीक हुए हैं, एक-आध गड़बड़ भी हो गया होगा, मैं नहीं कहता इस बात को, फिर भी हमने पहली बार पी.एल.डी.बी. में ए.आर. रैंक के 22

(श्री परसादी लाल)

अधिकारियों को नियुक्ति दी है। नये-अधिकारी हैं, उनका सर्विस रिकार्ड ठीक है। उससे हमारी बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है।

कोटा की बात अभी माननीय सदस्य रमजान खां जी भी कह रहे थे और छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे। कोटा की जांच हमने कराई, 10 करोड़ का बोगस लोनिंग हुआ है। तत्कालीन एम.डी. को हमने सस्पैंड किया है। जो भी कर्मचारी साथ थे उनको किया है। आर.के मीणा को सस्पैंड मेरे आदेश से किया है। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : रमेश शर्मा का क्या किया?

श्री परसादी लाल : कोई रमेश शर्मा हो, मैं नहीं जानता। सबकी बाकी एम.डी. करेंगे। अगर कोई उसमें बच गया हो तो आप मुझे इसकी जानकारी दे दें, तत्काल उसके सम्बन्ध में जानकारी लेकर कार्यवाही करेंगे। किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने का मेरा इरादा नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप कह दो कि रमेश शर्मा की खुले दिमाग से इंक्वायरी कराऊंगा। आप कह दीजिये।

श्री परसादी लाल : रमेश शर्मा के खिलाफ भी खुले दिमाग से इंक्वायरी कराकर 15 दिन के अन्दर अन्दर कार्यवाही करेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है भ्रष्ट लोगों को बचाने का। हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आडिट के बारे में भी यहां पर बात उठी। हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का आडिट 92 प्रतिशत है। हर साल नियमित रूप से उनका आडिट होता है। हमारी हाउसिंग सोसाइटीज का आडिट जरूर गड़बड़ है। उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं। हम एक कैम्पेन भी चलाएंगे। जिन हाउसिंग सोसाइटीज ने समग्र पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अपना आडिट नहीं कराती हैं या इस तरह की अनियमितताएं कर रही हैं, किसी माननीय सदस्य का सवाल था कि पांच साल से कितनी सोसाइटीज का आडिट नहीं हुआ, हम सबको लिक्विडेशन में लेंगे। हमारा कहीं कोई किसी को बचाने का इरादा नहीं है, हमारी सरकार की मंशा बिलकुल साफ है। जो संस्था कोआपरेटिव एक्ट के अनुसार काम नहीं करेगी, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। जो संस्थाएं नियमित रूप से सही काम करेंगी, हम उनकी पूरी मदद करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की बात हुई। यहां पर करीब-करीब सभी माननीय सदस्सों ने जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। हमारी मंशा बिलकुल साफ है, दीक्षित

(श्री परसादी लाल)

कमेटी की रिपोर्ट हमको मिल गई है, हमने उसका कैबिनेट मीमो बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत जल्दी हम कैबिनेट में जाकर इसका निर्णय करेंगे कि एक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बने। हमारी मंशा साफ है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। हमने पूरी तैयारी इसकी कर ली है, आपको भरोसा दिलाते हैं।

एक यहां पर व्यवस्थापकों की समस्या भी बहुत लम्बे समय से है। 1991 में हाई कोर्ट के फैसले के बाद कैडर अथोरिटी भंग हुई। न ये अपैक्स के मैम्बर हैं, न जी.एस.एस. के हैं, न बैंक के हैं, न गवर्नमेंट के हैं, बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में भी तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी खेतसिंहजी राठौड़ साहब ने कमेटी बनाई थी। हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आज भी हमारे पास 5200 में से तीन हजार व्यवस्थापकों के पद खाली हैं, किस तरह हमारी संस्थाओं का काम सुचारू रूप से चले, किस तरह से हम नये व्यवस्थापकों की भर्ती करें। सरकार के समक्ष सारा मामला विचाराधीन है, जल्दी ही कैबिनेट में चर्चा करके व्यवस्थापकों की समस्या का भी निर्णय करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसकी कोई समय सीमा बांध दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : व्यवस्थापकों के बारे में समय सीमा बताएं।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कैबिनेट में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, बहुत जल्दी, इस महीने इस मामले को कैबिनेट के सामने ले जाएंगे, जो भी कैबिनेट का निर्णय होगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी का निर्णय होगा, हमारी मंशा साफ है, हम इनका फैसला करना चाहते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्षजी, मुझे भी परमिशन दे दें।

श्री परसादी लाल : इस महीने के आखिर तक हम व्यवस्थापकों की समस्याओं का समाधान जैसी हमारी कैबिनेट की राय बनेगी। उसके अनुसार इसका फैसला करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, नये सैंट्रल कोआपरेटिव बैंकों की दौसा और हनुमानगढ़ की सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्षजी, एक जवाब ले लेने दो मंत्रीजी से, बहुत योग्य और ईमानदार मंत्री हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि दौसा के अन्दर गाय माता होती है और हमारे जिले से तीन तीन मंत्री आते हैं, गाय माता जी–जी बुलाने लग गई–परसादी लालजी, हरिसिंहजी, शैलेन्द्रजी, गाय माताजी बोलने लग गई है। तीन मंत्री हैं ये।

श्री परसादी लाल : आप बैठिये न, जवाब दे दूं तो पूछ लेना सारे। अभी बीच में मत बोलो आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गाय का मामला है। आपके यहां से गाय स्थानान्तरित होकर...

श्री परसादी लाल : आप बीच में मत बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, यह क्या है कि बीच में मत बोलो? मुझे बोलने का अधिकार है, मैं आपसे पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल : पूछने से मना थोड़े ही कर रहा हूं मैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप तो भाषण देकर समाप्त कर दोगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियम को समझिये। उनका भाषण समाप्त होने दीजिये। उनका भाषण समाप्त हो जाने दीजिये, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। उनका भाषण समाप्त होने दीजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ये जवाब पूछते हैं उनको अलाउ कर देते हो आप और मुझे बीच में अलाउ नहीं करते हो आप। हम निर्दलीयों का समूह टूट गया इसका मतलब हमें अलाउ ही नहीं करेंगे आप?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गाय माता की हम इज्जत करते हैं वह गाय माता इनको जी बोलने लग गई परसादीजी, शैलेन्द्रजी, हरिसिंहजी, हमारी सुन लो जी। परसादीजी, आपने 500 गायें लालसोट से दौसा में भेज दी, उनके चारे-पानी की व्यवस्था की क्या? आपके वहां से व्यवस्था नहीं हुई, मैं बताता हूं, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है बीच बीच में?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने गायों के सरंक्षण की बात की थी। अपने भाषण में। मैं तो बेटा हूं उनका इसलिए बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्री।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों के गठन में दौसा और हनुमानगढ़ की मंजूरी दे दी है। नाबार्ड और रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिलने पर हम उनको शुरू कर देंगे। हमने कोशिश की है कि हर जिले में सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक हों। हम कोशिश कर रहे हैं और हम सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं कि जो जिले हमारे छूट गये हैं उनमें भी सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की स्थापना हो। उसके लिए भी हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। एक कमेटी

(श्री परसादी लाल)

बनाकर चाहे बारां हो, चाहे करौली हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे राजसमंद हो, हम इन सभी जिलों में सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाकर इस पर निर्णय करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये हैं, करीब करीब उनका जवाब दे दिया है। दूसरी बात, डेयरी के...

श्री सांवर लाल : खाली पद कब तक भरेंगे आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य, जो प्रमोशन और डी.पी.सी. वगैरह की बात है, डी.पी.सी. इसी महीने हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के कारण से नहीं हो पाई। हमारा विभाग पूरा प्रयास कर रहा है, 31 मार्च से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे पद जो भी प्रमोशन से भरने हैं, उनको भर दें। हम राजस्थान में सहकारिता को पूरी तरह से एक नया रूप देंगे। राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव होंगे, मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का नाम पूरे देश में होगा। हमारे यहां जो पारदर्शिता चुनावों के माध्यम से आएगी उससे निश्चित रूप से सहकारिता में लोगों का विश्वास जाग्रत होगा। निरन्तर चुनाव, ट्रांसपेरेंसी, सरकार की कम दखलंदाजी और रजिस्ट्रार की शक्तियां कम करने से रजिस्ट्रेशन में परेशानी नहीं, ये जिस तरह की व्यवस्थाएं हमने की है, मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग की मांग को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वो पूछ रहे हैं, आप तो बोल लिये।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी कहा कि मैं प्रमोशन से भरने वाले पद भर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझे ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि बाद में बोलना, आप मानते ही नहीं हो। आप बोलो

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर तो प्रमोशन से नहीं भरेंगे आप, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद प्रमोशन से नहीं भरेंगे जबकि बड़ी तादाद में ये पद खाली हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य, जितने भी इंस्पेक्टर की डी.पी.सी. करके ए.आर. बनाने हैं, इसी महीने में, मार्च में हमारा पूरा प्रयास है कि इन पदों को भर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आहूजाजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, डेयरी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। डेयरी के जो घोटाले हैं और उदयपुर और अलवर कोआपरेटिव बैंक के घोटालों की भी आप जांच कराएंगे क्या?

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आज डेयरी की डिमांड नहीं है।

श्री परसादी लाल : कि जो भी यहां भ्रष्टाचार की शिकायतें आयीं, हमारे एक्ट में जो भी प्रोवीजन हैं, जो भी संस्थाएं हमारे एक्ट की परिधि में आती हैं, माननीय सदस्यों ने जिन अधिकारियों की शिकायत की है, मैं उन सब की जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

मांग संख्या-36 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 21 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,35,83,000/-(उनचास करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.30 बजे गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2003 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र डीग में गुड़गांव कैनाल की वितरिकाओं की मरम्मत

142. श्री अरुण सिंह (डीग): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के पास गुड़गांव कैनाल की वितरिकाओं की खुदाई का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या?

(2) उक्त कैनाल से वर्ष 2002-03 में विधान सभा क्षेत्र डीग को कब कब कितने–कितने क्यूसेक पानी का वितरण किया गया?

(3) वर्ष 2002-03 में राज्य सरकार द्वारा गुड़गांव कैनाल एवं उक्त की सहायक नहरों एवं वितरिकाओं की सफाई एवं मरम्मत तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र के वितरिकाओं के लिये कितनी राशि स्वीकृत की और कितनी व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। गुड़गांव कैनाल की शेष रही 9 वितिरिकाओं की 22.50 कि.मी. की लम्बाई में खुदाई के प्रस्ताव हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।*

(2) डीग विधान सभा क्षेत्र को दिनांक 4.6.2002 से 24.6.2002 तक एवं दिनांक 26.9.2002 से 3.10.2002 तक कुल 568 क्यूसेक्स दिवस पानी का वितरण किया गया। गेज तालिका परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) वर्ष 2002-2003 में राजस्थान सरकार द्वारा गुड़गांव नहर व वितरिकाओं की मरम्मत एवं रख-रखाव मद में 1.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान था। यह राशि आकस्मिक टूट-फूट सुधारने हेतु रखी गई एवं अभी तक व्यय शून्य है। 1.00 लाख के बजट में से डीग विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृति अलग से कोई नहीं हुई है। परन्तु विधान सभा क्षेत्र में गुड़गांव नहर एवं वितरिकाओं के लिए प्रपत्र-"स" में दर्शाये अनुसार कार्यो हेतु अकाल राहत मद में 15.82 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत हुये व 6.16 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट-"अ"

गुड़गांव नहर परियोजना की अपूर्ण वितरिकाओं की सूची (जिनका खुदाई कार्य प्रस्तावित है)

क्र.सं.	वितरिका का नाम	तहसील
1.	नन्दरावास माइनर	डीग
2.	बद्रीपुर माइनर	डीग
3.	खोह माइनर	डीग
4.	डीग सब माइनर	डीग
5.	इकलेरा माइनर	डीग
6.	निगोही सब माइनर	डीग
7.	बरई सब माइनर	डीग
8.	कुचावटी सब माइनर	डीग
9.	खोहरी सब माइनर	डीग

परिशिष्ट-"ब"

डीग विधान सभा क्षेत्र को प्राप्त पानी का ब्यौरा

दिनांक	गेज (फीट में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)
1	2	3
4.6.2002	0.5'	2.81
5.6.2002	1.5'	17.62
6.6.2002	3.0'	30.00
7.6.2002	3.0'	30.00
8.6.2002	3.0'	30.00
9.6.2002	2.8'	27.77
10.6.2002	2.0'	19.20
11.6.2002	2.0'	16.80
12.6.2002	2.1'	17.80

1	2	3
13.6.2002	1.5'	12.33
14.6.2002	1.0'	8.05
15.6.2002	1.0'	8.05
16.6.2002	1.5'	12.33
17.6.2002	1.5'	12.33
18.6.2002	1.7'	14.10
19.6.2002	2.5'	21.43
20.6.2002	2.0'	16.80
21.6.2002	2.5'	21.43
22.6.2002	2.7'	23.34
23.6.2002	1.8'	14.99
24.6.2002	0.5'	2.81
	योग	359.99 क्यूसेक Say 360 क्यूसेक
26.9.2002	3.0'	26.25
27.9.2002	3.0'	26.25
28.9.2002	3.0'	26.25
29.9.2002	3.3'	29.22
30.9.2002	3.2'	28.22
1.10.2002	3.0'	26.25
2.10.2002	2.8'	24.30
3.10.2002	2.5'	21.43
	योग	208.17 क्यूसेक Say 208.08 क्यूसेक
	कुल योग	568.00 क्यूसेक दिवस

परिशिष्ट–"स"

डीग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अकाल राहत मद में स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण (राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	विवरण
1.	टेल डिस्ट्रीब्यूट्री आफ जी.एम.सी. चैन 150–350	6.50	2.05	कार्य प्रगति पर
	टेल डिस्ट्रीब्यूट्री आफ जी.एम.सी. चैन 350–560	5.50	2.05	कार्य प्रगति पर
	डीग एस्केप तल सफाई कार्य 330 से 450 तक	2.52	1.20	कार्य प्रगति पर
	डीग एस्केप तल सफाई चैन 530 से 595	1.30	0.86	कार्य प्रगति पर
		15.82 लाख	6.16 लाख	

महाविद्यालय मालपुरा (टौंक) हेतु निर्मित भवन का अधिग्रहण

143. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मालपुरा (टौंक) में महाविद्यालय जुलाई, 1997 में खोला गया था व जुलाई, 1999 में महाविद्यालय को शिक्षा विकास समिति मालपुरा द्वारा निर्मित भवन में स्थानान्तरित किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय महाविद्यालय के यहां चलने के बावजूद अब तक उक्त भवन को महाविद्यालय द्वारा अथवा सरकार द्वारा अधिगृहीत नहीं किया गया है व भवन अभी भी शिक्षा समिति के प्रभार में है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा इस विषय में अनेक बार निवेदन किया जा चुका है कि इस विसंगति से महाविद्यालय का विकास ठप्प पड़ा हुआ है व दैनिक कार्य में भी बाधा आ रही है?

(4) क्या सरकार उक्त भवन को अधिगृहीत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार शिक्षा विकास समिति से एकत्रित राशि के खर्च का हिसाब मांगने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना 1997–98 में राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा जिला टौंक खोला गया था। दिनांक 6.9.1998 को तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उक्त भवन का उद्घाटन किया गया था। शिक्षा विकास समिति, मालपुरा द्वारा अधिनिर्मित महाविद्यालय भवन में दिनांक 5.8.1999 को महाविद्यालय स्थानान्तरित हुआ।

(2) जी हां।

(3) जी हां। भवन अपूर्ण होने तथा सुविधाओं का अभाव होने के कारण महाविद्यालय संचालन में कठिनाई महसूस की जा रही है।

(4) जी हां। भवन की उपयोगिता एवं सुरक्षा का प्रमाण पत्र पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा दिये जाने तथा शिक्षा विकास समिति द्वारा निर्धारित डिजाइन मैप के अनुसार भवन निर्मित कर किसी प्रकार का दायित्व बकाया नहीं है का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर महाविद्यालय भवन को टेक ओवर किया जायेगा।

(5) जी हां।

कृषि विपणन बोर्ड व कृषि विपणन निदेशालय का विलय

144. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन निदेशालय के समस्त खर्चों का वहन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है?

(2) क्या कृषि उपज निधि अधिनियम में मण्डी विकास निधि का सरकारी विकास कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निदेशालय का खर्च वहन नहीं कर सकती? क्या इसे बोर्ड में विलय करने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बोर्ड व निदेशालय का विलय करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि विपणन निदेशालय के समस्त खर्चों का वहन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 'मण्डी विकास निधि' से किया जा रहा है।

(2) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 के 34–ए के प्रावधानुसार, कृषि उत्पादन सचिव, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.10(10)कृषि/ग्रुप–2बी/80 दिनांक 11.03.1980 द्वारा प्रसारित आदेशानुसार कृषि विपणन निदेशालय के समस्त खर्चों का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 'मण्डी विकास

(कृषि विपणन मंत्री)

निधि' से किया जा रहा है। अधिनियम की धारा की एवं राज्यादेश दिनांक 11.03.1980 की फोटो प्रति संलग्न है।

(3) सरकार खर्च वहन करने के लिए सक्षम है, पर वर्तमान व्यवस्था को बदलना प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं है। निदेशालय को बोर्ड में विलय करने का विचार नहीं है।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961

Proceeding in respect of that onence has already been instituted against him in any court. upon the composition, the charges against him shall be deemed to have been withdrawn.

33. Fines recovered to be paid into market committee fund : All fines and penalties imposed in prosecutions for offences punishable under this Act or under the rules or bye-laws made thereunder shall, when realised, be paid into and form part of the market committee fund concerned.

[1][**34. Recovery of sums due to Government or market committee:** (1) Every sum due from a market committee to the State Government shall be recoverable as an arrear of land revenue.

(2) (a) Any sum due to a market committee on account of any charge, costs, expenses, fees, rent or any other amount under the provisions of this Act or any rule or bye-laws made thereunder shall be recoverable from the person from who such sum is due in the same manner as an arrear of land revenue by the Govenment on behalf of the market committee.

(b) if any question anses whether any money is due or not to

1. Whole of the sec. 34 was substituted by sec. 22 of the Raj. Amending Act 15-A of 1973, Published in the Raj Gaz., Extraordinery, Part IV-A, dated 14.7.1973.

the market committee within the meaning of clause (a) it shall be referred to the Director or an officers authorised by him and the Director of the authorised officer shall, after making such enquiry as he deenis fit and after giving to the person from whom the money is alleged to be due an opportunity to being heard decide the questions and his decision shall be final.]

[2][34-A. **Directions by the State Government** : (1) The State Government may give to the Board or the Market committee general instructions to be followed by the Board or such committee for carrying out the purpose of the Act and such instruction may include direction relating to propose for which, and the manner in which, the market committee fund or the Marketing Development Fund shall be spent and the manner in which surpluses with the Board or the committee shall be kept.

(2) In the exercise of its powers and perfromance of its duties under this Act, the Board or the market committee shall not depart from any general instructions issued under sub-section (1) except with the previous permission of the State Government]

[3][35. **Delegation of Powers]** : [4][(1)] The State Government may delegate to any

2. Inserved by the sec. 16 of Raj. Finance Act 1979 (Raj Act 5 of 1979) vide notification No. F2(10) Vidhi/79 dated 7.4.1979, Published in Raj. Gaz. Extraordinary, Part IV-A, dated 7.4.1979 at page 13 w.e.f. 7.4.1979

3. Substiuted by sec. 23-A of Raj Act No. 15A of 1973, published in Raj. Gaz. Part IV-A Extraordinary, dated 14.7.1973

4. Numbered be sec. 23(b).

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Agri. Gr. II-B

No.1-F-10-(10)Agri)GrIIB/80 **Dated 11.3.1980**

ORDER

In exercise of the Powers conforred under Section 34 A of the Rajasthan Agri Produce Market Act 1961 Act No. 38 of 1961 the State Govt hereby directs that all the expenditure of the Directurate of Agri Marketing including the staff of the Sectt-attached to him in the capecity of x-officers Dy Secretary to the Govt. shall be re imbursed to the State Govt. by the Raj State Agri Marketing Board Jaipur cut of its Marketing Development Fund in such manner as may be directed by the Director Agri Marketing from time to time.

Sd/-

(Tej Kumar)

Agri. Pred Booretary

धार्मिक स्थलों को प्रदत्त सुविधाएं

145. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बनाने के लिए कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं?

उत्तर

अभी तक राज्य के धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बनाने के लिए देवस्थान विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करी गई है, परन्तु राजीव गांधी पर्यटन मिशन के अन्तर्गत कतिपय धार्मिक स्थलों में तीर्थ यात्रियों को पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

वर्तमान में देवस्थान विभाग के प्रबन्ध व नियंत्रणाधीन धर्मशालाओं में यात्रियों के लिए सस्ती दरों पर कमरा एवं पलंग, बिस्तर आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

राज्य में धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु वित्तीय उपलब्धता को देखते हुए आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराये जाते है। वर्ष 1985-86 से 2000-2001 तक विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कराये गये/किये जा रहे विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। हाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों का आवागमन सुविधाजनक करने की दृष्टि से सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1985-86 से 2000-2001 तक विभिन्न धार्मिल स्थलों पर केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत किये गये/जा रहे विकास कार्यों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	जिला	वर्ष	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय हिस्सा राशि	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य हिस्सा राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सावित्री घाट एवं ब्रह्म घाट पुष्कर का विकास	अजमेर	1985-86	12.99	—	12.99
2.	पुष्कर में पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा	अजमेर	1990-91	7.10	1.42	8.52
3.	यात्रिका नाथद्वारा का निर्माण	राजसमंद	1991-92	23.00	7.35	30.35
4.	अजमेर में पर्यटकों हेतु जन सुविधा	अजमेर	1992-93	4.00	-	4.00
5.	कैला देवी में यात्रिका का निर्माण	करौली	1994-95	20.24	6.78	27.02
6.	श्री महावीरजी में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	करौली	1995-96	33.00	-	33.00
7.	अजमेर में पुष्कर के घाटों का समग्र विकास	अजमेर	1998-99	12.90	-	12.90
8.	दरगाह के पास विश्राम स्थली का निर्माण	अजमेर	1998-99	23.35	-	23.35
9.	सालसार धाम, चूरू का विकास	चूरू	1999-2000	12.79	-	12.79
10.	पदमपुरा (बाड़ा) जयपुर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	जयपुर	1999-2000	20.70	-	20.70

1	2	3	4	5	6	7
11.	सूर्य मन्दिर, रणकपुर का विकास	पाली	2000-01	2.00	3.33	5.33
12.	पुष्कर में शिल्पग्राम का निर्माण	अजमेर	2000-01	10.52	–	10.52
13.	रामदेवरा घाट का विकास	जैसलमेर	2000-01	7.50	–	7.50
14.	किराडू के मन्दिरों का विकास	बाड़मेर	2000-01	10.00	–	10.00
		कुल योग		**200.09**	**18.88**	**218.97**

परिशिष्ट "ब"

धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सिकन्दरा गुढ़ाचन्द्रजी, नादोती नादोती श्री महावीरजी सड़क (मुख्य जिला सड़क सं. 28 एवं ओडीआर)	37.00	203.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 25.6.2003
2.	जोधपुर, पोकरण, रामदेवरा सड़क (राजमार्ग संख्या-5)	144.00	725.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 13.5.2003
3.	रींगस खाटूश्यामजी सड़क (मुख्य जिला सड़क सं. 45)	11.00	60.00	कार्य पूर्ण
4.	सोयला डिग्गी सड़क (मुख्य जिला सड़क सं.1)	15.00	49.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 4.5.2003

1	2	3	4	5
5.	जयपुर डिग्गी सड़क (राजमार्ग सं. 12)	17.00	73.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 15.6.2003
6.	राजाखेड़ा कैलादेवी सड़क (राजमार्ग सं. 2)	68.50	402.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 15.5.2003
7.	बीकानेर नापासर लाडनूं सड़क (मुख्य जिला सड़क) संख्या–5)	16.50	51.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 12.6.2003
8.	अजमेर पुष्कर सड़क (राजमार्ग सं. 18)	7.50	87.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 6.3.2003
9.	भीलवाड़ा नाथद्वारा सड़क (राजमार्ग सं. 12)	13.00	69.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 5.2.2003
10.	कैलवाड़ा चारभुजा सड़क (मुख्य जिला सड़क संख्या 36)	81.00	243.00	स्वीकृति प्राप्त एवं कार्यादेश जारी एवं सम्भावित कार्य पूर्ण होने की तिथि 12.5.2003
	कुल योग	410.50	1,962.00	

बेरोजगार ट्रेण्ड आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों को रोजगार

146. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों के कितने ट्रेनिंग सेंटर कहां-कहां है?

(2) क्या उक्त सेंटरों में से कोई से सेंटर बन्द किये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और कब से?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में सैकड़ों ट्रेण्ड नर्स/कम्पाउण्डर बेरोजगार हैं? क्या सरकार उक्त नर्स/कम्पाउण्डरों को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में, राज्य में, आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र निम्न स्थानों पर संचालित है :

1. राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।

2. राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।

(2) जी नहीं।

(3) विभाग द्वारा ऐसी सूचना संकलित नहीं की जाती है।

बजट प्रावधान होने पर रिक्तियों को भरा जा सकेगा।

ग्राम पंचायत सहरोद पंचायत समिति अटरू के तालाब व सार्वजनिक बावड़ी पर अतिक्रमण

147. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति अटरू की ग्राम पंचायत सहरोद में अपना काम अपना गांव योजना में बस स्टेण्ड पर पार्क के निर्माण पर कितना खर्च कब-कब हुआ तथा अब पार्क पर किसने कब्जा कर लिया और वर्तमान में उक्त स्थान पर किसके द्वारा निर्माण कराया जा रहा है? क्या सरकार उक्त पार्क स्थल को खाली करवायेगी और पूर्व में लगी राशि का उपयोग करने की दृष्टि से उस पार्क का निर्माण करवायेगी?

(2) क्या सहरोद में तालाब व सार्वजनिक बावड़ी (स्व. रवि पारीक के मकान के सामने वाली) पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है? यदि हां, तो उक्त कब्जे को कब तक हटाया जायेगा? क्या कोई भी सरपंच सरकारी/ सार्वजनिक बावड़ियों तक लोगों के आने जाने के रास्ते का पट्टा दे सकता है? यदि हां, तो ऐसे आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त बावड़ी व पार्क पर से कब तक अतिक्रमण हटा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) बारां से प्राप्त सूचना के अनुसार पंचायत समिति अटरू, ग्राम पंचायत सहरोद में "अपना काम अपना गांव योजना" के अन्तर्गत बस स्टेण्ड के पास पार्क के स्थान की चारों तरफ नींव भराई, पर वर्ष 1994-95 में स्वीकृत राशि रुपये 20,000/- के

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विरुद्ध 15,808/– की राशि व्यय की गई। लेकिन ग्राम पंचायत सहरोद में मौके पर कोई पार्क बना हुआ नहीं है और न ही किसी के द्वारा उक्त स्थान पर अतिक्रमण किया हुआ है। वर्तमान में इस स्थल पर किसी के भी द्वारा निर्माण नहीं कराया जा रहा है। पार्क स्थल को खाली कराने का कोई प्रकरण ग्राम पंचायत में लम्बित नहीं है।

(2) सहरोद तालाब का खसरा नं. 1114 है, इस पर धीरज मोग्या, लटूरिया पुत्र श्री पन्ना लाल मेघवाल, जानकी लाल मोग्या, बंशी मोग्या तथा गणेश राम पुत्र मंगला मेघवाल द्वारा कच्ची टापरी बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है जिसके विरुद्ध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही तहसील द्वारा की जा रही है। सार्वजनिक बावड़ी (स्व. रवि पारीक के मकान के सामने वाली) में किसी ने अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। नियमानुसार कोई सरपंच सरकारी/सार्वजनिक बावड़ियों तक लोगों के आने–जाने के रास्ते में पट्टा नहीं दे सकता है लेकिन बावड़ी के रास्ता वाली जमीन का पंचायत द्वारा जो पट्टा दिया गया है उसकी जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू द्वारा की जा रही है। जांच पश्चात् पट्टा गलत पाये जाने पर निरस्त किया जावेगा।

(3) बावड़ी व पार्क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया हुआ नहीं है। इस आशय का प्रकरण पंचायत में लम्बित नहीं है।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित जांच

148. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में किस–किस श्रेणी के कितने–कितने अधिकारियों के पद सृजित हैं तथा उक्त पदों पर कौन–कौन अधिकारी कब–कब से कार्यरत हैं? नाम और नियुक्ति स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों में से किन किन को कब–कब किस–किस मामलों में चार्ज शीट दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में जिन अधिकारियों को चार्ज शीट दी गई उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही कब–कब की गई तथा शेष के विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जा सकेगी?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों के विभिन्न श्रेणियों के सृजित पदों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पद पर पदस्थापन दिनांक की सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) उक्त अधिकारियों में से जिन्हें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत चार्जशीट दी गई है, का विवरण परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।

(3) उक्त अधिकारियों में से जिन जिन अधिकारियों को चार्जशीट दी गई तथा उनके विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''स'' संलग्न है। शेष के विरुद्ध जांच अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा आरोपित अधिकारियों से प्रति उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

विधान सभा क्षेत्र खारची के स्वीकृत जलग्रहण विकास परियोजनाएं

149. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र खारची में विभिन्न योजनाओं में कितनी-कितनी जलग्रहण विकास की परियोजनाएं स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना पर कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा किस-किस वर्ष में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त परियोजनाओं में व्यक्तिगत लाभार्थ कार्यों में लाभार्थी से हिस्सा राशि लिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितना?

(4) उक्त परियोजना पर टास्क क्या रहता है तथा क्या परियोजना पर कार्य का संचालन अकाल राहत कार्यों के अनुसार ही हो रहा है? यदि नहीं, तो इसमें असमानता क्यों है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र खारची में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना में 5 जलग्रहण के कार्य एवं मरु विकास योजना तृतीय चरण में 4 कार्यों की जलग्रहण विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई है तथा मरु विकास योजना चतुर्थ चरण में 3 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। कार्यों की सूची परिशिष्ट 1 में दर्शाई गई है।

(2) उक्त परियोजनाओं पर स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–1 के कालम संख्या–5 में दर्शाया गया है तथा वर्षवार करवाये गये विभिन्न कार्यों पर जनवरी, 2003 तक किये गये व्यय का कार्यवार विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के कालम संख्या–7 से 40 में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना में व्यक्तिगत लाभार्थ कार्यों में प्राकृतिक स्रोत प्रबन्धन की गतिविधियों में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों से 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभार्थियों से 5 प्रतिशत हिस्सा राशि लिये जाने का प्रावधान है तथा निजी भूमि से पत्थर एवं चट्टानों को हटाने और भूमि मालिक परिवारों के लिए उत्पादन पद्धति गतिविधियों हेतु लाभार्थियों से 50 प्रतिशत हिस्सा राशि लिये जाने का प्रावधान है।

मरु विकास कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों से 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों से 5 प्रतिशत हिस्सा राशि लिये जाने का प्रावधान है।

(4) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टास्क, राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना हेतु विभागीय बी.एस.आर. एवं विशिष्ट योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिये टास्क ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जलग्रहण समिति द्वारा कार्य करने के लिए दिया जाता है।

जी नहीं। परियोजना का कार्यों का संचालन भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार करवाया जाता है। जलग्रहण विकास परियोजनाओं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट में सम्मिलित समस्त कार्यों को जलग्रहण कमेटी द्वारा कराये जाते है।

(कृषि मंत्री)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि पूरा प्रदेश अकाल से प्रभावित है प्रोजेक्ट कार्यों के भुगतान व्यवस्था में मजदूरी का 75 प्रतिशत गेहूं का भुगतान एस जी आर वाई स्पेशल कम्पोनेंट के द्वारा किया जा रहा है जबकि 25 प्रतिशत राशि केश का भुगतान प्रोजेक्ट राशि से किया जा रहा है जबकि अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति अकाल राहत मद में जारी की जाती है व अकाल राहत कार्यों के दिशा निदेशों के अनुसार टास्क दिये जाकर कार्यों का सम्पादन किया जाता है व उसी अनुसार भुगतान किया जाता है।

असमानता का मुख्य कारण है कि अकाल राहत कार्यों का कराने का उद्देश्य मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवा कर परिसम्पत्तियों का सृजन करना है जबकि उक्त परियोजना का उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाले कृषकों/श्रमिकों की मानसिकता में परिवर्तन लाकर योजना में करवाये जाने वाने विभिन्न कार्यो/गतिविधियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है जिससे कि सृजित परिसम्पत्तियों का रख रखाव जीवन पर्यन्त कर सके। यही नहीं योजना अवधि में श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जा सके तथा जिन परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है उनमें उनकी स्वयं की भावना हो कि यह कार्य हमारा है जबकि अकाल राहत कार्यों में उनमें यह भावना पैदा नहीं होती है।

विधान सभा क्षेत्र खारची में जलग्रहण विकास कार्यों का विवरण

परिशिष्ट "1"

क्र. सं.	योजना	जलग्रहण विकास का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल (है.)	स्वीकृत राशि- (लाखों में)	स्वीकृत वर्ष	प्रशासनिक मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2000-01	प्रशासनिक मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2001-02	प्रशासनिक मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2002-03 जनवरी 2003 तक	प्रशासनिक मद में व्यय वर्षवार योग	प्रशिक्षण मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2000-01	प्रशिक्षण मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2001-02 जनवरी 2003 तक	प्रशिक्षण मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2002-03	प्रशिक्षण मद में व्यय वर्षवार योग	सामुदायिक संगठन मद में वर्ष 2000-01	सामुदायिक संगठन मद में वर्ष 2001-02	सामुदायिक संगठन मद में वर्ष 2002-03	सामुदायिक संगठन मद में योग जनवरी 2003 तक	प्रवेश कार्य में मद में व्यय वर्षवार कार्य का नाम	प्रवेश कार्य में मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2000-01	प्रवेश कार्य में मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2001-02	प्रवेश कार्य में मद में व्यय वर्षवार वर्ष 2002-03 जनवरी 03 तक	प्रवेश कार्य में मद में व्यय वर्षवार योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना	गांधी– प्रथम	500	22.50	2002–03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्राथमिक स्कूल के परकोटा निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना	गांधी– द्वितीय	500	22.50	2002–03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सामुदायिक भवन हेतु चारदीवारी कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना	पांचेटिया –1	500	22.50	2002–03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सामुदायिक भवन हेतु चारदीवारी कार्य	0.00	0.00	0.68	0.68
4.	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना	पांचेटिया –2	500	22.50	2002–03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सामुदायिक भवन हेतु चारदीवारी कार्य	0.00	0.00	0.68	0.68
5.	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना	पांचेटिया –3	500	22.50	2002–03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सामुदायिक भवन हेतु चारदीवारी कार्य	0.00	0.00	0.68	0.68
		योग	2500	112.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2.03	2.03
1.	मरु विकास कार्यक्रम-III	राणावास	490	30.00	2000–01	0.37	0.37	0.03	0.77	0.00	0.01	0.07	0.08	0.00	0.00	0.03	0.01	कृषि पर्यवेक्षण भवन की बाउण्डरी वाल	0.00	0.21	0.00	0.21
2.	मरु विकास कार्यक्रम-III	सिवाला	500	30.00	2001–02	0.00	0.75	0.07	0.82	0.00	0.01	0.05	0.06	0.00	0.41	0.59	1.00	पिचके की बाउण्डरी वाल	0.00	0.21	0.00	0.21
3.	मरु विकास कार्यक्रम-III	इशाली	500	30.00	2001–02	0.00	0.75	0.08	0.83	0.00	0.01	0.09	0.10	0.00	0.03	0.00	0.03	पानी की खेली	0.00	0.59	0.00	0.59

लगातार

परिशिष्ट "1"

1 2	3	4	5	6	7	8	9	18	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.मरु विकास कार्यक्रम-III	बागोल	500	30.00	2001–02	0.00	0.75	0.01	0.76	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.61	0.06	0.67	पिचके की बाउण्डरी	0.00	0.00	0.07	0.07
5.मरु विकास कार्यक्रम-IV	जाडन	500	30.00	2002–03	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00
6.मरु विकास कार्यक्रम-IV	बाडसा	500	30.00	2002–03	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	विद्यालय बाउण्डरी	0.00	0.00	1.00	1.00
7.मरु विकास कार्यक्रम-IV	जीवन्द कलां	450	27.00	2002–03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सामुदायिक भवन	0.00	0.00	0.96	0.96
	योग	**3440**	**207.00**		**0.37**	**2.62**	**0.79**	**3.78**	**0.00**	**0.68**	**0.21**	**0.89**	**0.00**	**1.08**	**1.06**	**2.14**		**0.00**	**0.80**	**2.09**	**2.89**
	कुल योग	**5940**	**319.50**		**0.37**	**2.62**	**0.79**	**3.78**	**0.00**	**0.68**	**0.21**	**0.89**	**0.00**	**1.08**	**1.06**	**2.14**		**0.00**	**0.80**	**4.12**	**4.92**

विधान सभा क्षेत्र खारची में जलग्रहण विकास कार्यों का विवरण **परिशिष्ट "1"**

जलग्रहण विकास कार्य का नाम	टोपोग्राफिकल सर्वे कार्य में व्यय वर्षवार				पंजीयन	कोरपस फण्ड	कुल योग (पीआईए)	कमेटी मद में एक्टीविटीवार खर्च वर्ष 2002 से जनवरी, 2003 तक (वर्ष 2002 तक कमेटी कार्य प्रारम्भ नहीं)							योग	कुल योग		
								कृषि योग्य भूमि		अकृषि योग्य भूमि पर कार्य							
	वर्ष	वर्ष	वर्ष 2002-03 जनवरी 2003 तक	योग				कन्टूर बण्ड	खण्डीन	कन्टूर फरो	गोचर हेतु खाई	पक्का चैकडेम	पशुचिकित्सा शिविर		पीआईए	जलग्रहण कमेटी	योग
3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
गांधी–प्रथम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गांधी–द्वितीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांचेटिया–1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71
पांचेटिया–2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71
पांचेटिया–3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71
योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	2.13
राणावास	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	1.40	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	7.83	1.40	7.83	9.23
सिवला	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	2.13	8.88	5.62	0.00	0.00	0.00	0.08	14.58	2.13	14.58	16.71
ईशाली	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	1.84	7.80	3.17	0.83	1.97	0.00	0.17	13.94	1.84	13.94	15.78
बागोल	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	2.11	1.92	5.54	0.20	9.77	2.42	9.77	12.19
जाडन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
बाडसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
जीवन्द कलां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
योग	0.00	0.78	0.27	1.05	0.00	0.00	10.75	24.36	8.79	2.94	3.89	5.54	0.60	46.12	10.75	46.12	56.87
कुलयोग	0.00	0.78	0.27	1.05	0.11	0.00	12.88	24.36	8.79	2.94	3.89	5.54	0.60	46.12	12.88	46.12	59.00

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को भू-आबंटन

150. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि सामान्य आबंटन की जाती है और उक्त हेतु भूमि का आरक्षण किया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व सैनिकों के भूमि आबंटन हेतु आवेदन वर्ष 1983 के बाद नहीं लिए गए?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों के 4154 आवेदन पत्र विचाराधीन है और उक्त हेतु भूमि आरक्षित नहीं है?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर की अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगती 15 किलोमीटर भूमि भूतपूर्व सैनिकों के आबंटन हेतु आरक्षण के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए गये थे?

(5) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण तथा नये आवेदन पत्र आमंत्रित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) भूतपूर्व सैनिकों के 4126 प्रार्थना-पत्र आबंटन हेतु विचाराधीन हैं तथा आबंटन हेतु भूमि अभी आरक्षित नहीं है।

(4) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में भारत पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 500 मीटर की पट्टी को छोड़ कर 1.5 कि.मी. भू-पट्टी क्षेत्र की भूमि भूतपूर्व सैनिकों को भू-आबंटन हेतु आरक्षित की गयी है।

(5) विभाग के पास 4126 भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटन के लम्बित प्रार्थना-पत्र पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त भूमि उपलब्धता के अभाव में आबंटन से शेष है। पूर्व में लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण के उपरान्त विचार किया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें

151. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई तथा उक्त में से कितने स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गये व कौन-कौन से कार्य शेष हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में कुण्डेरा-श्यामपुरा सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या किया जा रहा है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में कृषि विपणन विभाग से कोई सड़क स्वीकृत नहीं हुई है, अपितु सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन योजना में फैज प्रथम के अन्तर्गत दो सड़कों की स्वीकृति जारी की गई (संलग्न परिशिष्ट 'अ')

1. मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन
2. सम्पर्क सड़क श्यामपुरा

सड़क मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन का कार्य 250 मीटर आबादी क्षेत्र में डामरीकरण के अलावा पूर्ण हो चुका है तथा सम्पर्क सड़क श्यामपुरा का कार्य शेष है।

(2) प्रथम संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही करके पुनः निविदा आमंत्रित कर दूसरे संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिया गया था, परन्तु इसी दौरान प्रथम संवेदक द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 30.1.2003 के निर्देशानुसार प्रथम संवेदक को तीन माह की अवधि में कार्य पूर्ण करने के आदेश दिये गये हैं। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

परिशिष्ट-'अ'

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत तीन वर्षों में स्वीकृत सड़कों का विवरण

विधान सभा क्षेत्र	कृ. उ. म. स./ एम.डी.एफ./ आरआईडीएफ/ आर.यू.पी.I/II	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों)	कुल व्यय 12/2002	भौतिक प्रगति 12/2002	कार्य पूर्ण वर्ष	विवरण
सवाईमाधोपुर	आर.यू.पी. प्रथम चरण	1. मलारना डूंगर से मलारना	6.00	23.50	19.29	कार्य पूर्ण	2002-03	250 मीटर से पंचायत द्वारा सी.सी. की गयी, 250 मीटर आबादी क्षेत्र में डामरीकरण नहीं करवाया गया है सिर्फ मोट रेवल की गयी है। शेष कार्य पूर्ण है।
		2. सम्पर्क सड़क श्यामपुरा	16.00	63.00	0.75	कार्य प्रगति पर		—

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिंग कर्मियों को नियुक्ति

152. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1993 से 2002 तक जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत उदयपुर से प्रशिक्षण प्राप्त आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों को कितनी नियुक्तियां दी गई और शेष की नियुक्ति हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर के अधीन संचालित आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त 19 आशार्थियों को आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्ष 1993 से 2002 तक नर्स/कम्पाउण्डर पद पर नियुक्तियां दी गई हैं।

रिक्त नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर नवीन नियुक्ति हेतु बजट प्रावधान होने के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर वांछित योग्यता प्राप्त आवेदकों को ही नियुक्तियां दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा

153. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ग्रामीण विकास अभिकरण में कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी नहीं माना जा रहा है? क्या इसे अभी तक निगम ही घोषित किया हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों को सेवारत रहते हुये 30-32 वर्ष तक हो चुके हैं?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को सारी सुविधाएं, वेतनमान एवं मिलने वाले सारे लाभ राज्य कर्मचारियों की भांति है? यदि हां, तो फिर सरकार ने राज्य कर्मचारी घोषित क्यों नहीं किया?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी के समान नहीं माना है।

जी नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निगम घोषित नहीं किया गया है।

(2) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा इससे पूर्ववत संस्थाएं यथा-एस.एफ.डी.ए./एम.एफ.ए.एल. के कई कर्मचारियों को सेवारत रहते हुए 30-32 वर्ष हो चुके हैं।

(3) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों की सुविधाएं/लाभ लगभग राज्य कर्मचारियों की भांति

(ग्रामीण विकास मंत्री)

ही है। सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था हैं एवं इनके अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए अलग नियम "राजस्थान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सेवा नियम 1983" है। अतः पंजीकृत संस्था होने के कारण इनके कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया है।

नरड़िया जाति के अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र

154. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजगढ़ (चूरू) में कोई नरड़िया नाम की जाति है?

(2) क्या यह सही है कि नरड़िया जाति में गहलोत, तंवर, चौहान, खोखर आदि उप जातियां आती हैं?

(3) क्या उक्त सब जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या कायमखानी अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं? यदि हां, तो उक्त जातियां क्यों नहीं आती हैं?

(5) क्या नोहर (हनुमानगढ़) में उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो राजगढ़ (चूरू) में क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गहलोत, तंवर, चौहान, खोखर आदि उपजातियां/गौत्र हैं जो अन्य पिछड़ी एवं अगड़ी जातियों में भी पाये जाते हैं।

(3) जी नहीं। क्योंकि गहलोत, तंवर, चौहान, खोखर आदि उपजातियां/गौत्र हैं जो अन्य पिछड़ी एवं अगड़ी जातियों में भी पाये जाते हैं।

(4) जी हां। यदि ये उपजातियां/गौत्र पिछड़े वर्ग की घोषित जातियों में हैं तो पिछड़े वर्ग में स्वतः ही आते हैं। इनका अलग-अलग जाति/वर्ग मानते हुए कभी कोई प्रार्थना पत्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में कायमखानी जाति का पिछड़े वर्ग की जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

नरड़िया जाति को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जिला धौलपुर में पोषित विकास परियोजना में विश्व बैंक से प्राप्त राशि

155. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) एवं श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(1) वर्ष 1999 से 2001 से राज्य में विश्व बैंक से कितनी राशि पोषित विकास परियोजना के तहत आबंटित की गई?

(2) क्या विश्व बैंक से आबंटित राशि का पूर्ण उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त राशि का उपयोग नहीं करने से कृषि क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई?

(4) उक्त योजना में जिला धौलपुर में कितनी राशि आबंटित/उपयोग की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1999–2001 में राशि रुपये 65.37 करोड़ विश्व बैंक से प्राप्त हुई।

(2) जी हां। परियोजना में प्राप्त की गई राशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

(3) कृषि क्षेत्र में उक्त राशि का उपयोग पूर्ण कर लिया गया है, इसलिये अपेक्षित प्रगति नहीं होने का कोई कारण नहीं है।

(4) कृषि विकास परियोजना के जिला धौलपुर में वर्ष 1999–2001 में रुपये 2.28 करोड़ आबंटित किये गये व रुपये 2.60 करोड़ व्यय (उपयोग) किये गये।

जिला बाड़मेर की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के लम्बित प्रकरण

156. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर में गोचर, ओरण एवं सिवाय चक व नाडी के अंगोर की भूमि कितनी है?

(2) क्या उक्त भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं? यदि हां, तो अवैध कब्जे हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्व न्यायालयों में अवैध कब्जों के बारे में कितने मामले लम्बित हैं और उनकी क्या प्रगति है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मामलों में सरकार पैरवी करने में दिलचस्पी नहीं लेती है?

उत्तर

(1) इस जिले में गोचर, ओरण, सिवाय चक एवं नाडी के अंगोर की भूमि निम्नानुसार उपलब्ध है :–

1.	गोचर	97086.12	बीघा
2.	ओरण	309554.19	बीघा
3.	सिवाय चक	538602.09	बीघा
4.	नाड़ी अंगोर	118965.11	बीघा

(2) इन भूमियों पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किये जाने पर उनके

(राजस्व मंत्री)

विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 1991 के अन्तर्गत बेदखल करने की कार्यवाही की गई है।

(3) राजस्व न्यायालयों में अवैध कब्जों के सम्बन्ध में कुल 133 प्रकरण लम्बित है। जिसमें 13 प्रकरण में विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश है। शेष मामलों में राजस्व न्यायालयों द्वारा शहादत व साक्ष्य बाबत कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। उक्त मामलों में राजकीय अभिभावक द्वारा सुनवाई तारीख पर राज्य पथ की समुचित पैरवी की जा रही है।

जिला बीकानेर की वाटर शैड योजनाओं में अनियमितता

157. श्री अमराराम (धोद): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार को बीकानेर जिले में वाटर शैड योजनाओं में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है? क्या इनकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत पांच वर्षों में उक्त योजना कहां-कहां लागू की गई तथा किस-किस मद में कितना व्यय हुआ?

(3) शिकायतों की जांच में दोषी पाई गई एजेंसीज एवं अधिकारियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर जिले में जलग्रहण परियोजनाओं में 9 अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है। 6 प्रकरणों में की गई शिकायत, जांच उपरान्त निराधार पाई गई। शेष 3 प्रकरणों में जांच प्रक्रिया जारी है।

प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) बीकानेर जिले में पिछले पांच वर्षों में कुल 270 स्वीकृत परियोजनाओं की स्थलवार सूची परिशिष्ट "ख" पर है। जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में जलग्रहण कमेटी मद में रुपये 2756.52 लाख, सामुदायिक संगठन मद में रुपये 428.14 लाख, प्रशिक्षण मद में रुपये 150.25 लाख तथा प्रशासनिक मद में रुपये 329.55 लाख व्यय किये गये।

(3) प्राप्त शिकायतों में से 6 प्रकरणों की जांच की गई, जिनकी जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया। शेष 3 विचाराधीन प्रकरणों पर में जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजपूतों एवं ब्राह्मणों को आरक्षण

158. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजपूतों एवं ब्राह्मणों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु आवेदन किया हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या राज्य सरकार राजपूतों एवं ब्राह्मणों को आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

ब्राह्मण :- गौड़ ब्राह्मण/ब्राह्मणों का प्रार्थना पत्र उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु आयोग को दिनांक 22.9.1993 को प्राप्त हुआ था। ब्राह्मणों की अन्य विभिन्न उपजातियों के ज्ञापन विभिन्न संगठनों से विभिन्न दिनांकों में प्राप्त हुये हैं।

राजपूत/क्षत्रीय :- राजपूत/क्षत्रीय का प्रार्थना पत्र उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु आयोग को दिनांक 8.8.1994 को प्राप्त हुआ था राजपूतों की अन्य उपजातियों के ज्ञापन विभिन्न संगठनों से विभिन्न दिनांकों में प्राप्त हुये।

(2) राजपूत एवं ब्राह्मण जाति/वर्ग को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने का विषय राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

संयुक्त निदेशक जोधपुर के पास वरिष्ठ निजी सहायक का पदस्थापन

159. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग के जोधपुर सर्कल कार्यालय में संयुक्त निदेशक के पास वरिष्ठ निजी सहायक कार्यरत है, जबकि अन्य सभी सर्कलों/संयुक्त निदेशक कार्यालयों में नियमानुसार निजी सहायक पद स्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सभी संयुक्त निदेशकों के पास वरिष्ठ निजी सहायक पद रखने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो जोधपुर में ऐसी व्यवस्था क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर में भी अन्य सर्कल कार्यालयों के अनुरूप निजी सहायक पद किए जाने के आदेश जारी करने के तुरन्त बाद ही उक्त आदेशों को रद्द किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग का पुनर्गठन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.3.2000 के द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार जोधपुर वृत कार्यालय में अतिरिक्त निदेशक

(कृषि मंत्री)

के साथ वरिष्ठ निजी सहायक का पद एवं अन्य वृत कार्यालयों में संयुक्त निदेशक के साथ निजी सहायकों के पद स्वीकृत रखे गये।

जी नहीं। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24.7.2001 के द्वारा जोधपुर वृत कार्यालय से अतिरिक्त निदेशक का पद निदेशालय में एवं संयुक्त निदेशक का पद निदेशालय से जोधपुर में स्थानान्तरित किया गया था। अत: जोधपुर, वृत कार्यालय में ही ऐसी व्यवस्था है।

(2) जी हां। उक्त आदेश वृत स्तर पर पदों में समानता बनाए रखने के लिए किये गये थे लेकिन राज्य सरकार से कमीटमेंट होने के कारण निरस्त किए गये।

जिला बारां की ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

160. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां की बडोरा, खेडलीगंज, दड़ा, हाथी दिलोद, मोठपुर, ढोटी, करनाहेड़ा, कटावर व सहरोद ग्राम पंचायतों में वर्तमान सरपंचों के निर्वाचन से अभी तक क्या-क्या निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाये गये? उक्त कार्यों की कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति कब-कब हुई तथा उस पर वास्तविक व्यय कितना हुआ तथा कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है?

(2) क्या उक्त कार्यों का कनिष्ठ अभियन्ता, विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो कब-कब और निरीक्षण उपरान्त भौतिक स्थिति क्या है?

(3) क्या उक्त कार्यों का माप पुस्तिका में इन्द्राज कर दिया गया है? यदि हां, तो माप पुस्तिका में किस-किस कार्य का कितना-कितना माप दर्शाया गया तथा वास्तव में वर्तमान में मौके पर किस किस माप का कार्य पाया गया?

(4) क्या उक्त कार्यों में से कुछ कार्यों में भौतिक सत्यापन पर गड़बड़ियां पाई गईं? यदि हां, तो किन-किन कार्यों में तथा उक्त गड़बड़ियों के विरुद्ध किस-किस को दोषी पाया और उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

(5) क्या उक्त कार्यों के विरुद्ध ग्राम पंचायतों को दी गई राशि में से शेष राशि

(श्री जगन्नाथ)

जमा करा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में किस-किस सरपंच के पास कितनी-कितनी राशि बकाया है तथा उसको जमा नहीं कराने के क्या कारण हैं?

(6) उक्त ग्राम पंचायतों में किस किस निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया था व किस-किस का क्यों शेष है?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला बारां की बडोरा, खेडलीगंज, दड़ा, हाथी दिल्लोद, मोठपुर, ढोटी, करनाहेड़ा, कटावर व सहरोद् ग्राम पंचायतों में वर्तमान सरपंचों के निर्वाचन से जनवरी, 2003 तक ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्य, स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, वास्तविक व्यय एवं कार्यों की भौतिक स्थिति का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) उक्त निर्माण कार्यों का कनिष्ठ अभियन्ता, विकास अधिकारी, द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण एवं कार्य की भौतिक स्थिति का कार्यवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(3) उक्त कार्यों का माप पुस्तिका में इन्द्राज, माप की राशि तथा वर्तमान में मौके पर माप किये गये कार्य की राशि का कार्यवार विवरण, माप नहीं किये जाने के कारण सहित परिशिष्ट-'स' पर है।

(4) जी हां। उक्त कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान जिन कार्यों में कमियां पाई गई हैं, उन कार्यों का कार्यवार विवरण, दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के विवरण सहित परिशिष्ट 'द' पर है।

(5) उक्त कार्यों के लिए स्वीकृत राशि के विरुद्ध, ग्राम पंचायत को जारी राशि, व्यय राशि, सरपंच की ओर बकाया राशि तथा राशि जमा नहीं करवाने के कारण का विवरण परिशिष्ट 'य' पर है।

(6) उक्त निर्माण कार्यों के जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के कारण सहित परिशिष्ट 'र' पर है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

मण्डल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु उच्च अधिकार समिति का गठन

161. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मण्डल आयोग की सिफारिश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एक उच्च

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

अधिकार समिति गठित करने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में क्या–क्या कार्यवाही कब–कब की गई?

(2) क्या उक्त चुनाव घोषणा पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त स्थानों की सीधी भर्ती से भरे जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु किसी बोर्ड का गठन किया है? यदि हां, तो कब तथा बोर्ड के सदस्य कौन–कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त चुनाव घोषणा पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु निःशुल्क कोचिंग क्लासों की व्यवस्था करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल आयोग की प्रमुख सिफारिशों की क्रियान्विति की जा चुकी है।

(2) जी हां। कार्मिक (क–5) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है तथा उक्त आरक्षण का समस्त सेवा नियमों में प्रावधान किया जा चुका है। आरक्षित पदों को भरे जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत 100 बिन्दु पद आधारित रोस्टर प्रणाली की गयी है। सम्पन्न वर्ग की श्रेणी हेतु पूर्व में निर्धारित आय धन सीमा 1.00 लाख रुपये को संशोधित कर 2.50 लाख रुपये किया गया है तथा उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान नियमों में किया गया है।

उक्त प्रावधानों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार भरे जाते हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु आयोग का दिनांक 21.5.1999 को गठन किया गया तथा 25.11.2002 को पुनर्गठन किया गया है। आयोग के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए संचालित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में करवाई गई है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांकः–एफ11(150)आरएण्डपी/सकवि/2003/3302 जयपुर दिनांकः–29.1.2003

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(150)आरएण्डपी/सकवि/1999-2000/43227 दिनांक 21.5.1999 के क्रम में राज्य सरकार, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में निम्नांकित को तीन वर्ष के लिये एतद् द्वारा सदस्य मनोनीत किया जाता है।

1. श्री रामसिंह यादव, अलवर
2. श्री गणेश लुहार, पाली
3. श्री ललित जड़वाल, अजमेर

आज्ञा से

विशिष्ट शासन सचिव,

सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिशेष कर्मियों का अन्यत्र समायोजन

162. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में कितने मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, मिस्त्री तथा अन्य कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इनका मासिक वेतन कितना है? विगतवार राशि के आंकड़ें सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों के जिम्मे क्या-क्या कार्य करने का दायित्व सौंपा जाता है? विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कुल कितने विकास कार्य विभागीय स्तर पर चल रहे हैं? अजमेर जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षों से विभाग में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है और अधिकारी/कर्मचारियों को बैठे-बैठे वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को अन्य विभागों

(श्री रमजान खान)

में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता, मिस्त्री एवं अन्य कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची एवं मासिक वेतन प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त अधिकारियों के जिम्मे कार्य के दायित्व का विवरण प्रपत्र "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वर्तमान में योजना मद में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 70 विभिन्न प्रकार के विकास कार्य ठेकेदारों के माध्यम से चल रहे है एवं अजमेर जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रवाइज कार्यों का विवरण प्रपत्र "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सर्वदा की भांति गत दो वर्षों में भी विभिन्न निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों, नहरों/बांधों की सुरक्षा एवं इनसे सिंचाई कार्यों, नई योजनाओं के डिजाइन, आकलन प्रस्ताव तैयारी इत्यादि कार्यों एवं प्रशासनिक मामलों का निस्तारण इत्यादि कार्यों का सम्पादन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्पन्न कराया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अकाल राहत कार्यों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आबंटित कार्यों एवं सांसद/विधायक कोष में आबंटित कार्यों इत्यादि को भी दक्षता से सम्पन्न कराया गया है।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अपूर्ण कार्य

163. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक जिला बूंदी को ग्रामीण विकास के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में से कौन कौन सी योजना में कितनी-कितनी राशि कब कब उपलब्ध कराई? विधान सभा क्षेत्रवार आबंटित राशि का वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्तानुसार उपलब्ध राशि में से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कितने कार्य करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब प्रस्तावित कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी को बून्दी जिले के ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार से विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि रुपये 1958.28 लाख रुपये का वर्षवार विवरण प्रपत्र–'अ' के कालम 2 पर अंकित है। प्राप्त राशि का जिले की विधान सभा क्षेत्रवार आंबटन (वर्षवार) प्रपत्र के कालम संख्या 3 से 7 पर अंकित है।

(2) वर्ष 1999 से 2002 तक प्राप्त राशि से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में करवाये गए कार्यों का योजनावार विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न अवलोकनीय है।

(3) स्वीकृत कार्य योजनाओं में उपलब्ध राशि एवं कार्य की प्रकृति अनुसार पूर्ण करवाये जा सकेंगे।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य में आर्थिक आधार पर आरक्षण

164. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम बैठक कब हुई तथा कितने प्रतिवेदन व सिफारिशें सरकार के विचारार्थ लम्बित है? क्या सरकार अन्य पिछड़ा आयोग की लम्बित सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार कतिपय अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आयोग की बैठक अभी दिनांक 25.2.2003 को सम्पन्न हुई है।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को अभी तक 10 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। इन सभी प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है।

(2) जहां तक अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रश्न है, संविधान में अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये ही आरक्षण का प्रावधान है।

काश्तकारों को कृषि जोत पासबुक का वितरण

165. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि जोत पासबुक अधिनियम, 1983 के

(श्री नन्दलाल मीणा)

अनुसार राज्य के प्रत्येक काश्तकार को कृषि जोत पास बुक उपलब्ध करायी जानी है? यदि हां, तो राज्य में कुल कितने खातेदार कृषक हैं और उक्त खातेदारों में से वर्ष 2001-2002 तक कितनों को पास बुक उपलब्ध करवा दी हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कई काश्तकारों को पासबुक उपलब्ध अब तक नहीं करवायी है? यदि हां, तो क्यों और कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी?

(3) वर्तमान में किस-किस जिले में कितने काश्तकार पास बुक से वंचित हैं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कुल 9036107 खातेदार कृषक हैं। और उक्त खातेदारों में से वर्ष 2001-2002 तक 811291 किसानों को पासबुक उपलब्ध करवाई जा चुकी है। जिलेवार कृषकों की संख्या एवं उन्हें उपलब्ध करवाई गई पासबुकों की संख्या सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-''अ'')

(2) जी हां। यह सही है कि राज्य में कई काश्तकारों को अब तक पासबुक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसका कारण सैटलमेंट कार्य चालू होना आदि है। शेष पासबुकें मार्च, 2003 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

(3) वर्तमान में पासबुक से वंचित काश्तकारों की तहसीलवार संख्या की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में काश्तकारों की संख्या, वर्ष 2001-2002 तक उपलब्ध कराई गई पासबुकों की संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	खातेदारों की संख्या	वर्ष 2001-2002 तक उपलब्ध कराई गई पासबुकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	1,87,669	1,54,615
2.	अलवर	4,12,676	3,70,913
3.	बांसवाड़ा	1,80,822	1,68,071
4.	बाड़मेर	3,69,920	3,14,751
5.	बारां	1,87,669	1,82,188
6.	भरतपुर	3,15,203	3,18,837
7.	भीलवाड़ा	4,14,502	4,14,502
8.	बीकानेर	2,06,958	1,90,307
9.	बूंदी	1,70,585	1,57,952
10.	चित्तौड़गढ़	4,00,627	3,91,002
11.	चूरू	2,88,620	2,44,889
12.	दौसा	1,58,390	1,58,390
13.	धौलपुर	1,52,816	1,51,824
14.	डूंगरपुर	1,78,607	1,87,958
15.	गंगानगर	3,07,905	2,83,369
16.	जयपुर	5,63,258	4,63,585
17.	हनुमानगढ़	2,43,347	2,42,445

1	2	3	4
18.	जैसलमेर	1,00,145	97,478
19.	जालौर	3,23,003	2,72,252
20.	झालावाड़	2,52,443	2,49,506
21.	झुंझुनूं	1,94,120	1,68,121
22.	जोधपुर	2,64,097	2,99,058
23.	करौली	1,62,398	1,60,484
24.	कोटा	1,27,361	1,35,690
25.	नागौर	6,26,082	4,47,856
26.	पाली	2,25,538	2,74,713
27.	राजसमन्द	2,23,140	2,46,604
28.	सवाईमाधोपुर	1,82,596	1,84,332
29.	सीकर	3,05,482	3,05,482
30.	सिरोही	1,81,752	1,78,574
31.	टोंक	4,11,415	2,75,795
32.	उदयपुर	4,93,280	4,21,428
	योग	90,36,107	81,12,971

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान के विभिन्न जिलों के पासबुक से वंचित कृषकों की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	बकाया पास-बुकों की संख्या	जिले के पासबुक से वंचित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1. ब्यावर	4,398	
		2. सरवाड़ा	1,863	
		3. भिनाय	12,651	18,722
2.	अलवर	1. अलवर	15,700	
		2. रामगढ़	3,368	
		3. थानागाजी	5,702	
		4. लक्ष्मणगढ़	252	
		5. किशनगढ़वास	1,059	
		6. मुण्डावर	457	
		7. तिजारा	3,904	
		8. कठूमर	6,321	41,763
3.	बांसवाड़ा	1. घाटोल	12,035	
		2. गढ़ी	812	12,847
4.	बाड़मेर	1. बाड़मेर	3,153	
		2. सगरार	1,211	
		3. बाईतू	11,250	
		4. गुढ़ामलानी	15,668	
		5. चौहटन	15,692	

1	2	3	4	5
		6. शिव	85	
		7. पचपदरा	8,110	55,169
5.	बारां	1. मांगरोल	3,652	
		2. अटरू	4,012	
		3. शाहाबाद	6,105	13,669
6.	भरतपुर	1. भरतपुर	1,392	
		2. नदबई	298	
		3. डीग	105	
		4. कामां	29	
		5. पहाड़ी	125	
		6. बैर	345	2,294
7.	भीलवाड़ा	1. भीलवाड़ा	792	
		2. आसीन्द	280	
		3. बनेड़ा	820	
		4. माण्डल	956	
		5. बिजौलिया	867	
		6. हुरड़ा	124	3,839
8.	बीकानेर	1. बीकानेर	4,988	
		2. लूणकरणसर	972	
		3. नोखा	754	
		4. कोलायत	830	
		5. पूगल	2,222	

1	2	3	4	5
		6. खाजूवाला	310	
		7. छत्तरगढ़	1,269	
		8. डूंगरगढ़	5,246	16,591
9.	बूंदी	1. हिण्डौली	8,778	
		2. इन्द्रगढ़	3,855	12,633
10.	चित्तौड़गढ़	1. चित्तौड़	89	
		2. कपासन	1,454	
		3. रावतभाटा	5,030	
		4. अरनोद	2, 436	
		5. डूपला	616	9,625
11.	चूरू	1. चूरू	2,410	
		2. सरदारशहर	7,842	
		3. रतनगढ़	14,993	
		4. सुजानगढ़	13,740	
		5. राजगढ़	574	39560
12.	दौसा	—	शून्य	शून्य
13.	धौलपुर	1. धौलपुर	280	
		2. साऊ	227	
		3. बसेड़ी	455	992
14.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	4,085	
		2. सीमलवाड़ा	2,334	

1	2	3	4	5
		3. सागवाड़ा	4,048	10,462
15.	गंगानगर	1. गंगानगर	5446	
		2. करणपुर	864	
		3. पदमपुर	653	
		4. रायसिंहनगर	1,484	
		5. अनूपगढ़	163	8,610
16.	जयपुर	1. जयपुर	1,627	
		2. सांगानेर	10,271	
		3. बस्सी	16,486	
		4. चाकसू	8,074	
		5. आमेर	13,683	
		6. चौमूं	2,336	
		7. जमवारामगढ़	2,623	
		8. साम्भर	16,274	
		9. मौजमाबाद	6,221	
		10. फागी	8,661	86,256
17.	हनुमानगढ़	1. नोहर	832	
		2. पादरा	70	902
18.	जैसलमेर	1. जैसलमेर	2,279	
		2. फतेहगढ़	629	2,908
19.	जालौर	1. जालौर	7,545	
		2. भीनमाल	6,381	

1	2	3	4	5
		3. बागौड़ा	739	
		4. रानीवाड़ा	15,232	
		5. सांचौर	20,854	31,982
20.	झालावाड़	1. झालरापाटन	637	
		2. पिडावा	428	
		3. पंचपहाड़	223	
		4. गंगधार	346	
		5. अकलेरा	208	
		6. खानपुरा	158	
		7. मनोहरथाना	942	2,937
21.	झुंझुनूं	1. झुंझुनूं	10, 480	
		2. खेतड़ी	6,183	
		3. नवलगढ़	7,546	
		4. बुहाना	10,234	34,443
22.	जोधपुर	1. जोधपुर	2,209	
		2. फलौदी	10,379	12,588
23.	करौली	1. हिण्डौन	476	
		2. नादौती	1,438	1,914
24.	कोटा	—	शून्य	शून्य
25.	नागौर	1. नागौर	6,434	
		2. खींवसर	11,184	

1	2	3	4	5
		3. मंडेता	15,471	
		4. डेगाना	48,627	
		5. डीडवाना	29,798	
		6. लाडनूं	10,087	
		7. परबतसर	33,102	
		8. मकराना	23,067	
		9. नावां	456	17,826
26.	पाली	1. रायपुर	150	
		2. जैतारण	675	825
27.	राजसमंद	—	शून्य	शून्य
28.	सवाईमाधोपुर	1. गंगापुर	401	401
29.	सीकर	1. लक्ष्मणगढ़	246	
		2. सीकर	825	
		3. दांतारामगढ़	3,614	
		4. नीमकाथाना	645	5,330
30.	सिरोही	1. शिवगंज	1,344	
		2. रेवदन	1,299	
		3. आबूरोड	535	3,178
31.	टौंक	—	शून्य	शून्य
32.	उदयपुर	1. बल्लभ नगर	3,685	3,685
		कुल संख्या	4,51,951	

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को कोचिंग हेतु सहायता

166. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पी.एम.टी., पी.ई.टी. कोचिंग के लिए कितनी सहायता दी गई है?

(2) क्या अनुसूचित जाति वित्त निगम ने कोटा के पी.एम.टी., पी.ई.टी. कोचिंग सेंटर हेतु आर्थिक सहायता के लिए आवेदन मांगे थे? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर का अम्बेडकर पूर्व प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पी.एम.टी., पी.ई.टी. कोचिंग हेतु 5023333/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

(2) जी हां। पात्र प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु जिन वर्षों में योजना चालू थी आवेदन मांगे जाते रहे है किन्तु वर्ष 2001-02 से भारत सरकार द्वारा योजना बन्द किये जाने के बाद आवेदन पत्र मांगे जाने की आवश्यकता नहीं रही है।

(3) अम्बेडकर पूर्व प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान पूर्व वर्षों में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा संचालित किया जाता था, किन्तु इसमें रिजल्ट उत्साहजनक न होने के कारण विभाग द्वारा संचालित किया जाने लगा किन्तु कोई प्रगति न होने के कारण गत वर्षों से इस केन्द्र में कोई प्रशिक्षण संचालित नहीं किया जा रहा है।

(4) जी हां। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। 27 जिलों में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे है। तीन जिलों में एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र एवं छह जिलों में अम्बेडकर प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे है (सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है)।

परिशिष्ट "अ"

विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों/अम्बेडकर एवं एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

1. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर
2. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर
3. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर+एकलव्य
4. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा+अम्बेडकर
5. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर
6. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा+एकलव्य
7. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बाड़मेर
8. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर+अम्बेडकर
9. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भीलवाड़ा
10. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बून्दी
11. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, चित्तौड़गढ़
12. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर+एकलव्य
13. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, चूरू
14. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीगंगानगर+अम्बेडकर
15. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, धौलपुर
16. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा
17. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जैसलमेर
18. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जालौर
19. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, झालावाड़
20. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, झुंझुनूं
21. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली
22. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर
23. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सिरोही
24. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, टौंक
25. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजसमन्द (ब्रांसवाड़ा स्थानान्तरित)
26. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बारां
27. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, हनुमानगढ़

<u>अम्बेडकर प्रशिक्षण केन्द्र</u>

1. भरतपुर
2. जयपुर
3. श्रीगंगानगर
4. कोटा
5. नागौर
6. सवाईमाधोपुर

<u>एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र</u>

1. उदयपुर
2. डूंगरपुर
3. बांसवाड़ा

बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर।

बांसवाड़ा के पिपलोन कुण्डिया तथा वसुनी तालाब

167. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बासंवाड़ा के पिपलोन कुण्डिया तथा वसुनी तालाब की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार उक्त दोनों तालाबों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बांसवाड़ा के पिपलोन (कुण्डिया) तथा उदयगढ़ वसुनी तालाब (सिंचाई परियोजना) की प्रशासनिक स्वीकृति शासन उप सचिव एवं प्रावैधिक सहा. वास्ते मुख्य अभियंता, सिंचाई राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ–3 (12)ए.एस./आई./सेल/96/424-25 दिनांक 19.11.2001 द्वारा क्रमशः 744.00 लाख एवं 31.77 लाख की जारी की गई है।

(2) जी हां। पिपलोन सिंचाई परियोजना का कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर वर्ष 2003-04 में प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

उदयगढ़ वसूनी के डूब क्षेत्र में वन विभाग की भूमि होने से प्रकरण वन विभाग को प्रेषित किया गया। अनापत्ति एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ कराना सम्भावित है।

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–439 का विवरण)

क्र. सं.	नाम सम्भाग मय जिला	प्राप्त प्रकरण	निस्तारण	शेष
1	2	3	4	5
1.	जयपुर सम्भाग			
	1. जयपुर	3	—	3
	2. दौसा	1	—	1
	3. भरतपुर	—	—	—
	4. धौलपुर	1	1	—
	5. अलवर	1	1	—
	6. सीकर	—	—	—
	7. झुंझुनूं	—	—	—
2.	कोटा सम्भाग			
	1. कोटा	—	—	—
	2. बारां	—	—	—
	3. झालावाड़	—	—	—
	4. बून्दी	3	3	—
	5. सवाईमाधोपुर	—	—	—
	6. करौली	—	—	—
3.	उदयपुर सम्भाग			
	1. राजसमन्द	—	—	—
	2. बांसवाड़ा	—	—	—
	3. डूंगरपुर	—	—	—

1	2	3	4	5
	4. उदयपुर	—	—	—
	5. चित्तौड़गढ़	1	1	—
4.	**जोधपुर सम्भाग**			
	1. जोधपुर	—	—	—
	2. बाड़मेर	—	—	—
	3. जैसलमेर	—	—	—
	4. जालौर	—	—	—
	5. पाली	—	—	—
	6. सिरोही	1	—	1
5.	**बीकानेर सम्भाग**			
	1. हनुमानगढ़	—	—	—
	2. बीकानेर	—	—	—
	3. श्रीगंगानगर	1	—	1
	4. चूरू	—	—	—
6.	**अजमेर सम्भाग**			
	1. नागौर	—	—	—
	2. टौंक	—	—	—
	3. भीलवाड़ा	—	—	—
	4. अजमेर	—	—	—

परिशिष्ट-3

प्रपत्र-'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-447 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के अन्तर्गत करवाये गये कार्यो का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	गांव का नाम	शुरू होने की दिनांक
1	2	3	4
1.	कामेरी सिंचाई परियोजना	पादीव	22.01.1999
2.	वारल सिंचाई परियोजना	वारल	20.07.2002
3.	नावां तालाब मौहब्बत नगर के खुदाई का कार्य एवं मरम्मत का कार्य	मोहब्बत नगर	16.01.2001
4.	दोरिया तालाब चांदवाल खुदाई कार्य	चांदवाल	15.01.2001
5.	गवाई तालाब बरलूट खुदाई का कार्य	बरलूट	05.01.2001
6.	गवाई तालाब कालन्द्री खुदाई एवं मरम्मत का कार्य	कालन्द्री	15.02.2001
7.	मालाप तालाब वारदा का खुदाई कार्य	वारदा	15.01.2001
8.	गवाई तालाब का खुदाई कार्य	गोल	16.01.2001
9.	उतराई नाडी सिन्दरथ का खुदाई कार्य	सिन्द्रथ	16.01.2001
10.	पाडीकाकादा नाडी, वीरापुरा/मकरोड़ा का खुदाई कार्य	वीरापुरा	16.01.2001
11.	कानेरा तालाब खाम्बल का खुदाई कार्य	खाम्बल	16.01.2001
12.	मोटीडा तालाब कृष्णगंज का खुदाई कार्य	कृष्णगंज	16.01.2001
13.	देवासर तालाब नून का खुदाई कार्य	नून	16.01.2001
14.	खाखिया तालाब डोडुआ का खुदाई कार्य	डोडुआ	16.02.2001
15.	कारेती नाडी विडाली, कृष्णगंज का खुदाई कार्य	वाडेली	07.05.2001
16.	अणगौर तालाब खाम्बल	खाम्बल	16.05.2001
17.	पादमेला तालाब कालन्द्री	कालन्द्री	17.05.2001

1	2	3	4
18.	सार्वजनिक तालाब राजपुरा का कार्य	राजपुरा	11.06.2001
19.	सार्वजनिक निर्माण मनोरा तालाब	मनोरा	16.06.2001
20.	नावां नाडी जावाल का निर्माण कार्य	जावल	11.06.2001
21.	लाखोटिया तालाब	सिरोही	02.03.2002
22.	बाड़ा तालाब	सिरोही	02.03.2002
23.	हाडा नाडा खुदाई कार्य बड़गांव	बड़गांव	16.01.2001
24.	बोबी नाडी चूली	चूली	16.01.2001
25.	सार्वजनिक तालाब खुदाई माडानी	माडानी	15.01.2001
26.	सार्वजनिक तालाब खुदाई जोगापुरा	जोगापुरा	16.01.2001
27.	सार्वजनिक तालाब खुदाई भेव (वागसीन)	भेव	16.01.2001
28.	सार्वजनिक तालाब खुदाई अनदौर	अनदौर	16.01.2001
29.	गवाई नाडी खुदाई वेरा जैतपुरा	जैतपुरा	16.01.2001
30.	सार्वजनिक तालाब खुदाई मनादरा	मनादरा	16.01.2001
31.	तालाब खुदाई कार्य कानाकोलर	कानाकोलर	16.01.2001
32.	देवी का बेरा तालाब देवी का बेरा	देव का बेरा	17.01.2001
33.	चोटीला तालाब खुदाई चोटीला	चोटीला	17.01.2001
34.	तालाब खुदाई रोवड़ा	रोवड़ा	17.01.2001
35.	तालाब खुदाई मोरेली	मोरली	17.01.2001
36.	नाडी खुदाई जायेला	जोयला	17.01.2001
37.	नाडी खुदाई केसरपुरा	केसरपुरा	17.01.2001
38.	वागाना नाडी खुदाई झाड़ोली वीर	झाड़ोली	17.01.2001
39.	माताजी नाडी खुदाई आल्पा	आल्पा	17.01.2001

1	2	3	4
40.	रानपा नाडी खुदाई रोवाड़ा	रोवाड़ा	16.02.2001
41.	बेरारामपुरा तालाब बेरारामपुरा	बेरारामपुरा	16.02.2001
42.	खेड़ली नाडी खुदाई लोटीवाड़ा	लोटीवाडा	21.02.2001
43.	वाण तालाब खुदाई कार्य	वाण	21.02.2001
44.	रूखाड़ा तालाब खुदाई कार्य	रूखाड़	21.02.2001
45.	मोछाल तालाब खुदाई कार्य	मोछाल	21.02.2001
46.	उथमण नाडी खुदाई कार्य उथमण	उथमण	21.02.2001
47.	सिलतन नाडी खुदाई लोटीवाड़ा	लोटीवाड़ा	16.05.2001
48.	गवाई नाडी खुदाई पोसालिया	पोसालिया	16.05.2001
49.	नाथली नाडी खुदाई अरटवाड़ा	अरटवाड़ा	16.05.2001
50.	आल्पा नाडी खुदाई कार्य	आल्पा	18.05.2001
51.	नरादरा तालाब	नरादरा	8.03.2002
52.	कैलाश नगर सिंचाई परियोजना	कैलाश नगर	10.08.2001

परिशिष्ट–4

प्रपत्र–'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–450 का विवरण)

खारी बांध की दांयी मुख्य नहर पर स्वीकृत आउटलेट्स की सूची

क्र.सं.	आउटलेट की स्थिति चैन	साइज (इंचों में)
1	2	3
1.	5	6"
2.	6	6"
3.	25	9"
4.	27	9"
5.	59	9"
6.	61	9"
7.	61	9"
8.	84	6"
9.	84	6"
10.	131	6"
11.	138	5"
12.	140	5"
13.	147	6"
14.	148	5"
15.	153	5"
16.	155	6"
17.	160	6"
18.	163	6"
19.	174	6"

1	2	3
20.	182	6''
21.	191	6''
22.	193	6''
23.	200	6''
24.	205	6''
25.	209	4''
26.	212	5''
27.	219	6''
28.	224	6''
29.	240	6''
30.	245	5''
31.	253	5''
32.	259	6''
33.	261	6''
34.	270	6''
35.	285	6''
36.	294	6''
37.	303	6''
38.	307	6''
39.	308	6''
40.	318	6''
41.	321	6''
42.	321	5''

1	2	3
43.	323	6"
44.	329.50	6"
45.	330	6"
46.	330	6"
47.	337	6"
48.	339	6"
49.	350	6"
50.	359	3"
51.	363	6"
52.	367	5"
53.	375	6"
54.	332	5"
55.	405	6"
56.	412	9"
57.	422	9"
58.	427	6"
59.	444	6"
60.	450	4"
61.	451	6"
62.	458	6"
63.	469	6"
64.	476	6"
65.	485	6"

1	2	3
66.	500	6''
67.	501	4''
68.	510	6''
69.	525	6''
70.	530	6''
71.	541	6''
72.	557	6''
73.	575	6''
74.	585	6''
75.	587	3''
76.	589	4''
77.	597	3''
78.	605	6''
79.	616	2''×9''(दो पाइप 9'' व्यास के)
80.	619	6''×9''(दो पाइप एक 6'' व एक 9'' व्यास के)
81.	650	9''
82.	670	2''×9''(दो पाइप एक 9'' व्यास के)
83.	699	9''
84.	704	4''
85.	704	3''
86.	714	3''
87.	716	3''

1	2	3
88.	727	6''
89.	734	4''
90.	739	6''
91.	753	4''
92.	764	4''
93.	771	9''
94.	786	4''
95.	786	2''×6''(दो पाइप 6'' व्यास के)
96.	791	3''
97.	842	6''
98.	870	9''
99.	892	9''
100.	898	9''
101.	902	9''
102.	902	2''×6''(दो पाइप 6'' व्यास के)
103.	924	9''
104.	940	9''
105.	960	9''

प्रपत्र–'ब'

खारी बांध की बांयी मुख्य नहर पर स्वीकृत आउटलेट्स की सूची

क्र.सं.	आउटलेट की स्थिति	साइज (इंचों में)
1.	6	6''
2.	18	6''
3.	45	9''
4.	53	4''
5.	68	6''
6.	100	9''
7.	130	2''×6''(दो पाइप 6'' व्यास के)
8.	150	2''×6''(दो पाइप 6'' व्यास के)
9.	170	6''
10.	178	2''×6''(दो पाइप 6'' व्यास के)
11.	209	6''
12.	230	9''
13.	233	6''

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट–"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–452 की सूची)

निम्न जिलों में वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (डे-केयर सेंटर) संचालित किये जा रहे है

क्र.सं.	जिले का नाम
1.	अलवर
2.	बांसवाड़ा
3.	बारां
4.	बाड़मेर
5.	भरतपुर
6.	बीकानेर
7.	बून्दी
8.	चित्तौड़गढ़
9.	चूरू
10.	दौसा
11.	धौलपुर
12.	डूंगरपुर
13.	हनुमानगढ़
14.	जयपुर
15.	जालौर

क्र.सं.	जिले का नाम
16.	झालावाड़
17.	झुंझुनूं
18.	जोधपुर
19.	करौली
20.	कोटा
21.	नागौर
22.	राजसमन्द
23.	सवाईमाधोपुर
24.	सीकर
25.	सिरोही
26.	श्रीगंगानगर
27.	टौंक
28.	उदयपुर
29.	भीलवाड़ा

परिशिष्ट–"ब"

निम्न जिलों में महिलाओं हेतु वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (डे-केयर सेंटर) संचालित है

क्र.सं.	जिले का नाम	संख्या
1.	बीकानेर	1
2.	धौलपुर	1
3.	जयपुर	1
4.	जोधपुर	1
5.	उदयपुर	1

परिशिष्ट–''अ''

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–453 का विवरण)

ग्राम पंचायत माधोराजपुरा द्वारा अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2003 तक विभिन्न योजनाओं में कराये गये विकास कार्य–विवरण

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	कार्यकारी संस्था का नाम	स्वीकृत क्रमांक/ दिनांक	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2000–01	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना	5 दुकान निर्माण, माधोराजपुरा (द्वितीय)	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	459–471/ 12.7.00	89235	97350
2.	2000–01	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना	5 दुकान निर्माण, माधोराजपुरा (प्रथम)	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	43–67/ 26.4.00	89235	91588
3.	2000–01	जवाहर रोजगार योजना	कांटोली दरवाजा, खुर्रा व बाली निर्माण	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	32/30.8.00	17000	16853
4.	2000–01	जवाहर रोजगार योजना	नाली निर्माण लादू खटीक, आमेली खटीक रामु खटीक से डालू खटीक के मकान तक, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	32/30.8.00	35000	28820

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	2000–01	जवाहर रोजगार योजना	नाली निर्माण जाटों के मन्दिर से जयराज जाट के मकान मुख्य रास्ते तक माधोराजपुरा	ग्राम पंचायतय, माधोराजपुरा	32/30.8.00	10000	9310
6.	2000–01	जवाहर रोजगार योजना	सूरजमल जैन से काना नठारवाल तक नाली निर्माण, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	32/30.8.00	20000	6240
7.	2000–01	पारम्परिक सामुदायिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम	सार्व. कूप गहरीकरण कार्य खेड़ा हनुमानजी मन्दिर, सड़क के पास, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	409/20.2.01	25000	6240
8.	2000–01	पारम्परिक सामुदायिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम	सार्व. कूप गहरीकरण कार्य बारह भाईयों की सड़क के पास, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	409/20.2.01	25000	10800
9.	2000–01	पारम्परिक सामुदायिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम	सार्व. कूप गहरीकरण कार्य सी.सै.स्कूल के पास, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	477/24.3.01	25000	18340
10.	2000–01	पारम्परिक सामुदायिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम	सार्व. कूप गहरीकरण कार्य जैन मन्दिर तैरह पंथियान, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	477/24.3.01	25000	—
11.	2000–01	पारम्परिक सामुदायिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम	सार्व. बाकलीवाल की बेरी, माधोराजपुरा कूप गहरीकरण कार्य	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	447/24.3.01	25000	14540

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	2000–01	पारम्परिक सामुदायिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम	–''– अनु. जाति खटीक मौहल्ला,	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	447/24.3.01	25000	13820
13.	2001–02	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	नाली निर्माण, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	17/20.6.01	50000	50000
14.	2001–02	10वां वित्त आयोग	सीमेंट सड़क निर्माण मैन बाजार माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	16/8.3.01	200000	199881
15.	2001–02	राज्य वित्त आयोग	नाली निर्माण जैन धर्मशाला से ओमजी सरार्फ की दुकान तक	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	20/29.3.01	39000	39001
16.	2001–02	राज्य वित्त आयोग	पंचायत भवन मरम्मत	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	20/29.3.2001	5000	5122
17.	2001–02	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	रा.प्राय.शाला माधोराजपुरा में 1 कमरा व बरामदा निर्माण, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत माधोराजपुरा	786–94/26.8.02	100000	59618
18.	2001–02	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	रा.प्राय. शाला बालक में 2 कमरे व बरामदा निर्माण, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	10015–29/ 30.3.02	200000	198001
19.	2001–02	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	ग्रेवल सड़क श्योली काला के मकान से कांटोली दरवाजे तक, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	1233–33/ 4.10.01	50000	50000

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	2001–03	राज्य वित्त आयोग	सीमेंट सड़क निर्माण कांटोली गेट से मुख्य बाजार की सड़क	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	912/20.9.02	81700	31680
21.	2001–02	11वां वित्त आयोग	नाली निर्माण वार्ड संख्या 2	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	11–13/24.9.01	40000	39775
22.	2001–02	11वां वित्त आयोग	नाली निर्माण वार्ड संख्या 3 व 4	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	11–13/24.9.02	27000	15950
23.	2001–02	सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना 30 प्रतिशत	ग्रेवल सड़क निर्माण चाकसू रोड से खटीकों के मौहल्ले तक, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	6–8/20.8.02	40000	38010
24.	2001–03	सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना 30 प्रतिशत	ग्रेवल सड़क निर्माण चाकसू रोड वाले वड हरिजन बस्ती, माधोराजपुरा	ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा	23–25/2.12.01	64000	63812

परिशिष्ट–"ब"

क्र. सं.	कार्य का नाम	कांर्यकारी संस्था का नाम	कार्य की स्थिति	भुगतान राशि	भुगतान दिनांक	अपूर्ण का कारण	यू.सी. राशि	यू.सी./सी. सी. जारी करने की	कार्यों का निरीक्षण मूल्यांकनकर्ता का नाम दिनांक व पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	5 दुकान निर्माण, माधोराजपुरा (द्वितीय)	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	97350	12.1.2001	पूर्ण	97350	3.1.00	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, व पद
2.	5 दुकान निर्माण, माधोराजपुरा (प्रथम)	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	91588	16.3.2001	पूर्ण	99088	20.1.01	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा व पद
3.	कांटोली दरवाजा, खुर्रा व नाली निर्माण	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	16853	11.11.2000	पूर्ण	16853	5.10.00	श्री श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/सीताराम शर्मा सचिव
4.	नाली निर्माण लादू खटीक, आमेनी खटीक, रामुखंटीक से डालू खटीक के मकान तक, माधोराजपुरा	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	28820	8.2.2001	पूर्ण	28820	7.10.00	श्री श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
5.	नाली निर्माण जाटों के मन्दिर से जयराज जाट के मकान मुख्य रास्ते तक माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	9310	12.11.2001	पूर्ण	9310	9.10.00	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	सूरजमल जैन से काना नठारवाल तक नाली निर्माण, माधोराजपुरा	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	6240	28.11.2000	पूर्ण	6240	5.10.00	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता
7.	सार्व. कूप गहरीकरण कार्य खेड़ा हनुमानजी सड़क के पास, माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	13860	30.6.01	पूर्ण	24807	5.7.01	श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
8.	सार्व. कूप गहरीकरण कार्य बारह भाईयों की बेरी, माधोराजपुरा	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	अपूर्ण	10800	7.9.01	यू.सी. के अभाव में	—		श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
9.	सार्व. कूप गहरीकरण कार्य सी. सै. स्कूल के पास, माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	अपूर्ण	18340	30.6.01	यू.सी. के अभाव में	—		श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
10.	–''– जैन मन्दिर तैराह पंथियान, माधोराजपुरा	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	फिजीबल नहीं इस लिए कार्य नहीं कराया गया						
11.	–''– बाकलीवाल की बेरी, माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	अपूर्ण	14540	30.6.01	यू.सी. के अभाव में	—		श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
12.	–''– अनु. जाति खटीक मौहल्ला, माधोराजपुरा		अपूर्ण	13820	30.6.01	यू.सी. के अभाव में	—		श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
13.	नाली निर्माण, माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	50000	28.3.2002	पूर्ण	50000	29.3.02	श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	सीमेंट सड़क निर्माण मैन बाजार, माधोराजपुरा	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	199888	27.12.2001	पूर्ण	202778	28.11.01	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता
15.	नाली निर्माण जैन धर्मशाला से ओमजी सरार्फ की दुकान तक	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	39001	27.12.01	पूर्ण	39071	19.4.01	श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
16.	पंचायत भवन मरम्मत	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	5123	10.7.2001	पूर्ण	4997	20.5.01	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता
17.	राज. प्राथ. शाला माधोराजपुरा में 1 कमरा व बरामदा निर्माण, माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	प्रगति पर	59613	7.12.02	कार्य प्रगति पर है	–		श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता
18.	राज. प्राथ.शाला बालक में 2 कमरे व बरामदा निर्माण, माधोराजपुरा	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	प्रगति पर	108001	31.12.02	कार्य प्रगति पर है	–		श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता
19.	ग्रेवल सड़क श्योजी काला के मकान से कंटोली दरवाजे तक, माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	60000	26.4.2002	पूर्ण	37500	2.1.02	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	सीमेंट सड़क निर्माण, कांटोली गेट से मुख्य बाजार की तरफ	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	69680	22.1.2003	पूर्ण	81876	5.2.03	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता
21.	नाली निर्माण वार्ड सं. 2	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	39875	3.1.02	पूर्ण	40800	5.11.02	श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
22.	नाली निर्माण वार्ड सं. 3 व 4	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	कार्य प्रगति पर	10950	31.1.03	कार्य प्रगति पर	–		श्री राजेन्द्र खींची, सरपंच/श्री सीताराम शर्मा, सचिव
23.	ग्रेवल सड़क निर्माण चाकसू रोड से, खटीकों के मौहल्ले तक, माधोराजपुरा	ग्रा.पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	38010	12.10.2002	पूर्ण	38426	28.9.02	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता
24.	ग्रेवल सड़क निर्माण चाकसू रोड वाले वड से हरिजन बस्ती, माधोराजपुरा	ग्रा. पं. माधोराजपुरा	पूर्ण	63812	14.1.2003	पूर्ण	66059	31.12.02	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता

Sd/-

अतिरिक्त कलक्टर (विभाग)

परिशिष्ट-'1'

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-461 की सूची)

राज्य में स्थित संस्कृत विद्यालयों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्रवेशिका स्तर
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	105	42	13
2.	दौसा	16	13	01
3.	अलवर	29	09	04
4.	धौलपुर	11	03	02
5.	भरतपुर	17	08	03
6.	अजमेर	12	07	—
7.	टौंक	14	05	01
8.	भीलवाड़ा	25	08	03
9.	नागौर	30	07	03
10.	कोटा	13	04	01
11.	बारां	08	07	—
12.	बून्दी	14	04	02
13.	झालावाड़	12	03	01
14.	करौली	11	05	02
15.	सवाईमाधोपुर	16	05	02
16.	जोधपुर	17	07	02
17.	जैसलमेर	06	03	01
18.	जालौर	09	09	03
19.	बाड़मेर	34	12	02

1	2	3	4	5
20.	सिरोही	09	08	—
21.	पाली	16	11	—
22.	बीकानेर	16	05	01
23.	श्रीगंगानगर	07	06	01
24.	हनुमानगढ़	16	06	01
25.	चूरू	23	18	03
26.	झुंझुनूं	32	12	07
27.	सीकर	27	19	06
28.	उदयपुर	20	06	02
29.	बांसवाड़ा	14	05	02
30.	डूंगरपुर	13	03	02
31.	चित्तौड़गढ़	18	09	03
32.	राजसमन्द	13	02	—
	योग	619	273	74

परिशिष्ट–'2'

पाली जिले में स्थित संस्कृत विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्रवेशिका स्तर
1.	बाली	1. फालना 2. बीसलपुर	1. सेवाड़ी	—
2.	सुमेरपुर	3. सुमेरपुर	2. चाणोद	
3.	मारवाड़ जंक्शन	4. बासनी जोजावर	3. गुढ़ पदम सिंह 4. ठाकुरवास 5. देरादलया मुतालिया 6. सहवाज	
4.	देसूरी	5. माण्डका 6. शैलीमाता का मन्दिर 7. सेवतों का बेड़ा	7. घाणेराव	
5.	रानी	8. रेलवे स्टेशन, भगवानपुरा		
6.	जैतारण	9. खेड़ा 10. मोटावतों की ढाणी (खेड़ा रामगढ़ रोड, निमाज)	8. पुरोहितों की ढाणी, निमाज	
7.	रायपुर	11. सैंदड़ा		
8.	सोजत	12. अनन्त वासनी	9. सई की ढाणी, वगड़ीनगर 10. गुढ़ाबच्छराज 11. दयालपुरा	
9.	पाली	13. सुभाषनगर, सोडावास		
10.	रोहट	14. रोहट (दलपगढ़)		
11.	शहरी क्षेत्र	15. सादड़ी 16. फूलनारायण आश्रम, (सोजत सिटी)		

परिशिष्ट–'3'

पाली जिले के संस्कृत विद्यालयों में पदों की स्थिति

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	व. अ. II ग्रेड स्वीकृत पद	व. अ. II ग्रेड कार्यरत पद	व. अ. II ग्रेड रिक्त पद	तृतीय श्रेणी शिक्षक स्वीकृत पद	तृतीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत पद	तृतीय श्रेणी शिक्षक रिक्त पद	गैस्ट फैकल्टी से पूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा.उ.प्रा.सं. वि. दयालपुरा	1	—	1	5	4	1	1
2.	रा.उ.प्रा.सं. वि. गुढ़ापदम सिंह	1	1	—	5	3	2	आशार्थी उपलब्ध नहीं
3.	रा.उ.प्रा.सं. वि. ठाकुरवास	1	1	—	6	3	3	3
4.	रा.उ.प्रा.सं. वि. राई की ढाणी बगड़ीनगर	1	1	—	3	2	1	1
5.	रा.उ.प्रा.सं. वि. गुढ़ाबच्छराज	1	1	—	3	1	2	1
6.	रा.उ.प्रा.सं. वि. चाणोद	1	1	—	3	2	1	—
7.	रा.उ.प्रा.सं. वि. वेराडालिया मुसालिया	—	—	—	2	2	—	—
8.	रा.उ.प्रा.सं. वि. सेवाड़ी	—	—	—	2	2	—	—
9.	रा.उ.प्रा.सं. वि. सेहवाज	—	—	—	3	3	—	—
10.	रा.उ.प्रा.सं. वि. पुरोहितों की ढाणी, निमाज	—	—	—	3	1	2	1
11.	रा.उ.प्रा.सं. वि. घाणेराव	—	—	—	4	3	1	1
12.	रा.उ.प्रा.सं. वि. फूलनारायण आश्रम, सोजत सिटी	—	—	—	2	1	1	1
13.	रा.उ.प्रा.सं. वि. खेड़ा, जैतारण	—	—	—	2	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	रा.उ.प्रा.सं. वि. सुभाषनगर, सोड़ावास	—	—	—	1	1	—	—
15.	रा.उ.प्रा.सं. वि. वासनी जोजावर	—	—	—	2	2	—	—
16.	रा.उ.प्रा.सं. वि. सेवटों का बेरा	—	—	—	2	1	1	1
17.	रा.उ.प्रा.सं. वि. मोटावतों की ढाणी	—	—	—	1	1	—	—
18.	रा.उ.प्रा.सं. वि. सैन्दड़ा	—	—	—	2	2	—	—
19.	रा.उ.प्रा.सं. वि. फालना	—	—	—	2	1	1	—
20.	रा.उ.प्रा.सं. वि. सुमेरपुर	—	—	—	2	1	1	—
21.	रा.उ.प्रा.सं. वि. सादड़ी	—	—	—	2	2	—	—
22.	रा.उ.प्रा.सं. वि. रेलवे स्टेशन, भगवानपुरा	—	—	—	2	2	—	—
23.	रा.उ.प्रा.सं. वि. बीसलपुर	—	—	—	2	2	—	—
24.	रा.उ.प्रा.सं. वि. माण्डाका, देसूरी	—	—	—	2	1	1	1
25.	रा.उ.प्रा.सं. वि. रोहट (दलपतगढ़)	—	—	—	2	1	1	—
26.	रा.उ.प्रा.सं. वि. अनन्त बासनी	—	—	—	1	1	—	—
27.	रा.उ.प्रा.सं. वि. शैली माता का मन्दिर	—	—	—	2	1	1	1

नोट :- कुछ स्थानों पर आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण गैस्ट फैकल्टी से पूर्ति नहीं की गई।

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-"1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-463 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के अन्तर्गत सुमेरपुर मण्डी में कराये गये सड़क कार्यों का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	लम्बाई (कि.मी.)	अब तक किया खर्चा (लाख रु.)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2001-02	स.स. केशरपुरा से बेड़ा	87.24	9.00	67.07	9.00	कार्य पूर्ण, 3 कि.मी. पूर्व में. सा.नि.वि. निर्मित एवं 6 कि.मी. बोर्ड द्वारा निर्मित
2.	2001-02	स.स. उथमण से चूली	46.00	2.800	35.35	2.800	कार्य पूर्ण
3.	2001-02	चूली से राडबर	28.00	1.700	15.09	1.700	कार्य पूर्ण
4.	2001-02	नरादरा से सवली	14.10	2.00	12.73	2.00	कार्य पूर्ण
5.	2001-02	पालड़ी से बारेवाड़ा	27.30	3.25	17.68	3.25	कार्य पूर्ण
6.	2002-03	फुगनी से फुगनी हनुमानजी का मन्दिर	12.15	1.50	6.49	–	कार्य प्रगति पर है, जो वर्ष 2002-03 में पूर्ण होने की सम्भावना है

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	2002–03	सी.डी. कैलाश नगर से तलेटा	19.25	–	6.00	–	कार्य प्रगति पर है, जो वर्ष 2002–03 में पूर्ण होने की सम्भावना है
8.	2002–03	स.स. मनादर से रोवाड़ा	173.63	13.50	1.21	–	कार्य प्रगति पर है, जो वर्ष 2002–03 में पूर्ण होने की सम्भावना है
		योग	**398.67**	**33.75**	**161.62**	**15.75**	

परिशिष्ट–9

परिशिष्ट–"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–465 की प्रति)

Government of Rajasthan

Enterprises Department

BUREAU OF PUBLIC ENTERPRISES

No. F.11(17,OSE/Surplus/79/3022) **Jaipur, 2nd July, 1991**

The Chief Executive of
All State Public Enterprises.

Sub. : Guidelines for absorption of surplus employees of state Public Enterprises.

Sir,

I am directed to refer BPE's order No. 3699 dt. 7th Sept.,90 providing for Decision for absorption of surplus empoyee of one State public enterprises. In other such enterprises. Some of the enterprises have sought clarification on various issues. After consideration. I am directed to communicate the following for your information and compliance :-

1. Appointment by way of absorption of surplus employess shall be deemed a direct recruitment, through procedure prescribed for direct recruitment is not required to be followed in such cases. In case the rules of enterprises concerned require vacancies, the same may be carried out.

2. The NAC issued by the BPE would be valid for-period of 6 months from the Date of issue.

3. In cases there BPE allots some surplus employess for absorption against a part of total vacancies and issue NAC for filling up rest of the vacancies by direct recuirment, enterprises would not fill up such vacancies by direct recruitment until surplus employess are absorbed to the extent indicated.

4. Surplus employess would junior most regardless of their substantive capacity in the relieving organisation, in the cadre of the absorbin or anisation.

5. Surplus employess on absorption shall be Government by rules of the absorbin enterprises.

6. Surplus employees shall not be entitled to notice post on absorption.

7. It will not be necessary to place surplus employees on probation on his absorption. However, he would be confirmed on the basis of seniority assigned to him on absorption.

8. On absorption the basic pay of the surplus employees would be protected without protection of total emoluaments. The sate of increment would remain unchanged. In case any surplus employee (s) had given option for the revised pay scale from a date which falls after the date of absorption, such option would automatically cease on absorption and his pay would be fixed in the revised pay scale of the absorbing organisation.

9. In case where the surplus employees are not drawing pay in pay scales related to Index. Points 608. their pay would be notionally arrived at in the pay scale related to index point sation with reference to such notional pay.

10. The balance of earne leave (privilege leave) at the credit of surplus employees of the date of absorption would be transferred to the absorbin enterprises. The reliving enterprises would pay to the absoroing enterprises the cash equivalent of the leave transferred.

In case the surplus employess were covered enter GPF scheme on absorption

In an enterprises having CPF scheme the balance in the GPF-account of the surplus employess shall be transferred to the absorbin enterprises. On absortion the surplus employees would be government by CPF Scheme rules on the absorbing enterprises.

(b) In an enterprises having pension scheme, the Balance of GPF Account of surplus employees will be transferring to aberbing enterprises for credit to the CPF Account of the employess and the subscription and organisation contribution resectively. The eligible period of sevice rondered in raliving enterprises would be considered as qualifying sevice under pansion scheme of absorbing enterprises.

12. In case the surplus employess were covered by consion scheme, on absorpation :-

(a) In an enterprises having persion scheme the reliaving antorprise would transferred the balance of GPF Account of the employee is and shire in the Pansion Fund of the releving organistion to the absorbing organisation for credit to CPF Account and Pansion Fund raspactivaly.

(b) In an enterprises having CPF Scheme the balance of CPF Account and share in Pansion Fund would be transferred to the absorbing enterprises

for credit to the CPF Account. On absorbing the surplus employess would be goverby of scheme and rules of the absobing enterprises.

13. The amount of gritated works :- out on the basis of period of service renserval by surplus employess would transferred by the releving enterprises to the absorbing enterprises.

14. If there are outstanding balance of sinces (loans) granted by the relieving organisation against the surplus employess absorbing in other organistion the relieving to be from the silary of such an employess to the effect such recovering are remit the some to the reliaving organistion.

15. If any other point not covered by the ablove guidelings, arises in the process of absorption, the same would be referred to the Burenu of public Enterprises for taking a viaw. The decision conveyed by the Bureue of public Enterprises shall be final and binaing on all concared.

Yours faithfully,

Sd/-

(Hari Mohan Mathur)

Secretary to Govt.

परिशिष्ट-10

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी

कोटा जिले के ग्राम कुन्हाड़ी की कृष्णा विहार व लक्ष्मण विहार कालोनी का नियमितीकरण

[श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)]

महोदय,

उपरोक्त विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करना है कि मेरे कोटा जिले में एक ग्राम कुन्हाड़ी में खसरा नम्बर 375 और 375/450 की जमीन अन्य खसरा नम्बरान के साथ राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी आवासीय योजना हेतु आवाप्त करने के लिए नोटेफिकेशन जारी किया था। इस योजना में 491 बीघा 2 बिस्वा जमीन राजस्थान आवासन मण्डल लेना चाहता था। परन्तु उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान में चूंकि क्रमशः कृष्णा विहार और लक्ष्मण विहार आवासीय योजना बनी हुई थी। अतः राजस्थान आवासन मण्डल ने उपरोक्त दोनों खसरान में से 64 व 55 बीघा कुल 115 बीघा जमीन अवाप्ति से मुक्त कर दी और अध्यक्ष राजस्थान आवासन बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 5.9.2000 द्वारा अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, कोटा को इसे अवाप्ति से मुक्त करने की सूचना भिजवा दी और साथ ही पट्टे जारी करने की कार्यवाही पर अपनी कोई आपत्ति नहीं बताई।

इसके बाद कृष्णा विहार विकास समिति द्वारा नगर विकास न्यास में उपरोक्त दोनों योजनाओं के नियमितीकरण हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिये और नगर विकास न्यास ने नियमितीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

उसके पश्चात् उपरोक्त दोनों खसरान की 119 बीघा जमीन की 90 बी की कार्यवाही कर जमीन रेवेन्यू रिकार्ड में दिनांक 18.6.2001 व 8.3.2001 को नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दर्ज कर दी।

इस विधान सभा द्वारा राजस्थान में समस्त शहरों में कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों के नियमितीकरण के लिए पास कानून के अनुसार 90 बी की कार्यवाही किये जाने के पश्चात् समस्त भू-खण्डधारियों को उनके द्वारा निर्धारित रुपान्तरण शुल्क जमा कराने पर पट्टे दिये जाने की व्यवस्था है। और इसी की अनुपालना में उक्त

दोनों योजनाओं के 80 प्रतिशत भू-खण्डधारियों ने लगभग 50 लाख रुपये से अधिक की राशि नगर सुधार न्यास, कोटा में जमा भी करवा दी। परन्तु आज दिन तक भी एक भी भू-खण्डधारी को पट्टा नहीं दिया गया है।

महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि एक ऐसी जमीन जिसे अवाप्त करने के पश्चात् किसी एक भी काश्तकार को एक पैसा का भी मुआवजा नहीं दिया गया न कभी मौके पर कब्जा दिया गया और न ही अवाप्ति के पश्चात् उस पर मकान बनाने वाली संस्था राजस्थान आवासन मण्डल उस जमीन को लेने की इच्छुक है बल्कि राजस्थान आवासन मण्डल ने लगातार कोटा सुधार न्यास और शासन सचिव यू.डी.एच. को व सरकार को अपने अनेक पत्रों के माध्यम से यह लिखा कि इस जमीन के पट्टे भू-खण्डधारियों को दिये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और जमीन 90-बी के तहत नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज भी कर दी गयी तो फिर अब पता नहीं किन लोगों के दबाव और स्वार्थवश वहां के गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को अभी तक पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।

महोदय, जब राजस्थान विधान सभा नियमितीकरण हेतु विभिन्न कानूनों में किये जाने वाले संशोधनों वाला कानून पास करने जा रही थी तब यहां अनेक माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठायी थी कि राज्य सरकार 90-बी के तहत जब जमीन उसके खातों में जमा हो जाएगी और जब सम्बन्धित काश्तकार जमीन खरीदने वाली सोसायटी और भू-खण्डधारियों का कोई विधिक अधिकार उस रिकार्ड के कारण नहीं रह जाएगा तब तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री माननीय शांति कुमार धारीवाल द्वारा एक बार नहीं अनेक बार सदन को यह आश्वस्त किया गया कि ऐसा नहीं होगा और 90-बी के तहत राज्य सरकार या स्वायत्त शासी निकायों के नाम दर्ज होने वाली जमीन पुनः उन्हीं भू-खण्डधारियों को निर्धारित शुल्क लेकर आबंटित कर लीज डीड जारी कर दी जाएगी।

परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार दो सालों से मैं मंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जिलाधीश कार्यालय, कोटा, नगर सुधार न्यास कार्यालय, कोटा में पचासों चक्कर लगाने पर प्रतिवेदन देने के बाद भी हजारों भू-खण्डधारियों के रुपान्तरण के पैसे जमा होने के पश्चात् भी विधान सभा में व्यक्त की गयी मूल भावना के विपरीत उन्हें पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।

अतः आज मैं इन माननीय सदस्य के सामने इस विशेष उल्लेख को रखकर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया इन दोनों स्कीमों के भू-खण्डधारियों को शीघ्रातिशीघ्र पट्टे जारी करने की कृपा करें।

अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों की पदोन्नति हेतु जोन आफ कंसीडरेशन व्यवस्था

[श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)]

महोदय,

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार तथा अन्य पड़ोसी राज्यों की भांति जोन आफ कंसीडरेशन समाप्त करने की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति देने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जोन आफ कंसीडरेशन केवल उन्हीं पदों पर लागू होगा जिन पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती हैं केन्द्र सरकार एवं अनेक राज्यों में जोन आफ कंसीडरेशन उन पदों पर लागू नहीं होता हैं जोकि वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2001 को हुई बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधायकों एवं इन वर्गो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वार्ता के बाद मुख्य मंत्री ने राज्य के कार्मिक विभाग को यह निर्देश दिया था कि इस प्रकरण का परीक्षण करके पत्रावली उनके समक्ष प्रस्तुत की जाये।

इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सहमति व्यक्त की थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने पत्रावली पर सहमति व्यक्त करने के स्थान पर यह अंकित किया कि अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मिकों के लिए जोन आफ कंसीडरेशन समाप्त कर दिया गया तो सामान्य वर्ग के कर्मिकों में रोष व्याप्त हो जायेगा। इस लिए जोन आफ कंसीडरेशन को एक साथ न हटाकर धीरे धीरे हटाया जाये।

इसके पश्चात् पत्रावली राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गयी। आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा कि राज्य सरकार जोन आफ कंसीडरेशन केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्यों की भांति हटाने के स्थान पर जोन आफ कंसीडरेशन का अनुपात किस नियम के तहत बढ़ाना चाहते है और आयोग द्वारा पत्रावली पुन: कार्मिक विभाग को भेज दी गयी।

राज्य सरकार नियमों के विपरीत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मिकों पर जोन आफ कंसीडरेशन की व्यवस्था को लागू रखना चाहती है जोकि संवैधानिक आरक्षण नियमों के खिलाफ है।

मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से जोन आफ कंसीडरेशन की व्यवस्था को समाप्त करने की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अतः इस प्रकरण पर चर्चा कराये जाने के लिए समय निर्धारित करने की कृपा करें।

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताएं

[डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)]

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोटा ब्यूरो समाचार पत्र में दिनांक 18.4.2002 को छपी खबर के अनुसार बायीं नहर तीन करोड़ के टेण्डर में भारी अनियमितता के आधार पर सी.ए.डी. के चीफ अकाउंटस आफिसर से इस वित्तीय अनियमितता की जांच आरम्भ करवाई गई।

इसी दौरान चीफ असिसटेंट आफिसर पर उच्च अधिकारियों का दबाव बढ़ना शुरू हुआ तब 17 मई को इसी समाचार पत्र में पुनः घटनाक्रम को उजागर किया गया। इसी दौरान सी.ए.ओ. द्वारा की गई जांच में एक्स इंजीनियर ने सहयोग नहीं किया, फिर भी सी.एस.ओ. ने दिनांक 23.5.2002 को जांच पूर्ण करके रिपोर्ट ए.ए.डी.सी. (एडिशनल कमीशनर चीफ असिसटेंट आफिसर) को भिजवाई उसके अनुसार :-

(ए) निश्चित दिनांक एक समय के पश्चात् एक्स इंजीनियर द्वारा निविदाएं विक्रय किया जाना एवं समय निकलने के पश्चात् दूसरे दिन प्रातः 2–3 बजे तक निविदाएं स्वीकार किया जाना पाया जाता है, जो पूर्णरूपेण नियमों के प्रतिकूल है।

(बी) विभाग की मिलीभगत के कारण ठेकेदारों से सांठगांठ करके ठेकेदारों का पूल बनाया जाना प्रमाणित है।

(सी) ठेकेदारों द्वारा पूल बनाने के कारण करीब बी.एस.आर. के आधार पर 33 प्रतिशत खर्चा विभाग को अधिक वहन करना पड़ा है (पूर्व में माह मार्च, 2002 में कार्य बी.एस.आर. से 15 प्रतिशत कम पर स्वीकार किए गए। एक अप्रैल, 2002 में कार्य बी.एस.आर. में 18 प्रतिशत अधिक पर स्वीकार किए गए है अर्थात 15+18=33 प्रतिशत)

(डी) ठेकेदारों से सांठगांठ हो जाने के कारण विभाग द्वारा स्वीकृत राशि से कहीं अधिक राशि (करीब 2.3 करोड़ रुपये) के कार्य स्वीकार किए जाकर, कार्यादेश दिए गए प्रमाणित हुए हैं।

(ई) गेट रिपेयर करने का कार्य अपंजीकृत ठेकेदार को देने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी शिकायत के कारण कार्यादेश नहीं दिया जा सका था। मिलीभगत प्रमाणित होती है।

(एफ) वरिष्ठ अधिकारी अर्थात क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा चीफ असिसटेंट आफिसर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिनांक 27.5.2002 को भिजवाया गया था।

पूरे प्रकरण की जांच राज्य सरकार के स्तर पर करने के पश्चात् सैक्रेटरी सी.ए.डी. श्री अनिल वैश्य ने इस प्रकरण को ए.सी.डी. में भिजवाने की टिप्पणी अंकित करते हुए पत्रावली राज्य मंत्री सी.ए.डी. को भिजवाई गई थी।

मंत्रीजी ने कतिपय कारणों से इस प्रकरण पर पर्दा डालने एवं करीब 1.5 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता को दबाने की नीयत से प्रकरण ए.सी.डी. को नहीं सौंप कर चीफ इंजीनियर नार्थ से जांच करवाने का आदेश दिया गया।

उक्त चीफ इंजीनियर ने विभागीय भाई चारा तथा अन्य कारणों से प्रेरित होकर पूरी जांच का रुख ही बदल दिया। उसने न तो चीफ अकाउंट्स आफिसर की राय को माना, न ही उसकी वित्तीय अनियमितताओं को स्वीकार किया, उनसे जवाब बनाने के बारे में जांच नहीं की गई और ना ही एडिशनल कमीशनर सी.ए.डी. से इसकी जांच की तथा लीपापोती करके सहायक लेखाधिकारी को दोषी बतलाया जाना हास्यास्पद

है। सहायक लेखाधिकारी को न तो कोई टिप्पणी है और ना ही कोई निर्णय मात्र यह दर्शा करके कि वित्तीय अनियमितता को रोकने की जिम्मेदारी ए.ए.ओ. की थी उसे दोषी ठहराया जा रहा है।

अतः प्रकरण की निष्पक्ष जांच ए.सी.डी. के द्वारा करवाये जाने की मांग जनहित में की जा सकती है ताकि भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाया जा सके एवं दोषियों को दण्ड दिलाना सम्भव हो सके।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित 33/11 के. वी. जी. एस. एस. की स्वीकृति

[श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)]

महोदय,

पिछले कापी लम्बे अरसे से सिवाना विधान सभा क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्या की ओर आप श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में पूर्व प्रस्तावित एवं नितांत आवश्यक 33/11 के.वी. विद्युत ग्रिड सब-स्टेशन क्रमशः गोलिया, भागवा, धीरा, कुण्डल, मिढोडा एवं भाआ विभाग द्वारा तकनीकी जांच करवायी गई है एवं इन्हें सही बताया गया है।

अतः इसकी वांछित स्वीकृतियां तत्काल जारी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये जिससे आम काश्तकार को सही समय पर इसका लाभ मिल सके।

बाली एवं फालना में अकाल राहत के तहत कच्चे कार्यों को प्राथमिकता

[श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)]

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र बाली की नगरपालिका बाली एवं फालना में गत चार वर्ष के अकाल के कारण हजारों बी.पी.एल. परिवार भुखमरी के कगार तक पहुंच गये हैं। राज्य सरकार ने उपरोक्त नगरपालिका क्षेत्रों में अकाल राहत के नाम पर स्थायी

प्रकृति के कार्य ही करवाने के आदेश दिये हैं। इन कार्यों में लेबर कम और मैटीरियल ज्यादा लगता है। राज्य सरकार लेबर का पैसा देती है और नगरपालिकाएं मैटीरियल का। नगरपालिका बाली एवं फालना की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह मैटीरियल का पैसा दे सके। इस कारण इन नगरपालिका क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य नहीं खुले हैं। स्थायी प्रकृति के कार्यों में लेबर कम करने के कारण इन क्षेत्रों के बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन क्षेत्रों में लगभग 2000 बी.पी.एल. परिवार निवास करते हैं। अकाल राहत कार्य नहीं खुलने से इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और इनके सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उपरोक्त नगरपालिका क्षेत्रों में अधिकतर किसान हैं जो पानी के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं।

अत: मैं विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये अकाल राहत मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे बाली विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका बाली एवं फालना में स्थायी प्रकृति के कामों के बजाय कच्चे कार्यों को अकाल राहत के तहत लेने के आदेश दें ताकि उस क्षेत्र में निवास कर रहे हजारों बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को अधिकाधिक रोजगार मिल सके।

नावां तहसील के ग्राम भगवानपुरा में एक व्यक्ति को पानी का घरेलू कनेक्शन नहीं देने बाबत

[श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)]

मान्यवर,

निवेदन है कि जिला नागौर तहसील नावां के गांव भगवानपुरा (पूनिया की ढाणी) में श्री भंवरलाल पुत्र श्री देवारामजी जाट ने दिनांक 5.2.2001 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नावां द्वारा पानी के घरेलू कनेक्शन देने का आदेश रसीद संख्या 1496/99 दिनांक 19.9.2000 रकम 1305 रुपये के तहत जमा कर प्रार्थी को कनेक्शन देने के आदेश के बावजूद भी आज तक पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया। जबकि इसी पाइप लाइन में श्री रामदेवाराम पूनिया बीइदाराम पूनिया, भैरभकश, भवरिया, बालूराम ढाका पुत्र श्री अमराराम ढाका अर्जुनराम पूनिया देवाराम यादव, स्योकरण यादव, के 20 परिवारों के पानी के कनेक्शन हो रहे हैं। लेकिन श्री भंवरलाल पूनिया को सहायक

अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड नावां शहर की कनेक्शन आदेश होने के पश्चात् भी कनेक्शन नहीं देना अधिकारियों की मनमर्जी साफ दिखाई दे रही है।

मैं पी.एच.ई.डी. मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि दो पी.वी.सी. तीन इंच और एक लाइन ए.सी. जो कि चार इंच होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा है।

डूंगरपुर की पंचायत समिति बीछीवाड़ा में महिला हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की सेवा बहाली

[श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)]

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पंचायत समिति बीछीवाड़ा के आदेश क्रमांक 3964/6.2.1995 में 18 महिलाओं की हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के स्थान पर नियुक्तियां जारी की गई। एक वर्ष पश्चात् इन्हें सर्विस से पृथक कर दिया जबकि राज्य सरकार द्वारा लगातार बजट भी प्रस्तावित कर रखा है। यह आदिवासी क्षेत्र से महिलाएं हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के पद पर कार्यरत थी।

श्रीमान् बहाल करने से राज्य सरकार पर कोई भी वित्त भार नही पड़ेगा क्योंकि इनका बजट पूर्व से ही प्रस्तावित है। हमारा भौगोलिक स्थिति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र है। ढाणियां और पत्ते काफी दूर-दराज पर हैं। वर्तमान में पानी की गम्भीर समस्या है, हैण्ड पम्प मिस्त्रीयों की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। श्रीमान्, उपरोक्त महिला हैण्ड पम्प मिस्त्री पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत आती हैं।

श्रीमान् के माध्यम से माननीय मंत्री पंचायत राज विभाग से मेरी पूरजोर शब्दों में निवेदन है कि विधिवत पूर्व की भांति इन्हें सर्विस पर बहाल कराने के आदेश प्रदान करावें।

नावां विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल समस्या

[श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां)]

मान्यवर,

(1) नावां शहर उपखण्ड अधिकारी का हैडक्वार्टर है, यहां वार्ड नम्बर–7, वार्ड नम्बर–12 रैगर बस्ती, वार्ड नम्बर–13, 14 व 15 में पीने के पानी की किल्लत है, इस समस्या के हल के लिए 7.93 लाख रुपयों की स्वीकृति पानी सप्लाई में बढ़ोतरी करने के लिए स्रोत संवर्द्धन हेतु की गई। इसी प्रकार जल प्रदाय विभाग परिसर में 4.50 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय निर्माण हेतु 18.18 लाख रुपयों की स्वीकृति होकर जलाशय निर्माण का कार्य किया गया। एक जलकूप साम्भर रोड पर बनाया गया तथा वार्ड नम्बर 13 व 14 में पेयजल आपूर्ति संवर्द्धन हेतु एक नया नलकूप माह अगस्त, 2002 को चालू किया गया रेलवे लाइन के नीचे से पाइप लाइन की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार सारे साधन उपलब्ध होते हुए भी नावां उपखण्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वर्णित बस्तियों में पर्याप्त पानी की सप्लाई देने की सुचारू व्यवस्था नहीं की है जिससे आने वाली गर्मी की मौसम में भयंकर तकलीफ पैदा होगी। जलदाय विभाग के अधिकारी अपना सूपरविजन व कार्य क्षमता की कमजोरी को दूर कर यहां की सुचारू व्यवस्था करे।

(2) कुचामन शहर में राजकीय मंगली देवी उ.प्रा.विद्यालय से न्यू कालोनी वार्ड नम्बर 14 व 15 तथा 2007 की बस्ती के लोगों को नटखटजी पेयजी वाले के मकान के पास स्थित बस्ती के लोगों को पानी का प्रेशर बहुत ही कम मिल रहा है। जबकि कुचामन में पीने के पानी के स्रोतों की कमी नहीं है। इन क्षेत्रों में पानी सप्लाई की लाइन में कोई रुकावट नहीं हैं यहां अरेंजमेंट में कमी है उसको शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। कुचामन के वार्ड नम्बर 18 सूरत्री की डूंगरी की बस्ती को जी.आई. पाइप से जोड़ने के लिए विधायक कोटे से राशि स्वीकृत की गई। इस कार्य को भी जलदाय विभाग ने अभी तक नहीं किया है जिससे उस बस्ती के लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(3) ग्राम पंचायत राजलिया में एक ट्यूबवैल से पानी दिया जा रहा है। इसमें पानी बहुत ही कम आ रहा है। इसकी कम्प्रेशर से सफाई करवाना अत्यन्त आवश्यक है इस ओर विभाग से कई बार अनुरोध किया जा चुका है। इस ट्यूबवैल की मोटर 5–6 रोज से जली है जिससे यहां से पानी मिलना बिलकुल ठप पड़ा है तथा जो बस्ती इस ट्यबवैल के पानी से अपनी प्यास बुझाती थी वहां पानी सप्लाई की अन्य व्यवस्था भी नहीं की गई है जिससे बस्ती के लोग दुःखी हैं। इस ग्राम में बन्ध्या कुआं जिससे पानी सप्लाई किया जाता था उसमें पानी की बढ़ोतरी हेतु खुदाई करना, इस कुएं की मरम्मत करना इत्यादि के लिए एक लाख रुपया विधायक कोटे से स्वीकृत किया गया, परन्तु जलदाय विभाग ने अभी तक यह कार्य नहीं करवाया है, इसे लम्बा समय हो गया है। इस पंचायत क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए छिलरी तलाई भुआना से पानी सप्लाई की योजना भी तैयार की गई थी जिसमें पानी के स्रोत पाइप लाइन, उच्च जलाशय इत्यादि कार्य शामिल हैं तथा उस योजना से ग्राम राजलिया, मीचरों की ढाणी व बासड़ा में पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की है। इस योजना पर लाखों रुपये खर्च होंगे। यह धन उपलब्ध है परन्तु योजना की स्वीकृति में आब्जरवेशन उनकी पूर्ति में ढिलाई व छोटी मोटी क्वेरीज अधिकारियों को बैठाकर तुरन्त की जा सकती है। परन्तु योजना को इधर उधर भेजकर, पड़ी रखकर लम्बा समय लगाया जा रहा है जिससे इस गर्मी की मौसम में यहां की बस्ती के लोगों को पानी मिलना असम्भव हो गया है। इसके लिए किसी अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाय जो इसका मानिटरिंग करने जहां कहीं कार्यवाही रुकती है तो उसका समाधान करवाये।

(4) ग्राम खाखड़की, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है। नमक की झील से दूसरे छोर पर इस तहसील के लिए लंका के समान स्थित है। नमक की झील की वजह से वहां की धरती में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इस कारण इसके पास स्थित

अजमेर जिले के ग्राम बधूण से पानी लाने की योजना करीब 47 लाख की बनाई गई। ठेकेदार को कार्य आदेश भी दिया गया परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मौजूदा समय में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाना चालू किया गया परन्तु यह पानी यहां की आबादी की बस्ती के व पशुधन के लिए अपर्याप्त है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से वर्णित चारों स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था अतिशीघ्र व सुवस्थित करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं, जो स्वीकार करावें।

परिशिष्ट–11

परिशिष्ट-''क''

(ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विवरण)

जनशक्ति एवं गजेटियर्स निदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार अभियांत्रिकी की मैरिट सूची अनुसार वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक विभिन्न विभागों द्वारा दी गई तदर्थ/आवश्यक नियुक्तियों की संख्यात्मक स्थिति

क्र.सं.	विभाग का नाम	डिग्री/डिप्लोमा अभियांत्रिकों की नियुक्तियां (संख्या)
1	2	3
1.	विद्युत निरीक्षणालय	7
2.	स्थानीय निकाय विभाग	85
3.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	233
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	—
5.	रीको	—
6.	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	—
7.	राजस्थान खनिज विकास निगम	—
8.	तकनीकी शिक्षा विभाग	56
9.	दूर संचार विभाग	—
10.	सिंचाई विभाग	355
11.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	695
12.	एम.एल.वी. टैक्टसाइल इंस्टीट्यूट	—
13.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा	—
14.	परिवहन विभाग	26
15.	मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय	—

1	2	3
16.	राजस्थान आवासन मण्डल	—
17.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	267
18.	कृषि विपणन बोर्ड	82
19.	कृषि विभाग	270
20.	नगर विकास न्यास, अजमेर	1
21.	नगर सुधार न्यास, कोटा	29
22.	प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल	39
23.	नगर नियोजक विभाग	3
	कुल योग	**2148**

परिशिष्ट-"ख"

जनशक्ति एवं गजेटियर्स निदेशालय के अलावा वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक विभिन्न विभागों द्वारा सीधी भर्ती एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की गई डिग्री/डिप्लोमा अभियांत्रिकी की नियुक्तियों की संख्यात्मक स्थिति

क्र.सं.	विभाग का नाम	डिग्री/डिप्लोमा अभियांत्रिकों की नियुक्तियां (संख्या)	
		सीधी भर्ती	राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से
1	2	3	4
1.	विद्युत निरीक्षणालय (अधिशेष को समायोजित करने के कारण)	1	—
2.	स्थानीय निकाय विभाग	97	—
3.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	92	51
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	277	113
5.	रीको	94	—
6.	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	21	—
7.	राजस्थान खनिज विकास निगम	4	—
8.	तकनीकी शिक्षा विभाग	20	444
9.	दूर संचार विभाग	56	—
10.	सिंचाई विभाग	167	84
11.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	150	—
12.	एम.एल.वी. टैक्ससाइल इंस्टीट्यूट	9	—
13.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा	30	—
14.	परिवहन विभाग	—	83

1	2	3	4
15.	मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय	42	—
16.	राजस्थान आवासन मण्डल	10	—
17.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	—	—
18.	कृषि विपणन बोर्ड	—	—
19.	कृषि विभाग	—	—
20.	नगर विकास न्यास, अजमेर	—	—
21.	नगर सुधार न्यास, कोटा	—	—
22.	प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल	—	—
23.	नगर नियोजक विभाग	—	—
	कुल योग	1070	775